VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

करेंट अफेयर्स Workbook

फरवरी 2025

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

एथिक्स केस स्टडी

प्रोग्रेस ट्रैकिंग टेबल

MCQs

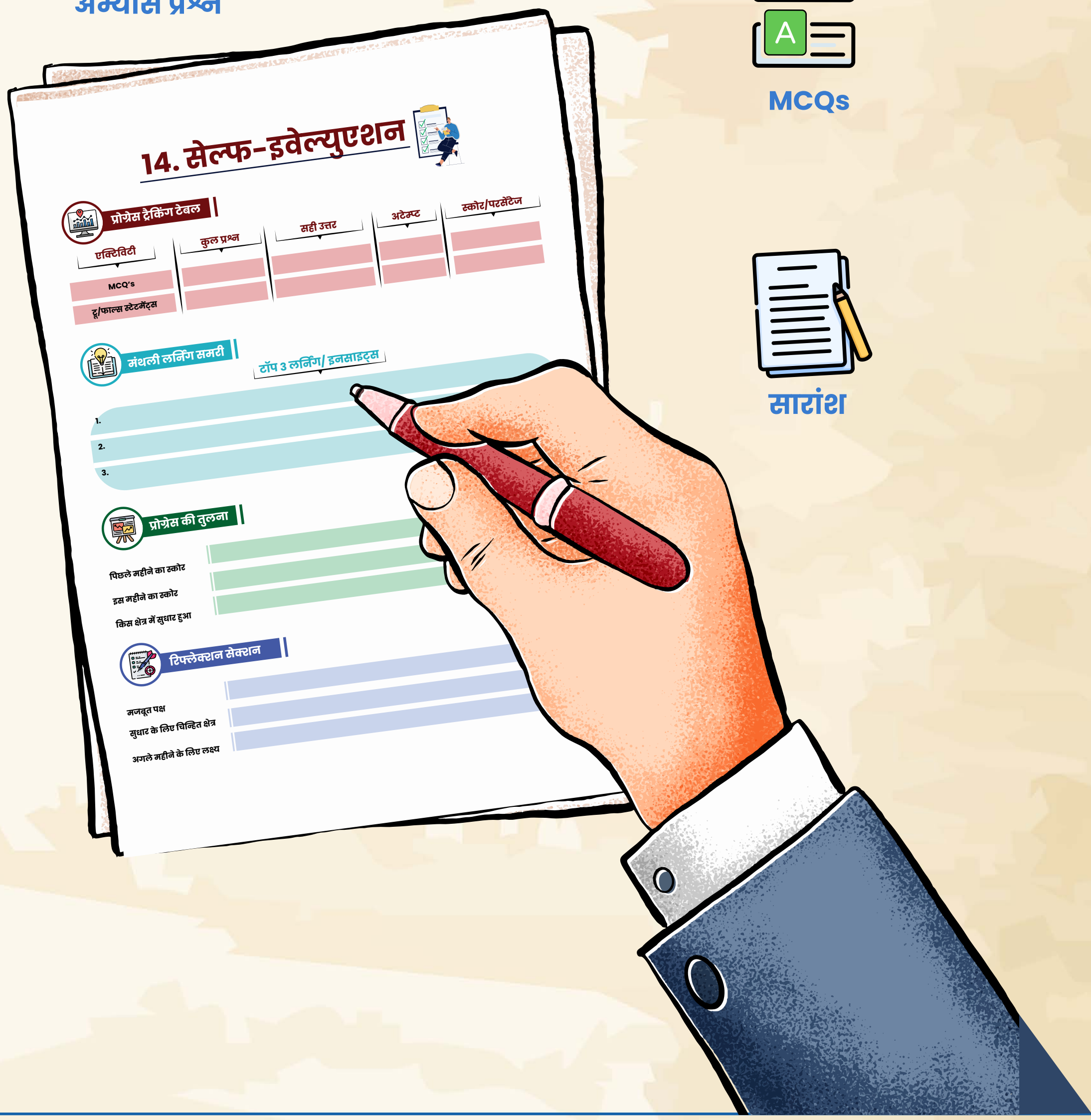

सारांश

स्मरणीय तथ्य

ट्रू/ फाल्स स्टेटमेंट्स

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | राँची

UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2024 में चयनित सभी उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई

10 in Top 10 Selections in CSE 2024 (from various programs of VISIONIAS)

हिन्दी माध्यम में 30+ चयन

137 AIR अंकिता कांति	182 AIR रवि राज	412 AIR जितेंद्र कुमावत	438 AIR ममता	448 AIR सुख राम	483 AIR ईश्वर लाल गुर्जर	509 AIR अमित कुमार यादव
554 AIR विमलोक तिवारी	564 AIR गौरव छिम्वाल	618 AIR राम निवास सियाग	622 AIR आलोक रंजन	651 AIR अनुराग रंजन वत्स	689 AIR खेतदान चारण	718 AIR रजनीश पटेल
731 AIR तेशुकान्त	760 AIR अश्वनी दुबे	795 AIR कर्मवीर नरवाडिया	865 AIR आनंद कुमार मीणा	873 AIR सिद्धार्थ कुमार मीणा	890 AIR सुषमा सागर	893 AIR अरुण मालवीय
895 AIR अजय कुमार	899 AIR रितिक आर्य	911 AIR अरुण कुमार	921 AIR ममता जोगी	925 AIR विजेंद्र कुमार मीणा	953 AIR राजकेश मीणा	998 AIR इकबाल अहमद

GS मेन्स एडवांस कोर्स 2025

लाइव/ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध

यह कोर्स मूलभूत अवधारणाओं की समझ रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए डिजाइन किया गया है। इसके तहत अभ्यर्थियों को जटिल टॉपिक्स तथा उन्हें आपस में जोड़ कर पढ़ने और समझ विकसित करने में उनकी मदद की जाएगी। साथ ही, मुख्य परीक्षा में आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए उनकी विश्लेषणात्मक क्षमता में सुधार किया जाएगा।

- अवधारणात्मक रूप से कठिन टॉपिक्स को कवर किया जाएगा
- मेन्स 2025 हेतु आवश्यक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण पर बल दिया जाएगा
- कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाया जाएगा (सॉफ्ट कॉपी)
- सेक्शनल मिनी टेस्ट का आयोजन किया जाएगा
- कोर्स की अवधि: 7 सप्ताह, प्रति सप्ताह 6-7 कक्षाएं (जरूरत पड़ने पर रविवार को भी कक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं)

Scan the QR CODE to download VISION IAS app

ENGLISH MEDIUM / हिन्दी माध्यम — **5 JUNE**

विषय सूची

1. राजव्यवस्था एवं शासन (POLITY & GOVERNANCE)

1.1. मुफ्त सुविधाएं (Freebies) 8
1.2. राज्यों में पंचायतों को अंतरण या हस्तांतरण की स्थिति (Status of Devolution to Panchayats in States) 9
1.2.1. पंचायती राज संस्थाओं में प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व (Proxy Representation in PRIs) 11
1.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS) 11
1.3.1. सरकार डिरेगुलेशन कमीशन का गठन करेगी (GOVT TO SET UP DEREGULATION COMMISSION) 11
1.3.2. मणिपुर में राष्ट्रपति शासन (PRESIDENT'S RULE IN MANIPUR) 12
1.3.3. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को मंजूरी दी {UNION CABINET APPROVES THE REVISED WAQF (AMENDMENT) BILL, 2024} 12
1.3.4. डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल (DIGITAL BRAND IDENTITY MANUAL: DBIM) 12

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (INTERNATIONAL RELATIONS)

2.1. भू-आर्थिक विखंडन (GEO-ECONOMIC FRAGMENTATION) 13
2.2. भारत की 'पड़ोसी प्रथम' नीति (INDIA'S NEIGHBOURHOOD FIRST POLICY) 14
2.3. त्रिकोणीय साझेदारी (TRIANGULAR PARTNERSHIP) 15
2.4. भारत - संयुक्त राज्य अमेरिका संबंध (INDIA - U.S.A RELATIONS) 16
2.4.1. भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता (INDIA-U.S. ....CIVIL NUCLEAR AGREEMENT) 17
2.5. भारत-फ्रांस संबंध (INDIA-FRANCE RELATIONSHIP) 18
2.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS) 19
2.6.1. भारत और कतर ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया (INDIA AND QATAR ELEVATE BILATERAL TIES TO STRATEGIC PARTNERSHIP) 19
2.6.2. बिम्सटेक (BIMSTEC) 19
2.6.3. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (INTERNATIONAL CRIMINAL COURT) 20
2.6.4. पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय (ECOWAS) {Economic Community of West African States (ECOWAS)} 20
2.6.5. पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (ओपेक) (ORGANIZATION OF THE PETROLEUM EXPORTING COUNTRIES: OPEC) 20
2.6.6. समुद्री नौवहन सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन (INTERNATIONAL ORGANIZATION OF AIDS TO MARINE NAVIGATION: IALA) 20

3. अर्थव्यवस्था (ECONOMICS)

3.1. MSMEs के लिए म्यूचुअल ऋण गारंटी योजना (MUTUAL CREDIT GUARANTEE SCHEME FOR MSMEs) 21
3.2. राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन (NATIONAL CRITICAL MINERAL MISSION: NCMM) 22
3.2.1. प्रमुख एवं लघु खनिज (MAJOR AND MINOR MINERALS) 23
3.3. प्रधान मंत्री धन धान्य कृषि योजना (PRIME MINISTER DHAN DHAANYA KRISHI YOJANA) 24
3.4. मखाना (MAKHANA) 24
3.5. कपास उत्पादकता मिशन (Mission for Cotton Productivity) 25
3.6. अर्बन चैलेंज फंड (Urban Challenge Fund: UCF) 26
3.7. शहरी सहकारी बैंक (URBAN COOPERATIVE BANKS: UCBs) 27
3.8. पुनर्गठित कौशल भारत कार्यक्रम (RESTRUCTURED SKILL INDIA PROGRAMME) 28
3.9. अन्य सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS) 29
3.9.1. सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद (Gross Domestic Knowledge Product: GDKP) 29
3.9.2. डिपॉजिट इंश्योरेंस (DEPOSIT INSURANCE) 29
3.9.3. GI टैग वाले चावल के लिए नया हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड (NEW HARMONISED SYSTEM CODES FOR GI TAGGED RICE) 30

3.9.5. ई-श्रम माइक्रोसाइट्स तथा ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स {E-SHRAM MICROSITES & OCCUPATIONAL SHORTAGE INDEX (OSI)} 30
3.9.6. टाइम यूज सर्वे (TIME USE SURVEY: TUS) 30
3.9.7. बीमा क्षेत्रक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई गई (FDI LIMIT HIKED IN INSURANCE SECTOR) 30
3.9.8. एनहेंस्ड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन (eCoO) 2.0 प्रणाली {ENHANCED CERTIFICATE OF ORIGIN (eCoO) 2.0 SYSTEM} 31
3.9.9. टनेज कर प्रणाली (TONNAGE TAX SCHEME) 31
3.9.10. RBI ने रेपो रेट में कटौती की (RBI CUT REPO RATE) 31
3.9.11. भारत में भुगतान प्रणाली का विनियमन (REGULATION OF PAYMENT SYSTEMS IN INDIA) 31
3.9.12. डिजिटल भुगतान सूचकांक (Digital Payments Index: DPI) 32
3.9.13. बाजार अवसंरचना संस्थान (MARKET INFRASTRUCTURE INSTITUTIONS: MIIs) 32
3.9.14. एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग (ALGORITHMIC TRADING) 32
3.9.15. पोटाश (POTASH) 32
3.9.16. इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (ELECTRONICS MANUFACTURING) 33
3.9.17. केंद्रीय बजट 2025: 50 शीर्ष पर्यटन स्थलों को 'चैलेंज मोड' में विकसित करना (UNION BUDGET 2025: DEVELOPING 50 TOP TOURIST DESTINATIONS IN 'CHALLENGE MODE') 33
3.9.18. RuTAGe स्मार्ट विलेज सेंटर (RuTAGe SMART VILLAGE CENTER: RSVC) 33
3.9.19. वैश्विक क्षमता केंद्र (Global Capability Centers: GCC) 33
3.9.20. स्वरेल (SwaRail) एप्लीकेशन (SwaRail APPLICATION) 33

4. सुरक्षा (SECURITY)

4.1. क्षेत्रवाद (REGIONALISM) 34
4.2. एल्गोरिदमिक एम्पलीफिकेशन और कट्टरपंथवाद (Algorithmic Amplification and Radicalisation) 35
4.3. हाइब्रिड वारफेयर (HYBRID WARFARE) 36
4.4. परमाणु निरस्त्रीकरण (Nuclear Disarmament) 37
4.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS) 38
4.5.1. नेवल (नौसेना) एंटी-शिप मिसाइल-शॉर्ट रेंज (NASM-SR) {NAVAL ANTI-SHIP MISSILE–SHORT RANGE (NASM-SR)} 38
4.5.2. सैन्य अभ्यास (MILITARY EXERCISES) 38

5. पर्यावरण (ENVIRONMENT)

5.1. भारत में सौर ऊर्जा (SOLAR ENERGY IN INDIA) 39
5.2. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (SOIL HEALTH CARD SCHEME) 40
5.3. पराली जलाना (STUBBLE BURNING) 41
5.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts) 43
5.4.1. वेटलैंड एक्रेडिटेड सिटीज (WETLAND ACCREDITED CITIES) 43
5.4.2. रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत भारत की चार और आर्द्रभूमियां शामिल की गई (FOUR MORE WETLANDS INCLUDED UNDER THE RAMSAR CONVENTION) 43
5.4.3. गुनेरी का अंतर्देशीय मैंग्रोव (INLAND MANGROVE OF GUNERI) 43
5.4.4. यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट्स प्रोग्राम (यूएन-हैबिटैट/ UN-Habitat) {UNITED NATIONS HUMAN SETTLEMENTS PROGRAMME (UN-HABITAT)} 44
5.4.5. एग्री-NBSAPs (AGRI-NBSAPS) 44
5.4.6. चैंपियंस ऑफ एनिमल प्रोटेक्शन (CHAMPIONS OF ANIMAL PROTECTION) 44
5.4.7. F11 बैक्टीरिया (F11 BACTERIA) 44
5.4.8. कम गहराई वाला भूकंप (SHALLOW-DEPTH EARTHQUAKE) 44
5.4.9. पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव में स्थानान्तरण (SHIFT IN EARTH'S MAGNETIC NORTH) 45
5.4.10. 'एक राष्ट्र, एक समय' के लिए मसौदा नियम (DRAFT RULES FOR 'ONE NATION, ONE TIME') 45
5.4.11. स्ट्रैटोवोलकेनो (STRATOVOLCANO) 46
5.4.12. माउंट डुकोनो (MOUNT DUKONO) 46
5.4.13. कैस्पियन सागर (CASPIAN SEA) 46

6. सामाजिक मुद्दे (SOCIAL ISSUES)

6.1. मध्यम आय वर्ग (Middle-Income Class)................47

6.2. त्रिभाषा फॉर्मूला (THREE-LANGUAGE FORMULA)................48

6.3. भारत में गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा (QUALITY HIGHER EDUCATION IN INDIA)................49

6.4. स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण {SWACHH BHARAT MISSION-GRAMEEN (SBM-G)}................51

6.5. जल जीवन मिशन (JAL JEEVAN MISSION: JJM)................52

6.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS)................53

6.6.1. "इमेजिन ए वर्ल्ड विद मोर वीमेन इन साइंस" अभियान ("IMAGINE A WORLD WITH MORE WOMEN IN SCIENCE" CAMPAIGN)................53

6.6.2. स्वावलंबिनी (SWAVALAMBINI)................54

6.6.3. NGO प्रथम फाउंडेशन ने 'वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER), 2024' जारी की {ASER 2024 RELEASED BY NGO PRATHAM FOUNDATION}................54

6.6.4. WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल (WHO FCTC) {WHO FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL (WHO FCTC)}................54

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (SCIENCE AND TECHNOLOGY)

7.1. परमाणु ऊर्जा मिशन (NUCLEAR ENERGY MISSION)................55

7.2. डीप ओशन मिशन (DEEP OCEAN MISSION)................56

7.3. गैर-संचारी रोग (Ncd) {NON-COMMUNICABLE DSEASES (Ncd)}................57

7.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS)................58

7.4.1. यूरोपीय संघ का AI अधिनियम लागू हुआ (EU AI ACT BECOMES APPLICABLE)................58

7.4.2. फसलों के जर्मप्लाज्म भंडारण के लिए जीन बैंक (GENE BANK FOR CROPS GERMPLASM)................59

7.4.3. चीन के EAST ने संलयन अभिक्रिया में नया रिकॉर्ड बनाया (CHINA'S EAST CREATES NEW RECORD IN FUSION REACTION)................59

7.4.4. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने श्रीहरिकोटा से 100वें रॉकेट का प्रक्षेपण किया {100th LAUNCH OF THE INDIAN SPACE RESEARCH ORGANISATION (ISRO) FROM SRIHARIKOTA}................59

7.4.5. चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत मानचित्रण (FIRST DETAILED MAPPING OF MOON'S SOUTH POLE)................59

7.4.6. नासा ने चंद्रमा पर जल का पता लगाने के लिए सैटेलाइट लॉन्च की (NASA LAUNCHES SATELLITE TO DETECT WATER ON THE MOON)................60

7.4.7. मंगल ग्रह का लाल रंग (RED COLOR OF MARS)................60

7.4.8. लोअर-सोडियम साल्ट सब्स्टिट्यूट्स (LOWER-SODIUM SALT SUBSTITUTES: LSSS)................60

7.4.9. शतावरी (SHATAVARI)................60

7.4.10. भारत टेक ट्रायम्फ प्रोग्राम (BHARAT TECH TRIUMPH PROGRAM)................60

8. संस्कृति (CULTURE)

8.1. ज्ञान भारतम मिशन (GYAN BHARATAM MISSION)................61

8.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS)................62

8.2.1. विजय दुर्ग (फोर्ट विलियम) {VIJAY DURG (FORT WILLIAM)}................62

8.2.2. टी हॉर्स रोड (TEA HORSE ROAD: THR)................62

8.2.3. तांत्रिक बौद्ध धर्म (TANTRIC BUDDHISM)................62

8.2.4. पद्म पुरस्कार (PADMA AWARDS)................62

8.2.5. साहित्य अकादमी पुरस्कार (SAHITYA ACADEMY AWARD)................63

8.2.6. भारतीय भाषा पुस्तक योजना (BHARATIYA BHASHA PUSTAK SCHEME)................63

9. नीतिशास्त्र (ETHICS)

9.1 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता (Obscenity on Digital Platforms)................64

9.2. सर्विलांस कैपिटलिज्म (Surveillance Capitalism)................65

9.3. भारत में रैगिंग के मामले (Ragging in India)................66

10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (SCHEMES IN NEWS)

10.1. प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PRADHAN MANTRI ANNADATA AAY SANRAKSHAN ABHIYAN: PM-AASHA)................68

11. स्मरणीय तथ्य (QUICK FACTS)................69

12. एक्टिविटी (Activities)

12.1. MCQS 74
12.2. ट्रू/फाल्स (T/F) स्टेटमेंट्स (True/False Statements) 76
12.3. मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न (Mains Practice Questions) 76
12.4. एथिक्स केस स्टडी (Ethics Case Studies) 77

उत्तर और व्याख्या (Answers and Explanation)

13.1. MCQs के उत्तर और व्याख्या (MCQs Answer and Explantion) 78
13.2. ट्रू/फाल्स स्टेटमेंट्स के उत्तर (True/False Answers) 79
13.3. मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्नों के लिए दृष्टिकोण (Approach to the Mains Practice Questions) 80
13.4. केस स्टडीज़ के प्रति दृष्टिकोण (Approach to case studies) 81

14. सेल्फ-इवेल्युएशन (Self - Evaluation) 82

संपादक की कलम से

प्रिय पाठकों,

यह वर्कबुक आपको टॉपिक्स के गहन अध्ययन और व्यावहारिक प्रैक्टिस के जरिए न केवल मुख्य अवधारणाओं को समझने, बल्कि उन्हें प्रभावी ढंग से अपनी तैयारी में इस्तेमाल करने में भी मदद करेगी। मासिक समसामयिकी डाक्यूमेंट का अध्ययन करने के बाद इस वर्कबुक के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर, आप **अपने ज्ञान को और बेहतर** कर सकेंगे तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक **आत्मविश्वास** विकसित करेंगे।

इस वर्कबुक में सुर्ख़ियों में रहे महत्वपूर्ण घटनाओं को संक्षिप्त और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया गया है, ताकि उन्हें बेहतर तरीके से याद रखा जा सके। उदाहरण के लिए, **राजव्यवस्था एवं शासन** खंड में, कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर चर्चा की गई है, जैसे कि **लोक कल्याण बनाम मुफ्त सुविधाएं, राज्यों में पंचायतों को अंतरण या हस्तांतरण की स्थिति, पंचायती राज संस्थाओं में प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व से निपटने हेतु आवश्यक सुधार,** आदि।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाले खंड में भू-आर्थिक विखंडन, भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु सहयोग जैसे विषयों के माध्यम से भारत के रणनीतिक पुनर्मूल्यांकन को उजागर किया गया है। ये घटनाक्रम भारत के वैश्विक प्रभाव और रणनीतिक प्राथमिकताओं को उजागर करते हैं।

अर्थव्यवस्था खंड में, राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन, MSMEs के लिए म्यूचुअल ऋण गारंटी योजना जैसे महत्वपूर्ण बदलावों को उजागर किया गया है। ये आत्मनिर्भरता, नवाचार और सतत विकास में भारत की उभरती प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं।

वर्कबुक के मुख्य अंशों पर एक नज़र

1. **मासिक समसामयिकी का सारांश:** इसमें एक माह के मुख्य सुर्ख़ियों, प्रमुख घटनाओं और ट्रेंड्स का संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत किया गया है।
2. **स्मरणीय तथ्य:** महत्वपूर्ण तथ्यों, आंकड़ों और सांख्यिकी का एक संदर्भ तैयार किया गया है, जिससे तेजी से रिवीजन करना और याद रखना आसान हो जाता है।
3. **एक्टिविटी ब्लॉक:**

MCQs: महत्वपूर्ण टॉपिक्स की समझ का परीक्षण कीजिए।

ट्रू/फाल्स स्टेटमेंट्स: मुख्य तथ्यों की अपनी समझ को सत्यापित कीजिए।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न: स्पष्टता के साथ टॉपिक्स को समझिए और व्याख्या कीजिए।

एथिक्स केस स्टडी: हालिया घटनाक्रमों को नैतिक दुविधाओं पर लागू कीजिए तथा निर्णय लेने से संबंधित कौशल को बेहतर कीजिए।

उत्तर और व्याख्या: इसमें तत्काल फीडबैक के लिए MCQs और ट्रू/ फाल्स प्रश्नों के उत्तर शामिल हैं।

4. **प्रोग्रेस ट्रैकिंग टेबल:** स्कोर रिकॉर्ड करने और सुधार के क्षेत्रों पर विचार करने के लिए एक डेडिकेटेड सेक्शन दिया गया है। इसके साथ अपनी प्रगति की निगरानी कीजिए।

नियमित प्रैक्टिस के लिए खुद को समर्पित करें, प्रक्रिया को अपनाएं और इस वर्कबुक को अपनी तैयारी में अपना भरोसेमंद साथी बनाएं। ध्यान, दृढ़ संकल्प और सही टूल्स के साथ, आप न केवल करेंट अफेयर्स में महारत हासिल करेंगे बल्कि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए आत्मविश्वासी भी होंगे।

हार्दिक शुभकामनाएं,
करेंट अफेयर्स टीम,
VisionIAS

> **"भविष्य को आकार देने का सबसे अच्छा तरीका है, उसे खुद बनाना।" - पीटर ड्रकर**

राजव्यवस्था एवं शासन (Polity and Governance)

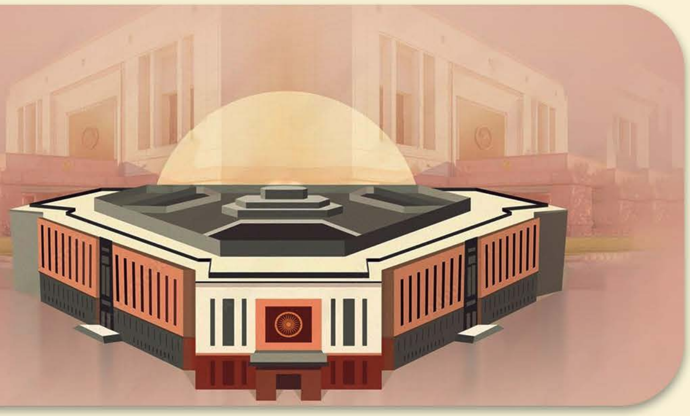

1.1. मुफ्त सुविधाएं (Freebies)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रश्न उठाया कि क्या मुफ्त सुविधाएं (फ्रीबीज़) गरीबों में परजीवी मानसिकता को बढ़ावा दे रही हैं और उनमें काम करने की इच्छा को हतोत्साहित कर रही हैं।

मुफ्त सुविधाओं का क्या अर्थ है?

RBI की परिभाषा: "मुफ्त प्रदान की जाने वाली सार्वजनिक कल्याणकारी सेवाएं।"

- राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी वादों के रूप में दिया जाना।
- कई विशेषज्ञों का मानना है कि हाल के दिनों में **लोक कल्याण और मुफ्त सुविधाएं** समानार्थी शब्द बन गए हैं।

लोक कल्याण बनाम मुफ्त सुविधाएं

- **लोक कल्याण: मानव पूंजी निर्माण** के लिए PDS, मनरेगा जैसे संवैधानिक रूप से निहित सतत प्रयास।
- **मुफ्त सुविधाएं:** अल्पकालिक शासकीय सहायता (जैसे, मुफ्त बिजली) में स्थिरता की कमी होती है। इनसे बाजार विकृत होता है, काम हतोत्साहित होता है आदि।

लोक कल्याण के लिए विविध एप्रोच

दान आधारित एप्रोच	आवश्यकता आधारित एप्रोच	अधिकार-आधारित एप्रोच
फोकस: इनपुट, न कि परिणाम	**फोकस:** आवश्यकताओं के लिए इनपुट और परिणाम	**फोकस:** अधिकारों के लिए प्रक्रिया और परिणाम
अमीरों का गरीबों के प्रति नैतिक कर्तव्य	आवश्यकताओं को वैध दावों के रूप में मान्यता	कानूनी और नैतिक दावों के रूप में अधिकार
व्यक्ति को पीड़ित के रूप में देखा जाता है	विकास के साधन के रूप में व्यक्ति	व्यक्तियों एवं समूहों को अधिकारों का दावा करने का अधिकार
समस्या की अभिव्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करता है	तात्कालिक कारणों पर ध्यान केंद्रित करना	संरचनात्मक कारणों और अभिव्यक्ति को लक्षित करता है

संवैधानिक और कानूनी परिप्रेक्ष्य

- **राज्य की नीति के निदेशक तत्व (DPSPs):** अनुच्छेद 38, 39 व 41 कल्याण को बढ़ावा देने, सभी के लिए आजीविका सुनिश्चित करने, धन संकेन्द्रण को रोकने आदि में राज्य की भूमिका पर प्रकाश डालते हैं।
- **सुप्रीम कोर्ट के निर्णय:**
  - **सुब्रमण्यम बालाजी वाद (2013):** न्यायालय ने टीवी और लैपटॉप जैसी वस्तुओं के राज्य द्वारा वितरण को DPSP के अनुरूप माना।
  - **अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ (विचाराधीन वाद):** सुप्रीम कोर्ट चुनाव अभियानों में मुफ्त सुविधाओं को दी जाने वाली चुनौतियों की समीक्षा कर रहा है।
- **चुनाव आयोग:** चुनावी वादों में पारदर्शिता का आग्रह किया तथा दलों से मुफ्त सुविधाओं के लिए वित्तीय संसाधन का खुलासा करने को कहा।

मुफ्त सुविधाओं के प्रभाव

सकारात्मक प्रभाव (लोक कल्याण)	नकारात्मक प्रभाव (मुफ्त सुविधाएं)
➲ **बुनियादी ज़रूरतें:** भोजन, स्वास्थ्य, आवास, आदि।	➲ **वित्तीय बोझ:** बजट पर दबाव, बुनियादी ढांचे पर खर्च में कटौती आदि।
➲ **लैंगिक समानता:** नामांकन को बढ़ावा मिलता है (जैसे, भोजन, मुफ्त साइकिल)।	➲ निर्भरता पैदा होती है और उत्पादकता कम होती है।
➲ **समावेशिता:** संवृद्धि के लिए वित्तीय बाधाएं दूर होती हैं।	➲ इससे स्थिरता को नुकसान पहुंचता है और भावी पीढ़ियों पर बोझ पड़ता है।
➲ **राजनीतिक भागीदारी:** मतदाताओं की भागीदारी बढ़ती है और लोकतंत्र को बढ़ावा मिलता है।	➲ लोकलुभावन वोट खरीदने की रणनीति के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।
➲ कम रोजगार और अंतर-पीढ़ीगत मोबिलिटी के मुद्दों से निपटना।	➲ विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कमजोर होती है।

उठाए जाने वाले कदम

- **नीतिगत सुधार:** राजकोषीय विवेक, लीकेज को रोकना, बीमा कवरेज का विस्तार करना और आम सहमति बनाना।
- **चुनाव आयोग की भूमिका:** पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए घोषणा-पत्रों को विनियमित करना।
- **कौशल विकास:** मुफ्त सुविधाओं पर निर्भरता कम करने के लिए व्यक्तियों को सशक्त बनाना।
- **मतदाता जागरूकता।**
- **हस्तक्षेप:** प्रभाव का आकलन करने के लिए विशेषज्ञ समितियों (नीति आयोग, RBI और वित्त आयोग को मिलाकर) का गठन करना।
- **वैश्विक सबक:**
  - **श्रीलंका में 2019 में कर कटौती** के कारण राजस्व हानि और पतन हुआ।
  - **वेनेजुएला में लोकलुभावन मुफ्त सुविधाओं** के कारण आर्थिक संकट पैदा हुआ।

1.2. राज्यों में पंचायतों को अंतरण या हस्तांतरण की स्थिति (Status of Devolution to Panchayats in States)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, पंचायती राज मंत्रालय ने "राज्यों में पंचायतों को अंतरण की स्थिति- सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की।

अन्य संबंधित तथ्य

- **भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (IIPA), नई दिल्ली** द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट में 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों की अपनी भूमिका निभाने की क्षमता की जांच की गई है।

पंचायतों को हस्तांतरण के बारे में

- हस्तांतरण में उच्च अधिकार क्षेत्र से निम्न अधिकार क्षेत्र में **शक्तियों, प्राधिकार, कर्तव्यों या निधियों का हस्तांतरण** शामिल है।
- स्थानीय सरकार, जिसमें पंचायतें भी शामिल हैं, संविधान में **राज्य सूची** का विषय है। इसलिए, **पंचायतों को हस्तांतरण राज्यों के विवेक पर निर्भर करता** है।

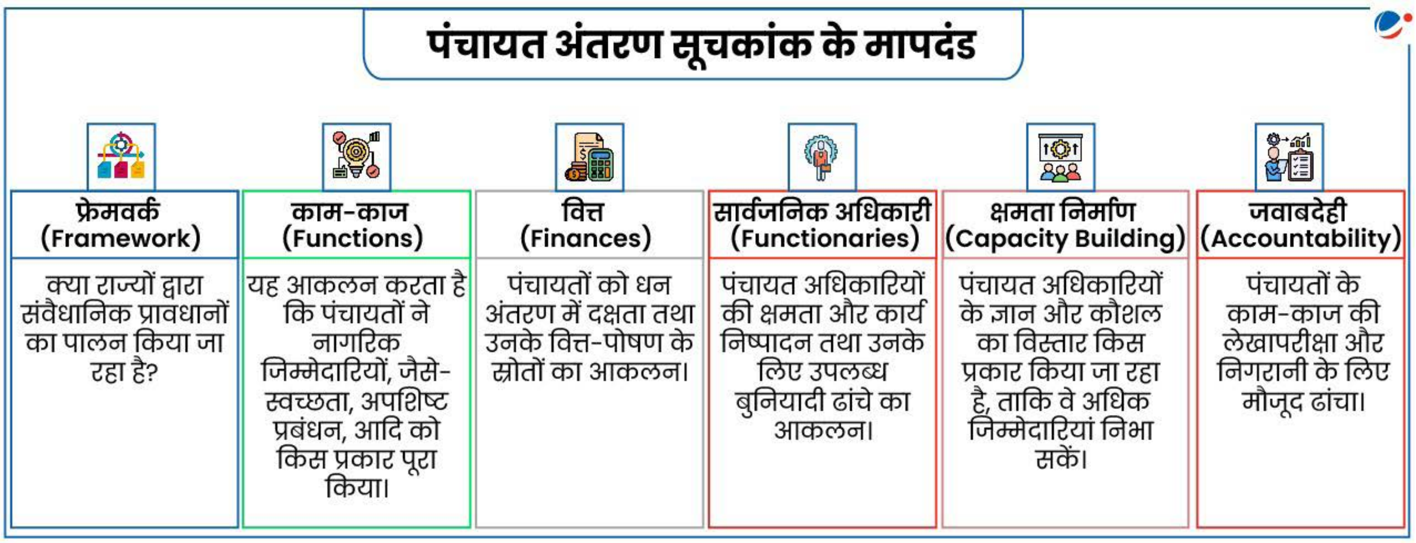

रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं

- **पंचायत अंतरण सूचकांक:** राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को अंतरण के 6 आयामों के आधार पर रैंक प्रदान करता है।
    - 'काम-काज' आयाम का राष्ट्रीय औसत सबसे कम है।
- **शीर्ष 3 राज्य:** कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु।
- **सबसे निचले पायदान पर 3 राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश:** दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव, पुडुचेरी तथा लद्दाख।
- 2013-14 से 2021-22 में **अंतरण 39.9% से बढ़कर 43.9%** हो गया।
- **राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)** जैसी पहलों के कारण **क्षमता में वृद्धि 44%** से बढ़कर 54.6% हो गई।

अंतरण सूचकांक का महत्त्व

- **नागरिकों के लिए:** पंचायतों के कार्यों और संसाधन उपयोग में पारदर्शिता।
- **चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए:** समर्थन और सुधार के लिए डेटा।
- **सरकारी अधिकारियों के लिए:** प्रभावी विकेंद्रीकरण नीतियां।
- **नीति-निर्माताओं के लिए:** स्थानीय शासन की समग्र स्थिति और सुधार से संबंधित आवश्यकताओं का आकलन करता है।

अंतरण का महत्त्व

- सेवा वितरण में वृद्धि
- 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुरूप
- जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूती
- आर्थिक संवृद्धि और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा
- पंचायती राज संस्थाओं के राजकोषीय स्वास्थ्य को मजबूती

अंतरण के संबंध में संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 243G	अनुच्छेद 243H	अनुच्छेद 243I	अनुच्छेद 243ZD
राज्य पंचायतों को स्वशासन संस्थाओं के रूप में कार्य करने की शक्तियां प्रदान करता है।	राज्य विधान-मंडल पंचायतों को कर, शुल्क, टोल व फीस एकत्र करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं।	राज्य वित्त आयोग (SFC) हर पांच साल में पंचायतों को संसाधन हस्तांतरित करता है।	जिला योजना समिति **पंचायत व नगर पालिका योजनाओं** को जिला विकास योजना में समेकित करती है।

पंचायतों को अंतरण से जुड़ी चुनौतियां

- **फ्रेमवर्क: अनियमित चुनाव और परिसीमन में देरी।** उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश में 23,000 से अधिक स्थानीय निकायों के लिए चुनाव कराने में देरी।
- **काम-काज: पारंपरिक भूमिकाओं** (जैसे नागरिक कर्तव्यों) तक सीमित, **पैरास्टाटल निकायों** की उपस्थिति, आदि।
- **वित्त:** अपर्याप्त संसाधन और अनुदान पर निर्भरता (राजस्व का 95%)।
- **मानव संसाधन:** तकनीकी, प्रशासनिक एवं सहायक कर्मचारियों की कमी, **जैसे- 17 ग्राम पंचायतों के लिए एक सचिव।**
- **क्षमता निर्माण:** खराब बुनियादी ढांचे एवं प्रशिक्षण पंचायतों को प्रभावित करते हैं।
    - उदाहरण के लिए, 40,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में अभी भी कंप्यूटर नहीं हैं।
- **जवाबदेही:** कम भागीदारी एवं जागरूकता भ्रष्टाचार का कारण बनती है।
    - उदाहरण के लिए- तमिलनाडु के कृष्णा जिले की 70% पंचायतों में धन के दुरुपयोग के मामले सामने आए हैं।

रिपोर्ट में की गई सिफारिशें

- **राज्य चुनाव आयोग (SEC) को मजबूत बनाना:** चुनाव तिथियां और परिसीमन निर्धारित करने जैसी शक्तियां; समान मतदाता सूची आदि।
- **आरक्षित सीटें:** आरक्षण को 2 से 3 कार्यकालों के लिए स्थिर रखा जाना चाहिए।
- **स्वायत्तता:** उदाहरण के लिए- ग्यारहवीं अनुसूची के विषयों को पंचायतों को सौंपा जाए, समानांतर निकायों को नहीं।
- **वित्तपोषण:** उदाहरण के लिए- हर 5 वर्ष में SFCs का गठन करना, विधान-मंडलों में रिपोर्ट प्रस्तुत करना, आदि।
- **जवाबदेही:** सख्त वित्तीय निगरानी, स्वतंत्र लेखा परीक्षा आदि।
- **श्रमबल:** पंचायतों को अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति करने; बाहरी विशेषज्ञों को शामिल करने और अवसंरचना के विकास के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने की स्वायत्तता दी जानी चाहिए। कर्मचारियों का आवंटन कार्यभार और स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर किया जाना चाहिए।
- **क्षमता निर्माण:** स्थानीय लोक सेवा प्रबंधन में PRI सदस्यों को प्रशिक्षित करना, जिसमें प्रणालियां, वित्त आदि शामिल हैं।

1.2.1. पंचायती राज संस्थाओं में प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व (Proxy Representation in PRIs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) के पैनल ने अपनी रिपोर्ट, **"पंचायती राज में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का रूपांतरण: प्रॉक्सी भागीदारी को समाप्त करना"** में पंचायती राज संस्थानों (PRIs) में प्रॉक्सी भागीदारी को खत्म करने के तरीके सुझाए हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- **मंडोना ग्रामीण विकास फाउंडेशन बनाम भारत सरकार (2023)** मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित समिति को PRIs में प्रॉक्सी भागीदारी का अध्ययन करने का आदेश दिया था।

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

- **संवैधानिक प्रावधान (73वां संविधान संशोधन, 1992):** पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करना, जिसे बाद में 21 राज्यों द्वारा लगभग 50% तक विस्तारित (सर्वप्रथम बिहार) किया गया।
- **महिलाओं का वर्तमान प्रतिनिधित्व:** 46.6%.
- **प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व का मुद्दा:** जैसे- **सरपंच पति।**

PRIs में महिलाओं की भागीदारी का महत्त्व		
महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर बेहतर प्रतिक्रिया	**समुदाय का बेहतर विकास**	**उच्च स्तर पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मार्ग**
महिलाओं से संबंधित शिकायतों का समाधान दोगुना अधिक होना (MIT का अध्ययन, 2003)।	महिला नेतृत्व वाली पंचायतें जल, स्वच्छता, स्कूल आदि को प्राथमिकता देती हैं।	जमीनी स्तर पर नेतृत्व महिलाओं को उच्च पदों पर पहुंचने में मदद करता है।
विकेंद्रीकरण से मातृ स्वास्थ्य देखभाल और सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा मिलता है।	NCAER (2010) सामुदायिक विकास प्रभाव की पुष्टि करता है	लोक सभा और राज्य विधान-मंडलों में प्रतिनिधित्व के लिए मार्ग तैयार करता है।

समिति द्वारा प्रस्तावित प्रमुख सुधार

- **कठोर दंड एवं सजा।**
- **मजबूत नीतियां:** केरल की तरह **जेंडर-एक्सक्लूसिव कोटा, सार्वजनिक शपथ ग्रहण समारोह** आदि।
- **तकनीकी समाधान:** उदाहरण के लिए- स्थानीय भाषाओं में महिला प्रतिनिधियों हेतु वर्चुअल रियलिटी प्रशिक्षण और AI-संचालित कानूनी मार्गदर्शन।
- **जवाबदेही तंत्र:** हेल्पलाइन, निगरानी समितियां तथा सूचना देने वाले को पुरस्कार।
  - पंचायत निर्णय पोर्टल: बैठकों और निर्णयों में निर्वाचित प्रधानों की भागीदारी पर नज़र रखता है।

1.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS)

1.3.1. सरकार डिरेगुलेशन कमीशन का गठन करेगी (GOVT TO SET UP DEREGULATION COMMISSION)

प्रधान मंत्री ने घोषणा की कि सरकार **गवर्नेंस में राज्य की भूमिका को सीमित** करने के लिए एक डिरेगुलेशन कमीशन का गठन करेगी।

- प्रधान मंत्री ने **जन विश्वास विधेयक 2.0** (2025-26 के केंद्रीय बजट में घोषित) पर भी प्रकाश डाला, ताकि नियमों को आसान बनाकर नौकरशाही की बाधाओं को कम किया जा सके।
  - इस विधेयक का उद्देश्य **ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस** को बढ़ाने के लिए **100 से अधिक पुराने कानूनी प्रावधानों को अपराध के दायरे से बाहर** करना है।

डिरेगुलेशन के बारे में

- यह किसी **उद्योग पर सरकार की निगरानी को कम या समाप्त** करने की प्रक्रिया है।
- **वैश्विक पहलें:** DoGE (संयुक्त राज्य अमेरिका); बेहतर विनियमन फ्रेमवर्क (यूनाइटेड किंगडम); विनियमन मंत्रालय (न्यूजीलैंड) आदि।

डिरेगुलेशन या गैर-विनियमन के समक्ष मौजूद चुनौतियां क्या हैं?

बाजार एकाधिकार बड़ी कंपनियों का एकाधिकार बढ़ सकता है	**शोषण की संभावना** अनैतिक व्यवहार (जैसे मूल्य वृद्धि)	**पारदर्शिता की कमी** कंपनियां जानकारी छुपा सकती हैं, जिससे जनता का विश्वास प्रभावित हो सकता है।

आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में डिरेगुलेशन का महत्त्व

- **संवृद्धि को बढ़ावा:** भारत को **8% की संवृद्धि दर** हासिल करने के लिए **निवेश दर को जीडीपी के 31% से बढ़ाकर 35%** तक करने की आवश्यकता है।
  - उदाहरण के लिए- **जापान और चीन** डिरेगुलेशन की मदद से विकसित हुए हैं।
- **आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि:** नौकरशाही में कटौती, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा आदि।

- उदाहरण के लिए- **जन विश्वास अधिनियम, 2023** ने 42 अधिनियमों के 183 प्रावधानों को आसान बनाया है।
- **MSMEs की लागत में कमी:** सरल नियमों के कारण।
    - उदाहरण के लिए- **हरियाणा और तमिलनाडु** ने भवन निर्माण विनियमों में ढील दी है।
- **प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को बढ़ावा:** उदाहरण के लिए- **आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा सरकार** ने महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट में काम करने पर लगी रोक में ढील दी है।

1.3.2. मणिपुर में राष्ट्रपति शासन (PRESIDENT'S RULE IN MANIPUR)

भारत के राष्ट्रपति ने मणिपुर (राज्य के लिए 11वीं बार) में राष्ट्रपति शासन लगाने की उद्घोषणा जारी की, जिससे **राज्य विधान सभा निलंबित** हो गई।

राष्ट्रपति शासन के बारे में

- **संविधान: अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, यदि राष्ट्रपति को (राज्यपाल की रिपोर्ट पर) यह लगता है कि राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं** चल रही है।
    - इसके अलावा, **अनुच्छेद 365** किसी राज्य द्वारा संघ के निर्देशों की अवहेलना करने पर **"संवैधानिक आपातकाल"** की अनुमति देता है।
- **अवधि और अनुमोदन: अनुच्छेद 356(3)** के अनुसार, यह केवल दो महीने तक चलता है जब तक कि संसद (दोनों सदन) में इसे **साधारण बहुमत** से अनुमोदित नहीं किया जाता।
    - यदि इसे मंजूरी मिल जाती है तो **यह छह महीने तक बढ़ जाता है** (प्रत्येक **6 महीने में संसदीय अनुमोदन के साथ अधिकतम 3 वर्ष)।**
- **निरसन:** बाद की राष्ट्रपति की उद्घोषणा द्वारा।
- **परिणाम:**
    - **राज्यपाल राष्ट्रपति की ओर से राज्य का प्रशासन चलाता है,** जिसमें मुख्य सचिव या सलाहकार उसकी सहायता करते हैं।
    - राष्ट्रपति राज्य **विधान-मंडल की शक्तियों को संसद को हस्तांतरित** कर सकता है।
    - **राज्य के हाई कोर्ट के कामकाज पर प्रभाव नहीं** पड़ता।

एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ वाद (1994)

- सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि **अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन** है।
- राष्ट्रपति किसी राज्य विधान सभा को **संसद की मंजूरी के बाद ही भंग** कर सकता है, तब तक वह निलंबित रहती है।

1.3.3. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को मंजूरी दी {UNION CABINET APPROVES THE REVISED WAQF (AMENDMENT) BILL, 2024}

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार **संशोधित वक्फ विधेयक में संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के सुझावों को शामिल** किया गया है।

'वक्फ' क्या है?

- इस्लामी कानून के तहत **केवल धार्मिक या धर्मार्थ उपयोग के लिए समर्पित संपत्तियां।**
- वक्फ संपत्तियां **अल्लाह को समर्पित** होती हैं और उन्हें **'मुतवल्ली' द्वारा प्रबंधित** किया जाता है।
- भारत में वक्फ बोर्ड 9.4 लाख एकड़ से अधिक 8.7 लाख संपत्तियों को नियंत्रित करते हैं, जो **दुनिया की सबसे बड़ी वक्फ संपत्ति** है।

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 के बारे में

- **उद्देश्य:** वक्फ संपत्तियों के विनियमन में सुधार के लिए वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करना।
- **मुख्य प्रावधान:**
    - **समावेशी बनाना:** मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम OBCs को **केंद्रीय वक्फ परिषद एवं राज्य वक्फ बोर्ड के प्रबंधन में शामिल** करना।
        - **केंद्रीय वक्फ परिषद:** 1964 से यह एक **वैधानिक निकाय है, जो वक्फ संपत्ति पर नियंत्रण रखे बिना राज्य वक्फ बोर्डों को सलाह** देता है।
        - **राज्य वक्फ बोर्ड:** वक्फ संपत्ति के **रखरखाव और प्रशासन की देखरेख** करना।
    - **अधिकरणों के आदेशों** की अपील **90 दिनों के भीतर हाई कोर्ट्स** में की जा सकेगी।
    - **अन्य प्रावधान:** तकनीक सक्षम पंजीकरण, **अघाखानी और बोहरा समुदायों** के लिए अलग बोर्ड आदि।

वक्फ कानून में संशोधन की आवश्यकता क्यों है?

- 'एक बार वक्फ को समर्पित संपत्ति, हमेशा के लिए वक्फ संपत्ति रहती है' यह सिद्धांत विवाद का कारण बनता है।
- वक्फ अधिकरण के निर्णय की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती।
- वक्फ संपत्तियों का सही से सर्वेक्षण कार्य नहीं किया जाता है।

1.3.4. डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल (DIGITAL BRAND IDENTITY MANUAL: DBIM)

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सरकार की डिजिटल उपस्थिति को सुसंगत बनाने के लिए DBIM की शुरुआत की।

DBIM के बारे में

- यह **सरकारी वेबसाइट्स को सरल और मानकीकृत बनाने पर केंद्रित** है।
- **लक्ष्य:** नागरिकों के लिए **सरकारी वेबसाइटों को नेविगेट करना आसान बनाना** और **आवश्यक सरकारी सेवाओं तक सुगम पहुंच** सुनिश्चित करना।
- **उद्देश्य:** सेवा वितरण में सुधार करना तथा सभी मंत्रालयों में सुसंगत व पारदर्शी संचार सुनिश्चित करना।
- **महत्त्व:** यह **"यूनिफॉर्म गवर्नेंस"** की शुरुआत से **"न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन"** को बढ़ावा देगा।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

2.1. भू-आर्थिक विखंडन (GEO-ECONOMIC FRAGMENTATION)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 आर्थिक एकीकरण से भू-आर्थिक विखंडन (GEF) की ओर एक वैश्विक बदलाव पर प्रकाश डालता है, जो **वैश्वीकरण के प्रतिस्थापन का संकेत देता** है।

भू-आर्थिक विखंडन (GEF) के बारे में: नया वैश्विक परिदृश्य

- **GEF:** यह वैश्विक आर्थिक एकीकरण के नीति-संचालित उलटफेर को संदर्भित करता है, जो मुख्य रूप से रणनीतिक चिंताओं से प्रेरित है।
- **उदाहरण:**
  - **फ्रेंडशोरिंग:** इसमें आपूर्ति श्रृंखलाएं राजनीतिक रूप से संबद्ध राष्ट्रों की ओर स्थानांतरित हो जाती हैं (उदाहरण के लिए, Apple का चीन से भारत में iPhone उत्पादन स्थानांतरित करना)।
  - **नियरशोरिंग:** यह निकटवर्ती देशों में आउटसोर्सिंग को दर्शाता है (जैसे जर्मन कंपनियों द्वारा पोलैंड में ग्राहक सेवा लेना)।

वैश्वीकरण से GEF तक

वैश्वीकरण का उदय (1980-2000 का दशक)	चरम वैश्वीकरण (2000 का दशक - 2010 का दशक)	स्लोबलाइजेशन (2010 का दशक)	वैश्वीकरण में गिरावट (2020 का दशक)
व्यापार उदारीकरण और सीमा-पार निवेश ने अर्थव्यवस्थाओं को एकीकृत किया, संवृद्धि को बढ़ावा दिया तथा गरीबी को कम किया। उदाहरण के लिए- वैश्विक व्यापार वैश्विक GDP के 39% (1980) से बढ़कर 60% (2012) हो गया।	अति-वैश्वीकरण के कारण अभूतपूर्व व्यापार, FDI आदि देखने को मिले।	बढ़ती असमानता, भू-राजनीतिक तनाव और आउटसोर्सिंग के विरोध ने वैश्वीकरण के असमान लाभों के प्रति असंतोष को बढ़ावा दिया।	ट्रेड वार, टेक डिकप्लिंग, आदि के कारण **भू-आर्थिक विखंडन (GEF)** में वृद्धि।

GEF की प्रमुख विशेषताएं:

- **भू-राजनीतिक संरेखण** और **बहुपक्षवाद से पीछे हटना।**
- **आर्थिक गुटों का निर्माण** और **रणनीतिक राष्ट्रीय नीतियां।**

GEF के माध्यम:

- **व्यापार प्रतिबंध:** टैरिफ, गैर-टैरिफ बाधाएं।
- **तकनीकी अलगाव:** उच्च-तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग में गिरावट (उदाहरण के लिए, अमेरिका का **चिप्स अधिनियम** बनाम चीन का **मेड इन चाइना 2025**)।
- **पूंजी प्रवाह में गिरावट: असंबद्ध अर्थव्यवस्थाओं में** FDI में कमी।

GEF के प्रभाव:

- **आर्थिक हानि:** वैश्विक विकास दर में गिरावट; **भारत के 2028 तक 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को खतरा है।**
- **निवेश में बदलाव:** वित्त वर्ष 2024 में भारत में FDI **5 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया।**
- **श्रम बाजार:** प्रतिबंधित प्रवासन कौशल प्रवाह और प्रेषण को कम करता है।

- **वैश्वीकरण में गिरावट:** जलवायु सहयोग, तकनीकी प्रसार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान कमजोर हो रहा है।

आगे की राह

- **घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाएं:** आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना चाहिए (उदाहरण के लिए, लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के लिए KABIL)।
- **क्षेत्रीय साझेदारियां:** हिंद-प्रशांत व्यापार के लिए **बिम्सटेक, IPEF का लाभ उठाना चाहिए।**
- **तकनीक और नवाचार: AI,** नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटल परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

2.2. भारत की 'पड़ोसी प्रथम' नीति (INDIA'S NEIGHBOURHOOD FIRST POLICY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत की पड़ोसी प्रथम नीति को एक दशक पूरा हो गया है।

भारत की पड़ोस प्रथम नीति (NFP) के बारे में

- **उत्पत्ति: 2008 में आरंभ; 2014** के बाद अधिक सक्रिय हुआ।
- **उद्देश्य:** निकटतम पड़ोसियों, **अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका के साथ संबंधों को मजबूत करना।**
- **मार्गदर्शक सिद्धांत: 5S फ्रेमवर्क** (सम्मान, संवाद, शांति, समृद्धि, संस्कृति); एकतरफा और परिणाम-उन्मुख दृष्टिकोण के साथ।

भारत के पड़ोसी देशों में अस्थिरता

	देश	भारत के लिए चिंताएं
	अफगानिस्तान: 2021 में तालिबान के कब्जे के कारण लोकतांत्रिक तरीके से गठित सरकार का पतन हो गया।	अफगानिस्तान में अपने निवेश की सुरक्षा तालिबान शासन और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे
	म्यांमार: 2021 में हुए सैन्य तख्तापलट ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अस्थिर कर दिया, जिससे व्यापक विरोध और हिंसा भड़क उठी।	उग्रवाद में वृद्धि और अवैध शरणार्थियों का आगमन
	श्रीलंका: आर्थिक संकट के कारण 2022 में राजनीतिक अस्थिरता और सार्वजनिक अशांति।	**शरणार्थियों के आगमन की आशंका** **व्यापक आर्थिक प्रभाव** चीन के बढ़ते प्रभाव के संबंध में **रणनीतिक चिंताएं**
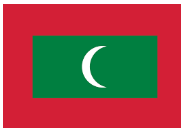	**मालदीव:** मालदीव में 2012 से राजनीतिक उथल-पुथल जारी 2023 में, भारत विरोधी मुद्दे पर अभियान चलाने वाली एक नई सरकार चुनी गई थी।	**चीन के हस्तक्षेप के खिलाफ अपना प्रभाव बनाए रखना** **हिंद महासागर की सुरक्षा** **कूटनीतिक संबंधों में संतुलन**
	नेपाल: बार-बार सरकार बदलने से राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है।	चीन के प्रभाव में वृद्धि
	बांग्लादेश: 2024 में बांग्लादेश की प्रधान मंत्री के इस्तीफे के बाद राजनीतिक अस्थिरता।	**शरणार्थियों का अवैध घुसपैठ और जबरन विस्थापन** **अखौरा-अगरतला रेल लिंक** जैसी प्रमुख परियोजनाओं के समक्ष खतरा

NFP के प्रमुख पहलू

- **आर्थिक एवं कनेक्टिविटी में वृद्धि:** उदाहरण, **बांग्लादेश** की मोंगला बंदरगाह तक पहुँच (2024) पूर्वोत्तर भारत के लिए लागत कम करती है।
- **उच्च स्तरीय राजनयिक पहुँच:** उदाहरण, 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की **नेपाल** यात्रा (17 वर्षों में पहली यात्रा)।
- **विकास परियोजनाएं एवं सहायता:** उदाहरण, मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना।
- **ऊर्जा सहयोग:** उदाहरण, **बांग्लादेश-नेपाल-भारत** त्रिपक्षीय बिजली व्यापार।
- **चीन के प्रभाव का मुकाबला करना:** उदाहरण, चीन की ऋण-जाल कूटनीति के जवाब में **मालदीव** को वित्तीय सहायता।
- **मानवीय नेतृत्व:** उदाहरण, **वैक्सीन मैत्री,** जिसके पहले प्राप्तकर्ता भूटान और मालदीव थे।

भारत के पड़ोस (दक्षिण एशिया) का महत्व:

- **आर्थिक एकीकरण:** दक्षिण एशिया का 5% अंतर-क्षेत्रीय व्यापार भारत को नेतृत्वकारी भूमिका निभाने की अनुमति देता है।
- **बुनियादी ढांचा:** दक्षिण एशिया में सहयोग भारत को आर्थिक और रणनीतिक रूप से चीनी प्रभाव का मुकाबला करने में मदद करता है।
- **सांस्कृतिक प्रभाव:** साझा इतिहास लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देता है और सॉफ्ट पावर को बढ़ाता है।
- **सुरक्षा:** भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक स्थिर दक्षिण एशिया आवश्यक है।

चुनौतियां

- **राजनीतिक अस्थिरता:** उदाहरण, म्यांमार में तख्तापलट और मालदीव का चीन समर्थक रुख।
- **"बड़े भाई" वाला रवैया:** उदाहरण, 2015 नेपाल नाकाबंदी का प्रतिकूल प्रभाव।
- **परियोजना में देरी:** उदाहरण, माले पुल के निर्माण में देरी से भारत विरोधी भावना को बढ़ावा मिला।
- **अनसुलझे विवाद:** उदाहरण, बांग्लादेश के साथ तीस्ता नदी और नेपाल के साथ कालापानी से संबंधित मुद्दे।
- **चीन का BRI विस्तार:** श्रीलंका में हंबनटोटा बंदरगाह तथा नेपाल और बांग्लादेश में BRI परियोजनाओं जैसे विकास में चीन की भागीदारी।

आगे की राह

- **कूटनीतिक संवेदनशीलता:** पड़ोसी देशों की घरेलू राजनीति के साथ तालमेल बिठाना (जैसे, मालदीव के बदलते गठबंधनों के साथ तालमेल बिठाना)।
- **परेशानियों का समाधान:** तीस्ता नदी पर समझौतों में तेजी लाना और कालापानी तथा कच्चातिवु विवादों का समाधान खोजना।
- **कुशल परियोजना वितरण:** पड़ोसियों के साथ विश्वास बनाए रखने के लिए देरी को रोकना।
- **रणनीतिक संतुलन:** पड़ोसी देशों पर द्विआधारी विकल्प थोपे बिना चीन के प्रभाव का मुकाबला करना।
- **लोकतंत्र का समर्थन करना:** स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान के साथ जुड़ना।

2.3. त्रिकोणीय साझेदारी (TRIANGULAR PARTNERSHIP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की एक हालिया रिपोर्ट में यह रेखांकित किया गया है कि **त्रिकोणीय साझेदारियाँ विभाजित और संघर्षग्रस्त विश्व में प्रभावशाली भूमिका** निभा सकती हैं।

त्रिकोणीय साझेदारी या त्रिकोणीय सहयोग के बारे में

परिभाषा: विशेषज्ञता और संसाधनों को साझा करने के लिए पारंपरिक दाताओं (जैसे- अमेरिका, जापान), उभरती अर्थव्यवस्थाओं (जैसे- भारत) और विकासशील देशों के बीच सहयोग।

पारंपरिक दाता | **उभरती अर्थव्यवस्थाएं** | **विकासशील देश**

मुख्य लाभ

- **लागत प्रभावी समाधान** (68% परियोजनाओं का बजट 1 मिलियन डॉलर से कम था)
- **दक्षिण-दक्षिण सहयोग** को मजबूती
- **SDGs का समर्थन**

वैश्विक रुझान और भारत की भागीदारी

2000 और 2022 के बीच 199 देशों व 85 संगठनों ने 1,000 से अधिक त्रिकोणीय परियोजनाओं में भाग लिया था (OECD)।

भारत का स्थान: वैश्विक स्तर पर 8वां
उदाहरण: भारत-जापान-श्रीलंका ईस्ट कंटेनर टर्मिनल (2019)

त्रिकोणीय साझेदारी के प्रमुख घटक

- **लाभार्थी:** वह विकासशील देश, जिसे किसी विकास संबंधी समस्या के समाधान के लिए सहायता चाहिए।
- **प्रमुख साझेदार:** वह विकासशील देश, जिसके पास विशेषज्ञता है और जो ज्ञान/संसाधन साझा करता है।
- **सुविधा प्रदाता साझेदार:** विकसित देश या एजेंसी, जो वित्त-पोषण और सहयोग का समर्थन कर रही है।

त्रिकोणीय साझेदारियों के पुनरुत्थान के कारण

- **विफल सहायता मॉडल:** पारंपरिक दाता-प्राप्तकर्ता पदानुक्रम ने विश्वसनीयता खो दी है।
- **उभरते हुए दानदाताओं का उदय:** भारत, चीन, ब्राजील जैसे देश पारस्परिक-लाभ दृष्टिकोण के साथ गति प्राप्त कर रहे हैं।
- **चीन का मुकाबला:** G7 चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत (साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के कारण) के साथ जुड़ रहा है।
- **भू-राजनीतिक अस्थिरता:** संघर्षों और आर्थिक संकटों के बीच नए मॉडल आवश्यक हैं।

त्रिकोणीय साझेदारियों की चुनौतियाँ

- **शक्ति असंतुलन:** कई बार दाता देशों के एजेंडे लाभार्थी देशों की आवश्यकताओं पर हावी हो जाते हैं (उदाहरण के लिए, गरीब देशों की तुलना में निवेश-ग्रेड पर ध्यान केंद्रित करना)।
- **जटिल मानक:** अफ्रीकी राष्ट्र यूरोपीय संघ के स्थिरता मानदंडों से जूझ रहे हैं।
- **कार्यान्वयन बाधाएं: खरीद नियमों पर विवाद उत्पन्न हो सकते हैं** (उदाहरण के लिए, LoCs में भारत का 75% स्थानीय सोर्सिंग क्लॉज़)।
- **सीमित प्रभाव:** परियोजना-आधारित दृष्टिकोण दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाने में जोखिम पैदा करता है।

आगे की राह

- **समावेशिता:** लाभार्थी देशों को परियोजना-डिजाइन में भागीदार बनाना।
- **सरल मानदंड:** स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार मानकों को अनुकूलित करना।
- **लचीली नीतियाँ:** स्थानीय रोजगार सृजन के साथ दाता अधिदेशों में संतुलन बनाए रखना।
- **विस्तार:** पेरिस घोषणा के अनुरूप, राष्ट्रीय रणनीतियों में एकीकरण।

2.4. भारत - संयुक्त राज्य अमेरिका संबंध (INDIA - U.S.A. RELATIONS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय प्रधान मंत्री ने संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक यात्रा की।

यात्रा के मुख्य परिणाम

क्षेत्र/दायरा	विकास
रक्षा एवं सुरक्षा	➲ **भारत-अमेरिका प्रमुख रक्षा साझेदारी के लिए प्रस्तावित दस वर्षीय रूपरेखा:** इस पर हस्ताक्षर होने से रक्षा संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। ➲ **स्वायत्त प्रणाली उद्योग गठबंधन (ASIA):** यह इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में उद्योग की साझेदारियों का विस्तार करेगा। ➲ **अन्य:** भारत में जेवलिन मिसाइलों और स्ट्राइकर वाहनों का सह-उत्पादन किया जाएगा।
प्रौद्योगिकी और नवाचार	➲ **अमेरिका-भारत ट्रस्ट पहल:** यह रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देगा। ➲ **इंडस इनोवेशन:** यह अंतरिक्ष, ऊर्जा आदि क्षेत्रों में उद्योग और शिक्षा जगत के बीच संबंधों को मजबूत करेगा। ➲ **रणनीतिक खनिज पुनर्प्राप्ति पहल** भी शुरू की जाएगी।
रक्षा, सुरक्षा एवं अन्य	➲ **21वीं सदी के लिए अमेरिका-भारत समझौता:** यह विश्वास और पारस्परिक लाभ का निर्माण करेगा। ➲ **मिशन 500:** इसका लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 बिलियन तक दोगुना करना है।

भारत-अमेरिका के मजबूत संबंधों का महत्व:

- **आर्थिक अवसरों में वृद्धि:** संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का शीर्ष निर्यात गंतव्य है; भारत इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) के तीन स्तंभों में शामिल हो गया है।
- **वैश्विक रणनीतिक प्रभाव को मजबूत करना:** क्वाड साझेदारी हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव का मुकाबला करती है।
- **रक्षा आधुनिकीकरण:** आधारभूत समझौते (GSOMIA, LEMOA, COMCASA, BECA) किए गए हैं; अमेरिका ने भारत को STA-1 दर्जे के साथ एक प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में मान्यता दी है।
- **उभरती प्रौद्योगिकियां:** iCET (2023) का शुभारंभ किया गया।
- **अंतरिक्ष आउटरीच:** निसार मिशन; भारत अंतरिक्ष प्रशासन के लिए आर्टेमिस समझौते में शामिल हुआ।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** भारत में अमेरिका द्वारा डिजाइन किए गए परमाणु रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे; अमेरिका तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है।
- **आतंकवाद का मुकाबला:** अमेरिका ने 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत को प्रत्यर्पित करने को मंजूरी दे दी है।
- **बहुपक्षीय समर्थन:** अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की स्थायी सदस्यता, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) में भारत की सदस्यता का समर्थन करता है।
- **जलवायु और नवीकरणीय ऊर्जा:** अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) में शामिल हो गया है और RETAP लॉन्च किया है।

भारत-अमेरिका साझेदारी को प्रभावित करने वाले मुद्दे

- **व्यापार और आर्थिक चुनौतियाँ:** भारत को बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) के लिए अमेरिकी 2024 विशेष 301 प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा गया है।
- **भू-राजनीतिक मतभेद:** उदाहरण के लिए, क्वाड का सैन्यीकरण टालना और रूस-यूक्रेन युद्ध पर अलग रुख।
- **वीजा और आव्रजन:** H-1B वीजा नियमों को कड़ा किया गया है और अवैध भारतीय आप्रवासियों का निर्वासन किया जा रहा है।
- **मानवाधिकार और धार्मिक अधिकार:** नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) पर अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) की चिंताओं को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है।
- **प्रतिबंध:** अमेरिका को रूस से भारत की S-400 मिसाइल प्रणाली की खरीद पर काउंटरिंग अमेरिकाज़ एडवर्सरीज़ थ्रू सैंक्शंस एक्ट (CAATSA) के तहत चिंताएं हैं।

भारत-अमेरिका साझेदारी को मजबूत करने के तरीके

- **द्विपक्षीय व्यापार समझौता (BTA):** बाजार पहुंच बढ़ाना, टैरिफ कम करना और बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) से संबंधित मुद्दों का समाधान करना।
- **रक्षा ढांचा:** 2025-2035 के लिए रक्षा ढांचे को अंतिम रूप देना।
- **H-1B वीजा सरलीकरण:** भारतीय पेशेवरों के लिए वीजा प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना।
- **CAATSA छूट:** दीर्घकालिक छूट के लिए भारतीय-अमेरिकी प्रभाव का लाभ उठाना।
- **मानवाधिकार और धार्मिक अधिकार:** अमेरिका को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से बचना चाहिए।
- **उभरती तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI):** सहयोग को गहरा करना चाहिए, उदाहरण, ट्रस्ट पहल के तहत अमेरिका-भारत रोडमैप के माध्यम से।

2.4.1. भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता (INDIA-U.S. CIVIL NUCLEAR AGREEMENT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

बजट में **2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा** विकसित करने पर ज़ोर देने के साथ-साथ **परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम** में संशोधन की योजना पेश की गई, जिससे निष्क्रिय पड़े भारत-अमेरिका असैनिक परमाणु समझौते को पुनर्जीवित किया जा सकता है।

अन्य सम्बंधित तथ्य

- **अमेरिका ने भारत की तीन परमाणु संस्थाओं** (BARC, IGCAR, IRE) को अपनी एंटिटी लिस्ट से हटा दिया है, जिससे व्यापारिक प्रतिबंधों में ढील मिली है।
- **महत्व:** यह अमेरिका-भारत 123 परमाणु सहयोग समझौते के कार्यान्वयन को सरल बनाता है।

परमाणु क्षति नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम (CLND), 2010 की मुख्य विशेषताएं

- **कोई पूर्वव्यापी (Retrospective) प्रभाव नहीं:** देयता सीमाओं में भविष्य में किए गए संशोधन मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट को पूर्वव्यापी रूप से प्रभावित नहीं करेंगे।
- **परमाणु क्षति के लिए पूरक मुआवजे पर कन्वेंशन (CSC) के अनुरूप:** यह अधिनियम CSC की आवश्यकताओं के अनुरूप है।
- **बीमा पूल मैकेनिज्म:** 1,500 करोड़ रुपये का इंडियन न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल।
- **ऑपरेटर का उत्तरदायित्व:** दायित्व का भार विशेष रूप से परमाणु संयंत्र ऑपरेटर पर ही डाला गया है।
- **राइट ऑफ रिकोर्स (क्षतिपूर्ति/ भरपाई का अधिकार) का प्रावधान:** ऑपरेटर को आपूर्तिकर्ता से उस मुआवजे की वसूली करने का अधिकार है जो उसने पीड़ितों को दिया है।

भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते (या 123 समझौता) के बारे में:

- **पृष्ठभूमि:** 1978 में पोखरण-I के बाद अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध; 2005 में सहयोग समझौता; 2008 में अमेरिकी परमाणु ऊर्जा अधिनियम के तहत अंतिम समझौता।
- **मुख्य प्रावधान:**
  - **IAEA निगरानी:** असैनिक रिएक्टरों को स्थायी अंतरराष्ट्रीय निगरानी के तहत लाया गया।
  - **NSG छूट:** भारत के NPT पर हस्ताक्षरकर्ता न होने के बावजूद परमाणु व्यापार की अनुमति मिली।

भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते का महत्व:

- **भारत का अलगाव समाप्त हुआ,** परमाणु स्थिति को वैधता मिली तथा ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा मिला (रिएक्टर दक्षता 80% तक बढ़ गई)।
- **सामरिक प्रभाव:** गहन अमेरिकी-भारत संबंधों की नींव रखी गई तथा निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में प्रवेश (MTCR, वासेनार, ऑस्ट्रेलिया समूह) मिला।

चुनौतियाँ:

- **नागरिक दायित्व कानून (CLND 2010):** इसमें आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारी की धाराएँ निजी निवेश को हतोत्साहित करती हैं।
- **वाणिज्यिक बाधाएं:** वेस्टिंगहाउस के दिवालियापन के कारण रिएक्टर परियोजनाएं रुक गईं; उच्च लागत के कारण नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केन्द्रित हुआ है।

भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते को क्रियान्वित करने के लिए आगे की राह:

- भारत के परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व (CLND) अधिनियम में संशोधन करना चाहिए।
- उत्तरदायित्व पर अंतर-सरकारी समझ स्थापित करनी चाहिए।
- **बीमा पूल के कार्यान्वयन में तेजी लानी चाहिए।**

2.5. भारत-फ्रांस संबंध (INDIA-FRANCE RELATIONSHIP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से फ्रांस में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एक्शन समिट की अध्यक्षता की।

अन्य संबंधित तथ्य

- **कार्यक्रम:** AI एक्शन समिट, पेरिस (फ्रांस + यूनेस्को)।
- **लक्ष्य:** समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए AI का लाभ उठाना।
- **अगला मेज़बान:** भारत (फ्रांस द्वारा समर्थन प्राप्त)।

भारत के लिए फ्रांस का महत्त्व

प्रथम रणनीतिक साझेदारी (1988 में स्थापित)

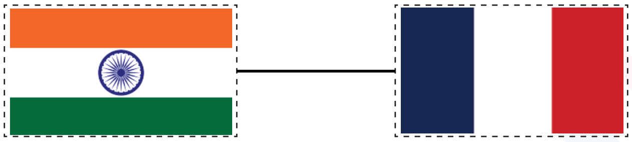

रणनीतिक रूप से समान विचारधारा

- दोनों देश वैश्विक राजनीति में **स्वतंत्रता** को महत्त्व देते हैं।
- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत ने **गुट-निरपेक्ष नीति** का पालन किया। वहीं फ्रांस 1966 में **नाटो की सैन्य कमान से हट** गया था।
- दोनों देशों ने **शीत युद्ध** के बाद **अमेरिकी प्रभुत्व वाली विश्व व्यवस्था** का विरोध किया था।

भारत के हित में समर्थन

- **1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण** किया था। इसके बाद कई देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए थे, लेकिन फ्रांस ने भारत का साथ दिया था।
- P-5 देशों फ्रांस ने ही सबसे पहले UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता का पुरज़ोर समर्थन किया था।
- **G-7, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, नाटो, EU** आदि में एक सदस्य के रूप में फ्रांस बहुत प्रभावशाली है।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझेदारी

- हिंद महासागर क्षेत्र में फ्रांस के **राज्यक्षेत्र** हैं।
- दोनों देश एक **स्थिर व नियम आधारित** हिंद-प्रशांत क्षेत्र की आकांक्षा रखते हैं।
- **भारत के कुल व्यापार का 55 प्रतिशत** हिस्सा दक्षिण चीन सागर व मलक्का जलसंधि से होकर गुजरता है।

मुख्य रक्षा साझेदार

- फ्रांस, भारत के लिए **रक्षा उपकरणों का एक मुख्य स्रोत** है।
- भारत अब फ्रांस को भी **रक्षा उपकरण निर्यात** करने लगा है।
- संयुक्त परियोजनाओं में **स्कॉर्पीन पनडुब्बियां, राफेल एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट इंजन** शामिल हैं।
- 2020-24 के दौरान फ्रांस के कुल हथियार निर्यात का **28 प्रतिशत भारत को निर्यात** किया गया था।

भारत-फ्रांस साझेदारी के प्रमुख आयाम

सहयोग क्षेत्र	विवरण
आर्थिक	➲ **वित्त वर्ष 2022-23** में कुल व्यापार **13 बिलियन अमेरिकी डॉलर को** पार कर गया।
रक्षा	➲ **महत्वपूर्ण अभ्यास:** शक्ति (सेना अभ्यास), गरुड़ अभ्यास (द्विपक्षीय वायु अभ्यास), आदि। ➲ **FRIND-X (फ्रांस-भारत रक्षा स्टार्टअप उत्कृष्टता)** का शुभारंभ किया गया। ➲ **होराइजन 2047** रोडमैप का शुभारम्भ किया गया, ताकि 2047 तक द्विपक्षीय संबंधों की दिशा तय की जा सके।
विज्ञान	➲ **भारत-फ्रांस AI रोडमैप।** ➲ **इंडो-फ्रेंच लाइफ साइंसेज सिस्टर इनोवेशन हब** का निर्माण। ➲ यूरोप में **यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI)** का विस्तार।

अंतरिक्ष	➲ फ्रांस भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए **घटकों और उपकरणों** का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। ➲ **साझा परियोजनाएँ:** उपग्रह TRISHNA, समुद्री डोमेन जागरूकता आदि।
असैन्य परमाणु	➲ **भारत और फ्रांस ने 2008 में असैन्य परमाणु समझौते** पर हस्ताक्षर किये थे। ➲ भारत ITER **(इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर)** का सदस्य है। ➲ दोनों देश **अब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR)** पर साझेदारी की दिशा में काम कर रहे हैं।
अन्य क्षेत्र	➲ **जलवायु परिवर्तन: दोनों देश 2015 के पेरिस जलवायु समझौते** के कार्यान्वयन को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहे हैं और 2018 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सह-शुभारंभ किया। ➲ **त्रिपक्षीय सहयोग: भारत-फ्रांस-ऑस्ट्रेलिया साझेदारी,** स्वतंत्र और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक को बढ़ावा देती है।

भारत-फ्रांस संबंधों में प्रमुख चुनौतियाँ:

- **परमाणु ऊर्जा सहयोग में बाधाएं:** उच्च लागत, विलंब और भारत के परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम (2010) पर चिंताएं।
- **भिन्न भू-राजनीतिक रुख:** फ्रांस यूक्रेन का समर्थन करता है; भारत तटस्थ रहता है।
- **बौद्धिक संपदा अधिकार (IPRs) संबंधी चिंताएं:** फार्मा, फैशन और तकनीक के क्षेत्र में कमजोर प्रवर्तन से फ्रांसीसी निवेश हतोत्साहित होता है।
- **व्यापार बाधाएं और संरक्षणवादी नीतियां:** भारतीय कृषि-निर्यात को लेकर फ्रांस की आपत्तियाँ हैं।
- **भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (BTIA):** BTIA 2007 से अधूरा है।
- **सीमित निजी क्षेत्र और P2P सहभागिता: साझेदारी मुख्यतः** सरकार-से-सरकार (G2G) तक सीमित है।

2.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS)

2.6.1. भारत और कतर ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया (INDIA AND QATAR ELEVATE BILATERAL TIES TO STRATEGIC PARTNERSHIP)

कतर के अमीर की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान **व्यापार, ऊर्जा, निवेश,** प्रौद्योगिकी, खाद्य सुरक्षा और लोगों के बीच संबंधों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

- दोनों देशों ने अगले पाँच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 28 अरब डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा है।

यात्रा के अन्य प्रमुख परिणाम:

- **व्यापार:** 2023-24 में व्यापार 14.1 अरब डॉलर; भारत कतर के शीर्ष 3 व्यापार साझेदारों में एक है।
- **ऊर्जा:** कतर भारत को 40% LNG (तरलीकृत प्राकृतिक गैस) की आपूर्ति करता है यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
- **रक्षा:** 2018 से रक्षा समझौते को बढ़ाया गया; संयुक्त नौसैनिक अभ्यास 'ज़ाइर अल बह' आयोजित हुआ।
- **सांस्कृतिक:** भारत से 8.3 लाख से अधिक प्रवासी कतर में रहते हैं; 2012 में हुए समझौते के बाद से सांस्कृतिक आदान-प्रदान सक्रिय हुए हैं।

2.6.2. बिम्सटेक (BIMSTEC)

युवा मामले और खेल मंत्रालय ने गुजरात के **गांधीनगर में पहली बार बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) युवा शिखर सम्मेलन** की मेजबानी की।

बिम्सटेक के बारे में (मुख्यालय: ढाका, बांग्लादेश):

- **उत्पत्ति:** 1997 में बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ स्थापित।
- **सदस्य:** बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, भूटान।
- **7 प्राथमिक क्षेत्र:** व्यापार; पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन; सुरक्षा; कृषि और खाद्य सुरक्षा; जनता-से-जनता संपर्क; विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार; संपर्क (कनेक्टिविटी)।

2.6.3. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (INTERNATIONAL CRIMINAL COURT)

अमेरिकी राष्ट्रपति ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) पर प्रतिबंध लगाने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए।

- यह आदेश उन व्यक्तियों और उनके परिवारों पर **वित्तीय और वीजा प्रतिबंध** लगाता है जो अमेरिकी नागरिकों या उनके सहयोगियों (जैसे इज़राइल) के खिलाफ ICC की जांच में मदद करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के बारे में (मुख्यालय: हेग, नीदरलैंड):

- **प्रकृति:** 1945 में स्थापित विश्व का पहला स्थायी अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय।
- **कानूनी आधार:** रोम संविधि (1998 में अपनाया गया, 2002 में लागू हुआ) सलाहकारी राय प्रदान करता है।
- **अधिकार क्षेत्र:** जनसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध, आक्रामकता का अपराध।
- **सदस्यता:** 125 सदस्य राष्ट्र (संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, भारत, इज़राइल सदस्य नहीं हैं)।
- **हालिया प्रवेश:** मलेशिया (2019), यूक्रेन (2025)।
- **कार्यकारी भाषाएँ:** अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी, रूसी, स्पेनिश।

2.6.4. पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय (ECOWAS) {Economic Community of West African States (ECOWAS)}

सैन्य शासन के अधीन तीन देशों **(माली, बुर्किना फासो और नाइजर)** ने राजनयिक तनाव के बाद आधिकारिक तौर पर **पश्चिम अफ्रीकी क्षेत्रीय ब्लॉक, इकोवास/ECOWAS** छोड़ दिया है।

ECOWAS के बारे में (मुख्यालय: अबुजा, नाइजीरिया)

- **उत्पत्ति:** 1975 में।
- **उद्देश्य:** सदस्य देशों के बीच **आर्थिक सहयोग** को बढ़ावा देना।
  - ECOWAS देशों के नागरिकों को **सभी सदस्य देशों में रहने और काम करने के** साथ-साथ वस्तुओं के मुक्त आवागमन का अधिकार है।
- **सदस्य:** 12 (वर्तमान निकासी के बाद)
  - बेनिन, काबो वर्डे, कोटे डी आइवर, गाम्बिया, घाना, गिनी, गिनी-बिसाऊ, लाइबेरिया, नाइजीरिया, सेनेगल, सिएरा लियोन और टोगो।

2.6.5. पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (ओपेक) (ORGANIZATION OF THE PETROLEUM EXPORTING COUNTRIES: OPEC)

हाल ही में, ब्राज़ील ने **ओपेक+ में प्रवेश को मंजूरी दी है।**

ओपेक के बारे में

- यह **12 तेल निर्यातक विकासशील देशों** का एक स्थायी अंतर-सरकारी संगठन है।
  - **भारत** इसका **सदस्य** नहीं है।
- **उत्पत्ति:** इसकी स्थापना 1960 में **बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी** अरब और **वेनेजुएला** द्वारा की गई थी।
- **मुख्यालय:** वियना (ऑस्ट्रिया)
- **ओपेक+:** ओपेक ने 2016 में 10 अन्य तेल उत्पादक देशों के साथ ओपेक+ बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

2.6.6. समुद्री नौवहन सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन (INTERNATIONAL ORGANIZATION OF AIDS TO MARINE NAVIGATION: IALA)

भारत को सिंगापुर में IALA के उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया है, जिससे समुद्री सुरक्षा, नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति इसकी प्रतिबद्धता मजबूत हुई है।

IALA के बारे में (मुख्यालय: सेंट-जर्मेन-एन-ले, फ्रांस):

- **स्थापना:** 1957 में एक गैर-सरकारी संगठन (NGO) के रूप में।
- **अंतरसरकारी संगठन में परिवर्तन:** 2024 में, एक NGO से एक अंतर-सरकारी संगठन (IGO) में परिवर्तित हुआ।
- **उद्देश्य:** वैश्विक स्तर पर नेविगेशन सहायता प्रणाली विकसित करना।
- **सदस्य श्रेणियाँ:** राष्ट्रीय सदस्य, सहयोगी सदस्य और औद्योगिक सदस्य।

3.1 MSMEs के लिए म्यूचुअल ऋण गारंटी योजना (MUTUAL CREDIT GUARANTEE SCHEME FOR MSMEs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार ने **बजट** में MSMEs को मजबूत करने के लिए **म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना** की घोषणा की।

MSME के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना की मुख्य विशेषताएं

- **गारंटी कवरेज:** नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) (वित्तीय सेवा विभाग की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी) द्वारा सदस्य ऋण संस्थानों (MLIs) को **60% गारंटी कवरेज** प्रदान करता है।
- **ऋण के लिए पात्र आवेदक:** उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण वाले MSMEs; उनकी गैर-निष्पादित परिसंपत्ति नहीं हो; परियोजना लागत का न्यूनतम 75% उपकरण/मशीनरी में निवेश।
- **योजना की अवधि:** 4 वर्ष या 7 लाख करोड़ रुपये तक की गारंटी के उपयोग तक (जो भी पहले हो)।
- **ऋण वापस करने की शर्तें:** ₹50 करोड़ तक के ऋण: ऋण वापस करने के लिए 8 वर्ष तक की अवधि, शुरुआत में 2 वर्ष तक मूलधन चुकाने से मोहलत;
- **₹50 करोड़ से अधिक के ऋण:** ऋण वापस करने और मूलधन चुकाने से मोहलत की लंबी अवधि।

केंद्रीय बजट 2025-26 में MSME के लिए घोषित अन्य प्रमुख उपाय

- स्टार्टअप्स की सहायता के लिए ₹10,000 करोड़ का एक नया **फंड ऑफ फंड्स** स्थापित किया जाएगा।
- 5 लाख **महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पहली बार सहायता** देने के लिए एक योजना शुरू की जाएगी जिसके तहत **पांच साल में ₹2 करोड़ तक का टर्म लोन** प्रदान किया जाएगा।

MSMEs के वर्गीकरण हेतु संशोधित मानदंड

श्रेणी	निवेश		टर्नओवर	
	वर्तमान	संशोधित	वर्तमान	संशोधित
सूक्ष्म उद्योग	1	2.5	5	10
लघु उद्यम	10	25	50	100
मध्यम उद्यम	50	125	250	500

भारत के लिए MSMEs का महत्त्व

- **GDP में योगदान:** MSME क्षेत्रक देश की GDP में लगभग 30% और देश के विनिर्माण उत्पादन में 36% का योगदान देता है।
- **रोजगार:** भारत में **1 करोड़ से अधिक पंजीकृत MSMEs** हैं, जिनमें **लगभग 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार** प्राप्त है।
- **विदेशी मुद्रा की प्राप्ति:** MSMEs भारत के **कुल निर्यात में लगभग 45%** का योगदान देते हैं।
- **छिपी हुई बेरोजगारी को कम करता है** जिसमें किसी आर्थिक गतिविधि में आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत होते है।
- **ग्रामीण विकास:** भारत में **कुल MSMEs में से लगभग 50% ग्रामीण क्षेत्रों** में स्थित हैं। ये कुल रोजगार का 45% प्रदान करते हैं।

MSMEs के समक्ष चुनौतियां

- **वित्तीय समस्याएं:** अधिकतर MSMEs अनौपचारिक क्षेत्र में हैं। डाक्यूमेंट्स (जानकारी) नहीं होने के कारण ऋण चुकाने की इनकी क्षमता का सही से आकलन नहीं हो पाता है।
- **अवसंरचना संबंधी समस्याएं:** खराब सड़कें, **अनियमित बिजली आपूर्ति और डिजिटल सुविधाओं की कमी।**
- **अन्य: बेची गई वस्तुओं के बदले भुगतान प्राप्ति में देरी, अधिक नियमों के पालन का बोझ-** जटिल कर प्रक्रिया, जटिल श्रम कानून; **नई प्रौद्योगिकियों का सीमित उपयोग; निर्यात से जुड़ी समस्याएं: अपर्याप्त बुनियादी ढांचा** तथा **पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस (ESG) रिपोर्टिंग नहीं करना।**

MSMEs के लिए शुरू की गई पहलें

- **व्यापार सक्षमता और विपणन (TEAM) पहल:** यह पहल कैटलॉग तैयार करने, खाता प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स और पैकेजिंग में सहायता करके सूक्ष्म और लघु उद्योगों को **ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से जोड़ने** में सहायता प्रदान करती है।
- **पी.एम. विश्वकर्मा: 18 प्रकार के व्यवसायों** के कारीगरों और शिल्पकारों को एंड-टू-एंड सहायता प्रदान की जा रही है।
- **सार्वजनिक खरीद नीति: केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को अपनी जरूरत की कुल वार्षिक खरीद का 25% सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) से करना** अनिवार्य है।

आगे की राह

- **नीतिगत समर्थन:** कर छूट और अवसंरचना विकास आदि पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए; **ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहिए; नई प्रौद्योगिकी अपनाना और डिजिटलीकरण से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना चाहिए; बाजार तक पहुँच और विस्तार करना चाहिए; नियमों (रेगुलेशन) को आसान बनाना चाहिए; वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण** सुनिश्चित करना चाहिए, और **MSMEs क्लस्टर्स के गठन को बढ़ावा देना चाहिए।**

3.2 राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन (NATIONAL CRITICAL MINERAL MISSION: NCMM)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन (NCMM) को शुरू करने को मंजूरी प्रदान की है।

NCMM (केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषणा) के बारे में

- **मुख्य उद्देश्य:** देश और विदेशों में खनिज प्राप्ति सुनिश्चित करके भारत की क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाना।
- **कवरेज:** इस मिशन में **मूल्य श्रृंखला** के सभी चरण शामिल होंगे; खनिजों की खोज, **खनन, उन्हें लाभकारी या उपयोगी बनाना (बेनेफिकेशन), प्रोसेसिंग** और **उत्पाद के अनुपयोगी हो जाने पर उनसे उपयोगी सामग्रियों की रिकवरी।**
- **मुख्य विशेषताएं:**
  - **क्रिटिकल मिनरल्स की खोज** के लिए **वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान** किया जाएगा तथा खनिजों की प्राप्ति को **बढ़ावा दिया जाएगा।**
  - इस मिशन का उद्देश्य क्रिटिकल मिनरल्स से संबंधित खनन परियोजनाओं के लिए **फास्ट ट्रैक विनियामक मंजूरी प्रक्रिया स्थापित** करना है।
  - यह मिशन **भारत के PSUs** और **निजी क्षेत्रक की कंपनियों** को **विदेशों में क्रिटिकल मिनरल्स परिसंपत्तियों का अधिग्रहण** करने **के लिए प्रोत्साहित** करेगा।
  - इस मिशन में देश के भीतर **क्रिटिकल मिनरल्स के भंडार** विकसित करने का प्रस्ताव है।
  - इसमें **खनिज प्रोसेसिंग पार्क स्थापित करने** के प्रावधान भी शामिल है।
  - यह मिशन अपतटीय क्षेत्रों यानी **महासागर में पॉलिमेटेलिक नोड्यूल के खनन** को भी बढ़ावा देगा।
- **गवर्नेंस फ्रेमवर्क: "क्रिटिकल मिनरल्स पर अधिकार प्राप्त समिति"** क्रिटिकल मिनरल्स से जुड़ी अलग-अलग गतिविधियों में समन्वय का कार्य करेगी; **केंद्रीय खान मंत्रालय** इस मिशन का प्रशासनिक मंत्रालय होगा।
  - यह मिशन **समग्र सरकार आधारित अप्रोच** के अनुसार कार्य करेगा। इसका मतलब है कि यह मिशन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों के साथ मिलकर कार्य करेगा।
- **NCMM के घटक:** देश में महत्वपूर्ण (क्रिटिकल) खनिजों का उत्पादन बढ़ाना; विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों का अधिग्रहण; महत्वपूर्ण खनिजों की रीसाइक्लिंग; व्यापार और बाजार; वैज्ञानिक अनुसंधान एवं तकनीकी उन्नति; मानव संसाधन विकास; प्रभावी फंडिंग, वित्त-पोषण और राजकोषीय प्रोत्साहन तैयार करना; आदि।

क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में

- **परिभाषा:** क्रिटिकल मिनरल्स ऐसे खनिज हैं जो **किसी भी देश के आर्थिक विकास** और **राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक** हैं। इनकी **सीमित उपलब्धता होने से** इनकी **निरंतर आपूर्ति पर खतरा बना रहता है।**
- भारत सरकार ने देश के लिए **30 क्रिटिकल मिनरल्स** की सूची जारी की है जिनमें बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, फास्फोरस, पोटाश, रेयर अर्थ एलिमेंट्स (REE), सिलिकॉन, टिन, टाइटेनियम आदि शामिल हैं।
- वर्तमान में, भारत **क्रिटिकल मिनरल्स की मांग की पूर्ति के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर है।**
- **क्रिटिकल मिनरल्स का महत्त्व: पर्यावरण पर, राष्ट्रीय सुरक्षा पर तथा आर्थिक प्रभाव (इलेक्ट्रिक वाहन, सेमीकंडक्टर चिप्स)।**

भारत के लिए क्रिटिकल मिनरल्स सुरक्षित करने की राह में बाधाएं

- **देश में बहुत कम भंडार:** वर्तमान में, देश में उत्पादन उद्देश्यों के लिए **कोबाल्ट, निकल, लिथियम** के लिए कोई संचालित खनन पट्टा नहीं दिया गया है।
- **क्रिटिकल मिनरल्स की खोज:** क्रिटिकल मिनरल्स अत्यधिक गहराई में मौजूद होते हैं, इनमें निवेश की हानि का जोखिम होता है, इन्हें निकालने के लिये उन्नत खनन तकनीकों की आवश्यकता होती है।
- **आपूर्ति-श्रृंखला में व्यवधान:** कई क्रिटिकल मिनरल्स का उत्पादन और उनकी प्रोसेसिंग विश्व के कुछ ही क्षेत्रों में केंद्रित है। **वैश्विक स्तर पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स एवं क्रिटिकल मिनरल्स का लगभग 60% उत्पादन एवं 85% प्रसंस्करण** चीन में होता है।
- **पर्यावरण संबंधी चिंताएं:** लगभग **54% खनिज भंडार देशज समुदायों की भूमि के आस-पास स्थित हैं।** (IRENA)
- **रीसाइक्लिंग अवसंरचना का अभाव।**

क्रिटिकल मिनरल्स की प्राप्ति हेतु शुरू की गई अन्य पहलें

- **नीति और विनियामक फ्रेमवर्क: खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023; राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019;** क्रिटिकल मिनरल्स पर **सीमा शुल्क की समाप्ति।**
- **क्रिटिकल मिनरल्स की खोज और देश में उत्पादन: भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI)** के प्रयास; जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में **लिथियम भंडार की खोज (2023); सरकार स्ट्रेटेजिक मिनरल्स रिजर्व** स्थापित करने की योजना बना रही है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और व्यापार समझौते: खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL),** 2019: यह एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। यह अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में खनिज प्राप्ति में सक्रिय रूप से लगा हुआ है; **खनिज सुरक्षा भागीदारी (MSP):** USA के नेतृत्व वाली इस पहल में भारत शामिल हुआ।

लंबे समय तक क्रिटिकल मिनरल्स की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उपाय पर आगे की राह

- **देश में क्रिटिकल मिनरल्स के उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए- सार्वजनिक और निजी निवेश को बढ़ाना चाहिए।**
- **घरेलू स्तर पर प्रोसेसिंग क्षमताएं विकसित करना चाहिए: जैसे विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)** की स्थापना।
- **वैश्विक सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है**
- **व्यापक क्रिटिकल मिनरल्स रणनीति (CMS) तैयार करना: विस्तृत आकलन करना चाहिए और रीसाइक्लिंग फैसिलिटी स्थापित करना चाहिए।**
- **राज्य सरकार की भूमिका:** अवसंरचनाओं के विकास में।

3.2.1. प्रमुख एवं लघु खनिज (MAJOR AND MINOR MINERALS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय खान मंत्रालय ने **बैराइट्स, फेल्सपार, अभ्रक** और **क्वार्ट्ज** को लघु खनिजों की सूची से निकालकर "प्रमुख खनिजों" की श्रेणी में शामिल किया।

खनिजों के पुनर्वर्गीकरण का कारण

- जिन चट्टानों में ये खनिज प्राप्त होते हैं उनमें कुछ क्रिटिकल मिनरल्स भी प्राप्त होते हैं, ये खनिज कई **हाई-टेक इंडस्ट्रीज** में भी प्रयुक्त होते हैं।
- **क्वार्ट्ज, फेल्सपार और अभ्रक:** ये खनिज **पैगमाटाइट चट्टानों** में पाए जाते हैं, जिनमें **बेरिल, लिथियम, नियोबियम, टैंटलम, मोलिब्डेनम, टिन, टाइटेनियम** और टंगस्टन जैसे क्रिटिकल मिनरल्स भी मौजूद होते हैं।
- पहले जब इन्हें **लघु खनिज के रूप में पट्टे पर दिया जाता** था, तो पट्टाधारक क्रिटिकल मिनरल्स की मौजूदगी के बारे में या तो जानकारी नहीं देते थे या इनकी प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करते थे।
- **बैराइट और इसका औद्योगिक महत्त्व:**
  - बैराइट अक्सर **लाइमस्टोन और डोलोस्टोन में कंक्रीट एवं वेन फीलिंग्स के रूप में** पाया जाता है।
  - इसका इस्तेमाल **अलग-अलग प्रकार के औद्योगिक कार्यों; ऑयल और गैस ड्रिलिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, टी.वी. स्क्रीन, रबर, आदि** में होता है।

खनिजों के पुनर्वर्गीकरण के मुख्य लाभ: खनिज खोज का विस्तार और वैज्ञानिक खनन; एनर्जी ट्रांजीशन और प्रौद्योगिकी का समर्थन; औद्योगिक क्षेत्र अधिक मजबूत; पट्टा (लीज) का विस्तार एवं बेहतर विनियमन।

प्रमुख एवं लघु खनिजों के बारे में

- खनिज प्राकृतिक पदार्थ हैं, जो कार्बनिक (ऑर्गेनिक) या अकार्बनिक (इनऑर्गेनिक) रूप से उत्पन्न होते हैं और इनमें कुछ **निश्चित रासायनिक व भौतिक गुण मौजूद होते हैं।**
- **खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) (MMDR) अधिनियम, 1957** के तहत खनिजों को **प्रमुख खनिज और लघु खनिज के रूप में वर्गीकृत** किया गया है।
  - **"लघु खनिज"** वे खनिज हैं जो भवन निर्माण में उपयोग किए जाते हैं, जैसे- पत्थर, बजरी, साधारण मृदा, और विशेष उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली रेत। इसमें साधारण रेत और वे अन्य खनिज शामिल हैं, जिन्हें केंद्र सरकार लघु खनिज के रूप में अधिसूचित करती है।
  - **"प्रमुख खनिज"** में वे सभी खनिज शामिल होते हैं जो लघु खनिजों के रूप में वर्गीकृत नहीं हैं। जैसे- कोयला, लोहा, जस्ता, चूना-पत्थर आदि।
- **खनिजों के लिए गवर्नेंस फ्रेमवर्क:**
  - **MMDR अधिनियम, 1957,** हालांकि इस अधिनियम में **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को शामिल नहीं** किया गया।
  - **खनिज रियायत नियम, 1960:** इसमें **परमाणु** और **लघु खनिजों** को छोड़कर अन्य सभी खनिजों के लिए परमिट, लाइसेंस और पट्टा (लीज) से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।
  - **खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 1988.**
- **खनिजों के विनियमन में राज्य सरकारों की भूमिका:**
  - **MMDR अधिनियम, 1957 की धारा 15:** यह राज्य सरकारों को लघु खनिजों के लिए नियम बनाने का अधिकार प्रदान करती है।
  - **MMDR अधिनियम, 1957 की धारा 23C:** यह राज्य सरकारों को खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने का अधिकार देती है।
  - **2015 में संशोधित MMDR अधिनियम की धारा 9(b):** यह राज्य सरकारों को खनन कार्य से प्रभावित प्रत्येक जिले में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट स्थापित करने का अधिकार देती है।

3.3. प्रधान मंत्री धन धान्य कृषि योजना (PRIME MINISTER DHAN DHAANYA KRISHI YOJANA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDKY) शुरू करने की घोषणा की।

प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDKY) के बारे में

- **कवरेज:** 100 जिलों को तीन मुख्य मानकों के आधार पर चयन किया जाएगा: **निम्न फसल उत्पादकता, सामान्य फसल या शस्य गहनता और औसत से कम कृषि ऋण वितरण। य स्तर पर, 2021-22 में फसल गहनता 155% दर्ज की गई।**
- **आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित:** यह **आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP)** की तर्ज पर बनाई गई है जिसकी शुरुआत 2018 में की गई थी।
- परिव्यय: बजट डाक्यूमेंट्स में इस योजना के लिए अलग से धनराशि का उल्लेख नहीं है।
- **कार्यान्वयन रणनीति:** यह योजना राज्य सरकारों के सहयोग से लागू की जाएगी।
- **उद्देश्य:** कृषि उत्पादकता बढ़ाना; फसल विविधीकरण और संधारणीय कृषि पद्धतियाँ अपनाना; पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई-उपरांत भंडारण क्षमता को बढ़ाना; सिंचाई और ऋण उपलब्धता में सुधार करना।

भारत में कृषि क्षेत्रक

- **भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार:** खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, रोजगार देने और समग्र आर्थिक विकास में इसकी अहम भूमिका है।
- **कृषि उत्पादन और उपज:** चीन, ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों की तुलना में भारत में अधिकतर फसलों में कृषि उपज काफी कम बनी हुई है।
- **डेटा:** वित्त वर्ष 24 में भारत के **GVA में कृषि का योगदान 18%** रहा। देश की **46.1% आबादी कृषि और संबद्ध गतिविधियों में** लगी हुई है। **दुनिया में दूध, दालों और मसालों के उत्पादन में पहला स्थान।**

भारत में निम्न कृषि उपज के मुख्य कारण

लघु और खंडित भूमि जोत

2021-22 में भारत में औसत भूमि जोतों का आकार केवल 0.74 हेक्टेयर था (नाबार्ड)।

मानसून पर निर्भरता

भारत की लगभग 51% कृषि भूमि सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर है।

सिंचाई की अपर्याप्त व्यवस्था

देश में **कुल बुवाई योग्य भूमि का लगभग 48.65% हिस्सा अभी भी असिंचित** है।

आधुनिक तकनीक का सीमित उपयोग

उच्च उपज देने वाले बीज, उर्वरक और उन्नत मशीनरी सभी को उपलब्ध नहीं है।

मृदा क्षरण और रसायनों का अत्यधिक उपयोग

मृदा अपरदन, लवणता; और ऑर्गेनिक पदार्थों की कमी के कारण कृषि उत्पादन में गिरावट आती है।

कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु की गई पहलें

- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM):** इसकी शुरुआत 2007-08 में चावल, गेहूं, दाल, मोटे अनाज और पोषक-अनाजों (न्यूट्री-सीरियल्स) के उत्पादन को संधारणीय तरीके से बढ़ाने के लिए हुई थी।
- **प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (2015):** सिंचाई के कवरेज को बढ़ाने के लिए **'हर खेत को पानी'** और जल उपयोग दक्षता में सुधार के लिए **'प्रति बूंद अधिक फसल'** पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
- **पीएम-किसान (प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि):** शुरुआत 2019 में की गई, यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है, इसके तहत किसानों को आय सहायता के रूप में हर साल 6,000 रुपये तीन समान किस्तों में दिए जाते है।
- **अन्य: कृषि अवसंरचना निधि (2020-21), किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (2016), पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति (2010)।**

3.4. मखाना (MAKHANA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत की विकास यात्रा के लिए **'कृषि को पहला इंजन'** बनाने के तहत बिहार में **मखाना बोर्ड के गठन** की घोषणा की गई।

अन्य संबंधित तथ्य

- मखाना बोर्ड का गठन **मखाना के उत्पादन, प्रोसेसिंग, वैल्यू-एडिशन और विपणन में सुधार** के लिए किया जाएगा।
- यह बोर्ड मखाना किसानों को **वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण** तथा किसानों को **सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने** में भी मदद करेगा।
- **बजट आवंटन:** 100 करोड़ रुपये
- **किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) से जोड़ने में मदद:** इससे मखाना से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों को औपचारिक बनाने और किसानों की सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी।

मखाना के बारे में

- **फॉक्सनट,** जिसे आमतौर पर मखाना कहा जाता है, **जलीय पुष्पी-फसल** है, इसका वानस्पतिक नाम **यूरीले फेरोक्स/Euryale ferox (कांटेदार वाटर लिली)** है।

- इसकी खेती उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय, दोनों प्रकार की जलवायु में की जाती है और इसे **दक्षिण-पूर्व एशिया और चीन का स्थानिक (एंडेमिक)** माना जाता है
- मखाना को **'ब्लैक डायमंड'** भी कहा जाता है, क्योंकि इसका बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है।
- मखाने की खेती **शांत बारहमासी** जल स्रोतों; तालाबों, गड्ढों, गोखुर झील (oxbow lakes), दलदली क्षेत्रों में की जाती है।
- मखाना की पहचान अब **सुपर फूड के रूप में** की जाने लगी है। **सुपरफूड** उन खाद्य पदार्थों को कहा जाता है जो पोषक तत्वों, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोबायोटिक्स, फाइबर और अन्य स्वास्थ्यवर्धक तत्वों से भरपूर होते हैं। इनमें मोनो और पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स जैसे अच्छे वसा प्रचुर मात्रा में होते हैं। यह एक मार्केटिंग शब्दावली है। **अन्य सुपरफूड्स:** कटहल, सहजन (मोरिंगा), इमली, हल्दी आदि।
- **खेती के लिए आदर्श जलवायु दशाएं: तापमान:** 20 से 35 डिग्री सेल्सियस; **सापेक्ष आर्द्रता:** 50% से 90%; **वार्षिक वर्षा:** 100 से.मी. से 250 से.मी. के बीच; **मृदा:** चिकनी दोमट मृदा।
- **प्रमुख उत्पादक क्षेत्र:**
  - **भारत:** भारत में सबसे अधिक मखाना उत्पादन बिहार में होता जहाँ देश का 90% मखाना उत्पादित होता है। अन्य उत्पादक: पश्चिम बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, जम्मू और कश्मीर, ओडिशा, राजस्थान, इत्यादि।
  - **अंतर्राष्ट्रीय:** मखाना नेपाल, बांग्लादेश, चीन, जापान, रूस और कोरिया में भी उगाया जाता है।
- **बहुपयोगी मखाना: पोषण मूल्य:** प्रोटीन, विटामिन और खनिजों से भरपूर ; **आर्थिक रूप से लाभकारी; औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग:** मखाने में मौजूद स्टार्च का उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले वस्त्रों के निर्माण में; **स्वास्थ्य के लिए लाभकारी; पर्यावरण अनुकूल:** आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र को समर्थन देता है; **अन्य उपयोग:** धार्मिक अनुष्ठानों में, पशु आहार में।
- **मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए अन्य कदम: राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र, दरभंगा (बिहार) की स्थापना; मखाना के लिए एक जिला एक उत्पाद; 'मिथिला मखाना' को 2022 में GI टैग।**

मखाना की खेती में चुनौतियां

- खेती के पारंपरिक तरीकों के कारण **निम्न उत्पादकता; मखाना की प्रोसेसिंग के लिए अवसंरचना की कमी; निर्यात से जुड़ी समस्याएं; बाजार से जुड़ी समस्याएं; किसानों के पास जानकारी की कमी; अन्य समस्याएं:** जल स्रोतों में खरपतवार प्रबंधन की कमी, बेहतर गुणवत्ता वाले टूल्स और संबंधित सहायक टूल्स का अभाव, बेहतर कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं नहीं होना आदि।

3.5. कपास उत्पादकता मिशन (Mission for Cotton Productivity)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय बजट 2025-26 में 'कपास उत्पादकता मिशन' की घोषणा की गई।

कपास उत्पादकता मिशन के बारे में

- यह **पांच-वर्षीय मिशन** है जिसके उद्देश्य हैं- **कपास की उत्पादकता और उत्पादन सततता में सुधार** करना तथा **एक्स्ट्रा-लॉन्ग स्टेपल (ELS) वाली कपास की किस्मों** के उत्पादन को बढ़ावा देना।
- **मंत्रालय:** केंद्रीय **वस्त्र मंत्रालय कपास उगाने वाले किसानों को वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता** प्रदान करेगा।
- यह वस्त्र क्षेत्रक के लिए **सरकार के 5F (फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन) विजन** के अनुरूप जिसके तहत **किसानों की आय बढ़ाने तथा भारत के पारंपरिक वस्त्र क्षेत्रक को कायाकल्प करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले कपास की निरंतर आपूर्ति** सुनिश्चित की जाएगी।
- यह **आयात पर निर्भरता को कम करने** तथा **भारत के वस्त्र क्षेत्रक को विश्व में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने** में मदद करेगा। इस क्षेत्र में **80% भागीदारी MSME क्षेत्रक की है।**

कपास मिशन की आवश्यकता

- **उत्पादकता में वृद्धि नहीं होना:** कपास की उत्पादकता बढ़ नहीं रही है।
- **वर्षा-सिंचित फसल:** भारत में विशेष रूप से मध्य और दक्षिणी राज्यों में **अधिकांश कपास उत्पादक क्षेत्र सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर** है। लगभग **67% कपास उत्पादन वर्षा सिंचित क्षेत्रों में** होता है।
- **कीटों का हमला:** कपास की फसल पर **कीटों के हमले और बीमारियों के संक्रमण का खतरा बना रहता** है। उदाहरण के लिए, **गुलाबी सुंडी (पिंक बॉलवर्म),** व्हाइटफ्लाई आदि।
- **कीमतों में उतार-चढ़ाव:** कपास की कीमतों में **अधिक उतार-चढ़ाव** देखा जाता है, **बाजार की अवसंरचना भी विकसित नहीं है, कपास निर्यात नीति** में भी स्पष्टता का अभाव है।

भारत में कपास का उत्पादन, उत्पादकता और खपत

- **उत्पादन:** भारत **कपास उत्पादन क्षेत्र** के मामले में **दुनिया में प्रथम स्थान** पर है। भारत में **वैश्विक कपास उत्पादक क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 40%** है।
- **भारत में कपास उत्पादक प्रमुख क्षेत्र: उत्तरी क्षेत्र** - पंजाब, हरियाणा और राजस्थान; **मध्य क्षेत्र** - गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश; **दक्षिणी क्षेत्र** - तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक।
- भारत **कपास के उत्पादन** के मामले में **विश्व में दूसरे स्थान** पर है। भारत में **2022-23 में 343.47 लाख गांठ (5.84 मिलियन मीट्रिक टन) का उत्पादन** हुआ था, जो **वैश्विक उत्पादन का 23.83%** है।
- **उत्पादकता: भारत कपास उत्पादकता के मामले में विश्व में 39वें स्थान** पर है। भारत की उत्पादकता **संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील** जैसे देशों से कम है।
- **खपत:** भारत **दुनिया में कपास का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता** है।

भारत में कपास उत्पादन का महत्त्व

- **आर्थिक महत्त्व:** कपास को **'सफेद सोना (व्हाइट गोल्ड)'** भी कहा जाता है।
- **विदेशी मुद्रा भंडार में योगदान करता** है।
- **निर्यात की क्षमता:** भारत ने **2022-23 में लगभग 30 लाख गांठ कपास का निर्यात किया था; जो वैश्विक निर्यात का 6 प्रतिशत है।**
- **आजीविका का स्रोत:** भारत में लगभग **60 लाख कपास उत्पादक किसान** तथा **कपास प्रोसेसिंग एवं व्यापार से जुड़े 40-50 मिलियन लोग** अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर हैं। **कपास वस्त्र उद्योग, भारत में दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता (रोजगार देने वाला)** है। कृषि क्षेत्रक प्रथम स्थान पर है।

कपास (वैज्ञानिक नाम: Gossypium spp)

- कपास **मुलायम और रेशेदार फाइबर** होता है जो **बीजों के चारों ओर एक सुरक्षात्मक खोल (बॉल)** के भीतर विकसित होता है।
- यह एक **झाड़ीदार (अर्ध-शुष्कप्रिय) पौधा** दुनिया के **उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों** की देशज (नेटिव) फसल है।
- **कपास की चार प्रमुख प्रजातियां हैं:** गॉसीपियम आर्बोरियम और गॉसीपियम हर्बेशियम (एशियाई कपास); गॉसीपियम बारबाडेंस (इजिप्शियन कपास) और गॉसीपियम हिर्सुटम (अमेरिकन अपलैंड कपास)। भारत दुनिया का एकमात्र देश है, जहां **कपास की उपर्युक्त चारों प्रजातियां उगाई जाती हैं।** गॉसीपियम हिर्सुटम (G. Hirsutum) भारत में 90% हाइब्रिड कॉटन उत्पादन में उपयोग में लाई जाती है। वर्तमान में सभी Bt कपास हाइब्रिड इसी प्रजाति से संबंधित हैं।
- **कपास की खेती के लिए अनुकूल जलवायु और मृदा:**
  - **तापमान:** अंकुरण के चरण में न्यूनतम 15°C तापमान की आवश्यकता होती है, इसके हिस्सों के विकास के दौरान आदर्श तापमान 21-27°C होना चाहिए।
    - यह **अधिकतम 43°C** तक का तापमान सहन कर सकता है, हालांकि **21°C से कम तापमान इसके लिए हानिकारक** होता है।
    - **फसल की वृद्धि के लिए** कम-से-कम **210 पाले-रहित दिन** और **50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा** की आवश्यकता होती है।
    - कपास के फलने की अवधि के दौरान गर्म दिन और ठंडी रातों के बीच तापमान में अधिक अंतर होने से फाइबर और बोल का अच्छा विकास होता है।
- **मृदा:** कपास अलग-अलग प्रकार की **मृदाओं** में उगाई जाती है: जैसे कि, **उत्तर भारत में** अच्छी जल-निकासी वाली **गहरी जलोढ़ मृदा; मध्य भारत में** विभिन्न गहराइयों वाली **काली चिकनी मृदा;** तथा **दक्षिण भारत में काली एवं मिश्रित काली-लाल मृदा।**
- **कपास उगाने के मौसम: उत्तर भारत में** अप्रैल-मई; दक्षिण की ओर बढ़ने पर देरी से बुवाई।

बीटी कपास (Bt Cotton) के बारे में

- **अनुवांशिक रूप से संशोधित (GM) कपास** को **बीटी कपास** या **Bt कॉटन** कहा जाता है जो GM कपास **बैसिलस थुरिंजिएंसिस (Bt) नामक बैक्टीरिया के जीन** को शामिल करके विकसित किया गया है। यह कपास को **पिंक बॉलवर्म जैसे कीटों का प्रतिरोधी बनाता** है।
- यह **केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी (GEAC)** द्वारा **2002 में भारत में वाणिज्यिक खेती के लिए मंजूरी प्राप्त एकमात्र GM फसल है।** ने भारत में Bt कॉटन की वाणिज्यिक खेती की मंजूरी दी थी।
- **बोल्गार्ड-1 (Bollgard-1) और बोल्गार्ड-2 Bt** कपास की किस्में हैं।
- हाल में, **CSIR-राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (NBRI)** ने **दुनिया की पहली पिंक बॉलवर्म-प्रतिरोधी GM कपास** फसल विकसित की है।

कपास उत्पादन क्षेत्र के विकास के लिए किए गए अन्य उपाय

- **कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) योजना**
- **भारतीय कपास की ब्रांडिंग: "कस्तूरी इंडियन कॉटन"** ब्रांड लॉन्च किया गया।
- **मोबाइल ऐप "Cott-Ally":** किसानों को स्थानीय भाषा में जानकारी देने के लिए **किसान अनुकूल मोबाइल ऐप** लॉन्च किया गया।
- **तकनीकी पहलें:** इनमें **हाई-डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम (HDPS), आधुनिक जिनिंग,** आदि।

3.6. अर्बन चैलेंज फंड (Urban Challenge Fund: UCF)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय बजट 2025-26 में **अर्बन चैलेंज फंड (UCF)** शुरू करने का प्रस्ताव किया गया।

अर्बन चैलेंज फंड (UCF) क्या है?

- **1 लाख करोड़ रुपये का यह फंड** राज्यों को मौजूदा शहरों में संधारणीय शहरीकरण तथा शहरी पुनर्विकास को बढ़ावा देने के लिए इनोवेटिव तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
  - फंड का उपयोग किया जाएगा: **ग्रोथ हब के रूप शहर, शहरों का क्रिएटिव पुनर्विकास, और जल एवं स्वच्छता (वाटर एंड सैनिटेशन)** के लिए।
- **वित्तपोषण का तरीका:** यह **उपयोगी परियोजनाओं की लागत का 25% तक वित्त-पोषण करेगा,** बशर्ते कि कम-से-कम **50% राशि बॉण्ड्स, बैंक ऋण और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के जरिए** जुटाई गई हो। **वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन।**

'UCF' की आवश्यकता क्यों है?

- **बढ़ती शहरी आबादी की जरूरतों को पूरा करना:** भारत की **शहरी आबादी 2001 की 27.7% से बढ़कर 2011 में 31.1% हो गई** (2011 की जनगणना)।
- **सतत विकास सुनिश्चित करना:** भारतीय शहरों को **बढ़ते जल संकट, भूकंप** जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- **विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देना: एकीकृत विकास** पर केंद्रित।

- **उपलब्ध धनराशि का प्रभावी तरीके से उपयोग सुनिश्चित करेगा, मानव संसाधन की कमी को दूर करेगा।**
- **शहरी नियोजन संबंधी समस्याओं का समाधान:** उच्च शहरी घनत्व वाले भू-क्षेत्रों का **समुचित उपयोग नहीं** हो पाता है।

भारत में शहरीकरण

- **भारत में शहरीकरण की प्रमुख विशेषताएं**
  - **गरीबी की वजह से शहरीकरण: आर्थिक संकट के कारण ग्रामीण-से-शहरी और शहरी-से-शहरी प्रवासन** होता है।
  - **धीमी प्रगति:** ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्र में पुनर्वर्गीकृत करने की प्रक्रिया धीमी है, पुरानी परिभाषा।
  - **स्थानिक विविधताएं:** राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शहरीकरण में भिन्नता पाई जाती है।
  - **शहरी क्षेत्रों में उपेक्षित बस्तियां:** प्रवासियों की बढ़ती संख्या, मलिन बस्तियों का विस्तार, जन सेवाओं पर बढ़ता दबाव, आदि।

भारत में शहरी क्षेत्रों की स्थिति सुधारने के लिए और क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

- **शहरी गवर्नेंस व्यवस्था को फिर से व्यवस्थित करना और मजबूत बनाना: द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों** के आधार पर शहरी प्राधिकरणों की **भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट तरीके से निर्धारित** किया जाना चाहिए।
- **शहरी मास्टर प्लान: भारत के 52% वैधानिक नगरों के पास मास्टर प्लान नहीं है** (नीति आयोग, 2020)।
- **शहरी नियोजन विशेषज्ञों की नियुक्ति: भारतीय सूचना सेवा (IIS) की स्थापना** की जानी चाहिए।
- **समन्वित क्षमता निर्माण कार्यक्रम का संचालन, मौजूदा कानूनों की समीक्षा करना; नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना।**
- **निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाना।**

शहरी क्षेत्रों के सुधार के लिए उठाए गए कदम

- **भारत में:** स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM), पीएम स्वनिधि योजना, प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U), कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (AMRUT) ।
- **विश्व में:** सतत विकास लक्ष्य-11, **यूएन हैबिटेट।**

3.7. शहरी सहकारी बैंक (URBAN COOPERATIVE BANKS: UCBs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

RBI ने **न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड** से लेनदेन पर छह माह की अवधि के लिए प्रतिबंध लगा दिया।

सहकारी ऋण संस्थाओं की संरचना

- **शहरी-सहकारी बैंक**
- **ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाएं**
  - **अल्पकालिक संरचना:** राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां।
  - **दीर्घकालिक संरचना:** राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

शहरी सहकारी बैंक (UCBs) के बारे में

- **शहरी सहकारी बैंक** भारत में सहकारी बैंकों का एक उप-समूह हैं जो मुख्य रूप से शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कार्य करते हैं।
- वर्तमान में, ये **बैंक संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियम** (यदि एक ही राज्य में कार्य कर रहे हैं) **या बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002** (यदि एक से अधिक राज्यों में कार्य कर रहे हैं) के तहत सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत हैं।
- **नियंत्रण और विनियमन:** UCBs निम्नलिखित दोहरी विनियामक प्रणाली के तहत कार्य करते हैं: **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (RCS)** द्वारा ।

शहरी सहकारी बैंकों का महत्त्व: वित्तीय समावेशन, स्थानीय जरूरतों पर ध्यान, प्राथमिकता क्षेत्रक को ऋण देते हैं, विकास में सहायता।

शहरी सहकारी बैंकों के समक्ष मुख्य चुनौतियां

- **कमजोर गवर्नेंस और धोखाधड़ी का खतरा:** 2023-24 में, 24 शहरी सहकारी बैंकों का लाइसेंस रद्द किया गया।
- **वाणिज्यिक बैंकों और फिनटेक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा:** 2017 में कुल बैंकिंग परिसंपत्तियों में UCBs की हिस्सेदारी **3.8% थी** जो मार्च 2024 में घटकर 2.5% रह गई।
- **उच्च गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (NPAs):** मार्च 2024 के अंत तक, शहरी सहकारी बैंकों का सकल NPAs 8.8 प्रतिशत था।
- **पूंजी पर्याप्तता की कमी:** इन बैंकों की **पूंजी बाजारों तक पहुंच कम होती है।**
- **नियमों का पालन करना मुश्किल होता है; तकनीकों को अपनाने में पीछे रहना;** UCBs **डिजिटल बैंकिंग तकनीकों को अपनाने में पीछे हैं।**

सुधार के लिए उठाए गए हालिया कदम

- **बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020:** RBI को UCBs के बोर्ड को भंग करने, उनके प्रबंधन में बदलाव करने और उनके लिए समाधान योजना तैयार करने का अधिकार दिया।

- **संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) फ्रेमवर्क:** 2024 में, RBI ने UCBs को भी PCA फ्रेमवर्क के दायरे में ला दिया। PCA फ्रेमवर्क एक ऐसी व्यवस्था है, जिसके तहत यदि किसी बैंक में वित्तीय संकट के संकेत दिखते हैं, तो RBI शीघ्र हस्तक्षेप करके सुधार से संबंधित जरूरी कदम उठा सकता है।
- **अम्ब्रेला संगठन (UO) के माध्यम से तरलता समर्थन:** UCBs की सहायता के लिए UO के रूप में **राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम** की स्थापना की है।
- **अलग-अलग स्तरों वाला विनियामक फ्रेमवर्क:** RBI ने UCB को जमा राशि के आधार पर वर्गीकृत करके चार-स्तरीय विनियामक फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया।

आगे की राह

- **गवर्नेंस और निगरानी तंत्र को मजबूत करना** चाहिए; UCB बोर्ड में विशेषज्ञता अनिवार्य करना चाहिए; **समेकन और विलय बढ़ावा** देना चाहिए; **स्वतंत्र ऑडिट की अनुमति देनी चाहिए; आधुनिक तकनीकों को अपनाना चाहिए; सोशल ऑडिट** कराया जाना चाहिए।

3.8. पुनर्गठित कौशल भारत कार्यक्रम (RESTRUCTURED SKILL INDIA PROGRAMME)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल भारत कार्यक्रम (SIP) को जारी रखने और इसके पुनर्गठन को मंजूरी प्रदान की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस कार्यक्रम की अवधि को **2026 तक बढ़ा** दिया गया और इसका कुल परिव्यय (आवंटित राशि) **8,800 करोड़** रुपये है।
- इस कार्यक्रम का पुनर्गठन अग्रलिखित तीन प्रमुख घटकों को मिलाकर किया गया है: **प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (PMKVY 4.0); प्रधान मंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (PM-NAPS) और जन शिक्षण संस्थान (JSS) योजना।**

स्किल इंडिया मिशन के बारे में

- इसे 2015 में केंद्रीय **कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE)** के तहत केंद्रीय क्षेत्रक योजना के रूप में की गई।
- **उद्देश्य:** कौशल विकास को **मजबूत संस्थागत फ्रेमवर्क** प्रदान करना तथा **युवाओं को प्रशिक्षण देना भी है।**
- **कौशल का औपचारिक प्रमाणन:** सभी प्रमाण-पत्रों को **राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF), डिजिलॉकर और राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (NCrF)** के साथ एकीकृत किया गया है।
- **कौशल विकास निम्नलिखित के जरिए प्रदान किया जाता है:**
  - **अल्पकालिक प्रशिक्षण:** प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) और जन शिक्षण संस्थान (JSS) योजना के माध्यम से अल्पावधि का प्रशिक्षण दिया जाता है।
  - **दीर्घकालिक प्रशिक्षण:** औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) के माध्यम से संचालित शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत लंबी अवधि का प्रशिक्षण दिया जाता है।

पुनर्गठित योजनाओं के बारे में

PMKVY 4.0

- **अल्पकालिक प्रशिक्षण (STT)** के जरिए NSQF के अनुरूप मांग-आधारित कौशल प्रशिक्षण तथा **रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग (RPL)** के जरिए रीस्किलिंग और अपस्किलिंग की जा रही है।
- **लक्षित लाभार्थी:** 15-59 वर्ष
- **फ्यूचर स्किल्स:** AI, 5G तकनीक, साइबर सुरक्षा, ग्रीन हाइड्रोजन, ड्रोन तकनीक जैसी नई प्रौद्योगिकियों पर 400 से अधिक नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं।
- **कौशल केंद्र:** IITs, NITs, जवाहर नवोदय विद्यालय (JNVs), CIPET जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में स्थापित किए गए हैं।
- **इंटरनेशनल मोबिलिटी इनिशिएटिव्स: माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स (MMPAs),** इसका उद्देश्य है; सेक्टोरियल स्किल गैप स्टडीज और डोमेन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स आदि में प्रशिक्षण प्रदान करना।
  - भारत ने 10 देशों के साथ MMPAs पर हस्ताक्षर किए हैं; जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, इजरायल आदि के साथ।
  - विदेशों में कुशल श्रमिकों की मांग को पूरा करने के लिए **30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स** स्थापित किए जाएंगे।
- **सभी सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय:** पी.एम. विश्वकर्मा योजना, पी.एम. सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नल जल मित्र जैसी योजनाओं के साथ समन्वय किया जा रहा है।

PM-NAPS

- इसका उद्देश्य अप्रेंटिसशिप एक्ट, 1961 के अनुसार देश भर में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को बढ़ावा देना, प्रशिक्षुओं को **व्यावहारिक अनुभव के माध्यम से विनिर्माण और सेवा, दोनों में उद्योग-विशिष्ट कौशल प्रदान** करना है।
- **लक्षित लाभार्थी:** 14-35 वर्ष
- प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने के लिए कंपनियों को **वित्तीय प्रोत्साहन** -प्रत्येक प्रशिक्षु के मासिक **प्रशिक्षण भत्ते का 25% जो अधिकतम 1,500 रुपये प्रतिमाह है,** प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से उद्योगों को प्रदान करती है।
- **फ्यूचर स्किल्स:** AI, इंडस्ट्री 4.0 प्रौद्योगिकी जैसे नए क्षेत्रों में अप्रेंटिसशिप के अवसर प्रदान किए जा रहे है।
- **समावेशिता:** MSMEs जैसे लघु उद्यमों तथा वंचित क्षेत्रों में प्रशिक्षुओं के नामांकन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

JSS योजना

- **उद्देश्य:** समुदाय-केंद्रित कौशल विकास पहल के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षित, नव-साक्षर और स्कूल छोड़ चुके लोगों को हर क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- **लक्षित लाभार्थी:** 15-45 वर्ष
- **समावेशी:** मुख्य ध्यान महिलाओं, ग्रामीण युवाओं और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के प्रशिक्षण पर है। JSS को पी.एम. जनमन (PM JANMAN) और "अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफलॉन्ग लर्निंग ऑफ ऑल इन सोसाइटी "(ULLAS) जैसी पहलों से जोड़ा गया है।

स्किल इंडिया मिशन के पुनर्गठन की आवश्यकता क्यों थी?

- **योजनाओं के बीच समन्वय का अभाव:** PM-NAPS, PMKVY, JSS जैसी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित हैं, लेकिन इनके बीच तालमेल के कमी रही है।
- **प्रशिक्षण संस्थानों और उद्योग जगत के बीच तालमेल का अभाव** रहा है।
- **अन्य समस्याएं:** प्रशिक्षित लोगों की मांग और उनकी उपलब्धता में अंतर होना; **कौशल प्रशिक्षण और उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों के बीच विद्यार्थियों का स्थानांतरण कम देखा जाता है, और वोकेशनल ट्रेनिंग को अलग-थलग माना जाता है;** पढाई के दौरान अप्रेंटिसशिप कार्यक्रमों को बहुत कम शामिल किया जाता है।

कौशल विकास के समक्ष अन्य चुनौतियां: तेजी से बदलता जॉब मार्केट; उत्कृष्ट कौशल विकास का अभाव; गवर्नेंस से जुड़ी समस्याएं: कई तरह की मूल्यांकन और प्रमाणन प्रक्रियाएं होने से कौशल सर्टिफिकेट को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा होना; बेहतर प्रशिक्षण अवसंरचना का अभाव।

आगे की राह

- **डेटा आधारित उपाय:** कौशल का बेहतर तरीके से विश्लेषण करके उसमें सुधार करना चाहिए।
  - **उदाहरण के लिए- NSDC ने उद्योग जगत के लीडर्स के** नेतृत्व में **36 सेक्टर स्किल काउंसिल्स (SSCs)** स्थापित किए हैं।
- **अनुभव प्राप्ति आधारित लर्निंग को बढ़ावा देना:** राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (NCVET) को और अधिक मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए।
- निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ानी चाहिए
- **विश्व की सर्वोत्तम पद्धतियों (बेस्ट प्रैक्टिसेज) से सीखना:**
  - **केन्या का टेक्निकल एंड वोकेशनल वाउचर्स प्रोग्राम (TVVP):** वाउचर्स के माध्यम से अधिक-से-अधिक व्यक्तियों को वोकेशनल एजुकेशन लेने के लिए प्रोत्साहित करना।
  - **अप्रेंटिसशिप लेवी, यूनाइटेड किंगडम:** कंपनियों को प्रशिक्षुओं की भर्ती के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

3.9. अन्य सुर्खियां (NEWS IN SHORTS)

3.9.1. सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद (Gross Domestic Knowledge Product: GDKP)

हाल ही में, **केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)** ने "सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद (GDKP) मापन के वैचारिक फ्रेमवर्क" पर एक सत्र आयोजित किया था।

- सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद (GDKP) भारत की आर्थिक संवृद्धि में **ज्ञान-आधारित सेक्टर्स, इनोवेशन और बौद्धिक संपदा के योगदान** को दर्शाएगा। यह देश के **आर्थिक और सामाजिक जीवन पर ज्ञान के प्रभाव का आकलन** करेगी।
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, GDKP के प्रस्ताव का मूल्यांकन करने और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के योगदान की गणना (माप) के लिए दिशानिर्देश तैयार करने हेतु एक **तकनीकी समिति** गठित करेगा।

GDKP को मापने की आवश्यकता क्यों है?

- **अर्थव्यवस्था के सटीक आकलन में आर्थिक संकेतकों का विस्तार हेतु, GDP के आकलन में पूरक की भूमिका निभाने हेतु; वैश्विक मानकों के अनुरूप करने के लिए जिसे** विश्व की विकसित अर्थव्यवस्थाएं पहले से ही अपना रही हैं; **देश के प्रमुख आर्थिक सेक्टर्स के लिए नीति निर्माण में मदद करने के लिए।**
- **GDKP के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:** डेटा संग्रह और इसकी संकल्पना से जुड़ी चुनौतियां और आर्थिक बाधाएँ।

3.9.2. डिपॉजिट इंश्योरेंस (DEPOSIT INSURANCE)

केंद्र सरकार बैंकों में जमा धनराशि पर **बीमा कवर (डिपॉजिट इंश्योरेंस) की 5 लाख रुपये की ऊपरी सीमा को बढ़ाने** पर विचार कर रही है।

डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) के बारे में

- इसकी स्थापना DICGC अधिनियम, 1961 के तहत 1 जनवरी, 1962 को हुई थी।
- यह **भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी** है। इसका मुख्यालय **मुंबई** में है।

डिपॉजिट इंश्योरेंस के बारे में

- **पृष्ठभूमि:** भारत में **जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) अधिनियम, 1961** के तहत 1962 में डिपॉजिट इंश्योरेंस की शुरुआत की गई थी।
- **बीमा कवरेज की राशि:** एक बैंक में **प्रत्येक जमाकर्ता की 5 लाख रुपये तक की जमा राशि बीमित** होती है। किसी एक बीमित बैंक की अलग-अलग शाखाओं में एक ही व्यक्ति के अलग-अलग बैंक खातों पर अलग-अलग बीमा कवरेज प्राप्त नहीं होगा बल्कि उसके सभी खातों की कुल बीमित राशि 5 लाख रुपये ही होगी।
- **बीमा के तहत कवर बैंक: डिपॉजिट इंश्योरेंस योजना अनिवार्य है,** और कोई भी बैंक इससे बाहर नहीं हो सकता।
  - **डिपॉजिट इंश्योरेंस में नहीं शामिल बैंक/ संस्थान:** भूमि विकास बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFCs), आदि।

- **बीमित जमा खाते:** बचत खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट, चालू खाता, और रिकरिंग डिपॉजिट। **अपवाद-** विदेशी सरकारों, केंद्र एवं राज्य सरकारों की जमा राशियों, और इंटरबैंक जमा राशि।
- **बीमित राशि में मूलधन और ब्याज, दोनों शामिल हैं।**
- **2021 में DICGC अधिनियम की धारा 18A में संशोधन** किया गया। इस संशोधन के अनुसार जब भी RBI किसी बैंक पर प्रतिबंध लगाता है, तो **90 दिनों के भीतर बीमित ऊपरी राशि के अंतरिम भुगतान की व्यवस्था** की गई है।
- डिपॉजिट इंश्योरेंस **प्रीमियम का पूरा व्यय बीमित बैंक द्वारा वहन** किया जाता है।

3.9.3. GI टैग वाले चावल के लिए नया हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड (NEW HARMONISED SYSTEM CODES FOR GI TAGGED RICE)

भारत ने कथित तौर पर GI टैग वाले चावल के लिए नए हार्मोनाइज्ड सिस्टम (HS) कोड प्रस्तुत किए।

- **सीमा शुल्क अधिनियम (1975)** में संशोधन किया गया है, ताकि GI मान्यता प्राप्त चावल किस्मों के लिए HS कोड प्रदान किया जा सके।
- इस संशोधन के चलते वित्त मंत्रालय से किसी **विशेष अधिसूचना या किसी बाधा के बिना GI टैग वाले चावल का निर्यात** किया जा सकेगा।

हार्मोनाइज्ड सिस्टम (HS) के बारे में

- **परिभाषा:** यह **विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO)** द्वारा विकसित एक **वैश्विक उत्पाद वर्गीकरण प्रणाली** है।
- **वर्गीकरण संरचना:** हार्मोनाइज्ड सिस्टम के तहत, **विविध श्रेणियों/ वर्गीकरण और वस्तुओं के लिए छह-अंकों का एक विशिष्ट कोड** प्रदान किया जाता है।
  - देशों को पहले छह अंकों के बाद **लंबे कोड** जोड़ने की अनुमति होती है, ताकि और अधिक वर्गीकरण किया जा सके।
- **गवर्नेंस और अपडेट्स:** हार्मोनाइज्ड सिस्टम को **"द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द हार्मोनाइज्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्शन एंड कोडिंग सिस्टम"** द्वारा प्रशासित किया जाता है।
  - सदस्य देशों से बनी **HS समिति, हार्मोनाइज्ड सिस्टम वर्गीकरण प्रणाली की निगरानी करती है और हर 5-6 साल** में इसे अपडेट भी करती है।
  - **व्यापक तौर पर इस्तेमाल:** यह लगभग **98% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार** को वर्गीकृत करता है, इसमें **5,000 से अधिक कमोडिटी समूह** शामिल हैं, इसे **200 से अधिक देशों** द्वारा अपनाया गया है।
- **हार्मोनाइज्ड सिस्टम (HS) के लाभ:** यह **साझा कोडिंग पद्धति** है, यह **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लागत को कम** करता है और **आर्थिक अनुसंधान को** बढ़ावा देता है।
- **विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO) के बारे में:** यह एक **स्वतंत्र अंतर-सरकारी संस्था** है। इसका उद्देश्य **सीमा शुल्क प्रशासन को अधिक प्रभावी एवं दक्ष बनाना है।** भारत सहित इसके 186 सदस्य हैं।

3.9.4. 'उद्यमिता के लिए AI' माइक्रो-लर्निंग मॉड्यूल ('AI FOR ENTREPRENEURSHIP' MICRO-LEARNING MODULE)

केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने 'उद्यमिता के लिए AI' माइक्रो-लर्निंग मॉड्यूल लॉन्च किया।

'उद्यमिता के लिए AI' माइक्रो-लर्निंग मॉड्यूल के बारे में

- इसे **राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) और इंटेल इंडिया** के सहयोग से लॉन्च किया गया है।
- **उद्देश्य:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) **अवधारणाओं को सरल बनाना** और पूरे भारत में युवा नवोन्मेषकों में **उद्यमशीलता की सोच को प्रोत्साहित** करना।
- **लक्ष्य:** 2025 तक **1 लाख युवाओं** को प्रौद्योगिकी-संचालित अर्थव्यवस्था में कामयाब होने के लिए आवश्यक कौशल से प्रशिक्षित करके उन्हें सशक्त बनाना।

3.9.5. ई-श्रम माइक्रोसाइट्स तथा ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स {E-SHRAM MICROSITES & OCCUPATIONAL SHORTAGE INDEX (OSI)}

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री ने **ई-श्रम पहल** के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए **माइक्रोसाइट्स** तथा **ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स (OSI)** लॉन्च किए हैं।

ई-श्रम माइक्रोसाइट्स के बारे में

- यह **राज्य-विशिष्ट डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म** हैं जिसे **राष्ट्रीय ई-श्रम डेटाबेस के साथ सहजता से एकीकृत** किया गया है।

OSI के बारे में

- **उद्देश्य:** यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) पद्धति और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के डेटा का उपयोग करके **कार्यबल की मांग एवं उपलब्धता में मौजूद अंतर की पहचान** करेगा।
- **मुख्य कार्य:** उच्च मांग वाले क्षेत्रकों में नौकरी की कमी को ट्रैक करना, कार्यबल नियोजन और कौशल विकास का समर्थन करना इत्यादि।

3.9.6. टाइम यूज सर्वे (TIME USE SURVEY: TUS)

हाल ही में, **राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)** ने 2024 के लिए दूसरा **टाइम यूज सर्वे (TUS)** जारी किया।

टाइम यूज सर्वे (TUS) के बारे में

- **प्रमुख उद्देश्य:** यह जनसंख्या द्वारा **अलग-अलग गतिविधियों पर व्यतीत किए गए समय को मापने के लिए एक फ्रेमवर्क** प्रदान करता है।
- **अन्य उद्देश्य: वैतनिक और अवैतनिक** गतिविधियों में **पुरुषों एवं महिलाओं की भागीदारी** का मापना करना।
- **मुख्य निष्कर्ष:**
  - **रोजगार** से संबंधित गतिविधियों (वैतनिक कार्यों) **में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि** हुई है।
  - भारतीय परिवारों में **जेंडर की परवाह किए बिना देखभाल संबंधी गतिविधियों को मान्यता** मिल रही है।
  - **जनसंचार माध्यमों और खेलकूद संबंधी गतिविधियों** में पुरुषों एवं महिलाओं दोनों द्वारा व्यतीत किए गए समय में वृद्धि हुई है।

3.9.7. बीमा क्षेत्रक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई गई (FDI LIMIT HIKED IN INSURANCE SECTOR)

केंद्रीय वित्त मंत्री ने बीमा क्षेत्रक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा **74% से बढ़ाकर 100%** करने की घोषणा की।

- विदेशी निवेश की यह बढ़ी हुई सीमा उन बीमा कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी **जो अपना पूरा प्रीमियम भारत में निवेश करेंगी।**
- बीमा क्षेत्रक में FDI की सीमा बढ़ाने के लिए **बीमा अधिनियम 1938, जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 और बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999** में संशोधन करना होगा।

बीमा क्षेत्रक में 100% FDI का महत्त्व

- **निवेश में वृद्धि:** बीमा क्षेत्रक की संवृद्धि और विस्तार के लिए अधिक विदेशी पूंजी उपलब्ध होगी।
- **प्रतिस्पर्धा में वृद्धि:** विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए बीमा कंपनियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। इससे लोगों के लिए **बेहतर बीमा उत्पाद, बेहतर बीमा सेवाएं** और **कम प्रीमियम पर** बीमा योजनाएं उपलब्ध होंगी।
- **तकनीकी सुधार:** विदेशी निवेश आने से बीमा कंपनियां **अत्याधुनिक तकनीक** अपना सकेंगी और बाजार में **नए बीमा उत्पाद भी लॉन्च** कर सकेंगी।
- **बीमा की पैठ का विस्तार:** विदेशी निवेश बढ़ने से अधिक लोगों को **बीमा कवरेज के दायरे** में लाया जा सकेगा। इससे **'2047 तक सभी के लिए बीमा'** के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

भारत के बीमा क्षेत्रक की स्थिति (आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार)

- **कुल बीमा प्रीमियम** वित्त वर्ष 24 में 7.7% की वृद्धि के साथ **11.2 लाख करोड़ रुपये** तक पहुंच गया।
- **बीमा की पैठ (Insurance Penetration)** वित्त वर्ष 23 के 4% से घटकर वित्त वर्ष 24 में 3.7% हो गया है।
- **बीमा घनत्व (Insurance Density)** वित्त वर्ष 23 के **92 डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 95 डॉलर** हो गया है।
  - **बीमा की पैठ** वास्तव में यह बताती है कि **देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का कितना प्रतिशत बीमा प्रीमियम संग्रह किया गया है। बीमा घनत्व** का मतलब है कि किसी देश में **प्रति व्यक्ति औसतन कितना बीमा प्रीमियम संग्रह किया जाता है।**

भारत में बीमा क्षेत्रक के समक्ष चुनौतियां

- **भारत में विश्व की बड़ी बीमा कंपनियों का न होना, बीमा प्रीमियम अधिक होना, भारतीय समाज में बीमा को अधिक प्राथमिकता नहीं देना।**

3.9.8. एनहैंस्ड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन (eCoO) 2.0 प्रणाली {ENHANCED CERTIFICATE OF ORIGIN (eCoO) 2.0 SYSTEM}

विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने एनहैंस्ड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन (eCoO) 2.0 प्रणाली शुरू की।

eCoO 2.0 प्रणाली के बारे में

- यह निर्यातकों के लिए **प्रमाणन प्रक्रिया को सरल बनाने और व्यापार दक्षता बढ़ाने** के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
- इसमें यूजर्स फ्रेंडली कई अन्य विशेषताएं भी शामिल हैं; **जैसे**- एक ही **आयातक-निर्यातक कोड (IEC)** के तहत कई **मल्टी-यूजर एक्सेस की सुविधाएं।**
- यह **डिजिटल सिग्नेचर टोकन के साथ-साथ आधार नंबर-आधारित ई-हस्ताक्षर को भी स्वीकार** करता है, जिससे अधिक सुगमता सुनिश्चित होती है।

सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के बारे में:

- यह **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उपयोग** किया जाने वाला एक दस्तावेज है। यह प्रमाणित करता है कि निर्यातित वस्तु **किस देश में बनाई** गई है।

3.9.9. टनेज कर प्रणाली (TONNAGE TAX SCHEME)

केंद्रीय बजट 2025-26 में **टनेज (टन भार) कर प्रणाली** का विस्तार किया गया है।

टनेज कर प्रणाली के बारे में

- यह योजना पहले **समुद्री जहाजों** के लिए उपलब्ध थी।
- अब **अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021** के तहत पंजीकृत **अंतर्देशीय जलयानों (पोतों)** के लिए भी उपलब्ध है। इस कदम का उद्देश्य **जल परिवहन को बढ़ावा** देना है।
- **अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 के उद्देश्य हैं:** सुरक्षित और वहनीय अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देना; जलयान के पंजीकरण, निर्माण और संचालन से जुड़ी प्रक्रियाओं एवं कानूनों में एकरूपता सुनिश्चित करना।
- **कार्यान्वयन मंत्रालय:** पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय।
- **शुरुआत:** टनेज कर प्रणाली **भारतीय वित्त अधिनियम, 2004** के तहत 2004 में पेश की गई थी।
- **महत्त्व:** अधिक माल ढुलाई को बढ़ावा देगा; शिपिंग कंपनियों को अंतर्देशीय जलमार्ग जहाजों में निवेश करने के लिए और अधिक प्रोत्साहित करेगा।

3.9.10. RBI ने रेपो रेट में कटौती की (RBI CUT REPO RATE)

RBI की **मौद्रिक नीति समिति (MPC)** ने **रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर इसे 6.25%** कर दिया।

- मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने लगभग **पांच साल** के अंतराल के बाद **तरलता समायोजन सुविधा (LAF)** के तहत **नीतिगत रेपो रेट में कटौती** का निर्णय लिया।

मौद्रिक नीति समिति (MPC) के बारे में

- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा गठित। यह छह सदस्यीय निकाय है: 3 सदस्य RBI से और 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नामित। यह नीतिगत दरें निर्धारित करती हैं ताकि मुद्रास्फीति नियंत्रण लक्ष्यों (4 प्रतिशत का लक्ष्य: इससे 2 प्रतिशत अधिक या कम के बीच की स्वीकार्य सीमा) को प्राप्त किया जा सके।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

- RBI ने **मौद्रिक नीति पर अपना रुख 'तटस्थ'** ही बनाए रखा है। RBI **मौजूदा आर्थिक स्थितियों के आधार पर नीतिगत दरों को समायोजित करने में लचीलापन** बनाए हुए है। **वित्त वर्ष 2026** के लिए GDP की वृद्धि दर **6.7% रहने का अनुमान** है।
- **खाद्य मुद्रास्फीति के दबाव** में महत्वपूर्ण **"नरमी या कमी"** आने की संभावना है, जबकि **कोर मुद्रास्फीति में वृद्धि होने की उम्मीद** है, लेकिन यह मध्यम बनी रहेगी।

MPC के निर्णयों का औचित्य: मुद्रास्फीति में गिरावट दर्ज की गई है, साथ ही, **संवृद्धि दर में सुधार होने की उम्मीद** है, **वैश्विक वित्तीय बाजारों** में अत्यधिक अस्थिरता का जोखिम बना हुआ है और **प्रतिकूल मौसम की घटनाओं के साथ-साथ वैश्विक व्यापार नीतियों के बारे में** अनिश्चितताएं जारी रहेंगी।

तरलता समायोजन सुविधा (Liquidity Adjustment Facility: LAF) के बारे में

- यह एक मौद्रिक नीति उपकरण है। इसका उपयोग **केंद्रीय बैंकों द्वारा बैंकिंग प्रणाली में तरलता का प्रबंधन** करने के लिए किया जाता है। इसमें **रेपो रेट एवं रिवर्स रेपो रेट** शामिल हैं।

3.9.11. भारत में भुगतान प्रणाली का विनियमन (REGULATION OF PAYMENT SYSTEMS IN INDIA)

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भुगतान प्रणाली रिपोर्ट, दिसंबर 2024 जारी की।

- "भुगतान प्रणाली रिपोर्ट" **वर्ष में दो बार प्रकाशित** की जाती है। इसमें पिछले **5 कैलेंडर वर्षों में विभिन्न भुगतान प्रणालियों का उपयोग**

करके किए गए **भुगतान संबंधी लेन--देन के ट्रेंड्स का विश्लेषण** किया जाता है। वर्तमान रिपोर्ट में वर्ष 2024 तक के आंकड़े शामिल हैं।

भुगतान प्रणाली रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **डिजिटल भुगतान लेन-देन:** वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2024 में डिजिटल लेन-देन की संख्या में **94 गुना और मूल्य की दृष्टि से 3.5 गुना से अधिक की वृद्धि** हुई है।
- **यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस (UPI):** पिछले 5 वर्षों में UPI लेन-देन की **संख्या में 74.03%** और लेन--देन के **मूल्य में 68.14%** की CAGR (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर) से वृद्धि हुई है।
- **क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड:** पिछले पांच वर्षों में **क्रेडिट कार्डों की संख्या दो गुना से भी अधिक बढ़ी** है। वहीं, इस दौरान **डेबिट कार्डों की संख्या में अपेक्षाकृत स्थिरता** देखी गई है।
- **वैश्विक ट्रेंड्स:** भारत **प्रोजेक्ट नेक्सस** में शामिल हो गया है। यह **चार आसियान देशों** (मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड) और **भारत की फ़ास्ट पेमेंट सिस्टम्स (FPSs)** को आपस में जोड़ने वाला एक बहुपक्षीय प्लेटफॉर्म है। यह साझेदारी भुगतान प्रणालियों के बीच सहज और तीव्र लेन-देन सुनिश्चित करती है।
    - **प्रोजेक्ट नेक्सस** का विचार **बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स** (BIS) द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह **संबंधित देशों** की घरेलू तीव्र भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़कर **तत्काल सीमा-पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाता है।**

3.9.12. डिजिटल भुगतान सूचकांक (Digital Payments Index: DPI)

हाल ही में, RBI ने **भारतीय रिज़र्व बैंक-डिजिटल भुगतान सूचकांक (RBI-DPI)** जारी किया।

RBI-DPI के बारे में

- **उद्देश्य:** भुगतान प्रणालियों के डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाना और ऑनलाइन लेन-देन को अपनाने के स्तर को मापना।
- **जारी किए जाने की अवधि:** वर्ष में दो बार (मार्च और सितंबर)।
- **आधार अवधि (बेस पीरियड):** मार्च 2018 है।

मापने हेतु मानदंड: भुगतान को सक्षम करने वाले कारक; भुगतान अवसंरचना (मांग-पक्ष कारक); भुगतान अवसंरचना (आपूर्ति-पक्ष कारक); भुगतान प्रणाली का प्रदर्शन; और उपभोक्ता को केंद्र में रखना।

3.9.13. बाजार अवसंरचना संस्थान (MARKET INFRASTRUCTURE INSTITUTIONS: MIIs)

SEBI ने **बाजार अवसंरचना संस्थानों (MIIs)** की वैधानिक समितियों के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

- इन दिशा-निर्देशों के तहत, MIIs को अपने प्रदर्शन और अपनी वैधानिक समितियों के **कामकाज का मूल्यांकन** करने के लिए एक **स्वतंत्र बाहरी एजेंसी की नियुक्ति** करनी होगी।
- यह मूल्यांकन **प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार** किया जाना आवश्यक है।

बाजार अवसंरचना संस्थानों (MIIs) के बारे में

- ये ऐसे संगठन हैं, जो **प्रतिभूतियों के व्यापार के लिए अवसंरचना** प्रदान करते हैं। ये SEBI द्वारा विनियमित होते हैं।
- इनमें **स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन** आदि शामिल हैं।
- **उद्देश्य:** व्यापार को सक्षम बनाना, निवेशक होल्डिंग को सुरक्षित करना, लेन-देन निपटान आदि।

3.9.14. एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग (ALGORITHMIC TRADING)

सेबी ने **रिटेल एल्गो ट्रेडिंग फ्रेमवर्क का प्रस्ताव** प्रस्तुत किया है।

- एल्गो ट्रेडिंग स्वचालित रूप से खरीदने/ बेचने संबंधी आदेशों को निर्धारित शर्तों के आधार पर सटीक रूप से निष्पादित करने की प्रक्रिया है।
- वर्तमान में केवल **संस्थागत निवेशकों को डायरेक्ट मार्केट एक्सेस (DMA)** के माध्यम से इसका उपयोग करने की अनुमति है।

विनियामकीय फ्रेमवर्क की मुख्य विशेषताएं

- **एल्गोरिदम का वर्गीकरण**
    - **व्हाइट-बॉक्स:** इसमें लॉजिक (कार्य प्रणाली) का खुलासा किया जाता है और इसे दोहराया भी जा सकता है, अर्थात एल्गो निष्पादन।
    - **ब्लैक-बॉक्स:** इसमें लॉजिक उपयोगकर्ता के लिए ज्ञात नहीं होता और इसे दोहराया नहीं जा सकता।
- **खुदरा व्यापारियों के लिए ट्रेडिंग संबंधी सीमाएं:** खुदरा व्यापारियों को एक्सचेंज द्वारा निर्धारित सीमाओं का पालन करना होगा, जिन्हें अभी तय किया जाना बाकी है।
- **एल्गो प्रदाताओं का पंजीकरण:** एल्गो प्रदाताओं को सेबी द्वारा विनियमित नहीं किया जाता है, लेकिन उन्हें एल्गो बेचने के लिए **एक्सचेंजों के साथ पंजीकरण कराना होगा और ब्रोकर के साथ साझेदारी करनी होगी।**

3.9.15. पोटाश (POTASH)

सरकार पंजाब के फाजिल्का और श्री मुक्तसर साहिब जिलों में पोटाश खनिज भंडार की खोज करेगी।

- **भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI)** के एक सर्वे में **राजस्थान** में भी पोटाश भंडार की पहचान की गई है। इससे भारत की पोटाश खनिज पर आयात निर्भरता कम होने की संभावना है।

पोटाश के बारे में

- **परिभाषा:** पोटाश **पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम (K) लवणों** का अशुद्ध मिश्रण है।
- **मुख्य अयस्क: सिल्वेनाइट**
- **पोटाश का उपयोग: कृषि: 90% से अधि**क पोटाश का उपयोग **उर्वरक** के रूप में किया जाता है। यह कृषि कार्यों में इस्तेमाल होने वाले तीन प्राथमिक पोषक तत्वों **(नाइट्रोजन, फास्फोरस** और **पोटाश)** में से एक है। इन्हें सामूहिक रूप से NPK कहा जाता है।
    - **जल का शुद्धिकरण: पोटाश एल्युम** (Potash alum) जल की कठोरता को दूर करता है और इसमें **जीवाणुरोधी** गुण होते हैं।
    - **अन्य उपयोग:** इसका **ग्लास सिरेमिक, साबुन व डिटर्जेंट, विस्फोटक** आदि के निर्माण में उपयोग होता है।
- **पोटाश उर्वरकों के सामान्य प्रकार:** सल्फेट ऑफ पोटाश (SOP) एवं म्यूरेट ऑफ पोटाश (MOP)।
- **मोलासेस से बनने वाला पोटाश (PDM):** यह **पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना** के तहत **100% स्वदेशी उर्वरक** है।
- **पोटाश एक महत्वपूर्ण खनिज:** इसे **"खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन (MMDR) अधिनियम, 2023"** के तहत महत्वपूर्ण खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

भारत में पोटाश का भंडार और आयात

- **भंडार:** राजस्थान (89%), मध्य प्रदेश (5%) और उत्तर प्रदेश (4%)
- **आयात:** भारतीय मिनरल ईयरबुक, 2022 के अनुसार, भारत अपनी पोटाश की **100% आवश्यकता को आयात** के माध्यम से पूरी करता है।

3.9.16. इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (ELECTRONICS MANUFACTURING)

भारत विश्व में दूसरा सबसे अधिक मोबाइल विनिर्माण करने वाला देश बन गया है। प्रथम स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर वियतनाम है।

- वर्तमान में, भारत में बेचे जाने वाले 99.2% मोबाइल फोन देश में ही निर्मित होते हैं।
- भारत के कुल इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में 43% हिस्सेदारी मोबाइल फोन की है।

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्रक की स्थिति

- **कुल मूल्य (वैल्यूएशन):** भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रक में **तीव्र संवृद्धि** दर्ज की गई है। वर्ष 2023 में यह क्षेत्रक **कुल 155 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य** का हो गया था।
- **उत्पादन:** इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन मूल्य वित्त वर्ष **2017 में 48 बिलियन अमेरिकी डॉलर** था। यह **वित्त वर्ष 2023 में दोगुने से अधिक बढ़कर 101 बिलियन अमेरिकी डॉलर** का हो गया।
- **निर्यात:** इलेक्ट्रॉनिक्स **भारत का पांचवां सबसे बड़ा निर्यात** उत्पाद बन चुका है। हालांकि, वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में **भारत की हिस्सेदारी अभी भी 1% से कम** है।

3.9.17. केंद्रीय बजट 2025: 50 शीर्ष पर्यटन स्थलों को 'चैलेंज मोड' में विकसित करना (UNION BUDGET 2025: DEVELOPING 50 TOP TOURIST DESTINATIONS IN 'CHALLENGE MODE')

यह घोषणा केंद्रीय बजट 2025 में की गई है। इन स्थलों को **राज्यों के साथ साझेदारी** में विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य **पर्यटन संबंधी अवसंरचना को बेहतर करना, यात्रा को आसान बनाना और प्रमुख पर्यटन स्थलों तक कनेक्टिविटी को मजबूत** करना है।

- राज्यों को महत्वपूर्ण अवसंरचना के लिए **भूमि उपलब्ध करानी होगी, जिसे इन्फ्रास्ट्रक्चर हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट (HML) के तहत वर्गीकृत** किया जाएगा।

इस संबंध में बजट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **रोजगार आधारित विकास:** इसमें कौशल विकास कार्यक्रम, होम-स्टे के लिए मुद्रा ऋण, पर्यटन स्थलों तक यात्रा और कनेक्टिविटी में सुधार करना शामिल है।
- **आध्यात्मिक पर्यटन:** विशेष रूप से बौद्ध स्थलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए तीर्थयात्रा और विरासत पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा।
- **चिकित्सा पर्यटन (मेडिकल टूरिज्म):** इसमें भारत को वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रक में अग्रणी बनाने के लिए **"हील इन इंडिया" पहल को बढ़ावा** देना शामिल है।
- **ज्ञान भारतम मिशन:** भारत की पांडुलिपि विरासत का दस्तावेज़ीकरण और संरक्षण करना।

पर्यटन क्षेत्रक का योगदान

- वित्त वर्ष 2023 में GDP में इसका योगदान 5% रहा था। इसी अवधि में इस क्षेत्रक ने **7.6 करोड़ रोजगार** सृजित किए थे।
- 2023 के दौरान वैश्विक स्तर पर पर्यटन से होने वाली आय में भारत की हिस्सेदारी **1.8 प्रतिशत** थी। इसके चलते वैश्विक स्तर पर पर्यटन से होने वाली आय के मामले में भारत 14वें स्थान पर पहुंच गया।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **अवसंरचना का विकास:** इसमें स्वदेश दर्शन 2.0, प्रसाद योजना, क्षेत्रीय संपर्क के लिए RCS-उड़ान योजना आदि शामिल हैं।
- **नीति एवं कानूनी:** राष्ट्रीय पर्यटन नीति, विविध श्रेणियों के लिए ई-वीजा आदि।
- **थीमेटिक टूरिज्म:** इसमें आरोग्य, पाककला, ग्रामीण और पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं।
- **NIDHI/ निधि (आतिथ्य उद्योग का राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस):** यह आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्रक में व्यापार को आसान बनाने के लिए डिजिटल प्रणाली है।

3.9.18. RuTAGe स्मार्ट विलेज सेंटर (RuTAGe SMART VILLAGE CENTER: RSVC)

हरियाणा के मंडौरा में रुरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप (रुटेज/ RuTAGe) स्मार्ट विलेज सेंटर (RSVC) का शुभारंभ किया गया।

- RSVC को **प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) के कार्यालय के तत्वाधान** में विकसित किया गया है।
- इसका उद्देश्य **ग्रामीण जरूरतों के साथ अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करना,** उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना एवं संधारणीय समाधानों के माध्यम से समुदायों को सशक्त बनाना है।
- PSA के कार्यालय ने **2003-04 में RuTAGe की अवधारणा** तैयार की थी।

RSVC मॉडल की मुख्य विशेषताएं

- **भौतिक उपस्थिति:** यह पंचायत स्तर पर **दीर्घकालिक तकनीकी सहायता प्रदान** करेगा।
- **बाजार तक पहुंच:** ग्रामीण उत्पादकों को बड़े बाजारों से जोड़ने के लिए ONDC, **अमेजन और मार्केट मिर्ची** जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ सहयोग पर जोर देता है।
- **व्यापकता:** RSVC मॉडल का विस्तार करने हेतु देश भर में 20 नए केंद्र खोलने की योजना है। इसके अलावा **महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने** की भी योजना है।

3.9.19. वैश्विक क्षमता केंद्र (Global Capability Centers: GCC)

मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने **समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC) नीति** प्रस्तुत की है।

वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC) के बारे में

- GCC वे केंद्र हैं, जिन्हें कंपनियां अपनी **संगठनात्मक क्षमताओं को बढ़ाने और व्यावसायिक परिवर्तन** को आगे बढ़ाने के लिए स्थापित करती हैं। ये केंद्र **वैश्विक प्रतिभा पूल और तकनीकी नवाचारों** का उपयोग करते हुए व्यापारिक प्रक्रियाओं को प्रभावी बनाते हैं।
- भारत के GCCs **रणनीतिक केंद्रों के रूप में उभर** रहे हैं। ये केंद्र **वैश्विक व्यापार गतिशीलता को प्रभावित करते हुए भारतीय कॉर्पोरेट परिदृश्य** को नया आकार दे रहे हैं।
- **वर्तमान परिदृश्य:** भारत में GCCs की संख्या वित्त वर्ष 2019 में लगभग 1430 थी। यह वित्त वर्ष 2024 में बढ़कर 1700 हो गई है।
  - वित्त वर्ष 2024 तक, भारत में GCCs में लगभग 1.9 मिलियन पेशेवर कार्यरत हैं।

3.9.20. स्वरेल (SwaRail) एप्लीकेशन (SwaRail APPLICATION)

रेल मंत्रालय ने **'स्वरेल' नामक सुपर ऐप** विकसित किया है। यह रेलवे की **अलग-अलग सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए वन-स्टॉप समाधान** प्रस्तुत करता है।

स्वरेल के बारे में

- इस ऐप के जरिए **आरक्षित टिकट, अनारक्षित टिकट और प्लेटफ़ॉर्म टिकट बुकिंग जैसी सेवाएं** प्राप्त की जा सकती हैं।
- इस ऐप का विकास **रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (CRIS)** ने किया है।

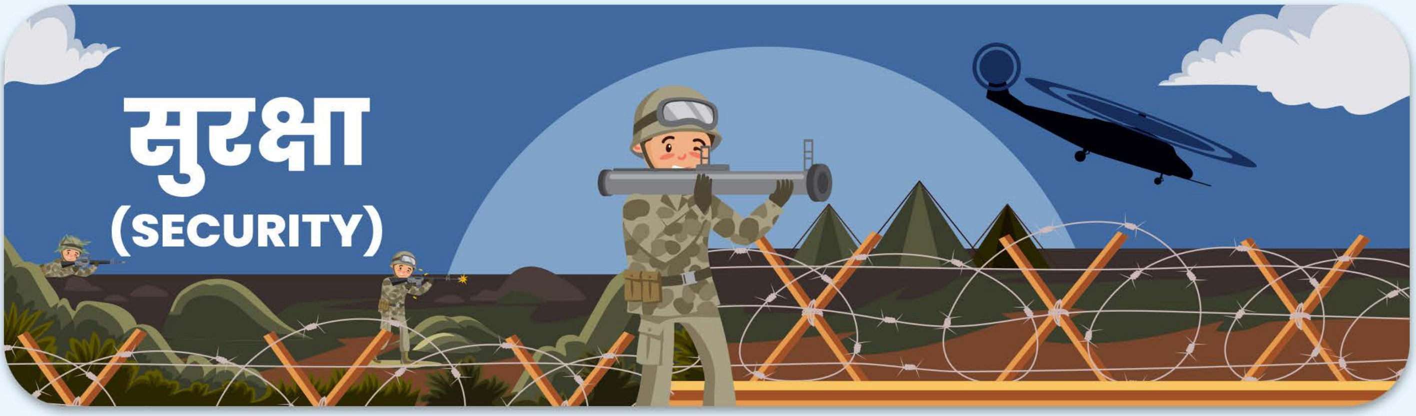

4.1. क्षेत्रवाद (REGIONALISM)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के उपराष्ट्रपति ने उन ताकतों पर चिंता व्यक्त की है जो राष्ट्रवाद और क्षेत्रवाद के बीच टकराव पैदा करने की कोशिश कर रही हैं।

भारत में क्षेत्रवाद के रूप

अलगाव (Secessionism)	अलगाववाद (Separatism)	स्वायत्तता की मांग (Demand for Autonomy)	सुप्रा-स्टेट क्षेत्रवाद (Supra-State Regionalism)	अंतर्राज्यीय और राज्य के भीतर क्षेत्रवाद
यह संघ (केंद्र) से अलग होने की इच्छा को दर्शाता है, जिसे अक्सर उग्रवादी या कट्टरपंथी आंदोलनों द्वारा समर्थन प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए- जम्मू और कश्मीर, मणिपुर आदि में अलगाववादी समूह सक्रिय रहे हैं।	यह भाषा, धर्म, नृजातीयता या अन्य कारकों के आधार पर किसी बड़ी इकाई (जैसे कि राज्य) के भीतर किसी विशेष समूह के हितों की वकालत करता है। उदाहरण के लिए- असम में बोडोलैंड आंदोलन, पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड आंदोलन और पंजाब में खालिस्तान आंदोलन।	क्षेत्रीय दल और अधिक स्वायत्तता तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश पूर्ण राज्य का दर्जा की मांग कर रहे हैं।	अलग-अलग राज्यों में विभक्त होने के बावजूद लोगों के एक समान या साझा हित सामूहिक क्षेत्रवाद यानी सुप्रा-स्टेट क्षेत्रवाद को जन्म देते हैं। उदाहरण के लिए- भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक ही नृजातीय समुदाय अलग-अलग राज्यों में विभक्त होने के बावजूद नृजातीय आधार पर जुड़े होते हैं।	अंतर्राज्यीय (Inter-State) क्षेत्रवाद दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विभाजन पैदा करता है, जबकि राज्य विशेष के भीतर (Intra-State) क्षेत्रवाद किसी विशेष राज्य या क्षेत्र में उत्पन्न होता है जो स्वायत्तता की मांग करता है।

क्षेत्रवाद के बारे में

- **साझा पहचान:** क्षेत्रवाद किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच **एक- समान नृजातीय/ भाषाई/ आर्थिक पहचान की भावना** को दर्शाता है (जैसे: तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलन)।
- **भारत में क्षेत्रवाद का विकास:**
  - स्वतंत्रता के बाद **'भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन' की मांग** (पोट्टि श्रीरामुलु का 1952 का अनशन)
  - हाल ही में राज्यों का गठन (झारखंड/ छत्तीसगढ़/ उत्तराखंड 2000)।

क्षेत्रवाद की भावना के लिए उत्तरदायी कारक

- **भाषाई और सांस्कृतिक पहचान:** उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में मराठी मानुष की अवधारणा।
- **नृजातीयवाद (Ethnocentrism):** मूल निवासी बनाम "बाहरी" अवधारणा।
- **जनजातीय पहचान:** झारखंड की आदिवासी विरासत।
- **संसाधनों का असमान वितरण:** उदाहरण के लिए, दार्जिलिंग में GNLF का उदय बनाम दक्षिण बंगाल।
- **प्रशासनिक उपेक्षा:** तेलंगाना की जल/बजट संबंधी शिकायतें

क्षेत्रवाद का प्रभाव

- **सकारात्मक प्रभाव:** संघवाद को मजबूती/ राज्यों की स्वायत्तता, उपेक्षित समुदायों के पक्ष को सामने लाना, लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर किसी क्षेत्र की शिकायतों की अभिव्यक्ति।
- **नकारात्मक प्रभाव:** राष्ट्रीय एकता को खतरा (अलगाव का खतरा), 'भूमिपुत्र' (Son of the Soil) की भावना आधारित भेदभाव ((प्रवासी हमले), राजनीतिक विखंडन,राष्ट्रीय हितों की तुलना में क्षेत्रीय हितों को प्राथमिकता देना।

आगे की राह

- **राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना:** एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत सांस्कृतिक आदान-प्रदान।
- **सांस्कृतिक एकीकरण:** अलग-अलग राज्यों के बीच संवाद कार्यक्रम।
- **संघवाद को मजबूत करना:** राज्य सशक्तीकरण को राष्ट्रीय सामंजस्य के साथ संतुलित करना।
- **समावेशी विकास:** अविकसित क्षेत्रों में लक्षित अवसंरचनात्मक परियोजनाएं/ नौकरियां।
- **वास्तविक स्वायत्तता:** केंद्र सरकार का राज्यों के मामलों में सीमित हस्तक्षेप।

4.2. एल्गोरिदमिक एम्पलीफिकेशन और कट्टरपंथवाद (Algorithmic Amplification and Radicalisation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कुछ विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि **सोशल मीडिया एल्गोरिदम में उग्रवाद को बढ़ावा देने और इसे प्रसारित करने की क्षमता** है।

सोशल मीडिया एल्गोरिदमिक एम्पलीफिकेशन क्या है?

- **सोशल मीडिया एल्गोरिदम:** ये कंप्यूटर आधारित नियम होते हैं जो यूजर्स के व्यवहार का विश्लेषण कर कंटेंट (लाइक्स, कमेंट्स, शेयर) के आधार पर रैंक प्रदान करते हैं।
- **एल्गोरिदम आधारित कट्टरपंथवाद:** एल्गोरिदम यूजर्स को चरमपंथी धारणा की ओर ले जाते हैं।
  - **प्रभाव:** सामाजिक विभाजन पैदा होता है, गलत सूचनाओं के प्रसार को बढ़ावा मिलता है।
  - **तंत्र: पूर्वाग्रह की पुष्टि** और सामूहिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा मिलता है।
- **परिणाम:** चयनात्मक कंटेंट क्यूरेशन के माध्यम से यूजर्स को ख़ास विचारधारा में फंसाते हैं।

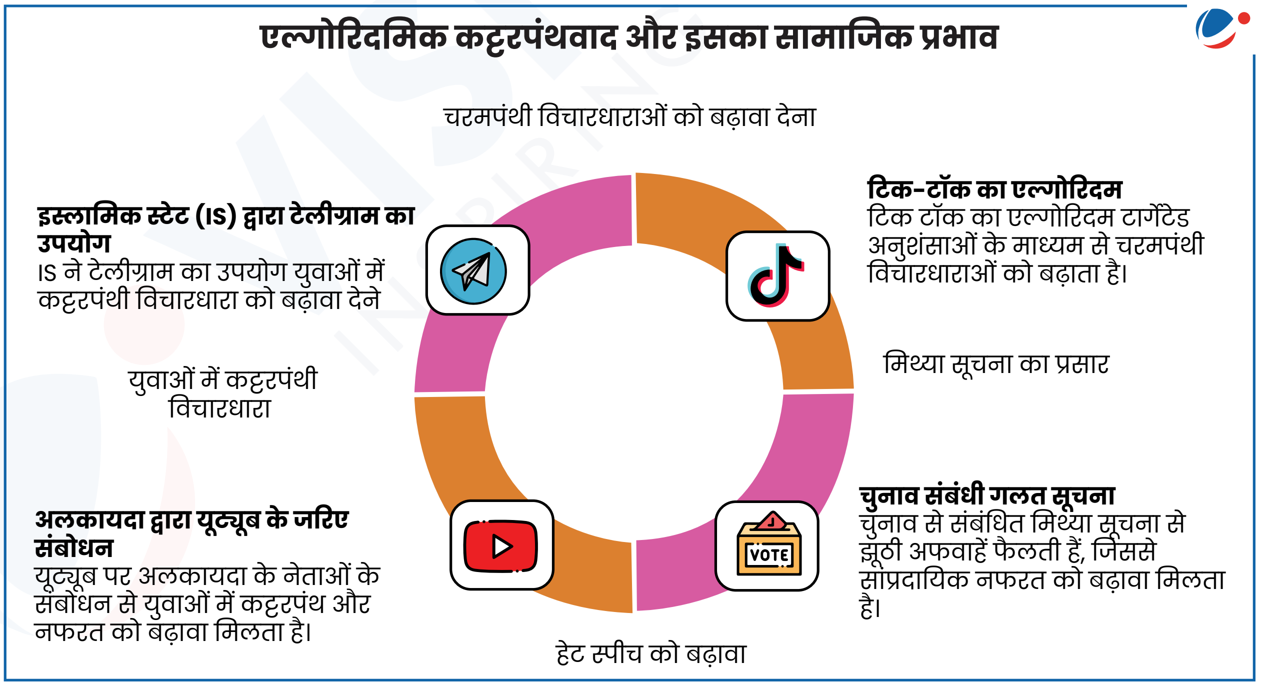

एल्गोरिदम आधारित कट्टरपंथवाद को रोकने में मौजूद चुनौतियां

- **जटिल मेकेनिज्म:** सोशल मीडिया एल्गोरिदम 'ब्लैक बॉक्स' के रूप में कार्य करते हैं।
- **मॉड्यूलेटेड कंटेंट:** चरमपंथी समूह अपनी पहचान छुपाने के लिए कूट भाषा/ सांकेतिक का प्रयोग करते हैं (उदाहरण के लिए- ISIS और अलकायदा द्वारा कटुवाक्य/उपहास) ।
- **कंटेंट मॉडरेशन बनाम अधिकार:** नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट को हटाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच सही संतुलन बनाना कठिन है।
- **स्थानीय संदर्भों की अनदेखी:** वैश्विक स्तर पर उपयोग होने वाला एल्गोरिदम अक्सर क्षेत्र विशेष सामाजिक-राजनीतिक संदर्भों को समझने में विफल रहते हैं, जिससे समस्या और बढ़ जाती है।
- **अंतरराष्ट्रीय कानून की कमी:** देश वैश्विक हितों की अपेक्षा राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हैं।

एल्गोरिदम जनित कट्टरपंथवाद को रोकने के लिए उठाए गए कदम

वैश्विक स्तर पर

- **यूरोपीय संघ (EU) का डिजिटल सर्विसेज एक्ट 2023**
- **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) द्वारा संचालित मॉडरेशन:** उदाहरण के लिए, यूट्यूब का 2023 का मशीन लर्निंग मॉडल।
- **क्राइस्टचर्च कॉल:** ऑनलाइन आतंकवादी और हिंसक गतिविधियों को प्रसारित करने वाले चरमपंथी कंटेंट को खत्म करना।

भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)** की विभिन्न पहलें।
- **आई.टी. नियम 2021:** चिह्नित (फ्लैग्ड) कंटेंट को 36 घंटे के भीतर हटाना।

आगे की राह

- **एल्गोरिदम ऑडिट:** नियमित रूप से ऑडिट अनिवार्य करना। (जैसे- यूरोपीय संघ के डिजिटल सर्विसेज एक्ट, 2023)
- **जवाबदेही तय करना:** स्पष्ट नियम बनाना। (उदाहरण के लिए, जर्मनी का नेट्ज कानून (Netz law) के तहत 24 घंटों के भीतर आपत्तिजनक कंटेंट को हटाना)
- **कस्टम-मेड कंटेंट मॉडरेशन:** (उदाहरण के लिए, फ्रांस की बोली-विशिष्ट पहचान प्रणालियां)।
- **जन जागरूकता:** (उदाहरण के लिए, यूनाइटेड किंगडम के ऑनलाइन सेफ्टी बिल की मीडिया साक्षरता पहल)

4.3. हाइब्रिड वारफेयर (HYBRID WARFARE)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, रक्षा मंत्री ने **हाइब्रिड वारफेयर** से भारत को होने वाले संभावित **खतरे के बारे में रेखांकित किया।**

अन्य संबंधित तथ्य

- सीमा/ आंतरिक सुरक्षा के बीच धुंधली होती सीमा को रेखांकित किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसंरचनाओं के लिए खतरे शामिल हैं।
- **तेजी से बदल रही फ्रंटलाइन वार की पारंपरिक अवधारणा पर ध्यान दिया गया:** आतंकवाद, उग्रवाद, साइबर अटैक, सीमा पार मानव तस्करी।

हाइब्रिड वारफेयर के बारे में

- **परिभाषा:** पारंपरिक/ गैर-पारंपरिक रणनीतियों (काइनेटिक/नॉन काइनेटिक) के मिश्रण का उपयोग अक्सर पूर्ण युद्ध का सहारा लिए बिना सामरिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
- **उदाहरण के लिए:** चीन की तीन 'थ्री वारफेयर' स्ट्रैटेजी, रूस-यूक्रेन संघर्ष के दौरान साइबर अटैक/ गलत सूचनाओं का प्रसार, इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष, लेबनान का पेजर ब्लास्ट करना।

हाइब्रिड वारफेयर के उद्भव के कारण

- **सामरिक लाभ:** प्रत्यक्ष युद्ध की घोषणा किए बिना उद्देश्यों को प्राप्त करना। (उदाहरण के लिए, रूस का 'लिटिल ग्रीन मैन')
- **कम लागत:** प्रतिबंध/ साइबर हमले प्रत्यक्ष संघर्ष से बचते हैं (उदाहरण के लिए, अमेरिका बनाम ईरान)।
- **तकनीकी प्रगति:** साइबर/ गलत सूचनाओं के प्रसार को सक्षम बनाता है (उदाहरण के लिए, यूक्रेन पर रूसी हमले)।
- **नॉन-स्टेट एक्टर्स:** प्रॉक्सी वारफेयर (ईरान- यमन में हूती)
- **विश्व के देशों का एक-दूसरे से जुड़ा होना:** साइबर स्पेस/ आर्थिक कार्रवाई की क्षमताओं का दुरुपयोग (उदाहरण के लिए, 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में रूस का हस्तक्षेप)

भारत पर हाइब्रिड वारफेयर का खतरा

- **दुश्मन पड़ोसी देश:** पाकिस्तान का प्रॉक्सी युद्ध, चीन की 'ग्रे जोन' रणनीतियां
- **आंतरिक विद्रोह:** नक्सलवाद, पूर्वोत्तर भारत में नृजातीय संघर्ष।
- **महत्वपूर्ण अवसंरचनाएं:** साइबर अटैक (2019 में कुडनकुलम, 2020 में मुंबई ग्रिड पर)।
- **आर्थिक युद्ध:** आयात के लिए चीन पर निर्भरता (APIs, इलेक्ट्रॉनिक्स)

हाइब्रिड युद्ध की प्रमुख विशेषताएं

अस्पष्टता
यह समझना मुश्किल हो जाता है कि यह वास्तविक युद्ध है या किसी और प्रकार का संघर्ष है।

भ्रम की स्थिति
हाइब्रिड युद्ध में भ्रम की स्थिति यह पैदा होती है कि हमलावर देश अपने हमलों को स्वीकार नहीं करता, जिससे टारगेट देश के लिए यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि हमला किसने किया है और उसे कैसे जवाब देना है।

मल्टी-डोमेन ऑपरेशन
यह युद्ध कई क्षेत्रों (भूमि, वायु, समुद्र, साइबर, अंतरिक्ष आदि) में लड़ा जाता है, जिससे बचाव करना कठिन हो जाता है।

नॉन-स्टेट एक्टर्स
इसमें प्रॉक्सी संगठन और नॉन-स्टेट (सरकार के बाहर की) संस्थाएं शामिल होती हैं।

मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन
सुनियोजित दुष्प्रचार, मीडिया प्रभाव आदि के जरिए मनोबल और जनमत को प्रभावित करता है।

भारत की तैयारी

- **रक्षा क्षमताओं का आधुनिकीकरण: DURGA)-II परियोजना;** 'मेक इन इंडिया' पहल।
- **संस्थागत सुधार और रक्षा संस्थानों की स्थापना:** CDS, DAIPA, DAIC, डिफेंस साइबर एजेंसी (2021)।
- **अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां:** GSOMIA (USA), क्वाड सहयोग।
- **संसदीय समीक्षा:** साइबर/ एंटी-ड्रोन प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन हेतु रक्षा से संबंधित संसदीय स्थायी समिति (2024)।

आगे की राह

- **क्षमता निर्माण:** साइबर प्रतिशोध/ आक्रामक क्षमताएं, तकनीकों से लैस कार्मिक।
- **एडैप्टिव रक्षा रणनीतियां:** समर्पित हाइब्रिड वारफेयर डिवीजन।
- **प्रोएक्टिव अप्रोच:** स्मार्ट पावर का उपयोग करना (कूटनीतिक/ आर्थिक/ सूचनात्मक टूल्स।)
- **'संपूर्ण सरकार' योजना:** NSCS के नेतृत्व वाली, CCS द्वारा अनुमोदित ग्रैंड प्लान।

4.4. परमाणु निरस्त्रीकरण (Nuclear Disarmament)

सुर्ख़ियों में क्यों?

जिनेवा में आयोजित **संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस** ने परमाणु युद्ध के बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी दी और सरकारों से परमाणु हथियारों को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की।

परमाणु युद्ध के बढ़ते खतरे की मुख्य वजहें:

- **भू-राजनीतिक खतरा:** यूक्रेन के साथ युद्ध की परिस्थिति में रूस द्वारा **New START/ CTBT को प्रतिबंधित** करना।
- **डूम्सडे क्लॉक (प्रलय की घड़ी) की चेतावनी:** परमाणु युद्ध की ओर बढ़ना। **(जनवरी 2025)**
- **परमाणु शस्त्रागारों में वृद्धि:** 12,000 से अधिक परमाणु हथियार; चीन के पास 2035 तक 1,500 परमाणु हथियार होने का अनुमान।
- **आधुनिकीकरण का खतरा: हाइपरसोनिक मिसाइल जवाबी कार्रवाई** के समय को कम करती है।
- **फाल्स अलार्म:** 1983 की सोवियत घटना से लगभग युद्ध छिड़ गया था।
- **AI को हथियार के रूप में उपयोग:** परमाणु हमले का ऑटोमेटेड निर्णय चिंताएं बढ़ा सकता है।
- **अंतरिक्ष सैन्यीकरण:** संयुक्त राज्य अमेरिका की स्पेस फोर्स, भारत का ASAT (2019) परीक्षण।

परमाणु निरस्त्रीकरण क्या है?

- एकतरफा/ अंतर्राष्ट्रीय संधियों के तहत **परमाणु हथियारों की संख्या को कम करना या इन हथियारों को पूरी तरह से समाप्त करना।**

निरस्त्रीकरण में मौजूद प्रमुख बाधाएं:

- **प्रतिबद्धता में अंतर:** कई देश एक ओर परमाणु में हथियार में कटौती का वादा करते हैं तो दूसरी इनका आधुनिकीकरण भी करते रहते हैं (उदाहरण के लिए, रूस द्वारा NPT का समर्थन, साथ में ICBM का विकास जारी रखना)।
- **संधि में मौजूद कमियां:** NPT जैसी संधियों में कई प्रावधानों को स्पष्ट नहीं किया गया है।
- **संधियों से बाहर निकलना:** उत्तर कोरिया ने NPT से बाहर निकलकर परमाणु परीक्षण किए।
- **द्विपक्षीय विफलता:** INF संधि उल्लंघन के कारण समाप्त हो गई।
- **NPT में शामिल नहीं होने वाले देश:** भारत, इजरायल और पाकिस्तान।
- **सैन्य असंतुलन:** अमेरिका (916 बिलियन डॉलर) और रूस (109 बिलियन डॉलर) के सैन्य व्यय में असंतुलन परमाणु क्षमता पर निर्भरता को बढ़ावा देता है।

वैश्विक परमाणु हथियार संधियां/ अन्य पहलें

परमाणु अप्रसार संधि (NPT) (1970)
यह संधि परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकती है और निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देती है।

व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT) (1996)
यह परमाणु विस्फोट परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाती है। कई बड़े देशों ने अब तक इसका अनुसमर्थन (रैटिफिकेशन) नहीं किया है।

परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि (TPNW) (2021)
यह पक्षकार देशों को परमाणु हथियारों की गतिविधियों से दूर रहने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाती है।

निरस्त्रीकरण सम्मेलन (CD) (1978)
यह हथियार नियंत्रण समझौतों पर वार्ता के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण मामलों का कार्यालय
इसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर सामान्य और पूर्ण निरस्त्रीकरण प्राप्त करना है।

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी
यह परमाणु प्रौद्योगिकी का सुरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करती है।

पैक्ट फॉर द फ्यूचर (2024)
पूर्ण परमाणु-निरस्त्रीकरण के लक्ष्य की पुनः पुष्टि करता है।

परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत का रुख

- भारत **बिना भेदभाव वाले और सत्यापन योग्य परमाणु निरस्त्रीकरण प्राप्त करने के वैश्विक लक्ष्य** के लिए प्रतिबद्ध है।
- **भारत के प्रयास:**
  - **1954:** विश्व का पहला देश, जिसने **परमाणु परीक्षण पर विश्वव्यापी प्रतिबंध** लगाने की मांग की।
  - **1978: परमाणु हथियारों के उपयोग** को प्रतिबंधित करने **या इसके खतरे को कम** करने के लिए एक **अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन का प्रस्ताव** रखा।
  - **1982: परमाणु हथियारों पर रोक लगाने की अपील तथा भारत ने परमाणु हथियार बनाने के लिए** परमाणु विखंडनीय सामग्रियों के उत्पादन को रोकने का आह्वान किया।
  - **1988: परमाणु परीक्षण** करने के बावजूद, भारत ने स्वेच्छा से परमाणु प्रसार को रोकने के लिए कदम उठाए।
    - भारत ने **"नो फर्स्ट यूज़"** की नीति अपनाई।
  - **1999: परमाणु सिद्धांत का मसौदा जारी।**
- **वैश्विक परमाणु संधियों पर भारत का रुख:**
  - **NPT:** इसके **भेदभावपूर्ण स्वभाव** के कारण इसका विरोध किया जाता है
  - **CTBT:** इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। क्योंकि यह संधि परमाणु निरस्त्रीकरण, अप्रसार का समाधान करने में विफल रही है।
  - **TPNW:** भारत समर्थन नहीं करता है क्योंकि इसमें **निरस्त्रीकरण के लिए नए कानूनी मानकों का अभाव** है।
- **बहुपक्षीय दृष्टिकोण:**
  - भारत **सार्वभौमिक समझौतों** के माध्यम से **चरणबद्ध निरस्त्रीकरण का समर्थन करता है।**
  - भारत **निरस्त्रीकरण सम्मेलन में परमाणु हथियार कन्वेंशन पर वार्ता करने का समर्थन करता है।**

आगे की राह

- **चरणबद्ध रणनीति:** न्यूक्लियर डेटेरेन्स और निरस्त्रीकरण को संतुलित करने वाली चरणबद्ध रणनीति अपनानी चाहिए।
  - **द्विपक्षीय समझौतों के जरिए हथियारों में कमी: संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस,** जिनके पास सबसे बड़ा परमाणु हथियार भंडार है।
- संधि- आधारित स्ट्रेटेजिक मिसाइल डिफेंस की सीमाएं तय करना।
- परमाणु और पारंपरिक आक्रमण, दोनों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को सख्त बनाना चाहिए।
- **वैश्विक सहयोग की आवश्यकता:** परमाणु युद्ध की रोकथाम के लिए **परमाणु युद्ध निवारक अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सक (IPPNW)** के परमाणु निरस्त्रीकरण प्रयासों को जारी रखना।
- **निरस्त्रीकरण में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका।**

4.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS)

4.5.1. नेवल (नौसेना) एंटी-शिप मिसाइल-शॉर्ट रेंज (NASM-SR) {NAVAL ANTI-SHIP MISSILE-SHORT RANGE (NASM-SR)}

DRDO और भारतीय नौसेना ने **पहली स्वदेशी नेवल एंटी-शिप मिसाइल (NASM-SR) का सफल** परीक्षण किया। यह परीक्षण एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR), **चांदीपुर** से किया गया है।

NASM-SR की मुख्य विशेषताएं

- **स्वदेशी इमेजिंग इंफ्रारेड (IIR) सीकर:** उच्च-सटीकता वाली स्ट्राइक (हमला) को संभव बनाना।
- **मैन-इन-लूप कंट्रोल:** रियल टाइम में लक्ष्य को समायोजित करने की सुविधा प्रदान करना।
- **प्रणोदन प्रणाली: ठोस ईंधन प्रणाली** का उपयोग करना।

4.5.2. सैन्य अभ्यास (MILITARY EXERCISES)

अभ्यास	विवरण
धर्म गार्जियन	• यह प्रतिवर्ष भारत और जापान में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है। • **उद्देश्य:** संयुक्त राष्ट्र मैंडेट के तहत संयुक्त शहरी युद्ध और आतंकवाद-रोधी अभियानों के लिए अंतर-संचालन क्षमता को बढ़ाना
कोमोडो अभ्यास	• **बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास** 'कोमोडो' **इंडोनेशिया के बाली** में आयोजित हुआ। • इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में समन्वय और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना है। • 2014 में शुरू, इंडोनेशियाई नौसेना द्वारा एक **गैर-युद्धक प्रकृति का सैन्य अभ्यास** है।
अभ्यास एकुवेरिन	• **भारतीय थल सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल** के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 'एकुवेरिन' का **13वां संस्करण मालदीव** में आयोजित हुआ। • यह **द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास** है जिसका आयोजन **भारत और मालदीव में बारी-बारी** से किया जाता है। • **धिवेही भाषा में एकुवेरिन का अर्थ है- 'मित्र'।** • **उद्देश्य:** आतंकवाद-रोधी अभियानों में समन्वय को बढ़ाना; तथा आपदा राहत अभियान संचालित करना
'साइक्लोन 2025'	• **साझेदार देश:** भारत और मिस्र • **उद्देश्य:** रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना और रेगिस्तान युद्ध कौशल साझा करना।

पर्यावरण
(ENVIRONMENT)

5.1. भारत में सौर ऊर्जा (SOLAR ENERGY IN INDIA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने **100 गीगावाट स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता को पार करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि** हासिल की है। जनवरी 2025 तक **कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 100.33 गीगावाट** तक पहुंच गई है। **84.10 गीगावाट की परियोजनाओं** पर काम चल रहा है।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत ने **हाइब्रिड और चौबीसों घंटे चलने वाली (RTC) नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं** में भी वृद्धि दर्ज की है। इसमें **64.67 GW की विद्युत उत्पादन परियोजनाएं** निर्माणाधीन या निविदा चरण में हैं। इससे कुल क्षमता 296.59 GW हो गई है।
- **राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान** का अनुमान है कि भारत की **सौर क्षमता 748 गीगावाट** है।

भारत में सौर क्षेत्रक का विकास

- **क्षमता में वृद्धि:** 2014 में 2.82 गीगावाट से बढ़कर 2025 तक **100 गीगावाट (3450% की वृद्धि)।**
- **सौर:** कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का 47% है।
- 2024 में सौर ऊर्जा स्थापना
  - **यूटिलिटी स्केल (बड़े पैमाने पर):** 18.5 GW (2023 से लगभग 2.8 गुना वृद्धि)।
  - **रूफटॉप इंस्टॉलेशन:** 4.59 GW (2023 से 53% वृद्धि)।
- **सौर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता:** 2014 में 2 GW से 2024 में 60 GW (लक्ष्य: 2030 तक 100 GW)।
- **सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य:** राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश।

सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम के प्रकार

- **ग्रिड-टाईड (ऑन-ग्रिड सिस्टम):** यह यूटिलिटी ग्रिड से जुड़ा होता है। अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में वापस भेजा जा सकता है। इससे ऊर्जा भंडारण की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
- **बैटरी बैकअप के साथ ग्रिड-टाईड:** इसमें सोलर पैनल, ग्रिड कनेक्शन और बैटरी स्टोरेज यूनिट शामिल होते हैं। यह असामान्य ग्रिड स्थितियों के दौरान बैटरी बैकअप प्रदान कर सकता है और बिजली की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है।
- **ऑफ-ग्रिड सिस्टम:** इसमें सोलर पैनल्स द्वारा सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत में बदलकर बैटरियों में संग्रहित किया जाता है। इसका उपयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है, जहां पावर ग्रिड से नियमित बिजली की आपूर्ति नहीं होती है।

भारत में सौर ऊर्जा का महत्त्व

- **पेरिस समझौते के तहत भारत के जलवायु लक्ष्यों का समर्थन:** 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कटौती करना और 50% गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता प्राप्त करना।
- **भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में मददगार:** भारत का ऊर्जा उपयोग वैश्विक औसत से 3 गुना अधिक है।
- **ग्रामीण विद्युतीकरण को बढ़ावा:** सौर ऊर्जा ऑफ-ग्रिड बिजली उत्पादन का समर्थन कर सकती है।

भारत में सौर ऊर्जा के विकास के पीछे कारक

- **प्रचुर मात्रा में सौर विकिरण के साथ भौगोलिक लाभ:** भारत में **साल के 300 दिन धूप खिली** रहती है औसतन **4-7 kWh/m^2/दिन** के साथ प्रचुर मात्रा में सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है।
- **सरकारी योजनाएं:** जैसे पीएम-कुसुम और PM सूर्य घर।
- **वित्तीय सहायता:** 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। राज्यों में **सौर एवं पवन ऊर्जा की बिक्री के लिए इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम (ISTS) शुल्क माफ** किया गया है।
- **स्वदेशी विनिर्माण के लिए पहलें:** उदाहरण के लिए- उत्पादन से सम्बद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना।
- **उपभोक्ता जागरूकता:** ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) ने **मानक और लेबलिंग (S&L) कार्यक्रम** शुरू किया है।

- **RE खपत को बढ़ावा:** नवीकरणीय खरीद दायित्व (RPO)।
- **अवसंरचना का निर्माण:** उदाहरण के लिए- हरित ऊर्जा गलियारा योजना।
- **सौर गठबंधन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।**

भारत में सौर ऊर्जा के भावी विकास की राह में बाधा डालने वाले मुद्दे

- **भूमि अधिग्रहण से जुड़ी चुनौतियां:** इस वजह से अक्सर **खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय हितों से जुड़े मुद्दे** उभर कर सामने आते हैं।
- **अवसंरचना और ग्रिड एकीकरण की बाधाएं:** सौर ऊर्जा का बड़े पैमाने पर विस्तार करने में बाधाएं आ रही हैं।
- **खनिज निष्कर्षण में पर्यावरण संबंधी चिंताएं:** आवश्यक खनिजों के निष्कर्षण से पर्यावरण को काफी क्षति पहुँचती है।
- **घरेलू विनिर्माण सीमाएं:** अनुसंधान व विकास, आधुनिक विकास सुविधाओं आदि का अभाव।
- **नीतिगत एवं विनियामकीय बाधाएं:** परियोजनाओं के अनुमोदन और भूमि अधिग्रहण में देरी होती है।
- **अन्य मुद्दे:** शुरुआती निवेश अधिक होना; सौर पैनल्स को बदलने की आवश्यकता के कारण अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या; आदि।

आगे की राह

- **ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण:** स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों में निवेश करने पर बल देना चाहिए।
- **भूमि-उपयोग दक्षता में वृद्धि:** एग्री-वोल्टिक्स तथा फ्लोटिंग सोलर पैनल्स के विकास को बढ़ावा देना चाहिए।
- **नीतियों को सरल बनाना:** राज्यों और केंद्र सरकार की नीतियों में सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया जाना चाहिए।
- **तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देना:** सौर पैनल दक्षता, ऊर्जा भंडारण आदि में उन्नति।
- **सौर प्रौद्योगिकियों के लिए एक चक्रीय अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण विकसित करना:** एक मजबूत रीसाइक्लिंग इकोसिस्टम स्थापित किया जाना चाहिए।
- **घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना:** उदाहरण के लिए- "मेक इन इंडिया" सौर उत्पादन को और बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।

5.2. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (SOIL HEALTH CARD SCHEME)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (SHSC) के लागू होने के **10 वर्ष पूरे** हुए हैं। यह योजना **2015 में शुरू** की गई थी।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस योजना को देश के **सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड** जारी करने में राज्य सरकारों की मदद करने हेतु शुरू किया गया है। 2022-23 से, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (SHCS) को **प्रधान मंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) कैफेटेरिया योजना के साथ एकीकृत** किया गया है।
  - RKVY की शुरुआत 2007-08 में की गई थी। यह **कृषि और किसान कल्याण विभाग** की एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य कृषि के अधिक समावेशी और एकीकृत विकास के लिए व्यापक कृषि विकास योजनाओं को प्रोत्साहित करना है।

SHCS के बारे में

- **मंत्रालय:** केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय।
- **उद्देश्य:**
  - प्रत्येक तीन वर्ष में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना।
  - मृदा परीक्षण आधारित पोषक तत्व प्रबंधन विकसित करना।
  - किसी विशेष मृदा के प्रकार की पहचान करना तथा उसे उर्वर बनाने के तरीके बताना।

RKVY कैफेटेरिया योजना पहल के माध्यम से कृषि को बढ़ावा देना

RKVY कैफेटेरिया योजना

फसल विविधीकरण	मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन	वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास	कृषि वानिकी	कृषि मशीनीकरण
विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहन, ताकि लचीलापन बढ़ाया जा सके	भूमि की उर्वरता और स्वास्थ्य को बनाए रखने और आवश्यक सुधार पर ध्यान	वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने का लक्ष्य	सतत भूमि उपयोग के लिए कृषि-वानिकी का एकीकरण	खेती की दक्षता में सुधार करने के लिए मशीनरी के उपयोग को बढ़ावा

- **योजना की विशेषताएं:**
  - मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोषक तत्वों की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।
  - मृदा परीक्षण के लिए **ग्राम स्तर पर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं** की स्थापना की गई है।
  - कई भाषाओं में मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार करने के लिए **मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल बनाया** गया है।

- संबंधित राज्य/ संघ शासित प्रदेशों के **कृषि विभाग द्वारा योजना का क्रियान्वयन** किया जा रहा है।
- तकनीकी प्रगति के तहत **पोर्टल को GIS के साथ एकीकृत** किया गया है तथा एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है।

SHCS के पैरामीटर

- **वृहत्त-पोषक तत्व:** नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर।
- **सूक्ष्म-पोषक तत्व:** जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, बोरॉन।
- **अन्य:** pH, विद्युत चालकता, कार्बनिक कार्बन।

SHCS के लाभ

- **निशुल्क किफायती मृदा परीक्षण:** लागत प्रभावी पहुंच, व्यापक उपलब्धता।
- **समय पर और सटीक परिणाम:** त्वरित परिणाम, सटीक विश्लेषण।
- **अनुकूलित उर्वरक उपयोग:** लागत में कमी, अधिक/ कम उपयोग को रोकता है।
- **अनुकूलित पोषक तत्व अनुशंसाएँ:** व्यक्तिगत योजनाएं, डेटा आधारित निर्णय।

योजना की प्रमुख उपलब्धियां

- फरवरी 2025 तक **24.74 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड** जारी किए जा चुके हैं।
- **किसानों को 2020-21 में 16 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड** जारी किए गए थे। यह संख्या **2024-25 में बढ़कर 53 लाख** हो गई।
- भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण विभाग ने **21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 1,987 ग्राम-स्तरीय मृदा उर्वरता मानचित्र तैयार** किए हैं।
- **8272 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं** स्थापित की गई हैं।
- **राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को 1706.18 करोड़ रुपये जारी** किए गए हैं।

योजना की कमियां

- मृदा परीक्षण की गुणवत्ता और सटीकता को लेकर चिंताएं।
- किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड में दिए गए विवरण को समझने में असमर्थ होते हैं।
- मृदा के भौतिक एवं सूक्ष्म-जैविक तत्वों की उपस्थिति के बारे में जानकारी नहीं देना।
- मृदा के परीक्षण के लिए पर्याप्त अवसंरचना की कमी,
- **अन्य:** गांवों में मृदा स्वास्थ्य कार्ड में सुझाए गए उर्वरकों और जैव-उर्वरकों का आसानी से उपलब्ध नहीं होना, आदि।

आगे की राह

- सैंपल्स और परीक्षण प्रथाओं में सुधार करने की आवश्यकता है।
- कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है।
- मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए।
- मृदा प्रबंधन के लिए विशेष संस्था का गठन करना चाहिए।
- कृषि विस्तार पदाधिकारियों और किसानों के बीच सहयोग बढ़ाना चाहिए, मृदा स्वास्थ्य सूचकांक तैयार करना चाहिए, उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए NPK उर्वरकों पर दी जा रही सब्सिडी में कटौती की जानी चाहिए।

5.3 पराली जलाना (STUBBLE BURNING)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संसद की एक स्थायी समिति ने धान के बचे हुए डंठलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) घोषित करने की सिफारिश की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- ये सिफारिशें **अधीनस्थ विधान संबंधी समिति** द्वारा की गई थीं। इस समिति को **'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्र (पराली जलाने पर पर्यावरणीय प्रतिपूर्ति का अधिरोपण, संग्रहण एवं उपयोग) के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) नियमावली, 2023'** के परीक्षण का कार्य सौंपा गया था।
- यह नियमावली **CAQM अधिनियम, 2021** के तहत अधिसूचित की गई थी।

पराली जलाने के बारे में

- पराली जलाने से आशय **धान, गेहूं जैसी फसलों की कटाई के बाद उनके बचे हुए डंठलों को खेत में ही जलाने** से है। **पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश** जैसे राज्यों में पराली जलाना आम घटना हो गई है।
- किसान ऐसा इसलिए करते हैं, क्योंकि **खरपतवार प्रबंधन, कीट नियंत्रण के अन्य विकल्पों की तुलना में खेत में पराली जलाने में अधिक खर्चा** नहीं आता है।

पराली जलाने के प्रभाव

- **पर्यावरणीय क्षरण: कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर** जैसे हानिकारक प्रदूषक निकलते हैं।

- **मिट्टी की उर्वरता कम होती है:** अवशेषों को जलाने से उत्पन्न गर्मी मिट्टी के तापमान को **42 डिग्री सेल्सियस** तक बढ़ा देती है।
  - **सूक्ष्मजीवों को नुकसान** पहुंचाता है; तथा
  - आवश्यक पोषक तत्वों की हानि होती है
- **मानव स्वास्थ्य: अस्थमा, COPD, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों के कैंसर** जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है।

पराली जलाने को नियंत्रित करने में चुनौतियां

- **तकनीकी और अवसंरचना से संबंधित चुनौतियां:** फसल कटाई के लिए सही मशीन का उपयोग नहीं करना, पराली को भंडारित करने के लिए अवसंरचना की कमी, आपूर्ति श्रृंखला की कमी आदि।
- **विनियामकीय चुनौतियां:** अस्पष्ट परिभाषाएं, अस्पष्ट प्रक्रियाएं आदि।
- **वित्तीय बाधाएं:** अपर्याप्त सब्सिडी, उपयोग फ्रेमवर्क आदि।
- **सामाजिक-आर्थिक चिंताएं:** जागरूकता की कमी, वैकल्पिक कृषि पद्धतियां आदि।

पराली जलाने को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **CAQM फ्रेमवर्क:** इसमें इन-सीटू और एक्स-सीटू फसल अवशेष प्रबंधन, पराली जलाने पर रोक लगाना आदि शामिल हैं।
- **वित्तीय सहायता:** कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन के माध्यम से सहायता।
- **विकल्पों को बढ़ावा देना:** बायो एंजाइम-पूसा, हैप्पी सीडर मशीन आदि।
- **राज्य-स्तरीय पहलें:** उदाहरण के लिए- **उत्तर प्रदेश:** पराली के बदले गोवंश खाद योजना शुरू की है; **पंजाब: आई-खेत** मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप फसल अवशेषों को खेतों में ही निपटाने और किसानों को कृषि मशीनरी/ उपकरण उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च किया गया है।

आगे की राह: संसदीय स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिशें

- **MSP की तर्ज पर पराली के लिए भी मूल्य प्रणाली** लागू करनी चाहिए।
- **तकनीकी एवं अवसंरचना विकास का समर्थन** करने की आवश्यकता है।
- **विनियामक तंत्र में सुधार** किया जाना चाहिए।
- **वैकल्पिक कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित** किया जाना चाहिए।
- फसल अवशेषों का बायो-एनर्जी उत्पादन में उपयोग करने के लिए **एकीकृत राष्ट्रीय नीति** बनानी चाहिए।

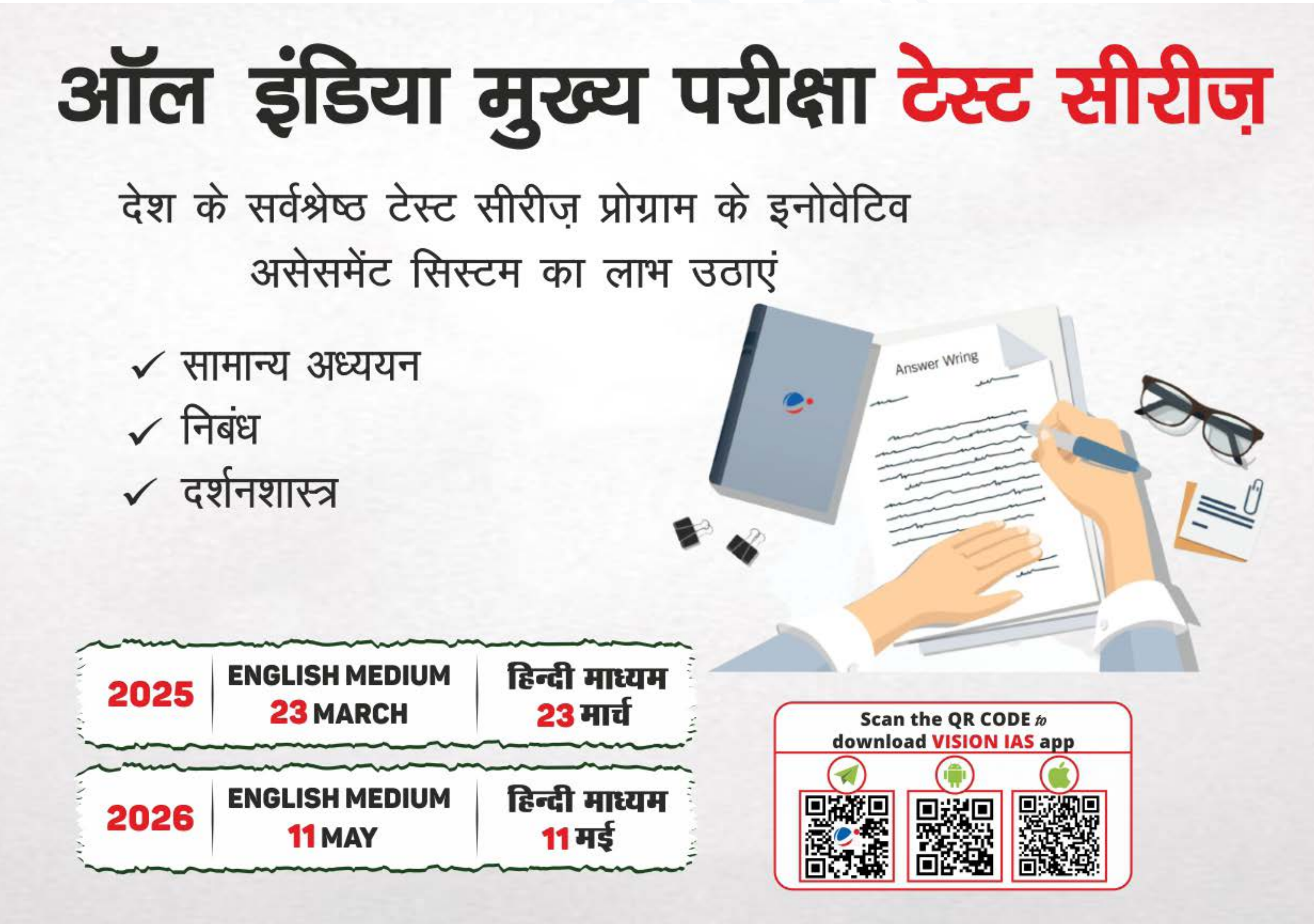

5.4. संक्षिप्त सुर्खियां (News in Shorts)

5.4.1. वेटलैंड एक्रेडिटेड सिटीज (WETLAND ACCREDITED CITIES)

इंदौर और उदयपुर, वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन (WCA) की वैश्विक सूची में शामिल होने वाले **भारत के पहले दो शहर** बन गए हैं। यह सूची **आर्द्रभूमियों पर रामसर कन्वेंशन** के तहत है।

- **इंदौर: सिरपुर झील नामक रामसर साइट को जल पक्षियों की अधिक संख्या** के लिए मान्यता दी गई है। इस साइट को **"पक्षी अभयारण्य"** के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- **उदयपुर:** यह शहर पांच प्रमुख आर्द्रभूमियों- **पिछोला, फतेहसागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई** से घिरा हुआ है।

वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन (WCA) के बारे में

- यह अपनी **प्राकृतिक या मानव निर्मित आर्द्रभूमियों** को महत्त्व देने वाले शहरों के लिए **स्वैच्छिक मान्यता प्रणाली है।**
- इसे **उरुग्वे में रामसर कन्वेंशन (2015) के COP-12** में अनुमोदित किया गया था।
- यह **मान्यता 6 वर्षों के लिए वैध** होती है। नवीनीकृत करने के लिए **सभी 6 मानदंडों को पूरा** करना जरूरी है।

WCA का महत्त्व

- यह **शहरी और उप-शहरी आर्द्रभूमियों के संरक्षण एवं उनके विवेकपूर्ण उपयोग** को बढ़ावा देता है।
- यह स्थानीय आबादी के लिए **सतत सामाजिक-आर्थिक लाभ** भी सुनिश्चित करता है।
- यह मान्यता **MoEF&CC की अमृत धरोहर पहल** के कार्यान्वयन में मदद करेगी।

6 WCA नामांकन के लिए मानदंड

- **मानदंड 1:** शहर के अधिकार क्षेत्र में पारिस्थितिकी-तंत्र सेवाएं प्रदान करने वाले रामसर साइट्स शामिल हैं;
- **मानदंड 2:** आर्द्रभूमि संरक्षण और पारिस्थितिकी-तंत्र सेवाओं की सुरक्षा के लिए उपाय अपनाना;
- **मानदंड 3:** आर्द्रभूमि पुनर्बहाली और/ या प्रबंधन उपायों को लागू करना;
- **मानदंड 4:** आर्द्रभूमि नियोजन को शहरी भूमि उपयोग निर्णयों में एकीकृत करना;
- **मानदंड 5:** आर्द्रभूमि निर्णयों में सार्वजनिक जागरूकता और स्थानीय भागीदारी को बढ़ावा देना।
- **मानदंड 6:** आर्द्रभूमि प्रबंधन और रामसर मान्यता के लिए स्थानीय समिति का गठन करना।

5.4.2. रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत भारत की चार और आर्द्रभूमियां शामिल की गईं (FOUR MORE WETLANDS INCLUDED UNDER THE RAMSAR CONVENTION)

इससे **रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत भारत की आर्द्रभूमियों की संख्या 85 से बढ़कर 89** हो गई है। यह **एशिया में सबसे बड़ी संख्या है, जबकि विश्व स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी संख्या** है। इन चार आर्द्रभूमियों को **तमिलनाडु, सिक्किम और झारखंड** से शामिल किया गया है।

- **तमिलनाडु 20 रामसर स्थलों** के साथ सबसे आगे है। ये **सिक्किम और झारखंड से पहले** रामसर स्थल हैं।

आर्द्रभूमियों पर रामसर कन्वेंशन के बारे में

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे **1971 में रामसर (ईरान)** में अपनाया गया था। यह 1975 में प्रभावी हुई थी।
- **उद्देश्य:** आर्द्रभूमियों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करना।
- **2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस** मनाया जाता है।

नए रामसर स्थल

सक्करकोट्टई पक्षी अभयारण्य (तमिलनाडु)

- **अवस्थिति:** मन्नार की खाड़ी के पास, मध्य एशियाई फ्लाईवे पर।
- **ऐतिहासिक महत्त्व:** सक्करकोट्टई टैंक 1321 ई. में कुदिमारमट्टू (समुदाय की भागीदारी) के माध्यम से खोदा गया था।
- यहां **पेंटेड स्टॉर्क, ब्लैक-हेडेड आइबिस,** आदि प्रजातियां पाई जाती हैं।

थेर्थंगल पक्षी अभयारण्य (तमिलनाडु)

- **अवस्थिति:** मन्नार की खाड़ी के पास, मध्य एशियाई फ्लाईवे पर।
- यहां **पेंटेड स्टॉर्क, ब्लैक-हेडेड आइबिस, स्पॉट-बिल्ड पेलिकन** आदि प्रजातियां पाई जाती हैं।
- **बबूल (अकेसिया निलॉटिका)** के वृक्षों के लिए प्रसिद्ध।

खेचोपलरी आर्द्रभूमि (सिक्किम)

- इसे **विशिंग लेक** के नाम से भी जाना जाता है, माना जाता है कि यह इच्छाएं पूरी करती है; स्थानीय रूप से इसे **शो ज़ो शो कहा जाता है ("ओह लेडी, यहाँ बैठो")।**
- मूल रूप से खा-चोट-पलरी, जिसका अर्थ है "पद्मसंभव का स्वर्ग"।
- सर्क-प्रकार की आर्द्रभूमि, जिसे **बौद्ध और हिंदू दोनों ही पवित्र मानते हैं।**

उधवा झील (झारखंड)

- इसका नाम **महाभारत के संत उद्धव** के नाम पर रखा गया है, जो **भगवान कृष्ण के मित्र** थे।
- इसे वन्यजीव अभयारण्य और **महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र (IBA)** घोषित किया गया है।
- अभयारण्य में दो जल निकाय हैं, यानी **पटौरन और बरहेल।**
- यह **हाउस स्विफ्ट, फिशिंग ईगल और ब्राह्मणी पतंग** जैसी पक्षी प्रजातियों का घर है।

5.4.3. गुनेरी का अंतर्देशीय मैंग्रोव (INLAND MANGROVE OF GUNERI)

गुजरात ने जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत **"गुनेरी के अंतर्देशीय मैंग्रोव" को जैव विविधता विरासत स्थल** के रूप में अधिसूचित किया है।

'गुनेरी अंतर्देशीय मैंग्रोव' के बारे में

- यह **अरब सागर तट से 45 किलोमीटर और कोरी क्रीक से 4 किमी दूर अवस्थित** है।
- यह पारंपरिक मैंग्रोव पारिस्थितिकी-तंत्र के विपरीत, एक दुर्लभ **अंतर्देशीय मैंग्रोव वन का प्रतिनिधित्व** करता है।
- **यह दुनिया भर में ऐसे आठ अंतर्देशीय मैंग्रोव वनों में से एक** है।
- यहां लगभग **20 प्रकार की प्रवासी और 25 प्रकार की रेजिडेंट प्रवासी पक्षी प्रजातियां** पाई जाती हैं।

5.4.4. यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट्स प्रोग्राम (यूएन-हैबिटैट/ UN-Habitat) {UNITED NATIONS HUMAN SETTLEMENTS PROGRAMME (UN-HABITAT)}

C40 सिटीज और यूएन-हैबिटेट ने 2050 तक शहरी उत्सर्जन में 25% की कटौती करने के लिए अर्बन प्लानिंग एक्सेलेरेटर की घोषणा की।

यूएन-हैबिटेट के बारे में

- **स्थापना:** 1978 में।
- **मिशन:** सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टि से संधारणीय कस्बों एवं शहरों को बढ़ावा देना, तथा
- सभी के लिए **पर्याप्त आश्रय और संधारणीय शहरी नियोजन** सुनिश्चित करना।

C40 के बारे में

- **जलवायु संकट का सामना करने के लिए दुनिया के अग्रणी शहरों के लगभग 100 महापौरों (मेयर) का एक वैश्विक नेटवर्क** है।
- वर्तमान में **6 भारतीय शहर C40 के सदस्य हैं:** बेंगलुरु; चेन्नई; दिल्ली; जयपुर; कोलकाता और मुंबई।

5.4.5. एग्री-NBSAPs (AGRI-NBSAPS)

संयुक्त राष्ट्र **जैव विविधता अभिसमय के पक्षकारों के 16वें सम्मेलन** का नया सत्र **(CBD COP 16.2) रोम** में आयोजित किया गया। इसमें FAO ने कोलंबियाई सरकार और जैव-विविधता अभिसमय (CBD) के सहयोग से **"एग्री-NBSAPs"** पहल की शुरुआत की है।

एग्री-NBSAPs के बारे में

- यह सरकारों की **कृषि-खाद्य प्रणाली को राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियों और कार्य योजनाओं** में शामिल करने में सहायता करता है।
- इसमें **खेत से लेकर प्लेट** तक खाद्य उत्पादन के सभी चरण शामिल होते हैं।
- यह **कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क 2030 तक जैव विविधता क्षरण को रोकना एवं पुनर्बहाली सुनिश्चित** करता है।
- यह सरकारों को **क्षमता निर्माण करने, कृषि-खाद्य प्रणाली में रणनीतिक प्रयासों की पहचान करने और उन्हें लागू करने** में सहायता करता है।

NBSAP में AFS को क्यों एकीकृत किया जाना चाहिए?

- **KM-GBF लक्ष्यों को हासिल करने के लिए: KM-GBF के** टार्गेट्स में से आधे से अधिक कृषि से संबंधित हैं।
- **उत्सर्जन में कटौती: कृषि-खाद्य प्रणाली** वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में **लगभग एक-तिहाई का योगदान** करती है।
- **खाद्य सुरक्षा बनाए रखना:** जैव विविधता परागण, **मृदा की उर्वरता और कीट नियंत्रण** में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
  - जैव विविधता की हानि से **3 अरब लोगों** को खतरा है, क्योंकि **75% खाद्य फसलें परागणकों पर निर्भर** हैं।

जैव विविधता की रक्षा के लिए कृषि खाद्य प्रणालियों में प्रमुख सुधारों की आवश्यकता है।

- **पौधों पर आधारित आहार अपनाना:** पशु आधारित कृषि से होने वाले अत्यधिक प्रभाव को कम करना।
- **प्राकृतिक भूमि की रक्षा करना:** संपूर्ण पारिस्थितिकी-तंत्रों को संरक्षित और पुनर्स्थापित करना।
- **प्राकृतिक-अनुकूल खेती को अपनाना:** एक ही फसल (मोनोकल्चर) की जगह विविध फसलों (पॉलीकल्चर) को बढ़ावा देना।

5.4.6. चैंपियंस ऑफ एनिमल प्रोटेक्शन (CHAMPIONS OF ANIMAL PROTECTION)

भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) दो प्रमुख श्रेणियों यानी **'प्राणी मित्र' और 'जीव दया पुरस्कार' में "चैंपियंस ऑफ एनिमल प्रोटेक्शन"** पुरस्कार प्रदान करेगा।

- इस पहल का उद्देश्य **पशु कल्याण में उत्कृष्ट योगदान** को मान्यता देना है।

AWBI के बारे में

- AWBI को **1962 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960** के तहत स्थापित किया गया था।
- एक **वैधानिक सलाहकार निकाय** के रूप में पशु कल्याण कानूनों पर सलाह देता है।
- इसे **रुक्मिणी देवी अरुंडेल के नेतृत्व** में स्थापित किया गया था।
- इसमें **6 संसद सदस्यों सहित 28 सदस्य** होते हैं।

5.4.7. F11 बैक्टीरिया (F11 BACTERIA)

एक अध्ययन में **F11 बैक्टीरिया (लैब्रिस पोर्टुकैलेंसिस)** की खोज की गई है। यह कम-से-कम 3 प्रकार के **'पर- एंड पॉलीफ्लुओरोएल्काइल सबस्टेंस' (PFAS) को विघटित** करता है।

F11 बैक्टीरिया के बारे में

- यह **ज़ैंथोबैक्टेरेसी परिवार का एक एरोबिक** बैक्टीरिया है।
- यह **अपशिष्ट जल उपचार में जैवसंवर्द्धन में सहायता** कर सकता है।
  - **जैवसंवर्द्धन, उन सूक्ष्मजीवों को शामिल** करने की प्रक्रिया है, जो **प्रदूषित वातावरण में प्रदूषक अणुओं को जैव-निम्नीकृत** कर सकते हैं।

PFAS के बारे में

- PFAS **ऐसे विषैले रसायन** होते हैं, जो **ग्रीस, तेल, पानी और गर्मी का प्रतिरोध** करते हैं।
- ये लगभग **अविनाशी प्रकृति** के होते हैं। इसलिए, इन्हें **'फॉरएवर केमिकल'** कहा जाता है।
- **उपयोग:** नॉनस्टिक कुकवेयर, ग्रीस-प्रतिरोधी खाद्य पैकेजिंग तथा जलरोधी एवं अग्निशमन वस्त्र आदि।

5.4.8. कम गहराई वाला भूकंप (SHALLOW-DEPTH EARTHQUAKE)

दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में रिक्टर पैमाने पर **4.0 तीव्रता** का भूकंप आया।

- यह भूकंप एक **अंतःप्लेट (Intra-plate) परिघटना थी, जो "इन-सीटू मटेरियल हेटेरोजिनिटी"** के कारण घटित हुई है।
- **भूकंप का एपिसेंटर** दिल्ली में था।
- धरातल से **मात्र 5 किलोमीटर की गहराई (बॉक्स देखें) पर होने** के कारण भूकंप तीव्र था।

इन-सीटू मटेरियल हेटेरोजिनिटी के कारण आने वाले भूकंप

- यह **पृथ्वी की भू-पर्पटी के गुणों** में मौजूद असमानताओं के कारण घटित होने वाली भूकंपीय गतिविधि है।
- भौतिक गुणों में भिन्नता के कारण **तनाव का संकेन्द्रण** होने लगता है।
- इसके कारण **भ्रंश वाले क्षेत्रों में तनाव** का निर्माण होता है।
- **दिल्ली भारत के भूकंपीय मानचित्र में ज़ोन-IV में स्थित है, जो देश का दूसरा सबसे संवेदनशील ज़ोन है।**

दिल्ली में भूकंप का खतरा क्यों है?

- **भारतीय-यूरेशियन प्लेट टकराव:** दिल्ली भारतीय-यूरेशियन प्लेट टकराव क्षेत्र के पास है, जहां भारतीय प्लेट 5 सेमी/ वर्ष की गति से उत्तर की ओर बढ़ रही है, जिससे भ्रंश किनारों पर तनाव पैदा होता रहता है।
- **भ्रंश प्रणाली:** दिल्ली-हरिद्वार रिज भारतीय प्लेट का विस्तार है
  - **अरावली भ्रंश प्रणाली:** एक गहरी भूगर्भीय संरचना है, जो अंतःप्लेट कंपन में योगदान देती है।
- **इंडो-गंगा मैदान:** दिल्ली-NCR नरम जलोढ़ मिट्टी पर स्थित है, जो भूकंपीय तरंगों को बढ़ाता है।

उथले भूकंप के बारे में

- **भूकंप** पृथ्वी की सतह के नीचे चट्टानों के खिसकने से उत्पन्न अचानक और तेजी से होने वाला कंपन है।
- **उथले भूकंप** पृथ्वी की भूपर्पटी में **अपेक्षाकृत कम गहराई (0 से 70 किमी)** पर उत्पन्न होते हैं।
- **मध्यम गहराई के भूकंप 70 से 300 किमी** के बीच और अधिक **गहरे भूकंप 300 से 700 किमी** के बीच उत्पन्न होते हैं।
- उथले भूकंप **धरातल के ज्यादा निकट होने के कारण अधिक विनाशकारी** होते हैं।

5.4.9. पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव में स्थानान्तरण (SHIFT IN EARTH'S MAGNETIC NORTH)

संशोधित वर्ल्ड मैग्नेटिक मॉडल (WMM) के अनुसार, पृथ्वी का **चुंबकीय उत्तरी ध्रुव साइबेरिया की ओर स्थानांतरित** हो रहा है।

WMM के बारे में

- यह पृथ्वी के **कोर और क्रस्टल चुंबकीय क्षेत्र का एक स्टैंडर्ड मॉडल** है।
- इस मॉडल को **हर पांच साल में अपडेट** किया जाता है।
- इसे **यू.एस. की नेशनल जियोस्पेशियल-इंटेलिजेंस एजेंसी और यू.के. के डिफेंस जियोग्राफिक सेंटर** ने तैयार किया है।

पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव का स्थानांतरण

- पृथ्वी का **चुंबकीय उत्तर भौगोलिक उत्तर** से अलग है।
- सबसे पहले इसकी खोज **1831 में जेम्स क्लार्क रॉस** ने की थी।
  - हाल के वर्षों में इसका स्थान **कनाडा से साइबेरिया की ओर** पहले तीव्र गति से, फिर बाद में धीमी गति से खिसकने लगा।
- **चुंबकीय दिक्पात** समय के साथ किसी स्थान पर बदलता रहता है। चुंबकीय दिक्पात **'चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और 'भौगोलिक उत्तर' के बीच का कोण** है।
- चुंबकीय उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों की स्थिति धीरे-धीरे बदलती रहती है।
- कभी-कभी **चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव परस्पर स्थान बदल** लेते हैं।
  - **पेलियोमैग्नेटिक रिकॉर्ड्स:** पिछले **83 मिलियन वर्षों** में पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव **183 बार परस्पर स्थान बदल** चुके हैं।
  - **संभावित प्रभाव: नेविगेशन सिस्टम में त्रुटियां** उत्पन्न होती हैं; **प्रवासी प्रजातियों** की उड़ान दिशा में भ्रम उत्पन्न हो सकता है।

पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र

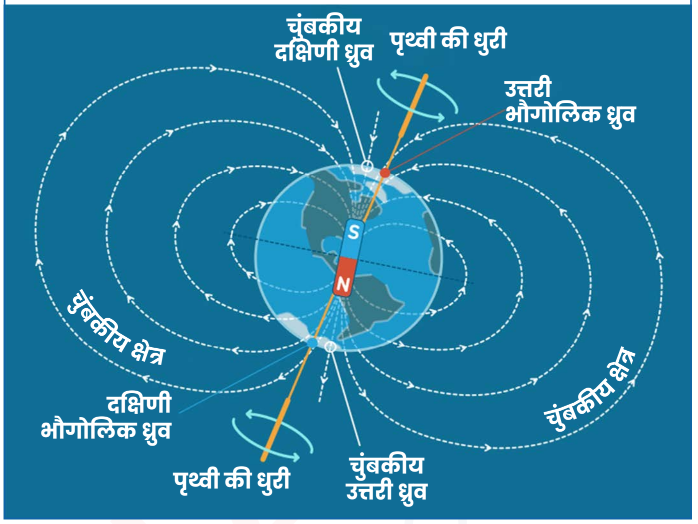

5.4.10. 'एक राष्ट्र, एक समय' के लिए मसौदा नियम (DRAFT RULES FOR 'ONE NATION, ONE TIME')

उपभोक्ता मामले विभाग ने विधिक माप विज्ञान (भारतीय मानक समय) नियम, 2025 का मसौदा अधिसूचित किया। इनका उद्देश्य भारत के सभी क्षेत्रकों में **भारतीय मानक समय (IST) के उपयोग को मानकीकृत और अनिवार्य** बनाना है।

विधिक माप विज्ञान (भारतीय मानक समय) नियम, 2025 के मसौदे के बारे में

- **IST अनिवार्य समय** संदर्भ बन गया है।
- कोई भी व्यक्ति/ संस्था आधिकारिक/ व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए IST के अलावा अन्य समय संदर्भ का उपयोग, प्रदर्शन या रिकॉर्ड नहीं करेगा/ करेगी।
- सरकारी कार्यालयों के लिए **टाइम सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल अपनाना अनिवार्य है।**
- रेसिलिएंस के लिए, **साइबर सुरक्षा उपाय और वैकल्पिक संदर्भ तंत्र** निर्धारित किए गए हैं।
- **खगोल विज्ञान, नेविगेशन, वैज्ञानिक अनुसंधान** आदि के लिए अधिकृत विचलन (जैसे GMT आदि) के उपयोग की अनुमति है।

देशांतर और समय

- किसी स्थान का **देशांतर प्राइम मेरिडियन के पूर्व या पश्चिम में कोणीय दूरी** है जो ग्रीनविच, इंग्लैंड से होकर गुजरती है।
- पृथ्वी 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक पूर्ण चक्कर (360°) लगाती है, जिसका अर्थ है कि यह प्रति **घंटे 15° या 4 मिनट में 1° घूमती** है।
- **मानक मध्याह्न रेखा:** देश अपने समय क्षेत्र के लिए 7° 30′ से विभाज्य देशांतर का उपयोग करते हैं, ताकि समय के अंतर को पूरे या आधे घंटे के गुणकों में GMT के साथ संरेखित किया जा सके।

इन नये मसौदा नियमों का महत्त्व

- **राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत** होती है।
- इससे **विश्वसनीय एवं कुशल सेवाएं सुनिश्चित** होती हैं।
- इससे **सटीक वित्तीय लेन-देन को बढ़ावा** मिलता है।

IST के बारे में

- **IST 82°30′E देशांतर** (उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर) पर आधारित है, जिसे CSIR-NPL बनाए रखता है।
- यह **GMT (अब UTC) से 5 घंटे 30 मिनट** आगे है।
- असम के कई चाय बागानों में अनौपचारिक **'चाय बागान' या 'बागान टाइम'** का पालन किया जाता है, जो **IST से एक घंटा आगे** है। इसे ब्रिटिश चाय कंपनियों द्वारा उत्पादकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था।

5.4.11. स्ट्रैटोवोलकेनो (STRATOVOLCANO)

हाल ही में **माउंट फेंटाले ज्वालामुखी से मीथेन गैस का विशाल गुबार** निकला है। यह ज्वालामुखी **इथियोपिया** में स्थित है। **माउंट फेंटाले** एक **स्ट्रेटो ज्वालामुखी है,** जिसमें अंतिम बार **1820 में प्रस्फुटन** हुआ था।

स्ट्रैटोवोलकेनो के बारे में

- **स्ट्रैटोवोलकेनो लावा प्रवाह और राख की परतों से निर्मित** एक विशाल व खड़ी ढाल वाला ज्वालामुखी होता है। उदाहरण के लिए- माउंट **फूजी** (जापान), माउंट **वेसुवियस** (इटली) आदि।

मीथेन के विशाल गुबार के बारे में

- यह गैस ड्रिलिंग स्थलों जैसे **अत्यधिक बड़े उत्सर्जन स्थलों से विशाल मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन है।**
- मीथेन एक **शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस** है। **20 वर्ष की अवधि** में इसकी ग्लोबल वार्मिंग क्षमता (GWP) कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में **80 गुना अधिक** होती है।

5.4.12. माउंट डुकोनो (MOUNT DUKONO)

हाल ही में, **इंडोनेशिया के माउंट डुकोनो में ज्वालामुखी** उद्गार हुआ।

माउंट डुकोनो के बारे में

- यह **समुद्र तल से 1,087 मीटर की ऊंचाई** पर स्थित है। यह इंडोनेशिया के 127 सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है।
- **अवस्थिति: हल्माहेरा द्वीप**

इंडोनेशिया में हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट की अन्य घटनाएं:

- **माउंट मेरापी: योग्याकार्टा शहर।**
- **माउंट रुआंग: यह सुलावेसी द्वीप समूह** में स्थित एक स्ट्रैटोवोलकानो है।
- **माउंट लेवोटोबी लाकी-लाकी:** यह **फ्लोरेस द्वीप** में अवस्थित है।

5.4.13. कैस्पियन सागर (CASPIAN SEA)

पर्यावरणीय कार्यकर्ताओं ने कैस्पियन सागर में तेजी से घटते जल स्तर पर चिंता जताई है। 2005 के बाद से अब तक इसका लगभग 31,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल कम हो चुका है।

कैस्पियन सागर के बारे में

- यह विश्व का **सबसे बड़ा स्थलरुद्ध जल निकाय है।** इसकी सीमा **कजाकिस्तान, अजरबैजान, रूस, तुर्कमेनिस्तान और ईरान** से लगती है। कैस्पियन सागर के साथ **सबसे लम्बी तटरेखा कजाकिस्तान** की लगती है।
- ऐसा अनुमान है कि कैस्पियन सागर में लगभग **48 अरब बैरल का तेल भंडार** है।

जल स्तर में गिरावट के कारण: इसमें जलवायु संकट, कृषि के लिए अत्यधिक जल उपयोग तथा परमाणु अपशिष्ट, उद्योग और खराब शहरी नियोजन से होने वाला प्रदूषण आदि शामिल हैं।

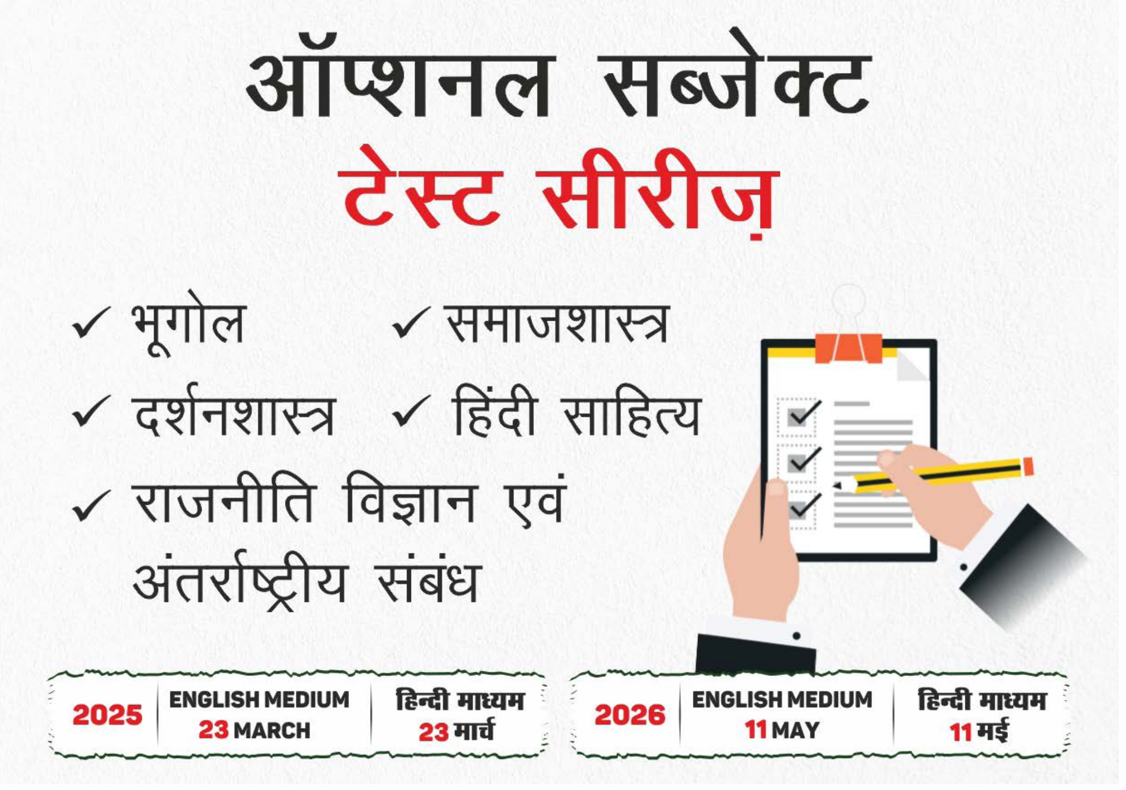

सामाजिक मुद्दे (SOCIAL ISSUES)

6.1. मध्यम आय वर्ग (Middle-Income Class)

सुर्ख़ियों में क्यों?

नई आयकर संरचना के तहत **12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वालों को आयकर से छूट प्रदान** की गई है। यह छूट भारत में **मध्यम आय वर्ग** को महत्वपूर्ण कर लाभ प्रदान करेगी।

अन्य संबंधित तथ्य

- शून्य कर स्लैब को **7 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये** कर दिया गया है। साथ ही, **75,000 रुपये की मानक कटौती** भी है।
- इस राहत का उद्देश्य **प्रयोज्य आय (Disposable incomes) में वृद्धि करना और उपभोक्ता खर्च को प्रोत्साहित** करना है। इससे अंततः **आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा** मिलेगा।

मध्यम आय वर्ग (MIC) के बारे में

- **परिभाषा:**
  - मध्यम आय वर्ग की कोई **विशिष्ट परिभाषा नहीं है,** लेकिन OECD (जिनकी आय **प्रतिदिन 10 से 100 अमेरिकी डॉलर**) और **पीपल रिसर्च ऑन इंडियाज़ कंज्यूमर इकोनॉमी (PRICE)** के अनुसार, मध्यम वर्गीय परिवारों की वार्षिक आय 2020-21 की कीमतों के आधार पर ₹5 लाख से ₹30 लाख के बीच होती है।
  - वे **आर्थिक रूप से सुरक्षित** सामाजिक-सांस्कृतिक समूह हैं, जिनके गरीबी या सुभेद्य स्थिति में पड़ने की संभावना कम होती है।
- **मध्यम आय वर्ग में उल्लेखनीय विविधताएं**
  - **निम्न मध्यम वर्ग: स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा** और वाहन आदि पर खर्च करता है।
  - **उच्च मध्यम वर्ग:** यह वर्ग कंप्यूटर और एयर कंडीशनर जैसी विलासिता की वस्तुओं में व्यय करता है

मध्यम वर्ग की महत्वपूर्ण विशेषताएं

आबादी में वृद्धि	अतिरिक्त आय	आर्थिक प्रभाव	वित्तीय सुरक्षा	मानव विकास
भारत में मध्यम वर्ग की आबादी में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है।	मध्यम वर्ग के पास उपभोग के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध रहता है।	टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के लिए बाजार मांग को बढ़ाना।	मध्यम वर्ग आर्थिक आघातों से बचने के लिए अतिरिक्त आय व परिसंपत्ति को सुरक्षित रखता है।	मध्यम वर्ग की शैक्षिक व सामाजिक अवसरों तक पहुंच होती है।

भारतीय मध्यम आय वर्ग का विकास

- **स्वतंत्रता-पूर्व: औपनिवेशिक नीतियों के कारण** एक छोटा, शिक्षित व उच्च-जाति का अभिजात वर्ग विकसित हुआ।
- **उदारीकरण के बाद: 1990 के दशक के LPG सुधारों** ने IT व सेवा क्षेत्रों, विशेष रूप से शहरों में नौकरियों के माध्यम से **मध्यम आय वर्ग के विकास को बढ़ावा** दिया।
- **भविष्य का आउटलुक:** PRICE का अनुमान है कि **मध्यम-आय वर्ग 2021 के 31% से बढ़कर 2031 तक 38% और 2047 तक 60%** हो जाएगा।

मध्यम वर्ग की बदलती प्रकृति का प्रभाव

अर्थव्यवस्था

- **उपभोग में वृद्धि:** PRICE के अनुसार, मध्यम आय वर्ग की बढ़ती आय **2030-31 तक लगभग 2.7 ट्रिलियन डॉलर के व्यय** को बढ़ावा देगी। इससे वस्त्र, व्यक्तिगत देखभाल आदि पर उपभोग बढ़ेगा।

- **नए बाजार का उदय:** शहरी MIC **स्थानीय और वैश्विक कंपनियों को आकर्षित** करता है, स्टार्ट-अप्स एवं सेवाओं को बढ़ावा देता है।
- **समावेशी विकास:** एक समृद्ध MIC शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों का समर्थन करता है।

शहरी अवसंरचना

- **टियर II शहर:** MIC की बढ़ती समृद्धि से छोटे शहरों में **मांग बढ़ेगी।**
- **विकास केंद्र: आकांक्षापूर्ण व्यय** मॉल और कैफे जैसे मनोरंजन केंद्रों को बढ़ावा देता है।
- **आवास: गेटेड सोसाइटियों को पहले उच्च वर्गों के लिए पसंदीदा माना** जाता था। मध्यम वर्ग ने इसे टियर-II शहरों तक भी बढ़ा दिया है।

सामाजिक

- **सामाजिक-आर्थिक लाभ:** मध्यम वर्ग की बढ़ती हिस्सेदारी संस्थानों और परिणामों में सुधार करती है।
- **मूल्य:** समृद्धि लोकतांत्रिक आदर्शों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पर्यावरण संबंधी चिंता को बढ़ावा देती है।

मध्यम आय वर्ग के समक्ष चुनौतियां

- **बढ़ती महंगाई:** महंगी निजीकृत स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा से बजट पर दबाव बढ़ रहा है।
- **बेरोजगारी:** नौकरी की अस्थिरता वित्तीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाती है।
- **वेतन में स्थिरता:** वेतन आर्थिक संवृद्धि के अनुसार नहीं है।
- **स्वचालन:** तकनीक ने आईटी, बैंकिंग और विनिर्माण क्षेत्रक में MIC की नौकरियों को विस्थापित कर दिया है।
- **कराधान:** उच्च कर और कम लाभ MIC पर बोझ डालते हैं।
- **ऋण:** ऋण और क्रेडिट कार्ड्स का उपयोग बढ़ रहा है, **वित्त वर्ष 2023 में भारत का घरेलू ऋण GDP का 38% था।**
- **सामाजिक बाधाएं:** पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण महिलाओं के करियर की प्रगति को बाधित करता है।

उपेक्षा के कारण

- **आत्मनिर्भर विशेषता:** बढ़ते दबावों के बावजूद MIC आत्मनिर्भर है।
- **विविधता:** विभिन्न समूह **(जैसे- गिग वर्कर्स, सार्वजनिक क्षेत्रक के कर्मचारी आदि)** लक्षित नीतियों को मुश्किल बनाते हैं।
- **निम्न राजनीतिक भागीदारी:** कमजोर संगठन और मतदान प्रभाव को कम करते हैं।
- **नीतिगत अंतराल:** ग्रामीण और व्यावसायिक हित MIC की ज़रूरतों पर हावी हो जाते हैं।

निष्कर्ष

मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए **कर राहत, आवास समाधान और मजबूत श्रम बाजार नीतियों** की आवश्यकता है। **हितधारकों द्वारा संचालित कार्य योजना** सुभेद्यताओं को दूर करने, वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने और उनके आर्थिक एवं सामाजिक योगदान को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है

6.2. त्रिभाषा फॉर्मूला (THREE-LANGUAGE FORMULA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कुछ राज्यों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 के त्रिभाषा फॉर्मूले का विरोध किया जा रहा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) और त्रिभाषा फार्मूले के बारे में

- **NEP 2020:** तीन भाषाएं **(कम-से-कम दो भारत की मूल भाषाएं)** सीखने को अनिवार्य बनाती है। यह **1968 की नीति** में तय हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा की अनिवार्यता के विपरीत लचीलापन प्रदान करती है।
- **क्षेत्रीय लचीलापन:** राज्य और छात्र भाषाओं का चयन कर सकते हैं, बहुभाषावाद को बढ़ावा देता है तथा विविधता का सम्मान करता है।

त्रिभाषा फॉर्मूला नीति का विकासक्रम

- **अनुच्छेद 351:** संघ को हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए कर्तव्यबद्ध बनाता है।
- **कोठारी आयोग (1964-66):** त्रिभाषा फार्मूले की शुरुआत की गई, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) में अपनाया गया था।
- **NEP, 1968:** सभी शैक्षिक स्तरों पर क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दिया गया।
- **कार्य-योजना, 1992:** प्री-स्कूल में मातृभाषा का समर्थन किया।
- **शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009:** शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा को प्राथमिकता दी गई।
- **NEP, 2020:** कम-से-कम कक्षा 5 तक, आदर्श रूप से कक्षा 8 तक माध्यम के रूप में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा का उपयोग करने की सिफारिश की गई है।

त्रिभाषा फॉर्मूले का महत्त्व/ लाभ (यूनेस्को की 'लैंग्वेजेज मैटर: ग्लोबल गाइडेंस ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन' रिपोर्ट के अनुसार):

- **पहुँच और समावेशन:** विविध शिक्षार्थियों के लिए माता-पिता की भागीदारी को बढ़ाता है, और वंचित समूहों को शामिल करता है।
- **सीखने के परिणाम:** बढ़ी हुई अनुभूति के माध्यम से सामाजिक-भावनात्मक विकास और शैक्षणिक सफलता का समर्थन करता है।

- **सतत विकास:** संस्कृतियों को संरक्षण करता है, अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देता है **(उदाहरण के लिए, स्विट्जरलैंड अपने सकल घरेलू उत्पाद का 10%)**, सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देता है, और पर्यावरणीय ज्ञान की रक्षा करता है।
- **राष्ट्रीय एकीकरण:** अंतर-क्षेत्रीय संचार को सक्षम बनाता है और विविधता में एकता को मजबूत करता है।

त्रिभाषा फार्मूले के खिलाफ तर्क

- **राजनीतिकरण:** भाषा के प्रति संवेदनशीलता **क्षेत्रवाद** को बढ़ावा दे सकती है, जिससे 'भूमिपुत्रों' की भावना के माध्यम से राष्ट्रीय एकता बाधित हो सकती है।
- **भाषा का चुनाव:** वयस्क आवश्यकता के आधार पर भाषाएं सीखते हैं, जिससे अनिवार्य भाषा नीतियों की आवश्यकता नहीं होगी।
- **प्राथमिक शिक्षा में संघर्ष:** तीसरी भाषा जोड़ने से **छात्र और शिक्षा प्रणाली पर बोझ** पड़ सकता है, खासकर एकभाषी बच्चों पर।
- **शिक्षकों की कमी:** योग्य शिक्षकों की कमी से संसाधन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं से हट जाते हैं।
- **विविध राज्यों के लिए चुनौतियां:** नागालैंड जैसे राज्यों को लागू करने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
- **क्रियान्वयन संबंधी कठिनाइयां:** उदाहरण के लिए- हरियाणा में तमिल भाषा को लागू करने में कठिनाई।
- **प्रौद्योगिकी:** Google Gemini जैसे AI टूल्स बहुभाषी कौशल की आवश्यकता को कम करते हैं।\

भारतीय शिक्षा प्रणाली में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम	
ASMITA/ अस्मिता (ऑग्मेंटिंग स्टडी मटेरियल्स इन इंडियन लैंग्वेजेज थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग) पहल	पांच वर्षों में 22 अनुसूचित भाषाओं में 22,000 पुस्तकें प्रकाशित करना।
बहुभाषा शब्दकोश	बहुभाषी शब्दकोश संग्रह का निर्माण करना।
रियल टाइम अनुवाद संरचना	भारतीय भाषाओं के रियल टाइम में अनुवाद के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने हेतु भारतीय भाषा समिति के सहयोग से राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच (NEFT) के नेतृत्व में।
भारतीय भाषा पुस्तक योजना	विविध भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्यपुस्तकें और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना।
भाषिणी	एक AI-आधारित भाषा अनुवाद प्रणाली, जो लोगों को अन्य भारतीय भाषा बोलने वालों से बात करते हुए अपनी भाषा में बोलने में सक्षम बनाती है।

प्रभावी रूप से लागू करने के लिए आगे की राह

- **गुणवत्ता को प्राथमिकता देना:** भाषाओं को जोड़ने की बजाय शिक्षण की गुणवत्ता और परिणामों पर ध्यान देना चाहिए।
- **सहकारी संघवाद:** NEP 2020 को सुचारू रूप से लागू करने के लिए केंद्र-राज्य सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए।
- **यूनेस्को के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य करना:** डेटा-संचालित नीतियों का उपयोग करना, सामग्री विकसित करना, शिक्षकों को प्रशिक्षित करना और समुदायों की भागीदारी करना।

6.3. भारत में गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा (QUALITY HIGHER EDUCATION IN INDIA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

नीति आयोग ने 'राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा का विस्तार' नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की।

- **राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय (SPUs)** प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियमों द्वारा स्थापित किए जाते हैं और राज्य सरकारों द्वारा वित्त पोषित होते हैं।

गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा में SPUs की भूमिका

- कुल छात्रों का 81% नामांकन 495 SPUs और उनके 46,000 से अधिक संबद्ध संस्थानों में है।
- NEP, 2020 का लक्ष्य HEIs में नामांकन को 4.33 करोड़ से दोगुना कर 9 करोड़ करना है।
    - इन 9 करोड़ छात्रों में से 7 करोड़ छात्र SPUs में पढ़ेंगे।
- 2011 से 2022 तक अनुसूचित जाति के छात्रों के नामांकन में 76.3% की वृद्धि।
- SPU नामांकन में लैंगिक समानता: राष्ट्रीय स्तर पर 51.79% पुरुष और 48.21% महिला नामांकन।
- 38 SPUs शीर्ष 100 संस्थानों (विश्वविद्यालय श्रेणी) में शामिल हुए।
- अनुसूचित जनजाति के छात्रों के नामांकन में 106.8% की वृद्धि।

भारत में उच्चतर शिक्षा की स्थिति AISHE रिपोर्ट 2021-2022 के अनुसार-

- **प्रवेश और नामांकन**
    - **संस्थान:** देश में 1,168 विश्वविद्यालय, 45,473 कॉलेज और 12,002 स्टैंड अलोन संस्थान हैं।
    - **छात्र नामांकन:** 4 करोड़ से अधिक छात्र उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस मामले में भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है।

- **सकल नामांकन अनुपात (GER):** यह 1950-51 के 0.4 से बढ़कर 2021-22 में 28.4 हो गया है। NEP 2020 का लक्ष्य 2035 तक GER को बढ़ाकर 50% करना है।
- **लैंगिक समानता सूचकांक (GPI):** यह 2011-12 के 0.87 से बढ़कर 2021-22 में 1.01 (16% का सुधार) हो गया है।

- **गुणवत्ता और शोध**
  - **छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR):** पिछले पांच वर्षों में 23:1 पर स्थिर।
  - **शोध:** भारत का वैश्विक शोध में योगदान 2017 के 3.5% से बढ़कर 2024 में 5.2% हो गया, लेकिन उच्चतर शिक्षा कुल शोध आउटपुट में केवल 10% का योगदान देती है।
- **वित्त-पोषण:** केंद्र और राज्य व्यय (GDP के प्रतिशत के रूप में) -
  - **विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा:** 0.62%; **तकनीकी शिक्षा:** 0.95%; तथा **तृतीयक शिक्षा:** 1.57%.

भारत में गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा को प्राप्त करने में आने वाली मुख्य चुनौतियां

- **अकुशल प्रत्यायन प्रणाली:** NAAC के 35 वर्षों के बावजूद, उच्च लागत के कारण 39% से भी कम विश्वविद्यालयों को प्रत्यायन प्राप्त है।
- **वित्तीय अंतराल:** उच्चतर शिक्षा पर प्रति व्यक्ति सरकारी व्यय 30 अमेरिकी डॉलर है, जो ब्राज़ील (2.6 गुना अधिक) और संयुक्त राज्य अमेरिका (35 गुना अधिक) जैसे देशों से बहुत कम है।
- **कम प्रभावी शोध**
  - सरकार और उच्चतर शिक्षा संस्थानों (HEIs) द्वारा **अनुसंधान एवं विकास पर कम व्यय** (GDP का 0.7%) नवाचार को बाधित करता है।
  - **शोधकर्ताओं के पास प्रोत्साहन** (वित्त पोषण, मान्यता व व्यवसायीकरण) **की कमी है,** जिसके कारण कम गुणवत्ता वाले पीएचडी और संकाय का अभाव है।
- **नीतिगत और गवर्नेंस संबंधी मुद्दे:**
  - **बहु-विषयक शिक्षा में अंतराल:** MERUs के लिए कोई ठोस संरचना नहीं है और तकनीक, AI एवं डेटा गोपनीयता पर नीतियों का अभाव है।
  - **विश्वविद्यालय पर कर का बोझ:** राजस्व और वाणिज्यिक उपयोगिता दरों पर कर वित्त को प्रभावित करते हैं।
  - **सीमित स्वायत्तता:** शुल्क और पाठ्यक्रम निर्णयों पर प्रतिबंध नवाचार को बाधित करते हैं।
- **क्षेत्रीय असमानताएं (AISHE 2021-2022):**
  - **विश्वविद्यालय घनत्व:** सिक्किम में सर्वाधिक (10.3), बिहार में न्यूनतम (0.2)।
  - **सकल नामांकन अनुपात (GER):** तमिलनाडु में सर्वाधिक (47), बिहार में न्यूनतम।
  - **लैंगिक समानता सूचकांक (GPI):** केरल में सबसे अधिक (1.44), ओडिशा में सबसे कम (0.88)।
  - **छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR):** तमिलनाडु राष्ट्रीय औसत से बेहतर (14), बिहार राष्ट्रीय औसत से भी नीचे (64)।

गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा के लिए प्रमुख पहलें

- **बजट 2025-26:** 10,000 PMRF स्कॉलर्स का चयन; 6,500 नई IITs सीटें; भारतीय भाषा टेक्स्टबुक योजना।
- **मूल्यांकन और रैंकिंग:**
  - राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC): 1994 से सात मानदंडों का उपयोग करके HEIs का मूल्यांकन करता है।
  - राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF): 2015 से HEIs को रैंकिंग प्रदान करता है।
- **अवसंरचना संबंधी विकास:**
  - उच्चतर शिक्षा वित्त-पोषण एजेंसी (HEFA): शीर्ष संस्थानों में पूंजीगत परिसंपत्तियों को वित्त-पोषण प्रदान करता है।
  - नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर (NDEAR): 2021 में डिजिटल अवसंरचना की शुरुआत की गई।
  - प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA): राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का समर्थन करता है।
- **अनुसंधान और विकास:**
  - **अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF):** देश भर में अनुसंधान को बढ़ावा देता है।
  - **शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना (SPARC):** वैश्विक अनुसंधान साझेदारी को बढ़ावा देती है।
  - **वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ONOS) योजना:** विद्वानों के शोध तक पहुंच की सुविधा दी जाती है।
  - **त्वरित नवाचार और अनुसंधान साझेदारी (PAIR) कार्यक्रम:** शीर्ष संस्थानों को उभरते संस्थानों से जोड़ता है।
- **रोजगार सुविधा:**
  - **नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (NCrF):** शैक्षणिक और व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करता है।
  - **पीएम इंटर्नशिप योजना:** पांच वर्षों में 1 करोड़ इंटर्नशिप का लक्ष्य।

गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा के लिए आगे की राह

- **वित्त-पोषण और फंडिंग:** NEP द्वारा बजट लक्ष्यों को पूरा करना, PPPs का लाभ उठाएं (जैसे, तेलंगाना एकेडमी फॉर स्किल एंड नॉलेज (TASK))।
- **गवर्नेंस में सुधार:** एक सुविधाकर्ता मॉडल को अपनाना तथा पाठ्यक्रम और भर्ती में स्वायत्तता प्रदान करनी चाहिए।
- **अवसंरचना में सुधार:** ओडिशा की OHEPEE (850 कॉलेज) जैसी परियोजनाओं का विस्तार करना चाहिए।
- **शिक्षा पद्धति में सुधार:** शिक्षण का मूल्यांकन करना और नियमित रूप से पाठ्यक्रम की समीक्षा करनी चाहिए।
- **डिजिटलीकरण:** डिजिटल लर्निंग हब बनाएं (जैसे, केरल का 'लेट्स गो डिजिटल')।
- **शोध की गुणवत्ता में सुधार:**
  - **नीतिगत फ्रेमवर्क:** ANRF के साथ संरेखित करना।

- **क्षमता निर्माण:** शिक्षकों को प्रशिक्षित करना (जैसे, महाराष्ट्र की संकाय विकास अकादमी)।
- **अंतर्राष्ट्रीयकरण:** विदेशी विश्वविद्यालयों को आकर्षित करना (जैसे, GIFT सिटी)।
- **उद्योग-अकादमिक सहयोग:** उद्योग प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके इंडस्ट्री रिलेशन सेल्स (IRCs) और इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित करने चाहिए।

6.4. स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण {SWACHH BHARAT MISSION-GRAMEEN (SBM-G)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

जल संसाधन संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने 'स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G)' के कार्यान्वियन का विश्लेषण करते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित की है।

स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) के बारे में

- 2014 में शुरू की गई यह **केंद्र प्रायोजित योजना** ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने पर केंद्रित है।
- **उद्देश्य:**
  - **चरण-I (2014-2019):** महात्मा गांधी की 150वीं जयंती यानी 2 अक्टूबर, 2019 तक देश को **खुले में शौच से मुक्त (ODF)** बनाना। इसके लिए सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधा प्रदान करने का कार्य किया जा रहा था।
  - **चरण-II (2019-2025):** इसकी शुरुआत **2020** में ग्रामीण क्षेत्रों में **'संपूर्ण स्वच्छता'** सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। इसके तहत गांवों को **ODF प्लस मॉडल** के रूप में विकसित करने हेतु **घरेलू शौचालयों और उचित अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली** का निर्माण किया जा रहा है।
    - **ODF प्लस मॉडल में शामिल हैं:** ODF में स्थायित्व, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, तरल अपशिष्ट प्रबंधन, ऐसी स्वच्छता, जो दिखाई दे।
- **मुख्य विशेषताएं:**
  - **वित्त-पोषण:**
    - **60:40-** केंद्र और राज्यों के बीच सभी घटकों के लिए।
    - **90:10-** पूर्वोत्तर राज्यों और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के मामले में।
    - **अन्य केंद्र शासित प्रदेश: 100%** हिस्सा केंद्र द्वारा वहन किया जाता है।
  - **12,000/- रुपये का प्रोत्साहन:** इस मिशन के तहत व्यक्तिगत घरेलू शौचालय निर्माण के लिए सभी BPL परिवारों और कुछ चिन्हित APL परिवारों (SC/ ST, दिव्यांगजन वाले परिवार, लघु व सीमांत किसान, और महिला मुखिया वाले परिवारों) को यह राशि सहायता के रूप में देने का प्रावधान है।
  - **जन आंदोलन मॉडल:** इसे दुनिया का सबसे बड़ा जन आंदोलन और व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम माना जाता है।
  - **स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण (SSG):** वार्षिक तृतीय-पक्ष सर्वेक्षण।
  - **स्वच्छता ही सेवा (SHS) 2024 अभियान:** सामूहिक स्वच्छता प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए अभियान।

ODF प्लस गांवों के प्रकार

एस्पाइरिंग (आकांक्षी) ODF प्लस गांव	राइजिंग ODF प्लस गांव	मॉडल ODF प्लस गांव
→ ODF स्थिति को बनाए रखते हैं। → ठोस अपशिष्ट प्रबंधन या तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए व्यवस्था होती है।	→ ODF स्थिति को बनाए रखते हैं। → ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों के लिए व्यवस्था होती है।	→ ODF स्थिति को बनाए रखते हैं। → ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों के लिए व्यवस्था होती है। → दृश्यमान स्वच्छता (कम-से-कम कूड़ा, कम-से-कम स्थिर अपशिष्ट जल, सार्वजनिक स्थानों पर कोई प्लास्टिक अपशिष्ट डंप नहीं आदि) → ODF प्लस सूचना, शिक्षा और संचार संदेश प्रदर्शित करते हैं।

SBM (ग्रामीण)-II के घटक

अवसंरचना का निर्माण	ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM)	सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) और क्षमता निर्माण
• व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (IHHLs) • सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSCs)	• जैव-निम्नीकरणीय अपशिष्ट प्रबंधन (BWM) • गैलवनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन (गोबर-धन) • प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (PWM) • ग्रे वाटर प्रबंधन (GWM) • मल युक्त गाद प्रबंधन (FSM)	• मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (MHM) • मासिक संवाद पत्र 'स्वच्छता समाचार' • स्वच्छता के लिए सामुदायिक दृष्टिकोण (CAS) पर प्रशिक्षित किए गए 'स्वच्छाग्रही' • स्वच्छता ही सेवा (SHS) अभियान • स्वच्छता पखवाड़ा

योजना की प्रगति और उपलब्धियां

- **चरण-I के प्रभाव:**
  - अक्टूबर 2019 तक, 36 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के सभी गांव ODF घोषित हो गए।
  - **ग्रामीण स्वच्छता कवरेज:** 2014 के 39% से बढ़कर 2019 में **100%** हो गया था।

- **स्वास्थ्य:** 2014 की तुलना में 2019 में डायरिया से होने वाली मौतों में 3 लाख तक की गिरावट आई थी (WHO)।
- **पोषण/ उत्पादकता:** गैर-ODF क्षेत्रों के बच्चों में **दुबलेपन (Wasting) के मामले 58% अधिक** दर्ज किए गए हैं (बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन)।
- **महिलाओं की सुरक्षा:** 93% महिलाएं घर में शौचालय होने से सुरक्षित महसूस करती हैं (यूनिसेफ)।
- **बचत:** ODF गांव के परिवारों ने स्वास्थ्य लागत पर प्रतिवर्ष 50,000 रुपये की बचत की है (यूनिसेफ)।

- **चरण-II की उपलब्धियां:**
  - इस चरण में 5,87,529 गांवों में से 5,57,468 गांवों (लगभग 95%) को ODF प्लस घोषित किया गया है।
  - **SBM-G डैशबोर्ड (मार्च, 2025) के अनुसार:**
    - **ODF-प्लस मॉडल राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश:** सिक्किम और लक्षद्वीप।
    - **ODF-प्लस राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश:** लद्दाख।
    - **5 लाख से अधिक गांवों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन,** दोनों की व्यवस्था है।

कार्यान्वयन में चुनौतियां (स्थायी समिति)

- **कमजोर प्रदर्शन:** पिछले 5 वर्षों में केवल 35% SWM, 57% LWM, 56% ODF प्लस, 31% IHHL और 8% CSC लक्ष्य हासिल किए गए हैं।
- **आवंटित धनराशि का कम उपयोग:** वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक केवल 19.61% बजट का उपयोग किया गया है।
- **अतिरिक्त बजटीय संसाधन (EBR):** निधियों का 9-17% ब्याज भुगतान में खर्च किया जाता है, जिससे उपलब्ध राशि कम हो जाती है।
- **अपर्याप्त प्रोत्साहन:** IHHL के लिए 12,000 रुपये (2014 की दरों के आधार पर) अपर्याप्त है।
- **SSG-2023 के मुद्दे:** छोटे स्तर पर सर्वेक्षण, थर्ड पार्टी सर्वेक्षण एजेंसी की विश्वसनीयता पर संदेह, अपनाई गई कार्य-प्रणाली में दोष, आदि।
- **क्षेत्रीय असमानता:** मणिपुर, मेघालय, झारखंड, पंजाब और नागालैंड जैसे राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) लक्ष्यों को प्राप्त करने में पिछड़ रहे हैं।
- **अन्य मुद्दे:** स्वच्छता सेवाओं के लिए पर्याप्त वाहन नहीं, कम ब्लॉक्स में PWMUs, कोई नया बेसलाइन सर्वेक्षण नहीं है।

सिफारिशें (स्थायी समिति)

- समस्याओं के समाधान के लिए राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर त्वरित प्रयास करने की आवश्यकता है।
- निर्धारित समय-सीमा में आवंटित बजट का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने और EBR के माध्यम से धन जुटाने से बचने की कोशिश करनी चाहिए।
- वर्तमान मुद्रास्फीति दर के आधार पर IHHL प्रोत्साहन राशि को संशोधित करना चाहिए।
- मुख्य ODF प्लस मापदंडों की कार्यक्षमता के लिए एक व्यापक निगरानी तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।
- स्वच्छता वाहनों, प्लास्टिक अपशिष्ट लिंकेज और कार्यात्मक PWMUs को बढ़ाकर अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ाना चाहिए।

6.5. जल जीवन मिशन (JAL JEEVAN MISSION: JJM)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय बजट 2025-26 में **जल जीवन मिशन (JJM) को 2028** तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। साथ ही, इस मिशन के बजट में भी वृद्धि की गई है।

जल जीवन मिशन (JJM) के बारे में

- इसकी शुरुआत 2019 में **राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP)** का पुनर्गठन करके की गई थी। इसका उद्देश्य 2024 तक अतिरिक्त 16 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराना था।
- **उद्देश्य: 'हर घर जल (HGJ)'- प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC)** प्रदान करना। भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार न्यूनतम जलापूर्ति स्तर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (lpcd) है। किफायती शुल्क पर जल उपलब्ध कराना; आदि।
- **नोडल मंत्रालय: जल शक्ति मंत्रालय** के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग।
- **वित्त-पोषण:** यह एक **केंद्र प्रायोजित** योजना है। हिमालयी राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10; केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100%, शेष राज्यों के लिए 50:50 वित्त-पोषण।
- **प्राथमिकता वाले क्षेत्र: ग्रामीण परिवार** (सूखा-प्रवण, खराब गुणवत्ता, आदि) और **सार्वजनिक संस्थान** (ग्राम पंचायत, स्कूल, आदि)।
- **मुख्य विशेषताएं:**
  - **बस्तियों से हटकर घरों** पर फोकस किया गया।
  - **ग्राम पंचायतों** को सार्वजनिक उपयोगिताओं के रूप में मानकर **विकेंद्रीकृत, मांग-संचालित और समुदाय-प्रबंधित** जलापूर्ति योजना है।
  - **कम-से-कम 5 ग्रामीणों (अधिमानतः महिलाओं)** को फील्ड टेस्ट किट का उपयोग करके जल गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
  - **जल जीवन सर्वेक्षण (2022)** जिलों और राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन के आधार पर उनका मूल्यांकन करता है।
  - **महिलाएं और कमजोर वर्ग ग्राम जल और स्वच्छता समितियों** का नेतृत्व करते हैं (न्यूनतम **50% सदस्य महिलाएं** होनी चाहिए)।
  - JJM-IMIS, इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (IoT) समाधान और जियो-टैगिंग जैसी **तकनीकों** का उपयोग किया जाता है।
  - **जागरूकता और हितधारकों की भागीदारी** (नकद, वस्तु या श्रम) को बढ़ावा देता है।

प्रगति और उपलब्धियां

- 11 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने सभी ग्रामीण घरों (100%) में नल से जल कनेक्शन प्रदान किए हैं (जैसे, मिजोरम, गोवा, गुजरात, पंजाब आदि)।
- नल से जल कनेक्शन 2019 में 3.23 करोड़ (17%) से बढ़कर फरवरी 2025 तक 15.44 करोड़ (79.74%) हो गए, यानी 75.89% कनेक्शन जोड़े गए हैं।

- 9,32,440 स्कूलों और 9,69,585 आंगनवाड़ी केंद्रों में नल से जल उपलब्ध कराया जा रहा है।

JJM के संभावित प्रभाव

महिला सशक्तीकरण	स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता	रोजगार
प्रतिदिन 5.5 करोड़ घंटों से अधिक की बचत होगी, जो मुख्य रूप से महिलाओं के लिए है, अन्यथा ये घंटे पानी इकट्ठा करने में व्यतीत होते रहेंगे (WHO)।	भारत में सभी घरों में सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने से डायरिया से होने वाली लगभग 4,00,000 मौतों को रोका जा सकता है (WHO)।	JJM अपने पूंजीगत व्यय चरण के दौरान 59.9 लाख पर्सन-ईयर का प्रत्यक्ष और 2.2 करोड़ पर्सन-ईयर का अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेगा।

कार्यान्वयन में चुनौतियां (स्थायी समिति की रिपोर्ट 2024-25)

- FY 2024-25 के फंड्स में से केवल 30.72% का ही उपयोग किया गया है।
- 'HGJ' स्थिति प्राप्त करने की **धीमी दर** (केवल 11 राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश) **निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं-**
  - बहु-ग्राम योजनाओं में देरी।
  - सूखाग्रस्त/ मरुस्थलीय क्षेत्रों में भू-जल स्रोतों की कमी, प्रदूषण और पहाड़ी/ वन क्षेत्रों में भू-भाग संबंधी चुनौतियां।
  - राज्यों में वित्तीय/ तकनीकी क्षमताओं का अभाव और नोडल एजेंसियों से मंजूरी में देरी।
- **व्यापक परिचालन एवं रखरखाव (O&M) नीति का अभाव;** केवल 12 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के पास एक नीति है, जो क्षमता और समन्वय के मुद्दों का सामना कर रही है।
- लगभग 5.86 लाख गांवों के लिए केवल 2160 जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें से कई के पास NABL द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है।
- सतही जल (48%) की तुलना में **भूजल पर अत्यधिक निर्भरता** (52%), संधारणीयता के साथ समझौता।

सिफारिशें (स्थायी समिति की रिपोर्ट 2024-25)

- बेहतर केंद्र-राज्य समन्वय के साथ फंड्स के उपयोग में तेजी लानी चाहिए।
- कम प्रदर्शन करने वाले राज्यों को सक्रिय रूप से सहायता प्रदान करनी चाहिए।
- राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन समितियों में स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए।
- राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को O&M नीतियां बनाने में सहायता करनी चाहिए।
- WQTLs की संख्या बढ़ाने, NABL मान्यता का लक्ष्य रखना, तथा जल गुणवत्ता निगरानी के लिए 2% निधि आवंटन अनिवार्य किया जा सकता है।
- पारंपरिक जल निकायों के पुनरुद्धार, वर्षा जल संचयन और सार्वजनिक शिक्षा के माध्यम से जल संरक्षण को बढ़ावा देना।

6.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS)

6.6.1. "इमेजिन ए वर्ल्ड विद मोर वीमेन इन साइंस" अभियान ("IMAGINE A WORLD WITH MORE WOMEN IN SCIENCE" CAMPAIGN)

यूनेस्को ने "इमेजिन ए वर्ल्ड विद मोर वीमेन इन साइंस" अभियान शुरू किया।

- यह अभियान **अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस (11 फरवरी) की 10वीं वर्षगांठ का प्रतीक** है।

विज्ञान में लैंगिक असमानता

- **वैश्विक स्तर पर:**
  - **कम भागीदारी:** वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक समुदाय में महिलाओं की भागीदारी केवल **एक तिहाई है।**
  - **नेतृत्व में कमी: 10 में से केवल 1** महिला ही STEM में नेतृत्वकारी भूमिका में है।
- **भारत में:**
  - **STEMM** (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा) में महिलाओं का नामांकन **43%** है।
  - भारत में **महिला वैज्ञानिकों की संख्या 18.6% है, जबकि 25% शोध परियोजनाएं महिलाएं** चला रही हैं।
- **चुनौतियां:** सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंड; रोल मॉडल की कमी, आदि।

मानक	सुझाए गए उपाय
विज्ञान के क्षेत्र में लैंगिक रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों को खत्म करना	• महिला वैज्ञानिकों की खोजों और कहानियों को इमेज के साथ स्कूलों की पाठ्यपुस्तकों में शामिल करना चाहिए। • प्रासंगिक बोर्डों, समितियों और पैनल में महिलाओं का न्यायसंगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहिए।
विज्ञान में लड़कियों के लिए शिक्षा के विकल्प खोलना	• टीचिंग और लर्निंग सामग्रियों से लैंगिक पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादिता को समाप्त करना चाहिए। • विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं को बढ़ावा देने वाली कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व जैसी पहलों को लागू करने हेतु कंपनियों को प्रोत्साहित करना चाहिए।
महिला वैज्ञानिकों को आकर्षित करने, बनाए रखने और आगे बढ़ाने वाले कार्यस्थल परिवेश का निर्माण करना	• लैंगिक भेदभाव और यौन उत्पीड़न सहित लैंगिक हिंसा के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए। • नेतृत्वकारी पदों पर महिलाओं को बढ़ावा देना चाहिए।

6.6.2. स्वावलंबिनी (SWAVALAMBINI)

केंद्रीय **कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबिनी** का शुभारंभ किया।

स्वावलंबिनी के बारे में

- यह **महिला उद्यमिता कार्यक्रम** है, जिसे आरंभ में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के उच्चतर शिक्षा संस्थानों (HEIs) में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम को अब पूरे देश में विस्तारित किया जा रहा है।
- **कार्यान्वयन:** नीति आयोग के साथ संयुक्त साझेदारी में **राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान** (NIESBUD) द्वारा।
- **उद्देश्य:** जागरूकता निर्माण, कौशल विकास सहित चरणों के साथ एक संरचित उद्यमशीलता यात्रा के माध्यम से युवा महिलाओं का मार्गदर्शन करना।
- यह कार्यक्रम प्रतिभागियों को अपनी उद्यमिता सोच को सतत संभावनाओं में बदलने में मदद करने के लिए **छह महीने का मार्गदर्शन और सहायता** भी प्रदान करता है।

6.6.3. NGO प्रथम फाउंडेशन ने 'वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER), 2024' जारी की {ASER 2024 RELEASED BY NGO PRATHAM FOUNDATION}

वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER) **बच्चों की स्कूली शिक्षा और सीखने की स्थिति का एक राष्ट्रव्यापी ग्रामीण परिवार-आधारित सर्वेक्षण** है।

- यह **3-16 वर्ष** की आयु के बच्चों के लिए **स्कूली शिक्षा की स्थिति और 5-16 वर्ष** की आयु के बच्चों के लिए **पढ़ने/ गणित कौशल का मूल्यांकन** करता है।
- **2005 से 2014 तक प्रतिवर्ष** तथा उसके बाद से प्रत्येक **दो वर्षों** में आयोजित किया जाता है।

इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **सीखने में मौजूदा अंतराल का कम होना:** ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा 3 और 5 के छात्रों के बीच पढ़ने और अंकगणितीय क्षमता में सुधार हुआ है, 2022 से सभी प्रारंभिक कक्षाओं (कक्षा I-VIII) के बच्चों में सुधार हुआ है तथा अंकगणित में सुधार पिछले एक दशक में सबसे अधिक रहा है।
- **डिजिटल साक्षरता (2024, आयु 14-16):** लगभग 90% लड़कियों और लड़कों के घरों में स्मार्टफोन हैं।
  - **स्वामित्व:** 36.2% लड़कों के पास स्मार्टफोन हैं, जबकि केवल 26.9% लड़कियों के पास स्मार्टफोन हैं; **उपयोग:** शिक्षा के लिए 57%, सोशल मीडिया के लिए 76%.
- **स्कूल की अवसंरचना:** शिक्षा के अधिकार के सभी संकेतकों में **मामूली सुधार** हुआ है, जिसमें **बालिकाओं** के लिए कार्यशील शौचालय, पेयजल सुविधाएं आदि शामिल हैं।

6.6.4. WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल (WHO FCTC) {WHO FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL (WHO FCTC)}

WHO अपनी पहली वैश्विक संधि **WHO FCTC के 20 वर्ष पूरे होने** का उत्सव मना रहा है।

WHO FCTC के बारे में

- **उत्पत्ति:** इसे 2003 में अपनाया गया था और 2005 में लागू किया गया था।
- **उद्देश्य:** तम्बाकू नियंत्रण के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करना। इसमें बड़ी चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनियां, धूम्रपान-मुक्त कानून और उच्च कर शामिल हैं।
- **भारत की भूमिका:** भारत ने 2004 में इस संधि की पुष्टि की थी। भारत दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र का क्षेत्रीय समन्वयक रहा है।
- **प्रभाव:** 5.6 बिलियन लोग कम-से-कम एक तंबाकू नियंत्रण नीति के अधीन आते हैं। इससे वैश्विक धूम्रपान दर में गिरावट आई है।

LIVE/ONLINE Classes Available
www.visionias.in
Foundation Course
GENERAL STUDIES
PRELIMS cum MAINS 2026, 2027 & 2028
DELHI : 7 MAY, 8 AM | 8 MAY, 11 AM | 16 MAY, 5 PM
20 MAY, 11 AM | 21 MAY, 2 PM | 29 MAY, 8 AM
GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar): 20 MAY, 8 AM | 27 MAY, 6 PM
हिन्दी माध्यम | DELHI : 27 मई, 11 AM
AHMEDABAD: 7 JUNE | BENGALURU: 28 MAY | BHOPAL: 26 MAY | CHANDIARH: 18 JUNE
HYDERABAD: 14 MAY | JAIPUR: 10 MAY, 18 MAY | JODHPUR: 15 MAY | LUCKNOW: 19 MAY | PUNE: 8 MAY
फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2026
प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
DELHI : 27 मई, 11 AM | JAIPUR : 12 मई | JODHPUR : 15 मई | प्रवेश प्रारम्भ BHOPAL | LUCKNOW
Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.
/visionias.upsc /c/VisionIASdelhi /c/VisionIASdelhi /t.me/s/VisionIAS_UPSC

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (SCIENCE AND TECHNOLOGY)

7.1. परमाणु ऊर्जा मिशन (NUCLEAR ENERGY MISSION)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2025-26 में 20,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ एक समर्पित परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की।

परमाणु ऊर्जा मिशन के बारे में

- **लक्ष्य: विकसित भारत मिशन** के तहत **2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का** लक्ष्य **हासिल** करना है।
- **वर्तमान: जनवरी, 2025 तक** स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता **8180 मेगावाट** थी; **2031-32 तक इसे बढ़ाकर 22,480 मेगावाट करने का लक्ष्य है।**
- **उद्देश्य: स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMRs)** के संबंध में अनुसंधान एवं विकास करना तथा 2033 तक कम-से-कम **पांच SMRs** स्थापित करना।
- **निजी क्षेत्रक की भागीदारी:** निजी निवेश को सक्षम करने के लिए **परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962** तथा परमाणु क्षति के लिए **सिविल दायित्व अधिनियम, 2010** में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।
  - **निजी क्षेत्रक के साथ साझेदारी के उद्देश्य: भारत स्मॉल रिएक्टर (BSRs)** की स्थापना, **स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर** के संबंध में अनुसंधान एवं विकास आदि।
- **स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास: कैप्टिव उपयोग** के लिए 220 मेगावाट के PHWRs आधारित भारत स्मॉल रिएक्टर (BSRs) पर फोकस।
- **एनर्जी ट्रांजीशन में सहायता:** 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता और 50% ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करने के COP26 प्रतिबधता (2021 में ग्लासगो में CoP शिखर सम्मेलन) का समर्थन करता है।

स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) क्या हैं?

- **परिभाषा: SMRs उन्नत परमाणु रिएक्टर** हैं जिनकी बिजली क्षमता **300 MWe प्रति यूनिट तक** होती है, जो पारंपरिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों की उत्पादन क्षमता का लगभग एक-तिहाई है।
- **विशेषताएं:**
  - **स्मॉल:** भौतिक रूप से इनका आकार पारंपरिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर की तुलना में **काफी छोटा** होता है।
  - **मॉड्यूलर: फ़ैक्टरी-असेंबल** के घटक है, आसानी से **परिवहन और स्थान** पर स्थापित किए जाते हैं।
  - **रिएक्टर: परमाणु विखंडन** द्वारा ऊष्मा उत्पन्न करके ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है।

रिएक्टर के प्रकार

माइक्रो रिएक्टर **क्षमता: 1 मेगावाट से 20 मेगावाट**	**स्माल मॉड्यूलर रिएक्टर** **क्षमता: 20 मेगावाट से 300 मेगावाट**	**फुल-साइज रिएक्टर** **क्षमता: 300 मेगावाट से 1,000+ मेगावाट**
इन्हें ट्रक की मदद से कहीं भी ले जाया जा सकता है तथा दूर-दराज और आपातकालीन क्षेत्रों में इनका उपयोग किया जा सकता है।	इसमें यूनिट्स को जोड़कर या कम करके इसकी क्षमता को क्रमशः बढ़ाया या घटाया जा सकता है।	यह विश्वसनीय, उत्सर्जन-मुक्त निरंतर ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं।

SMR परमाणु ऊर्जा का महत्व

- **कॉम्पैक्ट आर्किटेक्चर और पैसिव सेफ्टी:** एक्टिव सिस्टम, पंप और AC पावर पर निर्भरता कम हो जाती है।
- **उपयोग में सहूलियत:** इसका उपयोग बिजली, ताप और विलवणीकरण के लिए किया जा सकता है।
- **फैक्टरी निर्माण के लिए मॉड्यूलरिटी:** फैक्ट्री-निर्मित पार्ट्स गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं, लागत/समय को कम करते हैं।
- **सब-ग्रेड इंस्टॉलेशन की संभावना:** खतरे से सुरक्षा के लिए भूमिगत या पानी के नीचे रखा जा सकता है।
- **स्केलेबिलिटी:** छोटे आकार के चलते एक ही स्थान पर इनकी कई इकाइयों को स्थापित किया जा सकता है।
- **पोर्टेबिलिटी:** जीवनकाल समाप्त होने पर मॉड्यूल को यथास्थान पर बंद किया जा सकता है या आसानी से हटाया जा सकता है।

भारत के असैन्य परमाणु समझौते

- **सितंबर 2008 में, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) ने अपने सदस्यों और भारत के बीच असैन्य परमाणु सहयोग** की अनुमति देने वाला निर्णय लिया।
- **रूस:** कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (KKNPP) में अतिरिक्त परमाणु रिएक्टरों के निर्माण हेतु सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका: 123 समझौतों (2008)** ने भारत को अमेरिकी **परमाणु ईंधन और प्रौद्योगिकी निर्यात** को सक्षम बनाया।
- **फ्रांस: 2008 के असैन्य परमाणु समझौते** के तहत **जैतापुर परमाणु विद्युत परियोजना** पर चर्चा जारी है।

SMRs से संबंधित कुछ मुद्दे

- **निजी क्षेत्रक और लाभ उन्मुखता:** लागत कम करने के लिए सुरक्षा से समझौता किया जा सकता है।
- **पैसिव सेफ्टी को लेकर अविश्वसनीयता:** भूकंप या बाढ़ जैसी **चरम मौसमी घटनाओं** के दौरान हो सकता है पैसिव सिस्टम काम नहीं करें।
- **आर्थिक व्यवहार्यता:** बड़े रिएक्टरों की तुलना में प्रति किलोवाट-घंटे अधिक लागत।
- **रेडियोधर्मी अपशिष्ट:** SMRs द्वारा उत्पन्न उच्च-रेडियोधर्मी समस्थानिकों की मात्रा प्रति इकाई ताप के हिसाब से बड़े रिएक्टरों के समान है।
- **बड़े रिएक्टरों की तुलना में कम ईंधन दक्षता:** कुछ SMRs को **"हाई-अस्से लो एनरिच्ड यूरेनियम (HALEU)" नामक ईंधन** की आवश्यकता होती है, HALEU के लिए एक जटिल संवर्धन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष

SMRs के उपयोग को सुगम बनाने के लिए, एक **सार्वभौमिक विनियामक फ्रेमवर्क** और सार्वजनिक भागीदारी के साथ **मजबूत सुरक्षा उपाय** आवश्यक हैं। **सरकार समर्थित फर्स्ट ऑफ अ काइंड (FOAK) प्रदर्शन, तकनीकी-आर्थिक आकलन (TEA)** और **IAEA सुरक्षा उपायों** के शीघ्र एकीकरण के साथ मिलकर व्यवहार्यता और अनुपालन को बढ़ाएगा।

7.2. डीप ओशन मिशन (DEEP OCEAN MISSION)

सुर्ख़ियों में क्यों?

"मत्स्य 6000" नामक चौथी पीढ़ी की गहरे समुद्र में चलने वाली पनडुब्बी ने अपना वेट टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरा किया।

MATSYA 6000 के बारे में

- **समुद्रयान परियोजना (डीप ओशन मिशन के तहत एक परियोजना)** के तहत स्वदेशी रूप से विकसित **मानव चालक दल युक्त पनडुब्बी** है।
  - **समुद्रयान (2020-2026) का उद्देश्य वैज्ञानिक गहरे समुद्र में खोज के लिए 3 लोगों को समुद्र में 6000 मीटर** की गहराई तक ले जाने के लिए एक **सेल्फ-प्रोपेल्ड मानवयुक्त पनडुब्बी** विकसित करना है।
- इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के तहत राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT), चेन्नई द्वारा विकसित किया गया है।
- **वैश्विक महत्व:** इसके सफल लॉन्च के बाद, मानव-चालक दल युक्त समुद्र के अंदर अभियान भेजने में सक्षम **भारत छठा देश** बन गया है। अन्य पांच देश **अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन हैं।**

डीप ओशन मिशन के बारे में

- **लॉन्च:** 2021 में MoES द्वारा एक केंद्रीय क्षेत्रक की योजना के रूप में शुरू किया।
- **उद्देश्य:** गहरे समुद्र के संसाधनों की खोज करने हेतु तकनीक विकसित करना, ब्लू इकोनॉमी का समर्थन करना और जलवायु परिवर्तन एवं समुद्री प्रदूषण से निपटना।

डीप ओशन मिशन के प्रमुख घटक

- गहरे समुद्र में खनन एवं मानव चालक दल युक्त पनडुब्बी
- महासागरीय जलवायु परिवर्तन परामर्श सेवाएं
- गहरे समुद्र की जैव विविधता का अन्वेषण और संरक्षण
- गहरे महासागर का सर्वेक्षण और अन्वेषण
- महासागरों से ऊर्जा और पीने योग्य जल की प्राप्ति
- महासागर जैविकी के लिए एडवांस्ड मरीन स्टेशन

डीप ओशन मिशन का महत्व

- **सामरिक महत्व:** भारत की 7,517 किलोमीटर लंबी तटरेखा, 1382 द्वीपों और लगभग **23,72,298 वर्ग किमी के अनन्य आर्थिक क्षेत्र** के बेहतर उपयोग की संभावना है, जिसका अभी तक पूरी तरह से अन्वेषण नहीं किया गया है।
  - भारत को पॉलिमेटेलिक नोड्यूल्स (PMN) के दोहन के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण द्वारा मध्य हिंद महासागर बेसिन (CIOB) में 75,000 वर्ग किलोमीटर का स्थल आवंटित किया गया है।
- **आर्थिक प्रभाव:** GDP की संवृद्धि, बेहतर आजीविका और रोजगार सृजन के लिए **समुद्री संसाधनों का संधारणीय उपयोग** सुनिश्चित करना।
  - **निकेल, कोबाल्ट, पॉलिमेटेलिक नोड्यूल्स** और अन्य मूल्यवान गहरे समुद्र के खनिजों को लक्षित करना।
  - क्षेत्र में उपलब्ध पॉलिमेटेलिक नोड्यूल्स भंडार के केवल 10% का उपयोग करके, देश अगले 100 वर्षों के लिए अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है।
- **विज्ञान और प्रौद्योगिकी:** वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए मानव चालक दल युक्त पनडुब्बी के माध्यम से **गहरे समुद्री क्षेत्रों** का प्रत्यक्ष रूप से **अन्वेषण** को सशक्त बनाना।

डीप ओशन मिशन के समक्ष मौजूद चुनौतियां

- **उच्च दबाव:** 5000 मीटर की गहराई पर दबाव समुद्र की सतह पर दबाव से लगभग 500 गुना ज्यादा होगा; इसके लिए **टिकाऊ, दबाव को झेल सकने वाले उपकरणों** की आवश्यकता होती है।
- **तकनीकी चुनौतियां:**
  - **उपकरण संबंधी सुभेद्यता:** जल के अंदर **इलेक्ट्रॉनिक्स और उपकरणों** की कार्यक्षमता प्रभावित होती है।
  - **खनन संबंधी चुनौतियां:** समुद्र तल से संसाधनों को पंप करके सतह पर लाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
  - **संचार संबंधी सीमाएं:** जल के भीतर वेव्स बैकस्कैटरिंगम हाई एट्यूएशन,आदि के चलते **संचार की चुनौतियों का सामना** करना पड़ता है।
- **भू-राजनीतिक और सामरिक चुनौती:** गहरे समुद्र के क्षेत्रों (जैसे, दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर) में **चीन की बढ़ती उपस्थिति भारत के अन्वेषण संबंधी प्रयास** को बाधित कर सकती है।

आगे की राह

- **स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ाना:** गहरे समुद्र के संबंध में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए **समुद्री जहाजों और एकूस्टिक सिस्टंस** में निवेश करना ।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: इससे** विशेषज्ञता, **तकनीकी हस्तांतरण** और संसाधन साझाकरण करने के लिए भारत को **अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया** जैसे देशों के साथ भागीदारी करना।
- **क्वाड जैसे मंच** गहरे समुद्री अनुसंधान और खनन में समन्वित प्रयासों को बढ़ावा दे सकते हैं।
- **हिंद-प्रशांत महासागर पहल (IPOI) का उपयोग करना:** हिंद-प्रशांत महासागर पहल के तहत **समुद्री पारिस्थितिकी, संसाधन, क्षमता निर्माण और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग** पर ध्यान केंद्रित करना।

7.3. गैर-संचारी रोग (Ncd) {NON-COMMUNICABLE DSEASES (Ncd)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने गहन गैर-संचारी रोग (NCD) स्क्रीनिंग अभियान शुरू किया है।

NCDs पर स्क्रीन ड्राइव के बारे में

- इस अभियान को **राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (NP-NCD) के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (AAMs)** और देश भर में विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के माध्यम से लागू किया जाएगा।
  - **आयुष्मान भारत पहल** के अंतर्गत पहले से मौजूद ग्रामीण और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/ उप-केंद्रों को बेहतर करके **आयुष्मान आरोग्य मंदिर** स्थापित किए गए हैं।

NP-NCD के बारे में

- **पृष्ठभूमि:** NPCDCS को 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत NCDs से निपटने के लिए 21 राज्यों के 100 जिलों में 2010 में शुरू किया गया था। NP-NCD को पहले कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में जाना जाता था।
  - **12वीं पंचवर्षीय योजना:** सभी जिलों को कवर करने के लिए चरणबद्ध विस्तार का प्रस्ताव।
  - **2013-14:** राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन **(NHM)** के अंतर्गत शामिल किया गया।
- **NP-NCD के उद्देश्य:** समुदाय, नागरिक समाज, मीडिया आदि की भागीदारी से **व्यवहार संबंधी परिवर्तन के माध्यम से स्वास्थ्य को बेहतर करना।**

गैर संचारी रोगों (NCDs) के बारे में

- **परिभाषा:** ये ऐसे दीर्घकालिक (Chronic) रोग होते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में **नहीं फैलते** है।
- **मुख्य प्रकार: हृदय संबंधी रोग** (जैसे दिल का दौरा, स्ट्रोक); **कैंसर; दीर्घकालिक श्वसन रोग (जैसे क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और अस्थमा) और मधुमेह।**
  - जब ये रोग अस्वास्थ्यकर जीवन-शैली के कारण होते हैं, तो इन रोगों को **लाइफस्टाइल डिजीज या जीवन-शैली जनित रोग** भी कहा जाता है।
- **प्रकृति:** लंबे समय तक बने रहते हैं और इनके लिए **आनुवंशिक (Genetic), कायिकीय (Physiological), पर्यावरणीय (Environmental) और व्यवहारगत (Behavioral) कारक** उत्तरदायी होते हैं।

गैर-संचारी रोगों (NCDs) के लिए जोखिम कारक

व्यवहारगत जोखिम कारक	चयापचय संबंधी जोखिम कारक	पर्यावरणीय जोखिम कारक
तम्बाकू का सेवन (सेकंड हैंड धूम्रपान सहित)	रक्तचाप का बढ़ना (हाइपरटेंशन)	घर के बाहर का वायु प्रदूषण
अस्वास्थ्यकर आहार (अत्यधिक नमक, चीनी, वसा का सेवन)	अधिक वजन/ मोटापा	घर के अंदर का वायु प्रदूषण
शराब का हानिकारक उपयोग	रक्त में ग्लूकोज का उच्च स्तर (मधुमेह)	
तनाव	असंतुलित रक्त लिपिड (उच्च कोलेस्ट्रॉल)	

गैर-संचारी रोगों की व्यापकता

- **वैश्विक स्थिति:** विश्व भर में मृत्यु और दिव्यांगता का **प्रमुख कारण** हैं; **सभी मौतों में से 74%** मौतों के लिए उत्तरदायी हैं।
  - वार्षिक रूप से होने वाली सभी असामयिक NCDs मौतों के 80% से अधिक के लिए जिम्मेदार **चार प्रमुख जानलेवा कारकों में हृदय संबंधी रोग, कैंसर, दीर्घकालिक श्वसन रोग और मधुमेह शामिल हैं।**
- **भारत की स्थिति:** भारत में कुल मौतों में से 63% मौतें NCDs के कारण होती हैं।

NCDs का प्रभाव

- **बच्चों की शिक्षा पर:** बचपन में NCDs के कारण बच्चों की शिक्षा **1.2 से 4.2 वर्ष** तक पिछड़ सकती है।
- **अत्यधिक आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च:** भारत में कई NCD रोगियों के लिए सबसे बड़ा खर्च इलाज हेतु **यात्रा संबंधी व्यय** है।
- **जीवन प्रत्याशा:** शिक्षा के निम्न स्तर वाले 15 वर्ष की आयु वाले व्यक्तियों में जीवन प्रत्याशा सबसे कम होती है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों में 30-69 वर्ष की आयु के दौरान NCDs के संपर्क में आने के कारण मृत्यु दर अधिक होती है।
- **आर्थिक लागत:** WHO के अनुसार **2030 तक 280 लाख करोड़ रुपये** से अधिक हो जाएगा।
- **गरीबी: परिवारों के स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च बढ़ने** से निम्न-आय वाले देशों में NCDs गरीबी उन्मूलन संबंधी प्रयासों को बाधित कर रहे हैं।
- **जेंडर आधारित प्रभाव:** महिलाओं में NCDs की व्यापकता प्रति 1,000 पर 62 है, जबकि पुरुषों में यह प्रति 1,000 पर 36 है।
- **अन्य प्रभाव:** इससे **मानव पूंजी में गिरावट, अस्वस्थ श्रमबल, राजस्व की हानि,** आदि शामिल है।

NCDs को नियंत्रित करने हेतु शुरू की गई पहलें

- **वैश्विक स्तर पर**
  - **SDG लक्ष्य 3.4 (2030 तक NCDs के कारण होने वाली असामयिक मृत्यु दर को एक-तिहाई** तक कम करना)
  - **WHO वैश्विक कार्य-योजना:** NCDs के नियंत्रण के लिए इसे **2013-2020 से बढ़ाकर 2030** तक किया गया है।
  - **वैश्विक NCDs कॉम्पैक्ट 2020-2030:** NCDs की रोकथाम में तेजी लाने के लिए WHO के नेतृत्व वाला प्रयास।
- **भारत में शुरू की गई पहलें:**
  - **अमृत योजना:** कैंसर, CVDs आदि के उपचार के लिए **किफायती दवाएं** उपलब्ध कराना।
  - **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (1982): बुनियादी मानसिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच** सुनिश्चित करना।
  - **राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) 2007-08: तम्बाकू के सेवन के बारे में जागरूकता** उत्पन्न करके तंबाकू उत्पादों के सेवन को कम करना।
  - **अन्य:** फिट इंडिया मूवमेंट (2019), ईट राइट इंडिया (FSSAI), राष्ट्रीय मुख संबंधी स्वास्थ्य कार्यक्रम, **वृद्धजनों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPHCE),** आदि।

निष्कर्ष

NCDs की रोकथाम और नियंत्रण करने, स्वास्थ्य, वित्त और सामाजिक नीतियों को एकीकृत करने के लिए एक **व्यापक, बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण** आवश्यक है। **प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा** को मजबूत करना, **डिजिटल स्वास्थ्य हस्तक्षेप** का लाभ उठाना और तम्बाकू, नमक और चीनी पर कर को बढ़ाना जैसे **राजकोषीय साधनों** का उपयोग करना जोखिम संबंधी कारकों को काफी कम कर सकता है।

7.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS)

7.4.1. यूरोपीय संघ का AI अधिनियम लागू हुआ (EU AI ACT BECOMES APPLICABLE)

यूरोपीय संघ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अधिनियम के तहत AI साक्षरता और प्रतिबंधित प्रणालियों पर नियम लागू हो गए।

यूरोपीय संघ का AI अधिनियम के बारे में

- **उत्पत्ति:** AI पर पहला कानूनी फ्रेमवर्क है, **2024 में आंशिक रूप से लागू हो गया तथा 2026 तक पूरी तरह से लागू** किया जाएगा।
- **अप्रोच:** जोखिम-आधारित विनियमन- जोखिम के स्तर के अनुसार AI पर अलग-अलग नियम लागू करता है।
- **निषेध:** अधिनियम में **नैतिकता, सुरक्षा और पारदर्शिता** के महत्त्व पर जोर देते हुए AI के लिए निषिद्ध कार्यों की सूची दी गई है (चित्र देखें)।

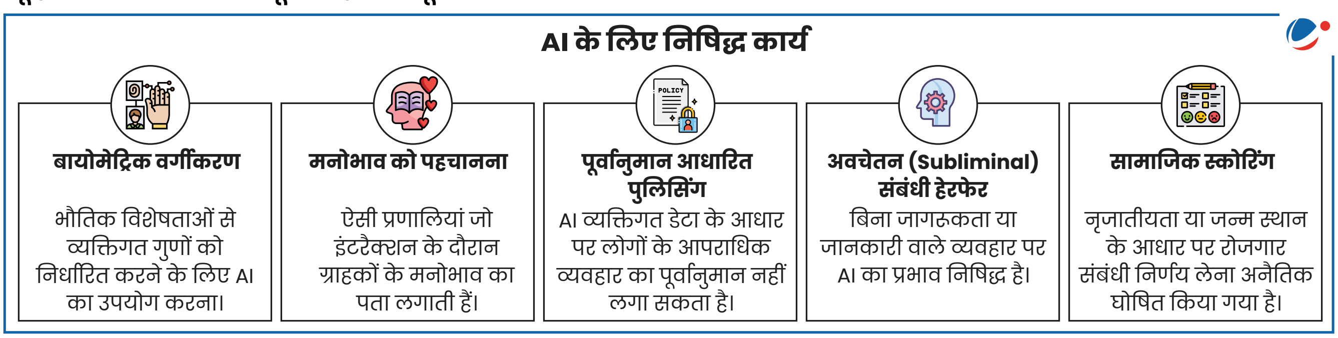

AI अधिनियम के प्रभाव

- **वैश्विक प्रभाव:**
  - **मानव-केंद्रित फोकस:** मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है, भेदभाव को रोकता है, आदि।
  - **AI विनियमन के लिए वैश्विक बेंचमार्क:** अन्य देशों को यूरोपीय संघ के मानकों के अनुरूप ढांचे को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- **भारत पर प्रभाव:**
  - **जोखिम-आधारित विनियमन:** भारत AI अनुप्रयोगों को उनके संभावित सामाजिक प्रभाव के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है।
  - **वैश्विक मानकों के साथ संरेखण:** अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित करने से वैश्विक सहयोग और भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ा सकता है।

7.4.2. फसलों के जर्मप्लाज्म भंडारण के लिए जीन बैंक (GENE BANK FOR CROPS GERMPLASM)

केंद्रीय बजट 2025-26 में खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए **दस लाख जर्मप्लाज्म भंडारण के साथ दूसरे राष्ट्रीय जीन बैंक** की घोषणा की गई।

- **जीन बैंक विलुप्त होने से बचाने** के लिए फसल **आनुवंशिक सामग्री** (बीज, पराग, ऊतक) का भंडार है।

प्रथम राष्ट्रीय जीन बैंक

- **स्थापना: 1996** में **ICAR-NBPGR** द्वारा नई दिल्ली में की गई थी।
- **संरचना:** फसल **जर्मप्लाज्म** के **संग्रह और भंडारण** के लिए **12 क्षेत्रीय स्टेशन** शामिल हैं।
- **उपयोग: अनुसंधान, संरक्षण, क्रॉप ब्रीडिंग** में किया जाता है।

7.4.3. चीन के EAST ने संलयन अभिक्रिया में नया रिकॉर्ड बनाया (CHINA'S EAST CREATES NEW RECORD IN FUSION REACTION)

- चीन के एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपरकंडक्टिंग टोकामक (EAST) ने संलयन अभिक्रिया में नया रिकॉर्ड बनाया।
- **EAST (कृत्रिम सूर्य)** ने **100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान पर 1000+ सेकंड के लिए स्टेडी-स्टेट प्लाज्मा** को बनाए रखा।
- टोकामक एक ऐसी मशीन है, जो संलयन की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके **प्लाज्मा को डोनट के आकार में सीमित** कर देती है।

नाभिकीय संलयन के लाभ

- **प्रचुर मात्रा में और किफायती ईंधन: ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, हाइड्रोजन** आदि का उपयोग किया जाता है।
- **पर्यावरण के अनुकूल: शून्य-उत्सर्जन, कोई ग्रीनहाउस गैस** नहीं।
- **सुरक्षित और स्वच्छ: हीलियम और अल्पकालिक ट्रिटियम** का उत्पादन करता है, कोई **लंबे समय तक रहने वाला रेडियोधर्मी परमाणु अपशिष्ट** उत्पन्न नहीं होता है।

नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन

- नाभिकीय संलयन वह प्रक्रिया है, जिसमें दो हल्के परमाणु नाभिक आपस में मिलकर एक भारी परमाणु नाभिक का निर्माण करते हैं। इसके परिणामस्वरूप, बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है।
- नाभिकीय विखंडन एक भारी तत्व (उच्च परमाणु द्रव्यमान संख्या) को खंडों में विभाजित करता है। इससे अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है।
- नाभिकीय विखंडन की तुलना में नाभिकीय संलयन से अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है।

परमाणु संलयन में चुनौतियां

- **अत्यधिक तापमान की आवश्यकता:** संलयन के लिए करोड़ों डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है।
- **प्लाज्मा नियंत्रण:** प्लाज्मा अस्थिर है और इसे प्रबंधित करना कठिन है।
- **मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट:** प्लाज्मा को रिएक्टर की दीवारों के संपर्क से बचाने के लिए मजबूत चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग होती है।

7.4.4. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने श्रीहरिकोटा से 100वें रॉकेट का प्रक्षेपण किया {100th LAUNCH OF THE INDIAN SPACE RESEARCH ORGANISATION (ISRO) FROM SRIHARIKOTA}

आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV-F15 यान से NVS-02 सैटेलाइट को भू-तुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा में स्थापित किया।

- **NVS-02 NVS** सीरीज का दूसरा **सैटेलाइट** है। यह **नेविगेशन विद इंडियन कांस्टेलेशन यानी NavIC** का हिस्सा है।

NavIC क्या है?

- **इसके बारे में:** यह इसरो द्वारा प्रक्षेपित **"क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली"** है। इसे पहले **भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली (IRNSS)** कहा जाता था।
- **NavIC उपग्रह समूह: 7 उपग्रह** - 3 उपग्रह भूस्थिर कक्षा में, **4 उपग्रह** झुकाव वाली भू-तुल्यकालिक कक्षा में।
- **NavIC द्वारा प्रदत्त सेवाएं:** नागरिकों के लिए मानक अवस्थिति सेवा (SPS), सामरिक या सुरक्षा से संबंधित एजेंसियों के लिए निषिद्ध सेवा।
- **कवरेज क्षेत्र:** भारत और **भारतीय सीमा से 1500 किलोमीटर तक का विस्तारित क्षेत्र।**
- **सटीकता:** मानक अवस्थिति सेवा **दूरी के मामले में 20 मीटर जितनी नजदीकी सटीकता** और **समय के मामले में 40 नैनो सेकंड की सटीकता।**
- **अन्य नेविगेशन प्रणालियां: GPS** (संयुक्त राज्य अमेरिका), ग्लोनास (रूस), गैलीलियो (यूरोपीय संघ) और बेईदोउ (चीन) के साथ-साथ इंटर-ऑपरेबल SPS सिग्नल।

7.4.5. चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत मानचित्रण (FIRST DETAILED MAPPING OF MOON'S SOUTH POLE)

चंद्रयान-3 डेटा से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्रण किया गया है।

चंद्रयान-3 के बारे में

- **उद्देश्य:** चंद्रयान-2 के बाद का अगला मिशन, जो चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और रोवर के सफलतापूर्वक संचालन की पूर्ण क्षमता का प्रदर्शन करना था।
- **लैंडर और रोवर:** विक्रम और प्रज्ञान,
- यह चंद्रमा के उच्च अक्षांशीय ध्रुवीय क्षेत्र में लैंड करने वाला **पहला मिशन** था।
- सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना।

चंद्रयान-3 द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के अन्वेषण से जुड़े प्रमुख निष्कर्ष

- **भू-भाग के प्रकार:** ऊंचे-ऊंचे उतार-चढ़ाव वाले भू-दृश्य और समतल मैदान।

- **सब्सर्फेस मैग्मा ओशन की पुष्टि:** इससे पिघले हुए लावा के प्राचीन विशाल भंडार की पुष्टि होती है, जो **पूरे चंद्रमा में फैला** हुआ है।
- **चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र की आयु:** इसे लगभग 3.7 बिलियन वर्ष पुराना माना गया है, जब पृथ्वी पर सूक्ष्मजीवों का उद्भव हुआ था।
- **पृथ्वी के साथ एक समान उत्पत्ति: भू-रासायनिक समानताएं** इस सिद्धांत का समर्थन करती हैं कि चंद्रमा और पृथ्वी लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पहले एक बड़े टकराव के बाद एक ही पिघले हुए पदार्थ से उत्पन्न हुए थे।

चंद्रमा के क्रेटरों का महत्त्व

- चंद्रमा के क्रेटर करोड़ों वर्षों से संरक्षित हैं, क्योंकि वहां वायुमंडलीय अपरदन नहीं होता है।
- ये चंद्रमा के शुरुआती इतिहास के महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करते हैं और अन्य ग्रहों की **भूगर्भीय विशेषताओं का समय निर्धारण करने में सहायता** करते हैं।
- चंद्र क्रेटर **टाइम-कैप्सूल** की तरह होते हैं, जो **अंतरिक्ष से चट्टान या पिंडों के टकराव के रिकॉर्ड को संरक्षित** रखे हुए हैं।

7.4.6. नासा ने चंद्रमा पर जल का पता लगाने के लिए सैटेलाइट लॉन्च की (NASA LAUNCHES SATELLITE TO DETECT WATER ON THE MOON)

स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट ने **नासा के लूनर ट्रेलब्लेज़र ऑर्बिटर** को सेकेंडरी पेलोड के रूप में लॉन्च किया।

- **प्राथमिक पेलोड इंट्यूटिव मशीन का लूनर लैंडर मिशन (IM-2)** था।
- **IM-2 का उद्देश्य** जल की खोज के लिए चंद्रमा की सतह के नीचे खुदाई करना है।

लूनर ट्रेलब्लेज़र मिशन के बारे में

- **उद्देश्य: लगभग 100 किमी.** की ऊंचाई पर चंद्रमा की परिक्रमा करेगा और **जल के स्वरूप, वितरण एवं उपलब्धता** का पता लगाने के लिए **हाई-रिज़ॉल्यूशन वाली तस्वीरें** एकत्र करेगा।
- **महत्त्व: जल संसाधनों** का पता लगाने और निकालने के लिए भविष्य के **मानव मिशनों** को गाइड करना।

चंद्रमा पर मौजूद जल का महत्त्व:

- **पीने योग्य पानी की आपूर्ति:** पीने योग्य पानी में परिवर्तित किया जा सकेगा।
- **ऑक्सीजन:** सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में परिवर्तित किया जा सकेगा।
- **रॉकेट ईंधन: हाइड्रोजन ईंधन** प्राप्त किया जा सकेगा।
- **अंतरिक्ष का अन्वेषण: मंगल ग्रह** सहित डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन को संभव बनाएगा।

7.4.7. मंगल ग्रह का लाल रंग (RED COLOR OF MARS)

नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन ने मंगल ग्रह के लाल रंग के बारे में लंबे समय से चली आ रही धारणा को चुनौती दी है।

मंगल ग्रह (लाल ग्रह) के लाल रंग के बारे में नए अध्ययन के निष्कर्ष

- **पूर्व के अध्ययन:** मंगल ग्रह के लाल रंग का कारण एनहायड्रस हेमेटाइट को बताया गया था। यह अपक्षय संबंधी गतिविधियों के परिणामस्वरूप निर्मित हुआ था।
- **नए अध्ययन: फेरिहाइड्राइट (Fe5O8H • nH2O)** न मंगल ग्रह की धूल में मौजूद मुख्य लौह ऑक्साइड है।
  - यह ऑक्सीडेटिव दशाओं के तहत मंगल पर शुरुआत में एक **ठंडी, नम अवधि** के दौरान बना था।
  - इससे पता चलता है कि शुष्क रेगिस्तान बनने से पहले मंगल पर जल मौजूद था।

7.4.8. लोअर-सोडियम साल्ट सब्स्टिट्यूट्स (LOWER-SODIUM SALT SUBSTITUTES: LSSS)

WHO के **पोषण और खाद्य सुरक्षा विभाग (NFS)** ने 'लोअर-सोडियम साल्ट सब्स्टिट्यूट्स' के उपयोग पर अपने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

लोअर-सोडियम साल्ट सब्स्टिट्यूट्स (LSSS) के बारे में

- **घटक:** साधारण नमक की तुलना में इसमें सोडियम की मात्रा कम; अक्सर साधारण नमक जैसे स्वाद के लिए **पोटेशियम क्लोराइड** का उपयोग किया जाता है।
- **लाभ:**
  - **सोडियम का कम सेवन:** इससे सोडियम सेवन को **2 ग्राम प्रतिदिन से कम** रखने में मदद मिलती है।
  - **स्वास्थ्य लाभ: ब्लड प्रेशर** और **CVDs** जोखिम को कम करता है।
- **चिंताएं:**
  - **पोटेशियम जोखिम: किडनी की समस्या** वाले लोगों में **हाइपरकलेमिया** का कारण बन सकता है।

7.4.9. शतावरी (SHATAVARI)

आयुष मंत्रालय ने **"शतावरी- बेहतर स्वास्थ्य के लिए"** नामक अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य शतावरी के स्वास्थ्य संबंधी लाभों के बारे में जागरुकता बढ़ाना है।

शतावरी (Asparagus racemosus) के बारे में

- **शतावरी का अर्थ** है "सौ रोगों का इलाज करने वाली"।
- **विवरण:** यह एक **औषधीय पादप** है, जो **1-2 मीटर** ऊंचाई तक बढ़ता है।
- **उपयोग: सूखी जड़ें और पत्तियां** आयुर्वेदिक औषधि में मुख्य तत्व हैं।
- **पर्यावास: उष्णकटिबंधीय जलवायु** और **कम ऊंचाई** वाले छायादार स्थान।
- **वितरण: एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका** में पाया जाता है।
- **स्वास्थ्य संबंधी लाभ:**
  - **महिला जनन स्वास्थ्य** और **हार्मोनल संतुलन** बनाए रखने में सहायक है।
  - **अल्सर को ठीक करने** में मदद करता है, **ऊर्जा व दीर्घायु** को बढ़ावा देता है, रोग **प्रतिरोधक क्षमता (Immunity)** को मजबूत करता है, और **तंत्रिका संबंधी विकारों** के उपचार में लाभदायक है।

7.4.10. भारत टेक ट्रायम्फ प्रोग्राम (BHARAT TECH TRIUMPH PROGRAM)

भारत में डिजिटल और ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देने के लिए भारत टेक ट्रायम्फ प्रोग्राम शुरू किया गया है।

भारत टेक ट्रायम्फ प्रोग्राम के बारे में:

- इसे **इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल (IEIC)** ने **सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB)** की साझेदारी में शुरू किया है।
- **उद्देश्य:** अंतर्राष्ट्रीय मंच पर **भारत के गेमिंग टैलेंट को पहचानना और प्रदर्शित** करना।
- **महत्व:** यह **भारतीय इनोवेटर्स** को अपनी विशेषज्ञता प्रदर्शित करने और अंतर्राष्ट्रीय गेमिंग उद्योग में भारत की भागीदारी बढ़ाने के लिए **एक वैश्विक मंच** प्रदान करेगा।

संस्कृति (CULTURE)

8.1. ज्ञान भारतम मिशन (GYAN BHARATAM MISSION)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत की **पांडुलिपि विरासत के सर्वेक्षण, दस्तावेज़ीकरण और संरक्षण** के लिए ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की गई।

पांडुलिपियां क्या होती हैं?

- पांडुलिपियां **कागज, वृक्ष की छाल, ताड़ के पत्ते** आदि पर लिखी गई कम-से-कम 75 वर्ष पुरानी **हस्तलिखित रचनाएं** होती हैं। इनका वैज्ञानिक, ऐतिहासिक या सौंदर्यात्मक दृष्टि से काफी महत्त्व होता है।
- **लिथोग्राफ्स** (प्रस्तर पर चित्र उकेर कर उसे कागज पर छापने की प्रक्रिया) और **प्रिंटेड वॉल्यूम (मुद्रित ग्रंथ)** को पांडुलिपि नहीं माना जाता है।
- पांडुलिपियों की विषय-वस्तु **इतिहास, धर्म, साहित्य, ज्योतिष और कृषि पद्धतियां** आदि हो सकती हैं।
- भारत में लगभग **10 मिलियन पांडुलिपियां** उपलब्ध हैं। ये **80 प्राचीन लिपियों** में लिखी गई हैं। इनमें से **75% संस्कृत में और 25% क्षेत्रीय भाषाओं** में हैं।

ज्ञान भारतम मिशन के बारे में

- **मुख्य घटक:** पांडुलिपियों की विरासत का **संरक्षण** करना तथा वैश्विक स्तर पर **राष्ट्रीय डिजिटल रिपॉजिटरी का निर्माण** करना।
- **नोडल मंत्रालय:** केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय।

भारत में पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए की गई अन्य पहलें

- **राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन (NMM):** इसकी शुरुआत **2003 में पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय** द्वारा पांडुलिपियों का संरक्षण करने के लिए की गई थी।
- **नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, कोलकाता:** यहां लगभग **3,600** दुर्लभ और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण पांडुलिपियां हैं।
- **एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल:** इसे **15 जनवरी, 1784 को सर विलियम जोन्स** ने स्थापित किया था। यह संस्था प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करती है।
- **भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार:** राष्ट्रीय अभिलेखागार (NAI) में भारत सरकार के प्राचीन अभिलेखों का भंडार है। इसमें भारत की प्रमुख हस्तियों के निजी कागजात भी मौजूद हैं।
- **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र:** यह भारतीय कला और संस्कृति के लिए एक मुख्य संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करता है।

भारत की कुछ महत्वपूर्ण पांडुलिपियां	**लेखक**
नाट्य शास्त्र	भरत मुनि
महाभारत	व्यास
महाभाष्य	पतंजलि
प्रयोग-रत्नमाला व्याकरण	पुरुषोत्तम विद्यावागीश
अर्थशास्त्र	चाणक्य
आर्यभटीय	आर्यभट्ट
ब्रह्मस्फुटसिद्धान्त	ब्रह्मगुप्त
सुश्रुत संहिता	सुश्रुत
अष्टाध्यायी	पाणिनि
राजतरंगिणी	कल्हण
गीत गोविंद	जयदेव

इस मिशन का महत्त्व

- यह संविधान के **अनुच्छेद 51A(f) 'भारत की गौरवशाली विरासत का संरक्षण करना'** के उद्देश्य को पूरा करता है।
- **अज्ञात पांडुलिपि भंडारों का पता लगाना** तथा उनकी डिजिटल सूची तैयार करना।
- पांडुलिपि अध्ययन के विभिन्न पहलुओं में **विशेषज्ञों और विद्वानों का एक रिसोर्स पूल** बनाना।
- **दुर्लभ ग्रंथों तक व्यापक पहुंच प्रदान करना और सहयोगात्मक अनुसंधान की सुविधा** प्रदान करना।

पांडुलिपि संरक्षण में चुनौतियां

- **पर्यावरणीय कारक,** विशेषकर भारत की विविध जलवायु।

- **जागरूकता की कमी और सांस्कृतिक उपेक्षा:** पांडुलिपियों में संग्रहित महत्वपूर्ण पारंपरिक ज्ञान को अक्सर अधिक महत्त्व नहीं दिया जाता है।
- **बुनियादी ढांचे की कमी:** पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित पेशेवरों और संग्रहण की कमी है।
- **भाषाई और लिपि संबंधी विविधता:** इससे उनका ट्रांसक्रिप्शन और संरक्षण करना कठिन हो जाता है।

आगे की राह

- डिजिटल संरक्षण तकनीक;
- 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग;
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग (इनपेंटिंग एल्गोरिदम) आदि।

8.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS)

8.2.1. विजय दुर्ग (फोर्ट विलियम) {VIJAY DURG (FORT WILLIAM)}

हाल ही में, कोलकाता स्थित **फोर्ट विलियम** का नाम बदलकर **विजय दुर्ग** कर दिया गया।

विजय दुर्ग (फोर्ट विलियम) के बारे में

- इसका नाम **इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय** के नाम पर रखा गया था।
- इसका **विजय दुर्ग नाम महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग तट पर स्थित प्राचीनतम किले के सम्मान** में किया गया है।
- यह **हुगली नदी** के तट पर अवस्थित है।
- **ब्लैक होल त्रासदी 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम** में हुई थी, जब **बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला** ने ब्रिटिश कैदियों को रात भर के लिए बंद कर दिया था।

8.2.2. टी हॉर्स रोड (TEA HORSE ROAD: THR)

हाल ही में, भारत में चीन के राजदूत ने **ऐतिहासिक टी हॉर्स रोड (THR) के बारे में एक्स (ट्विटर) पर पोस्ट** किया।

टी हॉर्स रोड (THR) के बारे में

- यह **मार्ग तिब्बत के माध्यम से भारत को चीन** से जोड़ता था। (यह रेशम मार्ग जितना प्रसिद्ध नहीं था)
- यह **दक्षिणी-पश्चिमी चीन से शुरू होकर भारतीय उपमहाद्वीप तक** कई शाखाओं वाला नेटवर्क था।
- **घोड़ों (टट्टुओं और खच्चरों) की गाड़ियों और मानवीय पोर्टर** के माध्यम से परिवहन।
- दो मुख्य मार्ग **डाली और लिजियांग (युन्नान प्रांत)** जैसे शहरों से होकर **ल्हासा** (तिब्बत) तक जाते थे। इसके बाद ये **भारत, नेपाल और बांग्लादेश** में बंट जाते थे।
- **उत्पत्ति:** चीन में **तांग राजवंश (618-907 ई.पू.)** के दौरान।
- यह कई **शताब्दियों तक एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग** रहा।

टी हॉर्स रोड

8.2.3. तांत्रिक बौद्ध धर्म (TANTRIC BUDDHISM)

ओडिशा के रत्नागिरी में 1,500 वर्ष से अधिक पुरानी **1.4 मीटर लंबी बुद्ध प्रतिमा का सिर** और कुछ स्तूप मिले हैं। ये सभी साक्ष्य प्राचीन **तांत्रिक बौद्ध धर्म के केंद्र** की पुष्टि करते हैं।

- **बौद्ध धर्म के तीन मुख्य संप्रदाय हैं: थेरवाद** (रूढ़िवादी बौद्ध धर्म), **महायान** (ज़ेन और प्योर लैंड), और **वज्रयान** (तिब्बती बौद्ध धर्म)।
- **गुरु पद्मसंभव (गुरु रिनपोछे/ द्वितीय बुद्ध)** ने 8वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास **तिब्बत में वज्रयान** बौद्ध धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

तांत्रिक बौद्ध धर्म का विकास

- तांत्रिक बौद्ध धर्म निर्वाण प्राप्ति के लिए बौद्ध दर्शन को केवल सिद्धांत तक सीमित रखने की बजाय साधना (प्रयोगात्मक विधियों) पर बल देता है।
  - वज्रयान/ तांत्रिक बौद्ध, चिकित्सा के गुप्त ज्ञान और सामाजिक कार्यों के परिवर्तन से जुड़ा हुआ है तथा मुख्य रूप से **भूटान, मंगोलिया, नेपाल और तिब्बत** में फैला हुआ है।
  - **सबसे पहले महायान बौद्ध संप्रदाय में मंत्रोच्चार और अनुष्ठानों** की शुरुआत हुई थी। इससे **मंत्रयान (आरंभिक तांत्रिक बौद्ध धर्म) और पारमिता-यान** दो शाखाएं विकसित हुई थीं।

8.2.4. पद्म पुरस्कार (PADMA AWARDS)

गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर **पद्म पुरस्कार 2025** की घोषणा की।

पद्म पुरस्कारों के बारे में

- ये पुरस्कार **1954 में शुरू** किए गए थे। ये देश के **सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक** हैं।
- ये **राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में तीन निम्नलिखित श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं:**
  - **पद्म विभूषण: असाधारण और विशिष्ट सेवा** के लिए;
  - **पद्म भूषण: उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा** के लिए; तथा
  - **पद्मश्री: किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा** के लिए।
- ये पुरस्कार **विविध विषयों** में दिए जाते हैं। जैसे- **कला, सामाजिक कार्य, लोक कार्य, विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा** आदि।
- **1978, 1979 तथा 1993 से 1997 के बीच के व्यवधानों** को छोड़कर, हर वर्ष **गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या** पर पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के नामों की घोषणा की जाती है।
- पद्म पुरस्कार **सिर्फ एक सम्मान** है। इनके साथ कोई नकद भत्ता या यात्रा में रियायत जैसी **कोई सुविधा नहीं जुड़ी** है।

8.2.5. साहित्य अकादमी पुरस्कार (SAHITYA ACADEMY AWARD)

हाल ही में, **चमन अरोड़ा** को उनकी पुस्तक **"इक होर अश्वथामा"** के लिए **डोगरी** में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया।

- डोगरी **जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों** में बोली जाने वाली भाषा है।

साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में

- **उत्पत्ति: साहित्य अकादमी** द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत **1954** में की गई थी। यह केंद्रीय **संस्कृति मंत्रालय** के तहत एक **स्वायत्त** निकाय है।
    - पहला **पुरस्कार 1955** में दिया गया था।
- यह प्रमुख **भारतीय भाषाओं में प्रकाशित साहित्यिक दृष्टि से सबसे उत्कृष्ट रचनाओं** के लिए दिया जाता है।
- इसमें **संविधान की अनुसूची VIII के तहत सूचीबद्ध 22 भाषाएं तथा अंग्रेजी व राजस्थानी** शामिल हैं।
- पुरस्कार एक **मंजूषा** के रूप में होता है। इसमें एक **उत्कीर्ण तांबे की पट्टिका होती है और 1,00,000/- रुपये नकद** दिए जाते है।

8.2.6. भारतीय भाषा पुस्तक योजना (BHARATIYA BHASHA PUSTAK SCHEME)

वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2025-26 में **भारतीय भाषा पुस्तक योजना** शुरू करने की घोषणा की।

भारतीय भाषा पुस्तक योजना के बारे में

- **उद्देश्य:** शैक्षणिक संस्थानों के लिए **भारतीय भाषाओं की पुस्तकों को डिजिटल रूप में उपलब्ध** कराना। इससे विद्यार्थियों को अपने विषयों को समझने में मदद मिलेगी।
- यह योजना **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 के अनुरूप** है। इसके तहत **स्कूलों और विश्वविद्यालयों में डिजिटल फॉर्मेट में पाठ्य-पुस्तकों और अध्ययन सामग्री** पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- यह योजना **'अस्मिता/ ASMITA** (ऑग्मेंटिंग स्टडी मटेरियल्स इन इंडियन लैंग्वेजेज थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग) पहल पूरक है। इसका उद्देश्य **अगले पांच वर्षों में 22 भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें** प्रकाशित करना है।

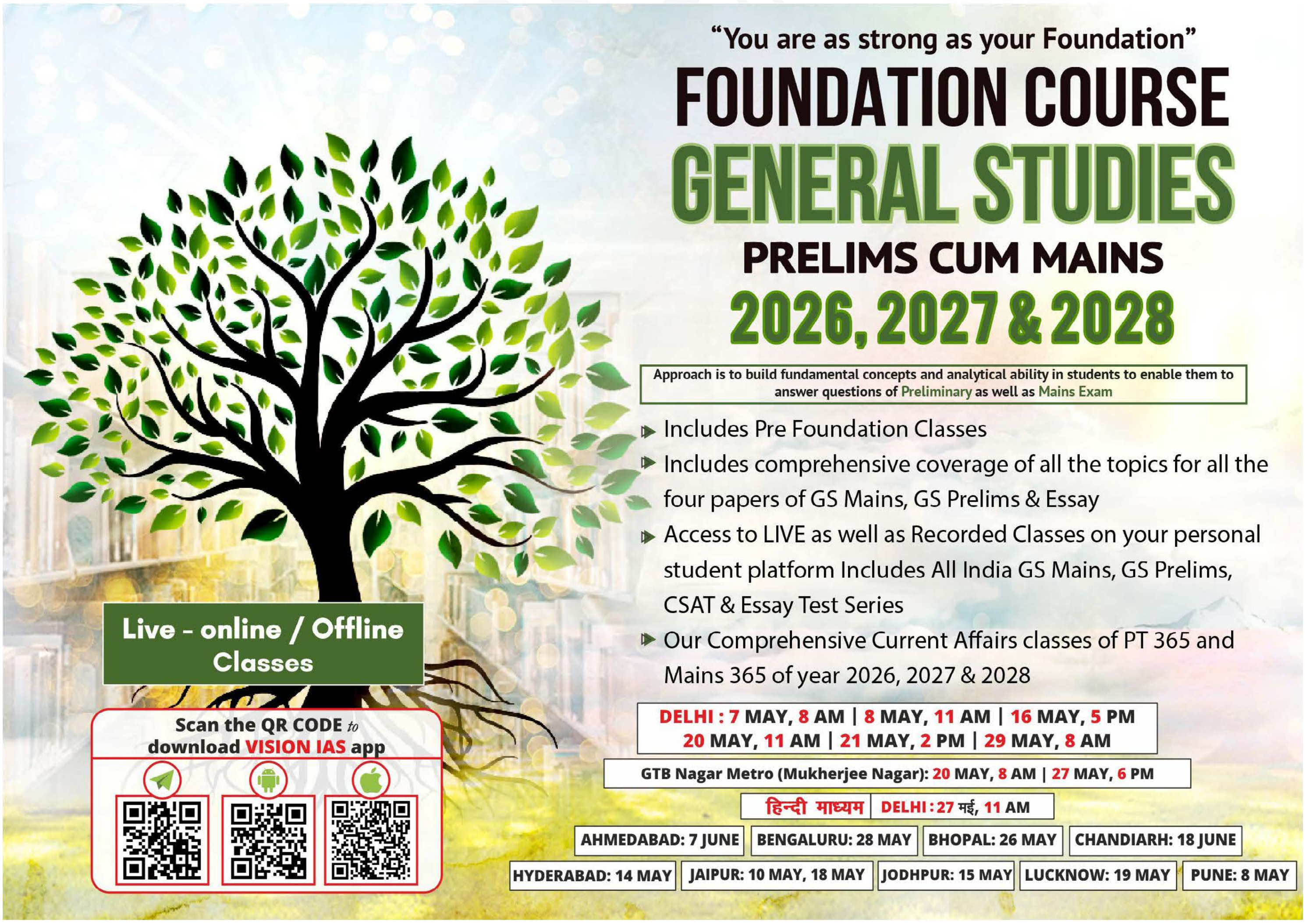

9.1 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता (Obscenity on Digital Platforms)

परिचय

सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूब पर अश्लील टिप्पणियों से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अश्लील ऑनलाइन कंटेंट पर प्रतिबन्ध के बीच संतुलन स्थापित करते हुए विनियामक उपायों को लागू करने का आग्रह किया है। **सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने** OTT प्लेटफॉर्म को **प्रतिबंधित कंटेंट के खिलाफ चेतावनी दी और उन्हें IT नियम, 2021 के अनुसार आयु-आधारित वर्गीकरण का** पालन करने का निर्देश दिया है।

अश्लीलता (Obscenity) क्या है?

- 'अश्लील' का मतलब है ऐसी चीजें जो देखने या सुनने में बहुत बुरी लगें या जिनका मकसद लोगों को सेक्सुअली उत्तेजित करना हो।

डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट स्ट्रीमिंग में प्रमुख हितधारक

- **कंटेंट क्रिएटर और कलाकार: रचनात्मक स्वतंत्रता** बनाए रखना, आय अर्जित करना।
- **डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म:** कानून का पालन सुनिश्चित करना, अत्यधिक सेंसरशिप के बिना उपयोगकर्ताओं का संरक्षण करना।
- **सरकार और विनियामक संस्था:** कानूनों को परिभाषित और लागू करना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सार्वजनिक नैतिकता के साथ संतुलित करना।
- **समाज:** न्यूनतम प्रतिबंध के साथ वांछित कंटेंट तक पहुंच, बच्चों का संरक्षण

डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अश्लीलता को रोकने की आवश्यकता क्यों है?

- **सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण:** अनियंत्रित अश्लील कंटेंट नैतिक चरित्र को कमजोर करता है
- **मानव गरिमा की रक्षा:** लोगों को कामुक रुचि की वस्तु समझने वाले कंटेंट गरिमा के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं।
- **अश्लीलता के सामान्यीकरण से बचना:** मिल का हानि सिद्धांत सुझाव देता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से समाज को हानि नहीं होनी चाहिए।
- **प्लेटफार्मों की नैतिक जिम्मेदारी:** उपयोगितावादी दृष्टिकोण यह है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन बनाना चाहिए।
- **संवैधानिक नैतिकता को कायम रखना:** अनुच्छेद 19(2) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है।

अश्लील डिजिटल कंटेंट को विनियमित करने में नैतिक मुद्दे

- **अस्पष्टता और व्यक्तिपरकता:** सदाचार और नैतिकता समय और क्षेत्र के अनुसार बदलती रहती है।
- **सेंसरशिप बनाम उचित प्रतिबंध:** अत्यधिक विनियमन रचनात्मकता को प्रभावित कर सकता है।
- **बदलते सामाजिक मानदंड:** अश्लीलता एक सांस्कृतिक अवधारणा है जो समय के साथ बदलती रहती है। (जैसे, प्राचीन मंदिर की मूर्तियां बनाम आधुनिक मानक)
- **बदलती सत्ता:** प्रश्न उठता है कि यह तय करने का अधिकार किसे होगा कि कौन सा कंटेंट स्वीकार्य है?
- **एजेंसी और संरक्षकवाद:** संरक्षण और उपयोगकर्ता की स्वायत्तता के सम्मान के बीच तनाव।
- **अश्लीलता का विनियमन बनाम कलात्मक स्वतंत्रता:** सेंसरशिप और रचनात्मक अभिव्यक्ति के बीच संतुलन बनाना।

अश्लीलता वाले कंटेंट पर प्रतिबंध के संबंध में कानून और नैतिकता के बीच संघर्ष

भारतीय विधानों में अश्लीलता पर कानूनी प्रतिबंध और बदलते नैतिक मानकों के बीच संघर्ष एक जटिल चुनौती के रूप में उभरा है

स्पष्ट परिभाषा के बिना कानूनी फ्रेमवर्क

- **भारतीय न्याय संहिता (BNS)** और IT अधिनियम 2000 (धारा 67), दोनों ही अश्लील कंटेंट पर प्रतिबंध लगाते हैं।
- **IT नियम 2021 में** आपत्तिजनक (सेक्सुअल/ न्यूडिटी) कंटेंट एक्सेस के लिए आयु-सीमा निर्धारित करना अनिवार्य किया गया है।
- **सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, केबल टीवी अधिनियम** और महिलाओं का अशिष्ट चित्रण अधिनियम में अतिरिक्त विनियम मौजूद हैं।
- **आपराधिक कानून या संविधान में अश्लीलता से संबंधित कंटेंट की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है,** जिसके कारण व्यक्तिपरक व्याख्या की गुंजाइश बनी रहती है।

विकसित होती न्यायिक व्याख्या

- न्यायिक समझ **हिकलिन टेस्ट (1964) से सामुदायिक मानक परीक्षण (2014) में स्थानांतरित हुई है।**
- सामुदायिक मानकों को परिभाषित करना, **उनकी बदलती प्रकृति के कारण चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।**
- **न्यायमूर्ति पटेल ने कहा कि केवल अश्लील भाषा** ही अश्लीलता नहीं है।
- **एक ही अपराध के लिए कई FIR दर्ज होने** से आरोपी का उत्पीड़न किया जा सकता है और निष्पक्ष बचाव के अधिकार को कमजोर किया जा सकता है।

आगे की राह

- भारत की सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए अश्लीलता से संबंधित स्पष्ट एवं सुसंगत दिशा-निर्देश निर्धारित करना।
- OTT कंटेंट, डिजिटल समाचार और उभरती तकनीकों को विनियमित करने के लिए एक ब्रॉडकास्टिंग विधेयक लाया जाना चाहिए।
- सामाजिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करने वाली स्व-विनियमन और नैतिक स्टोरीटेलिंग को बढ़ावा देना चाहिए।
- युवा शिक्षा के लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम लागू करना चाहिए।

निष्कर्ष

अश्लीलता संस्कृतियों और समय के अनुसार बदलती रहती है, जिसके लिए कानूनी स्पष्टता, स्व-नियमन, जन जागरूकता और वैश्विक सहयोग अनिवार्य है। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को नैतिक मूल्यों के माध्यम से रचनात्मक स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना होगा।

9.2. सर्विलांस कैपिटलिज्म (Surveillance Capitalism)

परिचय

डिजिटल सूचना का विस्तार 1986 के 1% से बढ़कर 2013 तक 98% हो गया। इससे व्यक्तिगत डेटा "नई संपत्ति" बन गया है। इस परिवर्तन ने सर्विलांस कैपिटलिज्म को जन्म दिया है, जहाँ दिग्गज तकनीकी कंपनियों द्वारा लाभ के लिए मानवीय अनुभवों का उपयोग किया जाता है, जिससे नैतिक, सामाजिक और विनियामकीय चिंताएं बढ़ी हैं।

सर्विलांस कैपिटलिज्म क्या है?

- **परिभाषा:** एक आर्थिक प्रणाली जहां निजी कंपनियां लाभ के लिए मानव व्यवहार का पूर्वानुमान लगाने और उसे प्रभावित करने के लिए व्यक्तिगत डेटा एकत्र करती हैं, उसका विश्लेषण करती हैं और लाभ कमाती है।
- **कार्यप्रणाली:** यह प्लेटफ़ॉर्म से डेटा जुटाने, AI का उपयोग करके पूर्वानुमान हेतु विश्लेषण और विकल्पों को आकार देने के लिए तकनीक के माध्यम से संचालित होता है।

पारंपरिक पूंजीवाद बनाम सर्विलांस कैपिटलिज्म

विशेषता	पारंपरिक पूंजीवाद	सर्विलांस कैपिटलिज्म
संसाधन	श्रम और प्राकृतिक संसाधन	व्यक्तिगत डेटा
मूल्य सृजन	वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन	व्यवहार को प्रभावित करना
लाभ मॉडल	उत्पाद बेचना	विज्ञापनों के माध्यम से डेटा का मुद्रीकरण
उदाहरण	इस्पात मिलें, ऑटोमोबाइल कारखाने	गूगल विज्ञापन, अमेज़न रेकमंडेशन

सर्विलांस कैपिटलिज्म की श्रेणियाँ

- **कॉर्पोरेट सर्विलांस:** कंपनियां टार्गेटेड विज्ञापन के लिए भारी मात्रा में उपयोगकर्ता का डेटा एकत्र करती हैं।
- **राज्य-कॉर्पोरेट गठजोड़:** सरकारें सुरक्षा और खुफिया जानकारी के बहाने निजी कंपनियों के साथ सहयोग करती हैं।

सर्विलांस कैपिटलिज्म से संबंधित नैतिक निहितार्थ

- **हेरफेर करना:** एल्गोरिदम निर्णयों को आकार देने के लिए संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों का फायदा उठाते हैं।
- **गोपनीयता का क्षरण:** डेटा अक्सर उचित सहमति के बिना एकत्र किया जाता है।
- **व्यक्तिगत डेटा का वस्तु के रूप उपयोग:** निजी संवेदनशील डेटा को वस्तुओं की तरह खरीदा और बेचा जाता है।
- **अनुचित वाणिज्यिक प्रथाएं:** डेटा के उपयोग के बारे में पारदर्शिता का अभाव।
- **लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन:** राज्य और कंपनियों द्वारा निगरानी नागरिक स्वायत्तता को कमजोर करती है।
- **मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जोखिम:** जुड़ाव को अधिकतम करने वाले कंटेंट तनाव का कारण बनते हैं और ध्रुवीकरण को बढ़ावा देते हैं।

सर्विलांस कैपिटलिज्म को नियंत्रित करने में मौजूद चुनौतियां

- **विनियमन:** मौजूदा कानून डेटा को वस्तु के रूप में खरीदने और बेचने की व्यवस्था को खत्म करने में सक्षम नहीं हैं।
- **प्रौद्योगिकी:** AI और IoT का तेजी से विकास के चलते विनियामकीय फ्रेमवर्क अप्रासंगिक बन जाते है।
- **कॉर्पोरेट-राज्य की मिलीभगत:** साझा हित जवाबदेही को जटिल बनाता है।

सर्विलांस कैपिटलिज्म को विनियमित करने के प्रयास

- **वैश्विक:**
  - **यूरोपीय संघ का जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन/ GDPR (2018):** डेटा संबंधी सहमति को लागू करता है और उल्लंघन पर जुर्माना लगाता है।
  - **कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट (2020):** निवासियों को व्यक्तिगत डेटा पर अधिकार प्रदान करता है।
- **भारत:**
  - **के.एस. पुट्टास्वामी मामला (2017):** सुप्रीम कोर्ट ने निजता की सुरक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया।
  - **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (2023):** यह सहमति को अनिवार्य करता है और डेटा को एक्सेस और डिलीट करने में सक्षम बनाता है।

आगे की राह

- **मजबूत विनियामकीय फ्रेमवर्क:** स्पष्ट जवाबदेही के साथ प्रासंगिक कानूनों को लागू करने की आवश्यकता है।
- **यूजर्स को सशक्त बनाना:** डेटा साक्षरता और पारदर्शी आधारित सहमति को बढ़ावा देना।
- **एंटीट्रस्ट उपयोग:** अनियंत्रित शक्ति को कम करने के लिए तकनीकी एकाधिकार को समाप्त करना।
- **वैश्विक सहयोग:** दुरुपयोग को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों में सामंजस्य स्थापित करना।
- **प्रौद्योगिकी में नैतिक मूल्यों का समावेशन:** निगरानी को कम करने के लिए निजता-आधारित डिजाइन को प्रोत्साहित करना।

9.3. भारत में रैगिंग के मामले (Ragging in India)

परिचय

केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को रैगिंग की घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए रैगिंग विरोधी कानून को सही ढंग से लागू करने के लिए नियम बनाने हेतु एक कार्य-समूह गठित करने का निर्देश दिया है।

रैगिंग क्या है?

आमतौर पर, रैगिंग कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में होती है। इसमें सीनियर छात्र, और कभी-कभी बाहरी लोग भी, नए या जूनियर छात्रों को शारीरिक, मानसिक या यौन रूप से परेशान करते हैं।

विभिन्न हितधारकों पर रैगिंग के प्रभाव

पीड़ितों (जूनियर छात्रों) पर	परिवारों पर
• अपमानजनक स्वभाव के कारण आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का क्षरण • पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जिसमें फ्लैशबैक और एंग्जायटी शामिल है • शैक्षणिक प्रदर्शन में गिरावट के कारण ध्यान केंद्रित करने में कमी आना	• भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक संकट के कारण असहाय महसूस करना • काउंसलिंग या चिकित्सकीय उपचार के लिए अतिरिक्त खर्च उठाना • संस्थानों के प्रति विश्वास में गिरावट
संस्थाओं पर	**अपराधियों पर**
• प्रतिष्ठा की हानि से वित्तपोषण और नामांकन प्रभावित होता है • शैक्षणिक संस्थानों में नैतिक मूल्यों को कमजोर करता है • मुकदमों और जांच सहित प्रशासनिक चुनौतियाँ	• कैरियर में आने वाली बढ़ाएं भविष्य के रोजगार को प्रभावित करती हैं • साथियों के बीच नैतिक प्राधिकार का क्षरण • सदाचार और नैतिकता का पतन

रैगिंग के उन्मूलन में मौजूद चुनौतियां

- गहरी जड़ें जमा चुकी रैगिंग की सांस्कृतिक और पारंपरिक स्वीकृति

- एंटी-रैगिंग हेल्पलाइन के बारे में **जागरूकता का अभाव**
- **प्रतिशोध के डर से घटनाओं की** रिपोर्टिंग करने में संकोच
- **सख्त प्रवर्तन के अभाव में** अपराधियों बिना सजा के बच जाते हैं
- प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए प्रवर्तन को कम महत्व देने वाली **संस्थाओं की भूमिका**

भारत में रैगिंग विरोधी कानूनी फ्रेमवर्क

- राघवन समिति की सिफारिशें (2007)
  - मान्यता देते समय रैगिंग की घटनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए।
  - रैगिंग विरोधी प्रकोष्ठ, रैगिंग विरोधी समिति और रैगिंग विरोधी दस्ते का गठन करना।
  - वरिष्ठ छात्रों को शामिल करते हुए 'मेंटरिंग सेल' की स्थापना करना
  - प्रभावी विज्ञापन अभियान शुरू करना।
  - शैक्षिक पाठ्यक्रम में रैगिंग के विरुद्ध जागरूकता का शामिल करना।
- **मान्यता :** राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं मान्यता परिषद निकायों को संस्थानों को मान्यता देते समय रैगिंग की घटनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए।
- **एंटी-रैगिंग सेल, एंटी-रैगिंग समिति और एंटी-रैगिंग स्क्वाड का गठन** करें किया जाएगा।
- **'मेंटरिंग सेल' की स्थापना की जाएगी,** ताकि 'नए' विद्यार्थियों के लिए वरिष्ठ विद्यार्थियों को मेंटर के रूप में शामिल किया जा सके।
- **विज्ञापन:** राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर प्रभावी विज्ञापन अभियान शुरू किया जाएगा और रैगिंग के प्रति 'शून्य सहनशीलता' के संबंध में।
- **राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी)** और **राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी)** को मानवाधिकार शिक्षा की योजना बनायी जानी चाहिए, जिसमें रैगिंग के खिलाफ जागरूकता अनिवार्य होनी चाहिए।

रैगिंग पर अंकुश लगाने पर UGC के विनियम (2009)

- **रैगिंग एक आपराधिक कृत्य है** जिस पर अंकुश लगाने के लिए अनिवार्य विनियम बनाना।
- प्रवेश के दौरान अनिवार्य रूप से **संयुक्त संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करना।**
- **बर्डन ऑफ प्रूफ अपराधी पर है,** पीड़ित पर नहीं।
- **पुलिस, स्थानीय प्रशासन और संस्थाओं को** सतर्कता सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

उठाए जा सकने वाले कदम

- **साथियों के साथ सहायता प्रणाली को** लागू करना
- संस्थान की प्रतिष्ठा से अधिक **छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना**
- कॉन्टैक्ट डिटेल को प्रदर्शित करना, अभिभावकों को सूचित करना, CCTV स्थापित करना और औचक निरीक्षण करना सहित **2009 के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करना।**

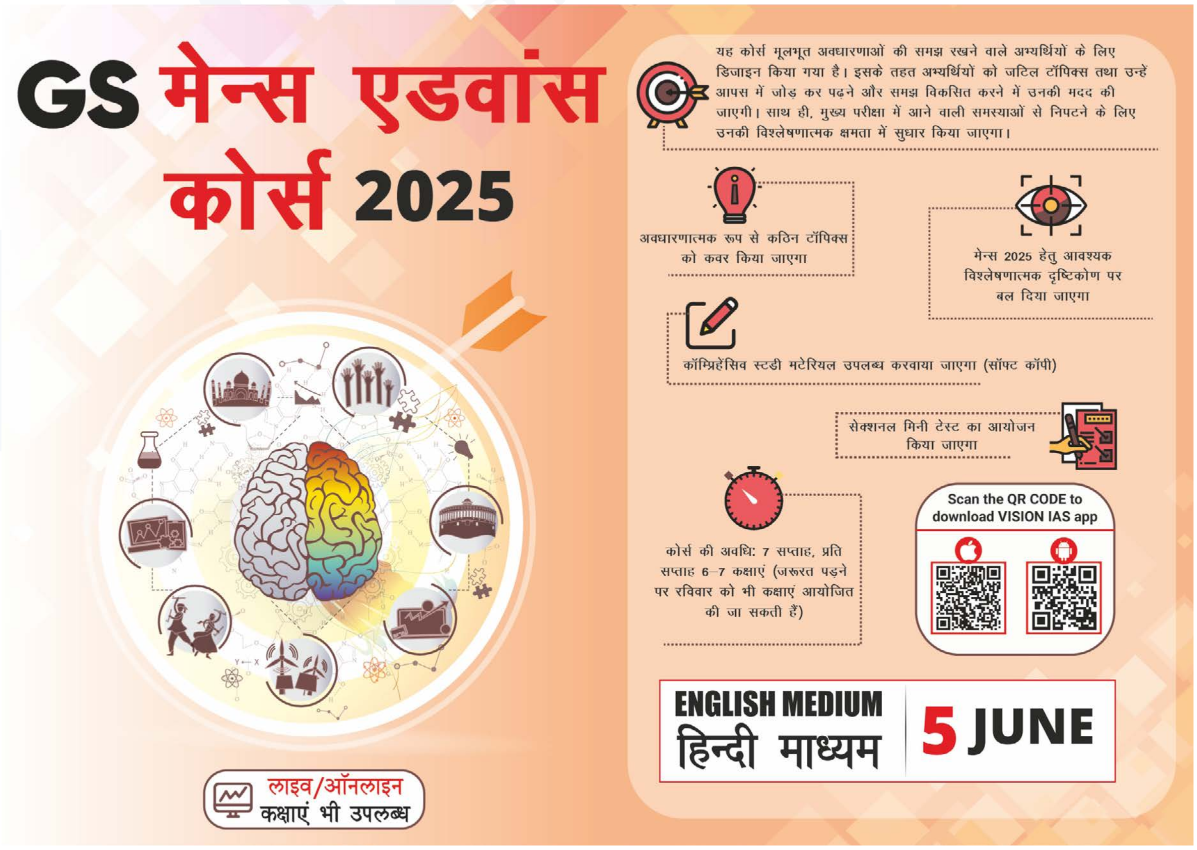

सुर्ख़ियों में रही योजनाएं

10.1. प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PRADHAN MANTRI ANNADATA AAY SANRAKSHAN ABHIYAN: PM-AASHA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार ने एकीकृत पी.एम. आशा योजना को **2025-26** यानी 15वें वित्त आयोग की अवधि तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है।

पी.एम. आशा योजना (2018) के बारे में

- **उद्देश्य: दलहन, तिलहन और नारियल गिरी (खोपरा)** के लिए **मूल्य आश्वासन** प्रदान करना; **किसानों के लिए वित्तीय स्थिरता** सुनिश्चित करना; **फसल कटाई के बाद वित्तीय दबाव में की जाने वाली बिक्री को कम करना तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा** देना।
- **संबंधित मंत्रालय:** कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
- **योजना का प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक की योजना
- **आवंटित निधि: 15वें वित्त आयोग की अवधि** के दौरान 35,000 करोड़ रुपये।

पी.एम. आशा के घटक	
मूल्य समर्थन योजना (PSS)	**पहले से पंजीकृत किसान** राज्य एजेंसियों के माध्यम से **केंद्रीय नोडल खरीद एजेंसियों (CNAs)** द्वारा **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)** पर अधिसूचित फसलों - **दलहन, तिलहन और खोपरा (नारियल गिरी)** की खरीद कर सकते हैं।
मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF)	**कृषि-बागवानी उत्पादों** (जैसे- टमाटर तथा भारत दाल, भारत आटा और भारत चावल) की खरीद और वितरण के लिए **कार्यशील पूंजी** एवं अन्य **आकस्मिक व्यय** के लिए धनराशि प्रदान करना है।
भावांतर भुगतान योजना (PDPS)	तिलहनों के लिए केंद्र सरकार द्वारा **MSP और बिक्री/ मॉडल मूल्य** के बीच के अंतर का **सीध भुगतान** किसानों को करती है। यह भुगतान **MSP मूल्य के 15%** तक किया जाता है।
बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS)	इसका उद्देश्य शीघ्र खराब होने वाली **कृषि/ बागवानी फसलों** (जैसे टमाटर, प्याज, आलू: TOP) के मामले में **मूल्य अंतराल को कम करने और मूल्य अस्थिरता के प्रभाव से निपटना है।** हालांकि इन फसलों को MSP के तहत कवर नहीं किया गया है।

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2026
▸ प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
DELHI : 27 मई, 11 AM | JAIPUR : 12 मई | JODHPUR : 15 मई | प्रवेश प्रारम्भ BHOPAL | LUCKNOW

मुफ्त सुविधाएं (Freebies)	**संवैधानिक प्रावधान** ➲ **राज्य की नीति के निदेशक तत्व (DPSPs): अनुच्छेद 38, 39, 41** **सुप्रीम कोर्ट के निर्णय** ➲ सुब्रमण्यम बालाजी वाद (2013) ➲ अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ (विचाराधीन वाद)
राज्यों में पंचायतों को वित्तीय अंतरण (ट्रांसफर) की स्थिति	**संवैधानिक प्रावधान** ➲ अनुच्छेद 243G, 243H, 243I, 243ZD ➲ **अंतरण प्राप्त करने वाले शीर्ष 3 राज्य:** कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु ➲ **निम्न प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश:** दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव; पुडुचेरी तथा लद्दाख
भू-आर्थिक विखंडन	➲ **GEF:** नीतिगत रूप से वैश्विक आर्थिक एकीकरण का विखंडन, रणनीतिक चिंताओं से प्रेरित। ➲ **उदाहरण के लिए:** ➜ **'फ्रेंडशोरिंग':** राजनीतिक रूप से संबद्ध देशों के बीच आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने पर बल दिया जा रहा है (उदाहरण के लिए- एप्पल अपने आईफोन उत्पादन का कुछ हिस्सा चीन से भारत में स्थानांतरित कर रहा है। ➜ **'नियरशोरिंग':** आस-पास के देशों में आउटसोर्सिंग (**उदाहरण के लिए,** जर्मन कंपनी अपने ग्राहकों की सेवा से संबंधित कार्यों को पोलैंड में स्थित एक टीम को सौंप रही है)।
भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी	➲ **उत्पत्ति: 2008 में शुरू** किया गया, 2014 के बाद तीव्र हुआ। ➲ **उद्देश्य:** निकटतम पड़ोसियों, **अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका** के साथ संबंधों को मजबूत करना। ➲ **मार्गदर्शक सिद्धांत: 5S फ्रेमवर्क** (सम्मान, संवाद, शांति, समृद्धि, संस्कृति), पडोसी देशों के साथ कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं रखना, **परिणाम-उन्मुख दृष्टिकोण** अपनाना।
त्रिकोणीय साझेदारी	➲ **परिभाषा:** विशेषज्ञताओं/ संसाधनों को साझा करने के लिए पारंपरिक प्रदाताओं (जैसे, अमेरिका, जापान), उभरती अर्थव्यवस्थाओं (जैसे, भारत) और विकासशील देशों के बीच सहयोग। ➲ **लाभ:** लागत प्रभावी, लचीले समाधान (68% परियोजनाओं का बजट **1 मिलियन डॉलर** से कम) और **साउथ-साउथ सहयोग** को मजबूत करता है, **SDG** का समर्थन करता है।
भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका संबंध	➲ **अमेरिका-भारत प्रमुख रक्षा साझेदारी के लिए प्रस्तावित दस वर्षीय फ्रेमवर्क:** रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर। ➲ **ऑटोनॉमस सिस्टम इंडस्ट्री एलायंस (ASIA):** हिंद-प्रशांत क्षेत्र में औद्योगिक साझेदारी को बढ़ाना। ➲ **अन्य:** भारत में जैवलिन मिसाइलों और स्ट्राइकर वाहनों का सह-उत्पादन।
भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता	➲ **पृष्ठभूमि:** पोखरण-I के बाद 1978 में अमेरिकी प्रतिबंध; 2005 में सहयोग समझौता; 2008 में यू.एस. एटॉमिक एनर्जी एक्ट के तहत अंतिम रूप से लागू। ➲ **मुख्य प्रावधान:** ➜ **अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) सेफगार्ड्स:** असैन्य रिएक्टरों की स्थायी निगरानी। ➜ **परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) द्वारा छूट:** भारत द्वारा परमाणु अप्रसार संधि (NPT) पर हस्ताक्षर न करने के बावजूद परमाणु व्यापार की अनुमति।
भारत-फ्रांस संबंध	➲ **महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास:** शक्ति (थल सेना अभ्यास), **गरुड़ अभ्यास** (द्विपक्षीय वायु सेना अभ्यास), आदि। ➲ **FFRIND-X (फ्रांस-इंडिया डिफेन्स स्टार्ट-अप एक्सेलेंस)** शुरू किया गया। ➲ **होराइजन 2047:** यह रोडमैप भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की **25वीं वर्षगांठ** पर लॉन्च किया गया था। यह **2047 तक द्विपक्षीय संबंधों की दिशा तय** करेगा।

प्रमुख एवं लघु खनिज	➲ **खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) (MMDR) अधिनियम, 1957** के तहत खनिजों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है- **प्रमुख खनिज (Major minerals) और लघु खनिज (Minor minerals)।** ➜ **"लघु खनिज" वह है** जो भवन निर्माण में उपयोग किए जाते हैं, जैसे- पत्थर, बजरी, साधारण मृदा, और विशेष उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली रेत। इसके अलावा, इसमें साधारण रेत और वे **अन्य खनिज जिन्हें केंद्र सरकार लघु खनिज के रूप में अधिसूचित करती है।** ➜ **"प्रमुख खनिज"** में वे सभी खनिज शामिल होते हैं जो लघु खनिजों के रूप में वर्गीकृत नहीं हैं। कोयला, लोहा, जस्ता, चूना-पत्थर आदि।
अर्बन चैलेंज फंड (Ucf)	➲ **1 लाख करोड़ रुपये का यह फंड** राज्यों को मौजूदा शहरों में संधारणीय शहरीकरण तथा शहरी पुनर्विकास को बढ़ावा देने के लिए इनोवेटिव तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ➜ इस कोष का उद्देश्य निम्नलिखित कार्य करना है: **ग्रोथ हब के रूप में शहर, शहरों का क्रिएटिव पुनर्विकास, और जल एवं स्वच्छता (वाटर एंड सैनिटेशन)।**
शहरी सहकारी बैंक	➲ **शहरी सहकारी बैंक (UCBs)** भारत में सहकारी बैंकों का एक उप-समूह हैं जो मुख्य रूप से शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कार्य करते हैं। ➲ वर्तमान में, ये **बैंक संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियम** (यदि एक ही राज्य में कार्य कर रहे हैं) **या बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002** (यदि एक से अधिक राज्यों में कार्य कर रहे हैं) के तहत सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत हैं। ➲ **नियंत्रण और विनियमन:** UCBs **दोहरी विनियामक प्रणाली के** तहत कार्य करते हैं: **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949** और **सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (RCS)।**
पुनर्गठित कौशल भारत कार्यक्रम	➲ **3 घटकों**, प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना **4.0 (PMKVY 4.0)**, प्रधान मंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना **(PM-NAPS)** और जन शिक्षण संस्थान **(JSS) योजना** को मिलाकर पुनर्गठित किया गया।
सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद	➲ सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद (GDKP) **भारत की आर्थिक संवृद्धि में ज्ञान-आधारित सेक्टर्स, इनोवेशन और बौद्धिक संपदा के योगदान** को दर्शाएगा।
'उद्यमिता के लिए AI' माइक्रो-लर्निंग मॉड्यूल	➲ **राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) और इंटेल इंडिया** के सहयोग से लॉन्च किया गया है। ➲ **उद्देश्य:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) **अवधारणाओं को सरल बनाना** और पूरे भारत में युवा नवोन्मेषकों में उद्यमशीलता की सोच को प्रोत्साहित करना।
ई-श्रम माइक्रोसाइट्स तथा ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स (Osi)	**ई-श्रम माइक्रोसाइट** ➲ राज्य-विशिष्ट डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म **राष्ट्रीय ई-श्रम डेटाबेस के साथ सहजता से एकीकृत** किया गया है। **ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स (OSI)** ➲ **उद्देश्य:** ILO पद्धति और PLFS के डेटा का उपयोग करके **कार्यबल की मांग एवं उपलब्धता में मौजूद अंतर की पहचान** करेगा।
डिजिटल भुगतान सूचकांक (Dpi)	➲ RBI द्वारा जारी। ➲ उद्देश्य: **भुगतान प्रणालियों के डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाना और ऑनलाइन लेन-देन को अपनाने के स्तर को मापना।**
बाजार अवसंरचना संस्थान (MIIs)	➲ ये ऐसे संगठन हैं, जो **प्रतिभूतियों के व्यापार के लिए अवसंरचना** प्रदान करते हैं। ये SEBI द्वारा विनियमित होते हैं।
एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग	➲ एल्गो ट्रेडिंग स्वचालित रूप से **खरीदने/ बेचने संबंधी आदेशों** को निर्धारित शर्तों के आधार पर सटीक रूप से निष्पादित करने की प्रक्रिया है।
पोटाश	➲ **परिभाषा:** पोटाश **पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम (K) लवणों** का अशुद्ध मिश्रण है। ➲ **मुख्य अयस्क:** सिल्वेनाइट ➲ **पोटाश के उपयोग:** ➜ **कृषि: 90% से अधिक** पोटाश का उपयोग **उर्वरक** के रूप में किया जाता है। ➜ **जल का शुद्धिकरण: पोटाश एल्युम (Potash alum)** जल की कठोरता को दूर करता है और इसमें **जीवाणुरोधी** गुण होते हैं।
वैश्विक क्षमता केंद्र	➲ **GCC** वे केंद्र हैं, जिन्हें कंपनियां अपनी संगठनात्मक क्षमताओं को बढ़ाने और व्यावसायिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए वैश्विक प्रतिभा पूल और तकनीकी नवाचारों का उपयोग करते हुए व्यापारिक प्रक्रियाओं को प्रभावी बनाते हैं।
क्षेत्रवाद	**क्षेत्रवाद** ➲ **साझा पहचान:** क्षेत्रवाद किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच **समानता और एक-समान पहचान की भावना** को दर्शाता है। ➲ यह अक्सर विशिष्ट **नृजातीय, भाषाई, आर्थिक और सांस्कृतिक चेतना** के कारण कुछ विशेष क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में उत्पन्न होता है। ➲ स्वतंत्रता के बाद के **भारत में क्षेत्रवाद की प्रारंभिक अभिव्यक्ति 'भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन' की मांग** के साथ हुई। इसकी शुरुआत पोट्टि श्रीरामुलु की भूख हड़ताल से हुई थी। आंध्र प्रदेश के गठन के लिए अनशन के बाद 1952 में उनकी मृत्यु हो गई थी।

एल्गोरिदमिक एप्लीकेशन और कट्टरपंथवाद	**एल्गोरिदम जनित कट्टरपंथवाद को रोकने के लिए उठाए गए कदम** ➲ **यूरोपीय संघ (EU) का डिजिटल सर्विसेज एक्ट 2023:** इसके तहत सोशल मीडिया ऐप्स को यह बताना होता है कि उनके एल्गोरिदम किस प्रकार कार्य करते हैं। साथ ही, यह एक्ट स्वतंत्र शोधकर्ताओं को यूजर्स पर इन ऐप्स के प्रभाव का अध्ययन करने का अधिकार भी देता है। ➲ **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) द्वारा संचालित मॉडरेशन:** उदाहरण के लिए, **यूट्यूब का 2023** का मशीन लर्निंग मॉडल चरमपंथी विचारों को प्रसारित करने वाली लगभग 30% वीडियो की पहचान करके उन्हें हटाने में सक्षम रहा। ➲ **क्राइस्टचर्च कॉल:** ऑनलाइन आतंकवादी और हिंसक चरमपंथी सामग्री को खत्म करना।
हाइब्रिड वारफेयर	➲ **परिभाषा:** हाइब्रिड वारफेयर को **एसिमेट्रिक वारफेयर** के रूप में भी जाना जाता है। यह **पारंपरिक युद्ध-नीतियों** (काइनेटिक वारफेयर) और **गैर-पारंपरिक रणनीतियों** (नॉन-काइनेटिक वारफेयर) का मिश्रण है। इसका उपयोग अक्सर **पूर्ण युद्ध का सहारा लिए बिना** राजनीतिक या सामरिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ➲ **उदाहरण के लिए:** ➜ **चीन की तीन 'थ्री वारफेयर' स्ट्रैटेजी (TWS) यानी; त्रि- युद्ध रणनीति,** जिसमें मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक और कानूनी रणनीतियां शामिल हैं;
परमाणु निरस्त्रीकरण	**वैश्विक परमाणु संधियों पर भारत का रुख:** ➲ **NPT:** इसकी भेदभावपूर्ण प्रकृति के कारण इसका विरोध करता है। ➲ **CTBT:** इस पर हस्ताक्षर नहीं किया क्योंकि यह परमाणु निरस्त्रीकरण, अप्रसार से जुड़े मुद्दे को दूर करने में विफल रहा। ➲ **TPNW:** इस संधि का समर्थन नहीं करता क्योंकि इसमें निरस्त्रीकरण के लिए नए कानूनी मानकों का अभाव है।
नेवल (नौसेना) एंटी-शिप मिसाइल-शॉर्ट रेंज (NASM-SR)	**NASM-SR की मुख्य विशेषताएं** ➲ **स्वदेशी इमेजिंग इंफ्रारेड (IIR) सीकर:** यह उच्च-सटीकता वाली स्ट्राइक (हमला) को संभव बनाता है। ➲ **मैन-इन-लूप कंट्रोल:** यह रियल टाइम में लक्ष्य को समायोजित करने की सुविधा प्रदान करता है।
एग्री-NBSAPs	➲ **एग्री-NBSAPs** का उद्देश्य सरकारों को **कृषि-खाद्य प्रणाली** को **राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियों और कार्य योजनाओं (NBSAPs)** में शामिल करने तथा उन्हें लागू करने में सहायता प्रदान करना है। ➲ कृषि-खाद्य प्रणाली में खेत से लेकर प्लेट तक भोजन के पहुँचाने में शामिल **खाद्य उत्पादन के सभी चरण** होते हैं। ➲ **2030 तक जैव विविधता हानि को रोकने के लिए कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क (KM-GBF)** के तहत तैयार करते हैं।
गुनेरी का अंतर्देशीय मैंग्रोव	➲ **अरब सागर तट से 45 किलोमीटर और कोरी क्रीक से 4 किमी दूर अवस्थित** हैं। ➲ पारंपरिक मैंग्रोव साइटों के विपरीत एक दुर्लभ **अंतर्देशीय मैंग्रोव पारिस्थितिकी-तंत्र का प्रतिनिधित्व** करता है। ➲ **दुनिया में केवल आठ अंतर्देशीय मैंग्रोव पारिस्थितिकी-तंत्र में से एक हैं।** ➲ **लगभग 20 प्रकार की प्रवासी और 25 प्रकार की रेजिडेंट प्रवासी पक्षी प्रजातियां** पाई जाती हैं।
यूएन-हैबिटैट	➲ **1978** में स्थापित ➲ **मिशन:** सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टि से संधारणीय कस्बों एवं शहरों को बढ़ावा देना ➲ **पर्याप्त आश्रय और संधारणीय शहर नियोजन** सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करता है
पॉलीफ्लुओरोएल्काइल सबस्टेंस (PFAS)	➲ ऐसे **विषाक्त रसायन** होते हैं, जो **ग्रीस, तेल, पानी और गर्मी का प्रतिरोध** करते हैं। ➲ ये लगभग **अविनाशी प्रकृति** के होते हैं। इसलिए, इन्हें **'फॉरएवर केमिकल'** कहा जाता है। ➲ उपयोग: **नॉनस्टिक कुकवेयर, ग्रीस-प्रतिरोधी खाद्य पैकेजिंग तथा जलरोधी एवं अग्निशमन वस्त्र** आदि।
भारत के सौर ऊर्जा क्षेत्रक का विकास	➲ **क्षमता में वृद्धि: 3,450%** (2014 के 2.82 गीगावाट से 2025 तक 100 गीगावाट) ➲ **सौर ऊर्जा: कुल नवीकरणीय ऊर्जा** क्षमता का 47% ➲ **2024 में सौर ऊर्जा की स्थापना** ➜ **यूटिलिटी स्केल के आधार पर 18.5 गीगावाट** की स्थापना (2023 से लगभग 2.8 गुना वृद्धि) ➜ **रूफटॉप की स्थापना:** 4.59 गीगावाट (2023 से 53% की वृद्धि) ➜ **सौर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता:** (2014 में 2 गीगावाट से 2024 में 60 गीगावाट तक) (**लक्ष्य:** 2030 तक 100 गीगावाट) ➜ **बेहतर प्रदर्शन करने वाले शीर्ष राज्य:** राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश
मध्यम आय वर्ग	➲ **भारत का मध्यम वर्ग:** PRICE के अनुसार, भारत में मध्यम वर्ग की जनसंख्या 2021 में **31%** थी। इसके **2031 तक 38% और 2047 तक 60% तक पहुंचने** का अनुमान है। ➲ **भारत का घरेलू ऋण:** सकल घरेलू उत्पाद का 38% (वित्त वर्ष 2023)

त्रिभाषा फॉर्मूला	➲ **संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 351** (हिंदी भाषा का प्रसार) ➲ **वैधानिक प्रावधान:** शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 ➲ **समितियां/ आयोग:** कोठारी आयोग (1964-66), ➲ **नीतियां:** राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 1968; राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 ➲ **भारत में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम:** अस्मिता, भाषिणी, बहुभाषी शब्दकोश, आदि।
भारत में गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा	➲ **सकल नामांकन अनुपात (GER):** 1950-51 के 0.4 से बढ़कर 2021-22 में 28.4 हो गया ➲ **लैंगिक समानता सूचकांक (GPI):** 2011-12 के 0.87 से बढ़कर 2021-22 में 1.01 हो गया ➲ **भारत का वैश्विक शोध में योगदान:** 2017 के 3.5% से बढ़कर 2024 में 5.2% हो गया ➲ **प्रमुख पहल:** NAAC, NIRF, ANRF, आदि।
स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G)	➲ **ODF प्लस गांव:** 95% ➲ **ग्रामीण स्वच्छता:** 39% (2014) से 100% (2019)
जल जीवन मिशन	➲ **100% ग्रामीण घरों में नल से जल का कवरेज:** 11 राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश ➲ **नल से जल के कनेक्शन:** 2019 में 3.23 करोड़ (17%) से फरवरी 2025 में बढ़कर 15.44 करोड़ (79.74%)) हो गए।
परमाणु ऊर्जा मिशन	➲ **लॉन्च:** यह केंद्रीय बजट 2025-26 में 20,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ परमाणु ऊर्जा क्षेत्रक का विस्तार करने की घोषणा की गई। ➲ **लक्ष्य: विकसित भारत** के तहत **2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता;** ➲ **SMR की तैनाती: 2033 तक 5 छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMR)** का अनुसंधान एवं विकास तथा कमीशनिंग।
डीप ओशन मिशन	➲ **लॉन्च:** इसे 2021 में **पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES)** द्वारा **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** के रूप में शुरू किया गया है। ➲ **उद्देश्य:** गहरे समुद्र की तकनीक विकसित करना, ब्लू इकोनॉमी पहल का समर्थन करना और जलवायु परिवर्तन और समुद्री प्रदूषण से निपटना। ➲ **बजट: 5 वर्षों (2021-2026) में 4077 करोड़ रुपये;** चरण-I **(2021-2024): 2823.4 करोड़ रुपये।**
गैर-संचारी रोग (NCDs)	➲ **परिभाषा: आनुवंशिकी, जीवनशैली और पर्यावरण** से जुड़ी CVD, कैंसर, मधुमेह और COPD जैसी दीर्घकालिक, गैर-संक्रामक बीमारियां। ➲ **मुख्य प्रकार: हृदय संबंधी रोग** (जैसे- दिल का दौरा और स्ट्रोक), **कैंसर, दीर्घकालिक श्वसन रोग** (जैसे क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और अस्थमा) और **मधुमेह।**
चीन के EAST ने संलयन अभिक्रिया में रिकॉर्ड	➲ **रिकॉर्ड उपलब्धि: EAST (कृत्रिम सूर्य) ने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान पर 1000+ सेकंड तक प्लाज़्मा** को बनाए रखा। ➲ **EAST क्या है:** एक **टोकामक** रिएक्टर जो संलयन की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए **चुंबकीय क्षेत्र** का उपयोग करके **प्लाज्मा को डोनट के** आकार में सीमित कर देती है। ➲ **संलयन का महत्व: ऊर्जा संकट और जलवायु परिवर्तन** की समस्या का समाधान के लिए **स्वच्छ, उच्च-आउटपुट संलयन आधारित परमाणु रिएक्टर्स** की ओर एक कदम है।
NavIC	➲ यह इसरो द्वारा प्रक्षेपित **"क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली"** है। इसे पहले **भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली (IRNSS)** कहा जाता था। ➲ **नाविक समूह:** इसमें **7 उपग्रह शामिल हैं - 3 उपग्रह भूस्थिर कक्षा और 4 उपग्रह झुकाव वाली भू-तुल्यकालिक कक्षा में,** ➲ **कवरेज क्षेत्र:** भारत और **भारतीय सीमा से 1500 किलोमीटर तक का विस्तारित क्षेत्र**
लूनर ट्रेलब्लेज़र मिशन	➲ **ट्रेलब्लेज़र उद्देश्य: चंद्रमा पर पानी के स्वरूप, वितरण और उपलब्धता का पता करने के लिए लगभग 100 किमी** की कक्षा में जाना। ➲ **महत्व: जल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ईंधन** के लिए जल के उपयोग को सक्षम करके **भविष्य के चंद्रमा मिशनों** का समर्थन करता है।
पांडुलिपि	➲ पांडुलिपियां **कागज, वृक्ष की छाल, ताड़ के पत्ते आदि पर लिखी गई कम-से-कम 75 वर्ष पुरानी हस्तलिखित रचनाएं** होती हैं। इनका **वैज्ञानिक, ऐतिहासिक या सौंदर्यात्मक दृष्टि से काफी महत्त्व** होता है।
विजय दुर्ग	➲ हाल ही में, कोलकाता स्थित **फोर्ट विलियम** का नाम **बदलकर विजय दुर्ग** कर दिया गया। ➲ **हुगली नदी** के तट पर अवस्थित है। ➲ ब्लैक होल त्रासदी का स्थल (20 जून, 1756) जब **नवाब सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश सैनिकों को बंदी** बनाया था।
तांत्रिक बौद्ध धर्म	➲ तांत्रिक बौद्ध धर्म **निर्वाण प्राप्ति के लिए बौद्ध दर्शन को सिर्फ सिद्धांत तक सीमित रखने के बजाय साधना (प्रयोगात्मक विधियों) पर बल देता है।** ➲ **वज्रयान, जिसे तांत्रिक बौद्ध धर्म** भी कहा जाता है, चिकित्सा के गुप्त ज्ञान में विश्वास रखता है। यह सामाजिक कार्यों और बदलावों से जुड़ा हुआ है तथा मुख्य रूप से **भूटान, मंगोलिया, नेपाल और तिब्बत** में फैला हुआ है।

साहित्य अकादमी पुरस्कार	➲ यह पुरस्कार अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी प्रमुख **भारतीय भाषा में प्रकाशित साहित्यिक दृष्टि से सबसे उत्कृष्ट रचनाओं** के लिए दिया जाता है। ➲ अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं में **संविधान की अनुसूची VIII के तहत सूचीबद्ध 22 भाषाएं** तथा अंग्रेजी व राजस्थानी शामिल हैं। ➲ पुरस्कार में **एक सजावटी ताबूत में एक तांबे की पट्टिका** और 1,00,000/- रुपये नकद पुरस्कार शामिल है।
भारतीय भाषा पुस्तक योजना	➲ **इसका उद्देश्य** शैक्षणिक संस्थानों के लिए **भारतीय भाषाओं की पुस्तकों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना है।** इससे विद्यार्थियों को अपने विषयों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। ➲ **अस्मिता/ ASMITA** (ऑग्मेंटिंग स्टडी मटेरियल्स इन इंडियन लैंग्वेजेज थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग) **पहल का पूरक है**

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION
A.I.T.S
GS PRELIMS TEST SERIES 2026

ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ एवं मेंटरिंग प्रोग्राम

कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन, अभ्यास और मेंटरिंग के साथ बेहतर प्रदर्शन के लिए एक इनोवेटिव मूल्यांकन प्रणाली

30 टेस्ट
5 फंडामेंटल टेस्ट | 15 एप्लाइड टेस्ट
10 फुल लेंथ टेस्ट

2026 | ENGLISH MEDIUM 11 MAY | हिन्दी माध्यम 11 मई

एक्टिविटी ब्लॉक

12.1. MCQS

1. निम्नलिखित में से कौन-सी पहल निर्वाचित प्रधानों द्वारा लिए गए निर्णयों को ट्रैक करती है?

a) पंचायत निर्णय पोर्टल
b) ग्राम स्वराज पोर्टल
c) ई-पंचायत प्रणाली
d) डिजिटल पंचायत प्लेटफ़ॉर्म

2. PRIs में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य कौन-सा था?

a) राजस्थान
b) बिहार
c) केरल
d) मध्य प्रदेश

3. पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (OPEC) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका गठन 1960 में बगदाद सम्मेलन में किया गया था।
2. इसका मुख्यालय वियना (ऑस्ट्रिया) में है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) कोई नहीं

4. बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन (BIMSTEC) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसकी स्थापना 1969 में दिल्ली घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी।
2. बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, भूटान इसके सदस्य हैं।
3. BIMSTEC का उद्देश्य तेजी से आर्थिक विकास करना, सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता सुनिश्चित करना है।
4. यह दो क्षेत्रों में फोकस है, आतंकवाद और सैन्य सहयोग।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1, 2 और 4
d) उपर्युक्त सभी

5. हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) पर प्रतिबंध लगाने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, इस संदर्भ में ICC के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

a) यह दुनिया का पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है।
b) इसकी स्थापना 1949 में पेरिस संविधि द्वारा की गई थी।
c) संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य ICC के सदस्य हैं।
d) मलेशिया 2025 में इसका नवीनतम सदस्य बना

6. भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के संशोधित वर्गीकरण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सूक्ष्म उद्यम के लिए निवेश सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2.5 करोड़ रुपये कर दी गई है।
2. एक लघु उद्यम को अब 50 करोड़ रुपये तक के निवेश और 200 करोड़ रुपये तक के कारोबार के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
3. मध्यम उद्यमों के लिए कारोबार सीमा को संशोधित करके 250 करोड़ रुपये से 500 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) 1, 2 और 3

7. हाल ही में खान मंत्रालय द्वारा खनिजों के किए गए पुनर्वर्गीकरण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. बैराइट्स, फेल्सपार, अभ्रक और क्वार्ट्ज को प्रमुख खनिजों की श्रेणी से लघु खनिजों में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
2. पुनर्वर्गीकरण का उद्देश्य वैज्ञानिक पद्धति से खनन को बढ़ावा देना और क्रिटिकल मिनरल्स का बेहतर विनियमन करना है।
3. खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत, लघु खनिजों का वर्गीकरण राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a) केवल एक
b) केवल दो
c) सभी तीन
d) कोई नहीं

8. प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDKY) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह योजना कम उत्पादकता, मध्यम फसल गहनता (Crop intensity) और औसत से कम ऋण वितरण मापदंडों के आधार पर चुने गए 100 जिलों को कवर करती है।
2. PMDKY में आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP) के मॉडल का अनुसरण किया जाता है, जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था।
3. केंद्रीय बजट 2025 में इस योजना के लिए एक अलग बजटीय आवंटन निर्दिष्ट किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3

9. परमाणु निरस्त्रीकरण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. रूस NPT और स्टार्ट (START) का समर्थन करता है, लेकिन उसने ICBM और हाइपरसोनिक हथियार भी विकसित किए हैं।
2. तीन परमाणु-हथियार संपन्न देश भारत, इजरायल और पाकिस्तान NPT का हिस्सा नहीं हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) कोई नहीं

10. हाल ही में आयोजित किए गए सैन्य अभ्यास 'धर्म गार्जियन' में भारत किस देश के साथ भाग लेता है?

a) जापान
b) इंडोनेशिया
c) वियतनाम
d) न्यूजीलैंड

11. कैस्पियन सागर के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. कैस्पियन सागर की सीमा पांच देशों से लगती है।
2. इन देशों में कजाकिस्तान की तटरेखा सबसे लंबी है।
3. 2005 से अब तक इस सागर ने लगभग 31,000 वर्ग किलोमीटर जल क्षेत्र खो दिया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) 1, 2 और 3

12. भारतीय मानक समय (IST) और विधिक माप विज्ञान (भारतीय मानक समय) नियम, 2025 के मसौदे के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. IST मिर्जापुर के देशांतर पर आधारित है, जो 82°30'E मध्याह्न रेखा पर स्थित है।
2. मसौदा नियमों में यह अनिवार्य किया गया है कि भारत में सभी क्षेत्रों में IST अनिवार्य समय संदर्भ बन जाएगा।
3. सभी प्रयोजनों के लिए IST के अलावा अन्य समय संदर्भों का अनधिकृत उपयोग निषिद्ध है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

a) केवल एक
b) केवल दो
c) केवल तीन
d) कोई नहीं

13. दिल्ली-NCR में भूकंप के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. दिल्ली भूकंपीय ज़ोन-IV में स्थित है, जो भारत का दूसरा सबसे संवेदनशील ज़ोन है।
2. हाल ही में आया भूकंप 5 कि.मी. की उथली गहराई पर "इन-सीटू मटेरियल हेटेरोजिनिटी" के कारण घटित हुआ था।
3. भारतीय प्लेट 5 से.मी./वर्ष की गति से उत्तर की ओर बढ़ती है, जिससे फॉल्ट लाइनों पर तनाव बढ़ता है।
4. भारत-गंगा के मैदान की नरम जलोढ़ मृदा भूकंपीय तरंगों को बढ़ावा दे सकती है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

a) केवल एक
b) केवल दो
c) केवल तीन
d) केवल चार

14. NEP 2020 के तहत 2035 तक उच्चतर शिक्षा के लिए भारत का सकल नामांकन अनुपात (GER) लक्ष्य क्या है?

a) 28.4%
b) 35%
c) 50%
d) 60%

15. महिला उद्यमियों के लिए लक्षित स्वावलंबिनी कार्यक्रम किस संगठन द्वारा नीति आयोग के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किया जाता है?

a) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC)
b) राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (NIESBUD)
c) महिला और बाल विकास मंत्रालय
d) भारतीय उद्योग परिसंघ (CII)

16. निम्नलिखित में से किस देश ने 2008 में भारत के साथ 123 समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे परमाणु ईंधन और प्रौद्योगिकी निर्यात को सक्षम बनाया गया?

a) फ्रांस
b) संयुक्त राज्य अमेरिका
c) रूस
d) कनाडा

17. निम्नलिखित में से कौन-सा मंत्रालय भारत के डीप ओशन मिशन के लिए नोडल मंत्रालय है?

a) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
b) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
c) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
d) जल शक्ति मंत्रालय

18. भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली (IRNSS) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. IRNSS के भूस्थिर कक्षाओं में तीन उपग्रह और भू-समकालिक कक्षाओं में चार उपग्रह हैं।
2. IRNSS पूरे भारत और इसकी सीमाओं से परे लगभग 5500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है।
3. भारत के पास 2025 के मध्य तक पूरे वैश्विक कवरेज के साथ अपनी खुद की सैटेलाइट नेविगेशन प्रणाली होगी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
a) केवल 1
b) केवल 1 और 2
c) केवल 2 और 3
d) कोई नहीं

19. ज्ञान भारतम मिशन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
a) इसका उद्देश्य 50 वर्ष से कम समय पुरानी पांडुलिपियों का दस्तावेजीकरण करना है
b) इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है
c) भारत में 80 प्राचीन लिपियों में 10 मिलियन पांडुलिपियाँ होने का अनुमान है
d) मिशन में डिजिटल रिपोजिटरी बनाना शामिल नहीं है

20. तांत्रिक बौद्ध धर्म के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
a) इसे वज्रयान बौद्ध धर्म के रूप में भी जाना जाता है
b) यह गूढ़ उपचार और सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित है
c) इसकी उत्पत्ति गुप्त साम्राज्य के दौरान हुई थी
d) यह भूटान, मंगोलिया, नेपाल और तिब्बत में प्रचलित है

12.2. ट्रू/फाल्स (T/F) स्टेटमेंट्स (True/False Statements)

1. चुनाव आयोग के पास चुनावी घोषणा-पत्रों में मुफ्त सुविधाओं पर प्रतिबंध लगाने का कानूनी अधिकार है। (T/F)
2. भारतीय संविधान के तहत पंचायतों को अधिकार सौंपना राज्य सूची का विषय है। (T/F)
3. 73वें संविधान संशोधन ने मूल रूप से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण अनिवार्य कर दिया था। (T/F)
4. 2024 में, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन (IALA) एक NGO से एक अंतर-सरकारी संगठन (IGO) में परिवर्तित हो गया। (T/F)
5. सैन्य शासन के अधीन तीन देशों (माली, बुर्किना फासो और नाइजर) ने राजनयिक तनाव के बाद आधिकारिक तौर पर पश्चिम अफ्रीकी क्षेत्रीय ब्लॉक, ECOWAS की सदस्यता का त्याग कर दिया है। (T/F)
6. कतर भारत का सबसे बड़ा LNG आपूर्तिकर्ता है, भारत के कुल LNG आयात के 40% से अधिक की आपूर्ति कतर से होती है। (T/F)
7. मखाना उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु का पादप है, और यह मूल रूप से दक्षिण-पूर्व एशिया और चीन में पाया जाता है। (T/F)
8. GI टैग वाले चावल के लिए विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा विकसित हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड एक वैश्विक उत्पाद वर्गीकरण प्रणाली है। (T/F)
9. व्यापक परमाणु-परीक्षण-प्रतिबंध संधि (CTBT) (1996) परमाणु विस्फोट परीक्षणों को प्रतिबंधित करती है और सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। (T/F)
10. DRDO ने अपनी तरह की पहले नेवल एंटी-शिप मिसाइल-शॉर्ट रेंज (NASM-SR) मिसाइल का उड़ान परीक्षण किया, इसमें स्वदेशी इमेजिंग इंफ्रा-रेड (IIR) सीकर का उपयोग किया गया है। (T/F)
11. दक्षिण बंगाल की तुलना में क्षेत्रों के अविकसित होने की भावना के कारण दार्जिलिंग में गोरखा नेशनलिस्ट लिबरेशन फोरम (GNLF) का उदय हुआ। (T/F))
12. इंदौर और उदयपुर रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड शहरों की वैश्विक सूची में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले दो भारतीय शहर बन गए हैं। (T/F)
13. कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सौर ऊर्जा का योगदान 65% है। (T/F)
14. NEP 2020 के तहत त्रि-भाषा फॉर्मूला के अनुसार सभी राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा पढ़ाई जानी चाहिए। (T/F)
15. जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2028 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर BIS-मानक जल उपलब्ध कराना है। (T/F)
16. समुद्रयान का उद्देश्य गहरे समुद्र के वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए तीन लोगों को 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने में सक्षम एक स्व-चालित पनडुब्बी विकसित करना है। (T/F)
17. परमाणु संलयन शून्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के साथ ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो इसे पर्यावरण के अनुकूल बनाता है। (T/F)
18. गैर-संचारी रोग (NCDs) घातक रोग होते हैं जो आमतौर पर चिकित्सा हस्तक्षेप के बिना ठीक हो जाते हैं। (T/F)
19. भारतीय भाषा पुस्तक योजना का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल पुस्तकें उपलब्ध कराना है। (T/F)
20. टी हॉर्स रोड की उत्पत्ति चीन के तांग राजवंश में हुई थी। (T/F)

12.3. मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न (Mains Practice Questions)

1. भारतीय राजनीति में मुफ्त सुविधाओं के राजकोषीय स्वास्थ्य और मतदाता व्यवहार पर प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। कल्याणकारी आवश्यकताओं और सतत शासन के बीच संतुलन बनाने के उपाय सुझाइए। (150 शब्द, 10 अंक)
2. पंचायतों को वित्त और पदाधिकारियों को हस्तांतरित करने में प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। उनकी राजकोषीय और प्रशासनिक स्वायत्तता बढ़ाने के लिए नीतिगत उपाय सुझाइए। (150 शब्द, 10 अंक)
3. भू-आर्थिक विखंडन (GEF) क्या है और यह भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है? (150 शब्द, 10 अंक)
4. भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के प्रमुख सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए और क्षेत्रीय सहयोग पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)
5. भारत के कपास क्षेत्रक को बढ़ावा देने में 'कपास उत्पादकता मिशन' के महत्व पर चर्चा कीजिए। कपास किसानों के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, और कपास की उत्पादकता और स्थिरता में सुधार के उपाय सुझाइए? (150 शब्द, 10 अंक)
6. भारत में क्षेत्रवाद की ऐतिहासिक जड़ें क्या हैं? क्षेत्रीय विषमताओं को आकार देने में औपनिवेशिक नीतियों की भूमिका पर चर्चा कीजिए? (150 शब्द, 10 अंक)
7. भारत में हाइब्रिड युद्ध से निपटने में प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? हाइब्रिड खतरों को कम करने में संस्थागत समन्वय और खुफिया जानकारी साझा करने की भूमिका पर चर्चा कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)
8. जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने से 'हर घर जल' के लक्ष्य को प्राप्त करने में देरी का पता चलता है। मुख्य बाधाएं क्या हैं, और प्रौद्योगिकी इसकी सफलता में किस प्रकार सहायता कर सकती है? (150 शब्द, 10 अंक)

9. उच्च STEMM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा) नामांकन के बावजूद, भारतीय विज्ञान में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम क्यों है? आगे की राह सुझाइए। (150 शब्द, 10 अंक)
10. भारत में गैर-संचारी रोगों (NCDs) के बढ़ते बोझ पर प्रकाश डालिए। हाल की सरकारी पहलें NCDs द्वारा उत्पन्न स्वास्थ्य और आर्थिक चुनौतियों का कैसे समाधान कर रही हैं? (150 शब्द, 10 अंक)
11. PRIs में महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने में संवैधानिक जनादेश (73वां संशोधन) की भूमिका का परीक्षण कीजिए। इन प्रावधानों के बावजूद प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व क्यों बना हुआ है? (250 शब्द, 15 अंक)
12. त्रिकोणीय सहयोग में भारत की भूमिका और अन्य देशों के साथ राजनयिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर इसके प्रभाव का परीक्षण कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)
13. MSMEs के लिए पारस्परिक ऋण गारंटी योजना के महत्व पर चर्चा कीजिए और ऐसी पहलों के बावजूद MSMEs के सामने आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। सरकारी हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय सुझाइए। (250 शब्द, 15 अंक)
14. राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन (NCMM) का शुभारंभ भारत की खनिज सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के लिए क्रिटिकल मिनरल के महत्व पर चर्चा कीजिए और उनकी आपूर्ति को सुरक्षित करने में चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। भारत की क्रिटिकल मिनरल रणनीति को मजबूत करने के उपाय सुझाइए। (250 शब्द, 15 अंक)
15. भारत में ऊर्जा परिवर्तन में सौर ऊर्जा की क्षमता और चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए, देश के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में रणनीतिक अवसरों और महत्वपूर्ण बाधाओं दोनों पर चर्चा कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)
16. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, इसकी उपलब्धियों, चुनौतियों और भारत में कृषि प्रथाओं को बदलने की क्षमता का परीक्षण कीजिए। योजना की प्रभावशीलता और किसान कल्याण पर प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक व्यापक रणनीति को प्रस्तावित कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)
17. "भारत में पराली जलाने की बहुमुखी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और मौजूदा नीति ढांचे का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। एक एकीकृत दृष्टिकोण को प्रस्तावित कीजिए जो पर्यावरणीय चिंताओं, कृषि स्थिरता और किसानों के आर्थिक हितों को संतुलित करता हो।" (250 शब्द, 15 अंक)
18. बजट 2025-26 में घोषित भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन के प्रमुख उद्देश्यों और रणनीतिक महत्व पर चर्चा कीजिए। इस संदर्भ में, भारत के ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्यों को प्राप्त करने में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMR) की भूमिका का परीक्षण कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)
19. भारत के समुद्री हितों के संदर्भ में गहरे समुद्र में अन्वेषण के महत्व पर प्रकाश डालिए। डीप ओशन मिशन भारत के सतत विकास और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भू-राजनीतिक रणनीति के साथ कैसे संरेखित है? (250 शब्द, 15 अंक)
20. केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत की पांडुलिपि विरासत को संरक्षित करने के लिए ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की गई। भारत में पाण्डुलिपि संरक्षण के महत्व, इसके समक्ष आने वाली चुनौतियों तथा आधुनिक तकनीकी हस्तक्षेप किस प्रकार इन चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं, इस पर चर्चा कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

12.4. एथिक्स केस स्टडी (Ethics Case Studies)

1. डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अश्लीलता और अपवित्रता बढ़ने के मद्देनजर, सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को ऑनलाइन सामग्री में "गंदी भाषा" और "अश्लीलता" पर अंकुश लगाने के लिए उपाय सुझाने का निर्देश दिया है, तथा सामाजिक नैतिक मानदंडों के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संतुलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है।

इस संदर्भ में, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

i. एक समाज/देश को जो आपत्तिजनक और अश्लील लगता है, वह दूसरे के लिए दैनिक चर्चा का हिस्सा हो सकता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता के बढ़ते उपयोग से कौन-से नैतिक मुद्दे उत्पन्न होते हैं?
ii. सरकार यह कैसे सुनिश्चित कर सकती है कि सार्वजनिक शालीनता बनाए रखते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की जाए? रचनात्मकता और कलात्मक अभिव्यक्ति को बाधित किए बिना अश्लील सामग्री को सीमित करने के लिए क्या दिशा-निर्देश प्रस्तावित किए जाने चाहिए?
iii. डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को विषय-वस्तु को विनियमित करने में क्या भूमिका निभानी चाहिए, और वे स्वतंत्र अभिव्यक्ति की सुरक्षा के साथ समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को कैसे संतुलित कर सकते हैं?

2. "हाल ही में एक राज्य के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग की एक परेशान करने वाली घटना हुई। प्रथम वर्ष के छात्र राहुल को वरिष्ठ छात्रों के एक समूह द्वारा गंभीर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। इसमें मौखिक दुर्व्यवहार, जबरन शारीरिक व्यायाम और अपमानजनक कार्य शामिल थे, जिससे राहुल को भावनात्मक रूप से काफी परेशानी हुई और उसके शैक्षणिक प्रदर्शन में गिरावट आई। कॉलेज में रैगिंग विरोधी समिति और रैगिंग के खिलाफ स्पष्ट दिशा-निर्देश होने के बावजूद, यह घटना हुई। साथ ही इस मुद्दे को संबोधित करने के शुरुआती प्रयासों को कुछ संकाय सदस्यों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने कॉलेज की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने के डर से स्थिति की गंभीरता को कम करके आंका। राहुल के माता-पिता, जो अपने बेटे की भलाई के बारे में बहुत चिंतित हैं, उन्होंने कॉलेज प्रशासन से संपर्क किया है और मामले को मीडिया और कानूनी अधिकारियों तक पहुंचाने की धमकी दी है। कॉलेज की एंटी-रैगिंग समिति के नवनियुक्त प्रमुख के रूप में, आपको इस स्थिति को संभालने का काम सौंपा गया है। आप रैगिंग से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों, राघवन समिति की सिफारिशों और UGC के नियमों से अवगत हैं। हालांकि, आप कुछ क्षेत्रों में रैगिंग की गहरी सांस्कृतिक स्वीकृति और सख्त प्रवर्तन सुनिश्चित करने में चुनौतियों के बारे में भी जानते हैं।

प्रश्न:

i. इस मामले में शामिल नैतिक दुविधाओं की पहचान कीजिए। रैगिंग के मुद्दे को संबोधित करने में संस्थान, संकाय सदस्यों, वरिष्ठ छात्रों और पीड़ित की जिम्मेदारियों और दायित्वों पर चर्चा कीजिए।
ii. राहुल से संबंधित तत्काल स्थिति को संबोधित करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे, जिससे उसकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित हो सके? भविष्य में रैगिंग की घटनाओं को रोकने के लिए आप जो उपाय लागू करेंगे, उन पर चर्चा कीजिए, तथा कॉलेज में समावेशिता और सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कीजिए।

13.1. MCQs के उत्तर और व्याख्या (MCQs Answer and Explantion)

1. उत्तर: (a)

व्याख्या:

- पंचायत निर्णय पोर्टल पंचायतों के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में निर्वाचित प्रधानों (ग्राम प्रमुखों) की भागीदारी को ट्रैक करता है। इसका उद्देश्य स्थानीय शासन में उनकी भागीदारी की निगरानी करके पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना है।

2. उत्तर: (b)

व्याख्या:

- बिहार भारत का पहला राज्य बन गया जिसने पंचायती राज संस्थाओं (PRI) में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया, जिससे स्थानीय शासन और निर्णय लेने में लैंगिक समानता को बढ़ावा मिला।

3. उत्तर: (c)

व्याख्या:

- कथन 1 सही है: ओपेक (OPEC) की स्थापना 1960 में बगदाद सम्मेलन में की गई थी।
- कथन 2 सही है: ओपेक का मुख्यालय वियना (ऑस्ट्रिया) में है।

4. उत्तर: (b)

व्याख्या:

- कथन 1 सही नहीं है: इसकी स्थापना 1997 में बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी।
- कथन 2 सही है: बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल और भूटान बिम्सटेक के सदस्य हैं।
- कथन 3 सही है: बिम्सटेक का उद्देश्य तेजी से आर्थिक विकास करना, सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करना है।
- कथन 4 सही नहीं है: इसके 7 फोकस क्षेत्र हैं: व्यापार; पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन; सुरक्षा; कृषि और खाद्य सुरक्षा; लोगों से लोगों का संपर्क; विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार; कनेक्टिविटी।

5. उत्तर: (a)

व्याख्या:

- कथन 1 सही है: यह विश्व का पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है।
- कथन 2 सही नहीं है: इसकी स्थापना रोम संविधि (1998 में अपनाई गई और 2002 में लागू हुई) द्वारा की गई थी।
- कथन 3 सही नहीं है: 125 देश इसके सदस्य हैं। भारत, इजरायल, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन रोम संविधि के पक्षकार नहीं हैं।
- कथन 4 सही नहीं है: यूक्रेन इसका 125वां सदस्य बन गया है। मलेशिया इसका सदस्य नहीं है

6. उत्तर: (b)

व्याख्या:

- कथन 1 सही है: सूक्ष्म उद्यमों के लिए निवेश सीमा को 1 करोड़ रुपये से संशोधित कर 2.5 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
- कथन 2 सही नहीं है: एक लघु उद्यम को अब 10 करोड़ रुपये से 25 करोड़ रुपये के निवेश और 50 करोड़ रुपये से 100 करोड़ रुपये के कारोबार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दिए गए आंकड़े (50 करोड़ रुपये निवेश, 200 करोड़ रुपये कारोबार) सही नहीं हैं।
- कथन 3 सही है: मध्यम उद्यमों को अब 50 करोड़ रुपये से 125 करोड़ रुपये के निवेश और 250 करोड़ रुपये से 500 करोड़ रुपये के कारोबार के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

7. उत्तर: (b)

व्याख्या:

- कथन 1 सही नहीं है: बैराइट्स, फेल्सपार, अभ्रक और क्वार्ट्ज को लघु खनिजों से प्रमुख खनिजों की श्रेणी में पुनर्वर्गीकृत किया गया है, जबकि इसका विपरीत सही नहीं है।
- कथन 2 सही है: पुनर्वर्गीकरण का उद्देश्य अन्वेषण, वैज्ञानिक खनन और संबंधित क्रिटिकल मिनरल के बेहतर विनियमन को बढ़ावा देना है।
- कथन 3 सही नहीं है: MMDR अधिनियम, 1957 के तहत लघु खनिजों का वर्गीकरण केंद्र सरकार करती है, न कि राज्य सरकारें। हालांकि, राज्य सरकारें इस अधिनियम की धारा 15 के तहत लघु खनिजों के खनन पट्टों को विनियमित करती हैं।

8. उत्तर: (a)

व्याख्या:

- कथन 1 सही है: यह योजना कम कृषि उत्पादकता, मध्यम फसल गहनता (Crop intensity) और औसत से कम ऋण वितरण मापदंडों के आधार पर 100 जिलों को लक्षित करती है।
- कथन 2 सही है: PMDKY आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP) से प्रेरित है, जिसे 2018 में अविकसित जिलों में सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार के लिए लॉन्च किया गया था।
- कथन 3 सही नहीं है: केंद्रीय बजट 2025 में इस योजना के लिए कोई अलग बजटीय आवंटन निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

9. उत्तर: (c)

व्याख्या:

- कथन 1 सही है: रूस NPT और स्टार्ट (START) का समर्थन करता है लेकिन उसने ICBMs और हाइपरसोनिक हथियार भी विकसित किए हैं।
- कथन 2 सही है: तीन परमाणु-हथियार संपन्न देश भारत, इजरायल और पाकिस्तान NPT का हिस्सा नहीं हैं।

10. उत्तर: (a)

व्याख्या:

- सैन्य अभ्यास 'धर्म गार्जियन' भारत और जापान के बीच होता है।

11. उत्तर: (d)

व्याख्या:

- कैस्पियन सागर की सीमा कजाकिस्तान, अजरबैजान, रूस, तुर्कमेनिस्तान और ईरान से लगती है पर्यावरणीय कार्यकर्ताओं ने 2005 से लगभग 31,000 वर्ग कि.मी. जल स्तर में गिरावट की सूचना दी है, जिसका कारण जलवायु संकट, कृषि जल उपयोग और प्रदूषण हैं।

12. उत्तर: (b)

व्याख्या:

- कथन 1 सही है: IST मिर्जापुर में 82°30' पूर्व मध्याह्न रेखा पर आधारित है, जिसका रखरखाव CSIR-NPL द्वारा किया जाता है।
- कथन 2 सही है: मसौदा नियमों में सभी क्षेत्रकों में IST को अनिवार्य समय संदर्भ बनाने का प्रस्ताव है।
- कथन 3 सही नहीं है: ये नियम खगोल विज्ञान और नेविगेशन जैसे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अधिकृत विचलन की अनुमति देते हैं, इसलिए यह पूर्ण प्रतिबंध नहीं है।

13. उत्तर: (d)

व्याख्या:

- कथन 1 सही है: दिल्ली भूकंपीय ज़ोन-IV में स्थित है, जो भारत का दूसरा सबसे संवेदनशील ज़ोन है।
- कथन 2 सही है: हाल ही में आया भूकंप 5 कि.मी. की उथली गहराई पर "इन-सीटू मटेरियल हेटेरोजिनिटी" के कारण घटित हुआ था।
- कथन 3 सही है: भारतीय प्लेट 5 से.मी./वर्ष की गति से उत्तर की ओर बढ़ती है, जिससे फॉल्ट लाइनों पर तनाव बढ़ता है।
- कथन 4 सही है: भारत-गंगा के मैदान की नरम जलोढ़ मृदा भूकंपीय तरंगों को बढ़ावा दे सकती है।

14. उत्तर: (c)

व्याख्या:

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 में उच्चतर शिक्षा में भारत के सकल नामांकन अनुपात (GER) को 2035 तक 50% तक बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है, जैसा कि AISHE रिपोर्ट 2021-2022 अनुभाग में बताया गया है। वर्तमान GER 28.4% (2021-22) है, जो 1950-51 में 0.4% से अधिक है। यह महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है लेकिन अभी भी 2035 के लक्ष्य से बहुत दूर है।

15. उत्तर: (b)

व्याख्या:

- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा नीति आयोग के साथ शुरू किया गया महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबिनी, विशेष रूप से NIESBUD द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

16. उत्तर: (b)

भारत के असैन्य परमाणु समझौते

- NSG से छूट (सितंबर, 2008): NSG ने अपने सदस्यों और भारत के बीच असैन्य परमाणु सहयोग की अनुमति देने वाला नीतिगत निर्णय अपनाया।
- रूस: कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (KKNPP) में अतिरिक्त रिएक्टरों के निर्माण के लिए 2008 का अंतर-सरकारी समझौता।
- संयुक्त राज्य अमेरिका: 123 समझौते (2008) ने भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका के परमाणु ईंधन और प्रौद्योगिकी के निर्यात को सक्षम किया।
- फ्रांस: 2008 का असैन्य परमाणु समझौता; जैतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना के लिए चल रही योजनाएं।

17. उत्तर: (c)

डीप ओशन मिशन के बारे में

- शुरुआत: 2021 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) द्वारा केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना के रूप में।
- उद्देश्य: गहरे समुद्र में खोज के लिए तकनीक विकसित करना, ब्लू इकोनॉमी का समर्थन करना तथा जलवायु परिवर्तन और समुद्री प्रदूषण को संबोधित करना।
- वैश्विक लक्ष्यों के साथ संरेखण: SDG-14 (पानी के नीचे जीवन) के साथ संरेखित; महासागर विज्ञान के संयुक्त राष्ट्र दशक (2021-2030) का समर्थन करता है।
- बजट और समयरेखा: 5 वर्षों (2021-2026) में 4077 करोड़ रुपये; चरण- I (2021-2024) के लिए 2823.4 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

18. उत्तर: (a)

व्याख्या:

- कथन 1 सही है: IRNSS, जिसे अब NavIC के नाम से जाना जाता है, को इसरो द्वारा विकसित एक क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के रूप में वर्णित किया गया है। प्रदान की गई सामग्री के अनुसार, NavIC नेटवर्क में 7 उपग्रह शामिल हैं - 3 भूस्थिर कक्षा में और 4 झुकी हुई भू-समकालिक कक्षा में। यह प्रत्यक्ष रूप से कथन 1 की सटीकता का समर्थन करता है।
- कथन 2 सही नहीं है: NavIC के लिए उल्लिखित कवरेज क्षेत्र भारत और इसकी सीमाओं से परे 1500 कि.मी. तक है, न कि 5500 वर्ग कि.मी. जैसा कि कथन में दावा किया गया है। इसलिए, कथन 2 आधिकारिक विवरण के साथ संरेखित नहीं है।
- कथन 3 सही नहीं है: NavIC एक क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है। 2023 के मध्य तक वैश्विक कवरेज की कोई योजना नहीं है। इसलिए, यह कथन भी सही नहीं है।

19. उत्तर: (c)

व्याख्या:

- दस्तावेज के अनुसार, भारत में 80 प्राचीन लिपियों में अनुमानित 10 मिलियन पांडुलिपियाँ हैं, जिनमें से लगभग 75% संस्कृत में और 25% क्षेत्रीय भाषाओं में हैं। इस मिशन को संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है और इसके तहत एक राष्ट्रीय डिजिटल रिपॉजिटरी बनाना शामिल है।

20. उत्तर: (c)

व्याख्या:

- तांत्रिक बौद्ध धर्म (वज्रयान) भूटान, मंगोलिया, नेपाल और तिब्बत में प्रचलित है। दस्तावेज़ में गुप्त साम्राज्य के दौरान इसकी उत्पत्ति का उल्लेख नहीं है, और इसमें आत्मज्ञान के लिए व्यावहारिक तरीकों (साधना) पर अपना ध्यान केंद्रित किया जाता है।

13.2. ट्रू/फाल्स स्टेटमेंट्स के उत्तर (True/False Answers)

उत्तर:

1. F	2. T	3. F	4. F	5. T	6. T
7. T	8. T	9. F	10. T	11. T	12. T
13. F	14. F	15. T	16. T	17. T	18. F
19. T	20. T				

13.3. मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्नों के लिए दृष्टिकोण (Approach to the Mains Practice Questions)

1. **दृष्टिकोण**

परिचय: भारतीय चुनावों में मुफ्त सुविधाओं के बढ़ते चलन को मतदाताओं को प्रभावित करने के साधन के रूप में पेश कीजिए, जिससे राजकोषीय स्थिरता के बारे में चिंताएं पैदा होती हैं।

मुख्य भाग: चर्चा कीजिए कि कैसे मुफ्त सुविधाओं से बजट पर दबाव पड़ता हैं और यह मतदाता की पसंद को प्रभावित करते हैं, फिर व्यय सीमा और लक्षित कल्याण जैसे विनियमन प्रस्तावित कीजिए।

निष्कर्ष: तर्क दीजिए कि मुफ्त सुविधाएं तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, लेकिन स्थायी शासन के लिए दीर्घकालिक विकास नीतियों में बदलाव की आवश्यकता होती है।

2. **दृष्टिकोण**

परिचय: 73वें संविधान संशोधन के बावजूद विकेंद्रीकरण के मुद्दों का सामना कर रही महत्वपूर्ण शासन इकाइयों के रूप में पंचायतों का परिचय दीजिए।

मुख्य भाग: अपर्याप्त निधि और कर्मचारियों की कमी जैसी चुनौतियों को उजागर कीजिए, फिर कराधान शक्तियों और प्रशिक्षण जैसे समाधान प्रस्तावित कीजिए।

निष्कर्ष: इस बात पर बल दें कि पंचायतों को वित्तीय और प्रशासनिक रूप से सशक्त बनाना जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की कुंजी है।

3. **दृष्टिकोण**

परिचय: कुछ उदाहरणों के साथ भू-आर्थिक विखंडन का संक्षेप में उल्लेख कीजिए।

मुख्य भाग: भू-आर्थिक विखंडन को परिभाषित कीजिए और भारत की अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों पर प्रकाश डालिए।

निष्कर्ष: संतुलित दृष्टिकोण का उल्लेख कीजिए जो भू-आर्थिक विखंडन के माध्यम से भारत को लाभान्वित करेगा।

4. **दृष्टिकोण**

परिचय: भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और इसकी पृष्ठभूमि से आप क्या समझते हैं, लिखिए।

मुख्य भाग: भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के प्रमुख सिद्धांतों और भारत के आसपास के क्षेत्रीय सहयोग पर इसके प्रभाव को विस्तार से बताइए।

निष्कर्ष: इसी नीति द्वारा चीनी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए सुझाव दीजिए।

5. **दृष्टिकोण:**

परिचय: भारत के कपास क्षेत्रक और इसके आर्थिक महत्व का परिचय दीजिए। 'कपास उत्पादकता मिशन' के शुभारंभ का उल्लेख कीजिए।

मुख्य भाग: कपास उत्पादकता मिशन के महत्व और कपास के किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। कपास उत्पादकता और स्थिरता में सुधार के उपायों पर चर्चा कीजिए।

निष्कर्ष: इस मिशन और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए।

6. **दृष्टिकोण**

परिचय: भारतीय संदर्भ में क्षेत्रवाद पर संक्षेप में चर्चा कीजिए।

मुख्य भाग: भारत में क्षेत्रवाद की ऐतिहासिक जड़ें और क्षेत्रीय असमानताओं को आकार देने में औपनिवेशिक नीतियों की भूमिका के बारे में लिखिए।

निष्कर्ष: क्षेत्रीय एकीकरण लाने के लिए उठाए गए कदमों और संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख कीजिए।

7. **दृष्टिकोण**

परिचय: हाइब्रिड युद्ध क्या है और इसके विकास के बारे में लिखिए।

मुख्य भाग: भारत में हाइब्रिड युद्ध से निपटने में आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और हाइब्रिड खतरों को कम करने में संस्थागत समन्वय और खुफिया जानकारी साझा करने की भूमिका पर प्रकाश डालिए।

निष्कर्ष: अंत में अन्य वैश्विक पहलों और अभिनव दृष्टिकोणों का उल्लेख कीजिए।

8. **दृष्टिकोण**

परिचय: कार्यान्वियन संबंधी मुद्दों का संकेत देते हुए JJM के लक्ष्य और 2028 तक इसके विलंब का उल्लेख कीजिए।

मुख्य भाग: प्रमुख बाधाओं (वित्त पोषण, भूजल पर निर्भरता, तकनीकी विलंब) की सूची बनाइए और तकनीकी समाधान (IoT, AI) सुझाइए।

निष्कर्ष: 2028 तक जल सुरक्षा के लिए बाधाओं को दूर करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर बल दीजिए।

9. **दृष्टिकोण**

परिचय: 43% STEMM नामांकन और 18.6% महिला वैज्ञानिकों के बीच अंतर पर ध्यान दीजिए।

मुख्य भाग: बाधाओं (पितृसत्ता, कार्यस्थल के मुद्दे) को उजागर कीजिए और समाधान (मार्गदर्शन, नीति सुधार) प्रस्तुत कीजिए।

निष्कर्ष: विज्ञान और नवाचार में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए प्रणालीगत परिवर्तनों की आवश्यकता पर जोर दीजिए।

10. **दृष्टिकोण**

परिचय: गैर-संचारी रोगों (NCD) को आनुवंशिक, जीवनशैली और पर्यावरणीय कारकों से जुड़ी पुरानी, गैर-संक्रामक स्थितियों के रूप में परिभाषित कीजिए, जो भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती के रूप में उभर रही हैं।

मुख्य भाग:

- **बोझ और प्रभाव:** 74% वैश्विक मौतों का कारण; भारत में उच्च लागत, शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव, जीवन प्रत्याशा में कमी और 2030 तक 280 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित आर्थिक बोझ के साथ इसमें बढ़ोतरी हो रही है।
- **सरकारी पहल:** 30 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों की 100% जांच के लिए गहन NCD स्क्रीनिंग अभियान; स्वास्थ्य संवर्धन, शीघ्र निदान और देखभाल की निरंतरता के लिए NP-NCD के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से कार्यान्वयन।

निष्कर्ष: NCD को संबोधित करने के लिए कमजोर समूहों में दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक और स्वास्थ्य प्रभावों को कम करने के लिए एकीकृत स्क्रीनिंग, जागरूकता और प्राथमिक देखभाल की आवश्यकता है।

11. **दृष्टिकोण**

परिचय: कार्यान्वियन अंतराल को ध्यान में रखते हुए, PRIs में महिलाओं के नेतृत्व की दिशा में एक कदम के रूप में 73वें संविधान संशोधन को प्रस्तुत कीजिए।

मुख्य भाग: बताइए कि किस प्रकार यह भागीदारी को बढ़ाता है, लेकिन सांस्कृतिक और शैक्षिक बाधाओं के कारण प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व की वजह से बाधा उत्पन्न होती है।

निष्कर्ष: निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए कि संशोधन दरवाजे खोलता है, लेकिन वास्तविक शक्ति के लिए सामाजिक बाधाओं से आगे बढ़ना आवश्यक है।

12. **दृष्टिकोण**

परिचय: त्रिकोणीय सहयोग क्या है और इसका विकास के बारे में लिखिए।

मुख्य भाग: त्रिकोणीय सहयोग में भारत की भूमिका तथा अन्य देशों के साथ राजनयिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर इसके प्रभाव का उल्लेख कीजिए।

निष्कर्ष: कूटनीति में त्रिकोणीय सहयोग के महत्व का उल्लेख कीजिए।

13. **दृष्टिकोण:**

परिचय: MSMEs क्या हैं, इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी से शुरुआत कीजिए।

मुख्य भाग: MSMEs के लिए पारस्परिक ऋण गारंटी योजना के बारे में बताइए। इसका महत्व बताइए। MSMEs के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। सरकार द्वारा की गई पहलों पर भी चर्चा कीजिए।

निष्कर्ष: उपायों और उठाए जाने वाले कदमों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए।

14. दृष्टिकोण:

परिचय: क्रिटिकल मिनरल्स को परिभाषित कीजिए और भारत की आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा में उनके महत्व पर प्रकाश डालिए।

मुख्य भाग: क्रिटिकल मिनरल्स आपूर्ति को सुरक्षित करने की दिशा में एक कदम के रूप में हाल ही में राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन (NCMM) के शुभारंभ का उल्लेख कीजिए। क्रिटिकल मिनरल्स को सुरक्षित करने के महत्व, चुनौतियों के बारे में चर्चा कीजिए। भारत की क्रिटिकल मिनरल्स रणनीति को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा कीजिए।

निष्कर्ष: NCMM और उठाए जाने वाले कदमों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए।

15. दृष्टिकोण

परिचय: भारत की 100 गीगावाट सौर क्षमता तक पहुंचने की उपलब्धि पर प्रकाश डालिए। भारत की ऊर्जा और जलवायु रणनीति में सौर ऊर्जा की भूमिका को संदर्भित कीजिए।

मुख्य भाग: अवसरों और बाधाओं के साथ सौर ऊर्जा की क्षमता और चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

निष्कर्ष: आगे बढ़ने की राह सुझाइए।

16. दृष्टिकोण

परिचय: योजना का संदर्भ प्रदान करके शुरुआत कीजिए।

मुख्य भाग: इसकी उपलब्धियों, चुनौतियों और कृषि पद्धतियों को बदलने की क्षमता का परीक्षण कीजिए।

निष्कर्ष: इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए रणनीति सुझाइए।

17. दृष्टिकोण

परिचय: कुछ तथ्यों के साथ समस्या का संदर्भ प्रदान करके शुरुआत कीजिए।

मुख्य भाग: वर्तमान नीतिगत निहितार्थों के साथ बहुआयामी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

निष्कर्ष: आगे की राह के रूप में एकीकृत दृष्टिकोण प्रस्तुत कीजिए।

18. दृष्टिकोण

परिचय: परमाणु ऊर्जा मिशन को 2025-26 की पहल के रूप में परिभाषित कीजिए जिसका उद्देश्य स्वदेशी नवाचार और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों के माध्यम से परमाणु ऊर्जा का विस्तार करना है, जिसमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs) की स्थापना शामिल है।

मुख्य भाग:

- **उद्देश्य और महत्व:** 2047 तक 100 गीगावाट का लक्ष्य, ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देना, COP-26 लक्ष्यों का समर्थन करना और कानूनी सुधारों के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- **SMRs की भूमिका:** मॉड्यूलर, सुरक्षित और स्केलेबल बिजली उत्पादन को सक्षम करना; दूरस्थ पहुँच, कोयला संयंत्र के पुन: उपयोग और विलवणीकरण के लिए उपयोगी; स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना और तेजी से तैनाती करना।

निष्कर्ष: भारत के निम्न-कार्बन संक्रमण में SMRs को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकर्ता के रूप में रेखांकित कीजिए तथा इस मिशन की स्वच्छ, सुरक्षित और समावेशी ऊर्जा विकास को बढ़ावा देने की क्षमता पर बल दीजिए।

19. दृष्टिकोण

परिचय: डीप ओशन मिशन को समुद्र की गहराई का पता लगाने, नीली अर्थव्यवस्था का समर्थन करने और भारत के समुद्री अनुसंधान और रणनीतिक समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने के लिए 2021 की पहल के रूप में परिभाषित कीजिए।

मुख्य भाग:

- **उद्देश्य और महत्व:** यह संसाधन मानचित्रण, समुद्री जैव विविधता अध्ययन और पानी के नीचे इंजीनियरिंग को सक्षम बनाता है; भारत के EEZ का उपयोग करता है और ब्लू इकोनॉमी-आधारित विकास का समर्थन करता है।
- **रणनीतिक और वैश्विक संरेखण:** SDG-14 और संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान लक्ष्यों के साथ संरेखित करता है; IPOI और क्वाड सहयोग का समर्थन करता है; बढ़ती क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा के बीच भारत की हिंद-प्रशांत समुद्री उपस्थिति को बढ़ावा देता है।

निष्कर्ष: सतत महासागर विकास को आगे बढ़ाने और समुद्री विज्ञान एवं हिंद-प्रशांत रणनीति में भारत के नेतृत्व को मजबूत करने में इस मिशन की भूमिका पर बल दीजिए।

20. दृष्टिकोण

परिचय: मिशन का कुछ संदर्भ प्रस्तुत कीजिए।

मुख्य भाग: बताइए कि पांडुलिपि क्या है, और इसके संरक्षण की आवश्यकता क्यों है।

निष्कर्ष: चुनौतियों का उल्लेख करते हुए निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए और बताइए कि प्रौद्योगिकी उन्हें संबोधित करने में कैसे हस्तक्षेप कर सकती है।

13.4. केस स्टडीज़ के प्रति दृष्टिकोण (Approach to case studies)

1. दृष्टिकोण

- **परिचय:** केस स्टडी के बारे में संदर्भ प्रस्तुत करते हुए, नैतिक मुद्दों का उल्लेख कीजिए, जैसे कि नुकसान का सिद्धांत, कमजोर समूहों की सुरक्षा।
- **मुख्य भाग:** अभिव्यक्ति बनाम शालीनता की दुविधा की व्याख्या कीजिए, और सरकार उन्हें किस प्रकार संतुलित कर सकती है।
- **निष्कर्ष:** सामग्री के विनियमन में डिजिटल मीडिया की भूमिका का उल्लेख कीजिए, जैसे कि जिम्मेदारी तय करना।

2. दृष्टिकोण

- **परिचय:** संबंधित हितधारकों के साथ केस स्टडी के विवरण की व्याख्या कीजिए।
- **मुख्य भाग:** नैतिक दुविधाओं और इसमें शामिल लोगों की जिम्मेदारियों का उल्लेख कीजिए, जैसे कि उचित प्रक्रिया बनाम त्वरित कार्रवाई। राहुल के मामले में तत्काल और दीर्घकालिक दृष्टिकोण का सुझाव दीजिए।
- **निष्कर्ष:** भविष्य में रैगिंग को कैसे समाप्त किया जा सकता है, इसका उल्लेख करते हुए आगे की राह सुझाइए।

14. सेल्फ-इवेल्युएशन (Self - Evaluation)

प्रोग्रेस ट्रैकिंग टेबल

एक्टिविटी	कुल प्रश्न	सही उत्तर	अटेम्प्ट	स्कोर/परसेंटेज
MCQ's				
स्कोर/परसेंटेज				

मंथली लर्निंग समरी

टॉप 3 लर्निंग/ इनसाइट्स

1.

2.

3.

प्रोग्रेस की तुलना

पिछले महीने का स्कोर	
इस महीने का स्कोर	
किस क्षेत्र में सुधार हुआ	

रिफ्लेक्शन सेक्शन

मजबूत पक्ष	
सुधार के लिए चिन्हित क्षेत्र	
अगले महीने के लिए लक्ष्य	

लाइव / ऑनलाइन
कक्षाएं भी उपलब्ध

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स 2026

प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों

दिल्ली
27 मई, 11 AM
अवधि – 12 महीने

VisionIAS ऐप को डाउनलोड करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

निःशुल्क काउंसिलिंग के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

डेली MCQs और अन्य अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए

- सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स में GS मेन्स के सभी चारों पेपर, GS प्रीलिम्स, CSAT और निबंध के सिलेबस को विस्तार से कवर किया जाता है।
- अभ्यर्थियों के ऑनलाइन स्टूडेंट पोर्टल पर लाइव एवं ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाओं की सुविधा भी उपलब्ध है, ताकि वे किसी भी समय, कहीं से भी लेक्चर और स्टडी मटेरियल तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकें।
- इस कोर्स में पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शामिल है।
- 2025 के प्रोग्राम की अवधिः 12 महीने
- प्रत्येक कक्षा की अवधिः 3–4 घंटे, सप्ताह में 5–6 दिन (आवश्यकता पड़ने पर रविवार को भी कक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं)

नोटः अभ्यर्थी फाउंडेशन कोर्स की लाइव वीडियो कक्षाएं घर बैठे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। साथ ही, अभ्यर्थी लाइव चैट के जरिए कक्षा के दौरान अपने डाउट्स और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा, वे अपने डाउट्स और प्रश्न को नोट कर दिल्ली सेंटर पर हमारे क्लासरूम मेंटर को बता सकते हैं, जिसके बाद फोन / मेल के जरिए अभ्यर्थियों के प्रश्नों का समाधान किया जाता है।

GS फाउंडेशन कोर्स की अन्य मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मूल्यांकन

अभ्यर्थियों को नियमित ट्यूटोरियल, मिनी टेस्ट एवं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के माध्यम से व्यक्तिगत व अभ्यर्थी के अनुरूप और ठोस फीडबैक दिया जाता है

सभी द्वारा पढ़ी जाने वाली एवं सभी द्वारा अनुशंसित

विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम द्वारा तैयार की गई मासिक समसामयिकी मैगजीन, PT 365 और Mains 365 डॉक्यूमेंट्स तथा न्यूज़ टुडे जैसी प्रासंगिक एवं अपडेटेड अध्ययन सामग्री

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन

इस कोर्स के तहत अभ्यर्थियों के डाउट्स दूर करने और उन्हें प्रेरित रखने के लिए नियमित रूप से फोन / ईमेल / लाइव चैट के माध्यम से "वन–टू–वन" मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़

प्रत्येक 3 सफल उम्मीदवारों में से 2 Vision IAS की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज को चुनते हैं। Vision IAS के पोस्ट टेस्ट एनालिसिस के तहत टेस्ट पेपर में स्टूडेंट्स के प्रदर्शन का विस्तार से विश्लेषण एवं समीक्षा की जाती है। यह अपनी गलतियों को जानने एवं उसमें सुधार करने हेतु काफी महत्वपूर्ण है।

कोई क्लास मिस ना करें

प्रत्येक अभ्यर्थी को एक व्यक्तिगत "स्टूडेंट पोर्टल" उपलब्ध कराया जाता है। इस पोर्टल के जरिए अभ्यर्थी किसी भी पुराने क्लास या छूटे हुए सेशन और विभिन्न रिसोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं एवं अपने प्रदर्शन का सापेक्ष एवं निरपेक्ष मूल्यांकन कर सकते हैं।

बाधा रहित तैयारी

अभ्यर्थी VisionIAS के क्लासरूम लेक्चर्स एवं विभिन्न रिसोर्सेज़ को कहीं से भी तथा कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और वे इन्हें अपनी जरुरत के अनुसार ऑर्गनाईज कर सकते हैं।

/c/VisionIASdelhi /vision_ias /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC

Heartiest

Congratulations

to all Successful Candidates

10 in **TOP 10** Selections in **CSE 2024**
from various programs of **Vision IAS**

Shakti Dubey

Harshita Goyal | **Dongre Archit Parag** | **Shah Margi Chirag** | **Aakash Garg**

Komal Punia | **Aayushi Bansal** | **Raj Krishna Jha** | **Aditya Vikram Agarwal** | **Mayank Tripathi**

हिंदी माध्यम में 30+ चयन CSE 2024 में

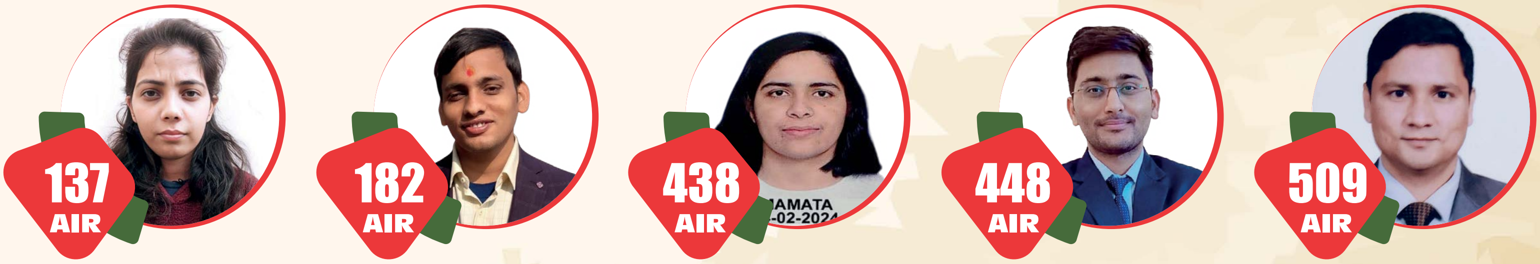

Ankita Kanti | **Ravi Raaz** | **Mamata** | **Sukh Ram** | **Amit Kumar Yadav**

DELHI

HEAD OFFICE
Apsara Arcade, 1/8-B 1st Floor, Near Gate-6 Karol Bagh Metro Station

MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar

GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office, above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009

FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call:
+91 8468022022,
+91 9019066066

enquiry@visionias.in | /@visioniashindi | /visionias.upsc | /vision_ias_hindi/ | /hindi_visionias

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची